# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 3 चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का 11वां दिवस संख्या 9

बृहस्पतिवार

दिनांक 5-9-1968

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[यातायात, स्वायत्त शासन, विद्युत, गृह, कृषि, सामान्य प्रशासन, आयुर्वेद, पशु-पालन, सार्वजनिक निर्माण, जन सम्पर्क विभाग]

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न। श्री केशरीसिंह हाडा !

### बून्दी कोटा मार्ग पर बस की टक्कर

206. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य परिवहन निगम की बस नं. आर.एस.एल. 7248 व आर.एस.एल. 5437 बूंदी से कोटा की ओर तीसरे मील पर दिनांक 8-7-68 को टक्कर हुई थी?

(2) क्या बसों की टक्कर से कोटा बूंदी का यातायात बन्द हो गया था?

(3) क्या मौके पर कोटा डिपो का मैनेजर आया था? यदि हां, तो कब और क्या कार्यवाही की?

(4) टक्कर किस समय हुई और बसों को कब हटाया गया?

(5) टक्कर का क्या कारण था?

(6) इन दोनों बसों में अलग अलग कितने कितने यात्री सफर कर रहे थे? कितनों को चोटें आई और निगम ने उनको चिकित्सालय पहुंचाने व उनके इलाज की क्या व्यवस्था की? क्या चालक को भी चोट आई थी?

(7) यात्रियों को क्या मुआवजा दिया गया?

(8) क्या बसों का बीमा हो रहा था? यदि हां, तो किस कम्पनी में?

(9) निगम को बीमा कम्पनी द्वारा मरम्मत के लिये कितनी रकम मिली? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

**उप मन्त्री यातायात** (श्री समर्थलाल) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। यातायात बराबर चलता रहा।

(3) जी नहीं। स्थान प्रभारी को भेजा गया था, जिन्होंने वहां जा कर रिपोर्ट तैयार की, जो वहां दो बजे दोपहर पहुंचे थे।

(4) टक्कर करीब 10-50 बजे पर हुई थी। गाडियों को स्थान प्रभारी के

(श्री समर्थलाल)
पहुंचने से पहले ही पुलिस द्वारा हटा दिया गया था।

(5) बरसात होने के कारण सडक के दोनों ओर कीचड़ थी, चालक ने गाडी के ब्रेक लगाये, लेकिन पहियों के फिसल जाने के कारण गाडियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

(6) दोनों गाडियों में सफर करने वाले यात्रियों में से केवल तीन व्यक्तियों के मामूली चोटें आई थीं और उन्हें निगम के यातायात निरीक्षक द्वारा निगम के वाहन द्वारा बूंदी अस्पताल भेजा गया था और उनकी देखभाल को वे उन्हीं के पास रहे, चालक के भी चोट आई थी, और उन्हें भी बूंदी अस्पताल में भर्ती किया गया।

(7) कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(8) निगम की गाडियां बीमा से मुक्त हैं।

(9) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री केशरीसिह हाडा** : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गाडियों की टक्कर किस तारीख को हुई थी ?

**श्री समर्थलाल** : दिनांक 8–7–68 को गाडी नम्बर आर.एस.एल. 7248 और आर.एस.एल. 5437 में टक्कर हुई।

**श्री केशरीसिह हाडा** : नम्बर आप क्या बताते हैं, नम्बर तो मैंने दिये हैं। टक्कर होने के बाद कब तक कोटा बूंदी मेन रोड पर बसों का यातायात बन्द रहा ?

**श्री उपाध्यक्ष** : इसका उत्तर दे दिया है।

**श्री केशरीसिह हाडा** : यह उत्तर दिया कि यातायात बन्द नहीं रहा यह गलत उत्तर है वास्तव में यातायात बन्द रहा है, चतरपुरा की रोड हो कर यातायात को डाइवर्ट कर दिया था पर उधर भी दो ट्रक फट गये थे इसलिये उधर का भी बन्द हो गया और इधर का भी बन्द हो गया और दो रोज तक गाडियों को नहीं हटाया गया।

**श्री समर्थलाल** : टक्कर हुई उसके थोडी देर बाद ही पुलिस पहुंच गई थी और गाडियों को हटा कर यातायात शुरू कर दिया।

**श्री केशरीसिह हाडा** : क्यों मन्त्रीजी गलत कह रहे हैं, सदन को पवित्र मंदिर समझ कर सच 2 कहना चाहिये क्योंकि सत्य की शपथ लेते हैं और आपका उत्तर सत्य से कहीं परे है, यातायात दो दिन कम्प्लीट बन्द रहा। बूंदी से दो मील पर ही टक्कर हुई थी, मैं खुद मौके पर वहां गया था।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्री केशरीसिह हाडा** : मन्त्री महोदय से उत्तर दिलाया जाय।

**श्री शिवनारायसिह (गुडा)** : गाडियों का बीमा होने से बीमा विभाग से कम्पेन्सेशन वसूल किया जाता है, प्राइवेट पार्टीज की जितनी गाडियां होती हैं, उनका बीमा होता है इसलिये इस प्रकार के एक्सीडेन्ट्स होने पर थर्ड पार्टी से मुआवजा क्लेम किया जाता है तो इसी आधार पर निगम की गाडियों का बीमा करा कर क्यों नहीं थर्ड पार्टीज से कम्पेन्सेशन वसूल किया जाता ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर)** : माननीय सदस्य ने कहा कि 2 दिन तक

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
ट्रेफिक बन्द रहा, क्या यह सत्य है कि 2 दिन तक ट्रेफिक बन्द रहा?

**श्री समर्थलाल**: जहां तक मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर मैंने निवेदन किया कि माननीय सदस्य ने जो कहा कि दो दिन ट्रेफिक बन्द रहा, यह सत्य नहीं है।

**श्री शिवनाथसिंह**: थर्ड पार्टी इन्स्योरेंस नहीं होने के कारण ऐसे एक्सीडेन्ट्स में जो यात्री इन्जर्ड होते हैं उनको मुआवजा नहीं मिलता है तो सरकार अपनी गाडियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं करती है?

**श्री समर्थलाल**: यह कोर्ट में डिसाइड होता है।

**श्री शिवनाथसिंह**: जब तक आप अपनी गाडियों का थर्ड पार्टी इन्स्योरेंस नहीं करवायेंगे तब तक कोर्ट क्या देगा?

**श्री केशरीसिंह हाडा**: इस विषय में मोटर विहिकल्स एक्ट आपकी गाडियों पर भी लागू होता है क्योंकि आपको टोकन लेना पडता है कौनसी धारा के मातहत आपकी गाडियों को बीमा कराने से मुस्तसना किया गया है?

**श्री समर्थलाल**: धारा के बारे में जानकारी नहीं है।

**श्री केशरीसिंह हाडा**: शेम। देखिये धारा आप नहीं बता सकते, केवल जो कर्मचारी लिख देते हैं वही पढ देते हैं, इस तोता रटाई भावना से काम नहीं चलेगा स्टेडी कर के आइये। कौनसी धारा से आपकी गाडियां मुस्तसना हैं, आप धारा बताइये।

**श्री उपाध्यक्ष**: यह कानूनी प्रश्न है।

**श्री केशरीसिंह हाडा**: कानून का इनको ज्ञान होना चाहिये, कानून का ज्ञान नहीं है तो यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है।

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर): बीमा कराने का प्रावधान नहीं है तो क्या रोडवेज रूल्स के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान है जिससे कि इन्जर्ड यात्रियों को कम्पेन्सेशन दिया जा सके?

**श्री केशरीसिंह हाडा**: उत्तर में यह लिखा हुआ नहीं है, इसलिये मन्त्रीजी जवाब नहीं दे सकते।

**श्री समर्थलाल**: क्योंकि इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं मिली है इसलिये इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके निवेदन करूंगा।

**श्री केशरीसिंह हाडा**: क्या आप बता सकते हैं कि निगम को इन गाडियों की मरम्मत में कितना पैसा खर्च करना पडा?

**श्री उपाध्यक्ष**: अलग से प्रश्न।

**श्री केशरीसिंह हाडा**: इसीसे सम्बन्धित है, यह सारा पूछा है, फिर सप्लीमेंटरी क्या करेंगे, जवाब नहीं दे सकते तो तारांकित प्रश्न क्यों रखते हैं, अतारांकित रख दीजिये लिखित उत्तर मिल जायगा। तारांकित रखा है तो यह बताइये कि कितना रुपया दोनों बसों की मरम्मत में खर्च किया गया?

**श्री उपाध्यक्ष**: यह अलग प्रश्न है, आपने पूछा नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : मोटर विहिकल्स रूल्स से ही यह गाडियां भी गाइड होती हैं तो गाडियों की मरम्मत, इन्जर्ड परसन्स को मुआवजा देने के बारे में आपके यहां फिर क्या व्यवस्था है ?

श्री समर्थलाल : इस बारे में निगम में ऐसा है कि बीमा पूल होता है, जो गाडी इन्जर्ड होती है, उसके अन्तर्गत गाडी की मरम्मत करा दी जाती है।

श्री केशरीसिंह हाडा : आपने इस पूल से कितनों को हरजाना दिया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): यह भी अलग से प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है।

श्री केशरीसिंह हाडा : उन्होंने कहा कि मुआवजा नहीं दिया है। तो फिर क्या सरकार केवल दूसरों के लिये ही कानून बनाती है, क्या सरकार के ऊपर कोई कानून नहीं है, क्या सरकार कानून से परे है, धिक्कार है, इस सरकार को।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या सरकार इसे उचित नहीं समझती कि इस प्रकार से रोडवेज की बसेज से होने वाली दुर्घटनाओं में जिनमें यात्री मरते हैं, जख्मी होते हैं, उनको कम्पेन्सेशन दिलाने के लिये उचित नहीं समझती कि थर्ड पार्टी बीमा कराया जाय जिससे कि घायलों को और मृतकों के परिवार को कम्पेन्सेशन दिया जा सके ?

श्री समर्थलाल : इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि कोर्ट में तय किया जाता है, कोर्ट जो तय करता है, वह दिया जाता है।

श्री देवीदत्त गाडिया : प्राइवेट बसेज चलती हैं तो हर पार्टी अपनी गाडियों को कम्पल्सरीली इन्श्योर करवाती हैं और यदि कोई एक्सीडेन्ट हो जाता है तो घायल यात्रियों को कम्पेन्सेशन देना पडता है, इन्श्योरेंस कम्पनीज कम्पेन्सेशन देती हैं, तो क्या सरकार उचित नहीं समझती कि निगम की गाडियों से इतने यात्री घायल होते हैं, उनको कम्पेन्सेशन दिलवाया जाय।

श्री समर्थलाल : इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री केशरीसिंह हाडा : प्रश्न के भाग (9) में यह स्पष्ट लिखा है कि बीमा कम्पनी द्वारा मरम्मत के लिये कितनी रकम मिली। इसका कोई जवाब आपने नहीं दिया। आपने कहा है प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : निगम को बीमा कम्पनी द्वारा मरम्मत के लिये कितनी रकम मिली ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री केशरीसिंह हाडा : मिली है तो कितनी खर्च हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का सवाल है राजस्थान के अन्दर ऐसे मन्त्री होने चाहिये जिनको विभाग की पूर्ण रूप से जानकारी हो। इस तरह×××अगर मिनिस्टर बनते हैं जो काम नहीं जानते हैं, जो काम नहीं करते हैं, ऐसे आदमियों को मिनिस्टर बनाने से

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

# Page No. 5



(श्री विजयसिंह)
क्या फायदा ? यह सदन की गरिमा के खिलाफ है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से×××इस तरह से××लोगों को मिनिस्टर बना कर राजस्थान के पैसे को इस तरह से दुरुपयोग में नहीं बहाया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष :** ××× शब्द प्रोसीडिंग्स से हटा दिये जायें।

**श्री केशरीसिंह हाडा :** ऐसे आदमियों को मन्त्री पद पर रखने से कोई फायदा नहीं।

**श्री नत्थीसिंह :** अभी अंडर ट्रेनिंग हैं, ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई।

**श्री उपाध्यक्ष :** अगला प्रश्न।

**माउन्ट आबू पर प्लाट्स**

207. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) :

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या माउन्ट आबू नगरपालिका द्वारा कोई रेजिडेन्शियल प्लाट काटे गये थे ? यदि हां, तो यह योजना कब बनाई गई थी ? कुल कितने प्लाट तैयार किये गये थे ?

(2) वर्ष 965 से 1968 में अब तक किन किन को यह प्लाट्स अलॉट किये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अधिकतर प्लाट्स राज्य कर्मचारियों को ही दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस रेट पर दिये गये हैं ? कृपा करके सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जो प्लाट दिये गये हैं, उनमें से कितनों पर मकान तैयार करवा लिये हैं और कितने खाली पड़े हैं और कितने बेच दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सच है कि अधिकतर राज्य कर्मचारियों ने प्लाट्स बेच दिये हैं और उस पर लाभ कमा रहे हैं ?

(6) क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार करेगी कि प्लाट्स बेचे नहीं जा सकते हैं और यदि वापस देना हो तो राज्य सरकार को या नगरपालिका को ही उसी रेट पर देने होंगे ?

**उप मंत्री, स्वायत्त शासन** (श्री मुल्क राज थिन्द) : (1) जी हां, वर्णन निम्न प्रकार है :—

| योजना का नाम | योजना बनने का वर्ष | प्लाट जो बनाये गये उनकी संख्या |
|---|---|---|
| 1. यांत्रिक मार्ग | 1960 | 160 |
| 2. सूर्य दर्शन मार्ग | 1960 | 14 |
| 3. म्युनिसिपल कालोनी अल्प आय-वर्गीय योजना के अन्तर्गत | 1961 | 18 |
| 4. अनुसूचित जातियों के लिये योजना | 1963 | 15 |
| 5. अनुसूचित जनजातियों के लिये योजना | 1960- | 40 |

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

# Page No. 6



(श्री मूलकराज थिन्द)

| | | |
|---|---|---|
| 6. देलवाडा योजना | | 12 |
| 7. मोहन पुरा | 1960 | २४ |
| | 1965 | |
| ८. गौरा दपरा | 1965 | 10 |
| ९. डाक बंगला | 1965 | 15 |
| | | 308 |

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त बनाये गये भू-खंड:

| | |
|---|---|
| 10. विकीर्ण भू-खंड जो योजना में नहीं है | 53 |
| 11. झूंपी से (झोपडी) पक्के पट्टे पर भू-खण्ड परिवर्तित | 1 |
| | 54 |
| कुल योग | 362 |

2. 12 प्लाट अलाट किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

३. जी नहीं, उपरोक्त अवधि में अर्थात् 1965 से 1968 तक केवल ३ प्लाट्स राजकी कर्मचारियों को दिये गये हैं। विवरण निम्न प्रकार है:––

(1) श्री नटवरसिंह 5000 रुपये प्रति एकड से 653.33 वर्ग गज।

(2) श्री चम्पालाल बांठिया 5000 रुपये प्रति एकड से ६54 वर्ग गज।

(3) श्री आर. के. देव 3 रुपया प्रति वर्ग गज से 500 वर्ग गज।

4. एक मकान बन चुका है, व एक का निर्माण कार्य हो रहा है। कोई भी प्लाट पुनः बेचा नहीं गया है।

5. नगरपालिका में ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

6. राज्य सरकार ने विज्ञप्ति दि. 4-1-63 एवं 18-1-67 के द्वारा यह पाबन्दी लगा दी है कि खरीददार को पजेशन, लाईसेंस मिलने से दो वर्ष के भीतर भीतर भवन निर्माण पूरा कर लेगा और यदि वह इस अवधि में निर्माण पूरा करने में असफल रहेगा तो उसे 3/4 मूल्य पर लौटाना पडेगा किन्तु उसे भू-खंड से मलबा हटाने का अधिकार होगा। इसके अलावा वह भी पाबन्दी लगा दी गई है कि खरीददार भू-खंड का भवन निर्माण पूरा कराने के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को पुनः नहीं बेच सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) :** अभी यह बताया गया कि राज्य अधिकारी श्री नटवरसिंह को प्लाट दिया गया। यह कौन है, किस पद पर है।

**श्री मूलकराज थिन्द :** उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी की जायेगी।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत:** उपाध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि राजपत्रित अधिकारी, जिनको जमीन अलॉट की गई है, सरकार को उनका पता नहीं है कि वे कौन से अधिकारी हैं और किस पद पर हैं। मैं निवेदन करूं कि यह फर्जी नाम से दे दिया गया है।

# Page No. 7



**श्री मुल्क राज थिन्द** : जैसा मैंने निवेदन किया कि मुझे जानकारी नहीं है कि यह नटवरसिंह कौन है और किस पद पर हैं। मैं इसकी जानकारी करके माननीय सदस्या को बता दूंगा।

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत**: मैं अर्ज करती हूं कि फर्जी नाम से दिया गया है और यह मैं सिद्ध कर सकती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह ....

**श्री मुल्कराज थिन्द** : मैंने निवेदन किया कि इसकी जानकारी कर ली जायेगी। अगर फर्जी नाम से किसी अधिकारी को दिया गया है तो उसकी जांच करके माननीय सदस्या को बता देंगे।

**श्री दिग्विजयसिंह** : यह जो प्लाट्स दिये गये हैं 1965 से 196० तक, आपने जो सूची दी है, उनमें से किन आदमियों ने वहां पर मकान तामीर नहीं करवाये? और उनके खिलाफ आपने क्या कदम उठाये हैं

**श्री मुल्कराज थिन्द** : उपाध्यक्ष महोदय, 308 प्लाटस में से 252 अलाट हुए हैं उनमें कुछ निर्माण हो चुका है। जिन ५६ में काम नहीं हुआ है उसका कारण यह है कि 1967 की जो योजना थी उसके अन्दर उन प्लाट्स पर बिजली, सडक आदि की सुविधा नहीं दी जा सकी। इसलिये वहां पर नहीं बना सके।

**श्री दिग्विजयसिंह** : क्या जिन तीन राज्य कर्मचारियों को प्लाट्स अलॉट किये गये हैं उन्होने उन प्लाट्स पर तामीर का काम कर लिया है?

**श्री मुल्कराज थिन्द** : यह इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है, इसकी जानकारी करके बता सकते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: अलग से प्रश्न।

**श्री दिग्विजयसिंह** : इसमें बडा स्कैंडल है। दो रुपये गज में लिया गया है और ८ रुपये गज के हिसाब से बेच दिया गया है और लोगों ने मुनाफा उठाया है, और आप कहते हैं कि जानकारी नहीं है म्युनिसिपेलिटी को। सरकार इसकी पूरी जांच करले।

**श्री मुल्कराज थिन्द** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है कि जिन तीन सरकारी अधिकारियों को प्लाट अलॉट किये गये हैं उन्होने और किसी को बेच दिये हैं।

**एक माननीय सदस्य** : यह सुखाडिया सरकार का नमूना है।

**श्री दिग्विजयसिंह**: प्रश्न यह है कि आपने रिहायशी प्लाट्स सरकारी अधिकारियों को खुद के रहने के लिये अलॉट किये लेकिन उन्होने रियायती भाव पर प्लाट लेकर मंहगी कीमत पर गुजरातियों को बेच दिये और इस तरह मुनाफा कमाया।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** : निवेदन कर रही हूं कि नटवरसिंह नाम का कोई अधिकारी नहीं है, और इस तरह जमीन लेकर गुजरातियों को मंहगी कीमत पर बेच दी गई है, इसका उत्तर दें आप।

**श्री मुल्कराज थिन्द** : मैंने निवेदन किया कि इसकी जांच करली जायेगी और कानूनी कार्यवाही कर दी जायेगी।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): इसकी जांच होनी चाहिये।

Page No. 8



**श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या यह सही है कि आबू के अन्दर रहने वाले पुलिस अधिकारी, जिनमें वर्तमान एस. पी. और भूतपूर्व एस. पी. और डी. एस. पी. भी हैं, और वहां के मुंसिफ मैजिस्ट्रेट और चेयरमैन ने बिना प्लाट्स को नीलाम किये ही मकान बना दिये हैं ?

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** : यह अलग से प्रश्न है।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : इसका जवाब आप नहीं दे सकतीं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछ रहा हूं। अभी आपका मंत्रिमंडल में आने का नम्बर नहीं है, अभी तो मंत्री ही जवाब देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**: अलग से प्रश्न।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या आप यह महसूस नहीं करते है कि इस तरह के गलत कामों से नगरपालिका के प्लाट नीलाम हो रहे हैं और अधिकारी लोग अपने और अपने लडकों के नाम से ले रहे हैं ? किस प्रकार से आप इसको रोक पायेगें ?

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** : उपाध्यक्ष महोदय.....

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले इस प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिलायें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आने दिजिये।

**श्री रतनलाल शर्मा** (सलूम्बर) : लक्ष्मी कुमारी जी के प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय। डाइरेक्टर वूल ने उसको बेचा है। गोपालसिंहजी उनका नाम है।

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहन लाल सुखाडिया) : जिन शर्तों पर प्लाट दिये हैं उनका उल्लंघन करके बेच दिये होगें तो उनकी जांच की जावेगी।

**श्री देवदत्त गाडिया** : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से एक आश्वासन और चाहूंगा कि क्या वे यह आश्वासन देने के लिये तैयार हैं कि माउन्ट आबू के अन्दर जिन जिन अधिकारियों ने अनधिकृत रूप से एक नहीं अनेक प्लाट्स पर कब्जा करके बिल्डिंग्स बनायी हैं और होटल्स चला रहे हैं उनकी जांच करने का आश्वासन देंगे ?

**श्री मोहन लाल सुखाडिया** : आप उसके लिये निश्चित बात बतायेंगे तो अनधिकृत बातों की जांच की जावेगी।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : आज माउन्ट आबू में स्थानीय व्यक्तियों को प्लाट्स न देकर जिन राज्य कर्मचारियों ने प्लाट्स लिये हैं और मकान बनाये हैं जो नियमों के विरुद्ध हैं इतने प्लाट्स लेना तो क्या आप उनकी जांच करायेंगे कि कितने कानूनी तरीके से लिये, कितने गैर कानूनी तरीके से लिये ?

**श्री उपाध्यक्ष** : इसका उत्तर दे दिया है।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : उत्तर नहीं दिया है, उपाध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस तरह कह कर राजस्थान के जितने सीनियर और जूनियर आई. ए. एस. और

# Page No. 9



(श्री देवीदत्त गाडिया)
आर. ए. एस. अधिकारी हैं उनको करप्ट किया है और इस प्रकार भ्रष्टाचार अधिकारीयों में फैलाया है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज। भाषण नहीं।

**श्री देवीदत्त गाडिया**: माउन्ट आबू में, जो हिल स्टेशन है, जितने प्लाट्स दिये गये हैं, जिनके मकान बने हैं उनमें से 90 परसेन्ट प्लाट्स और मकान राज्य अधिकारियों के हैं उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य !

इसका उत्तर नहीं दिया जावेगा।

**श्री देवीदत्त गाडिया**: जो राजकीय अधिकारियों का मोरल डाउन कर रहे हैं, उनको करप्ट कर रहे हैं, मेरा संरक्षण नहीं लिया तो तरक्की नहीं कर सकते...

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। भाषण नहीं होगा।

**श्री देवीदत्त गाडिया**: नौकरी नहीं कर सकेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**: माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने कहा कि निश्चित शिकायत कीजिये निश्चित तौर से जांच की जावेगी। जोर से हल्ला मचाने से अन्तर नहीं पड जाता।

**श्री देवीदत्त गाडिया**: व्यवस्था का प्रश्न है सदन का कोई माननीय सदस्य बात कहता है वह हल्ला नहीं मचाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी मधुर वाणी से कहा कि हल्ला मचाते हैं। मैं कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आप अपन इन शब्दों को वापस लें।

**श्री उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज।

प्रश्न कर्ता।

**श्री रामकिशन (बैर)**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत**: मेरा प्रश्न है मुझे तो पूछने दी जिये।

**श्री रामकिशन**: माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हल्ला शब्द कहा यह बडा अनुचित और असंसदीय है। किसी की वाणी मधुर और किसी का जवाब तेज हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसको...

**श्री रघुनाथ विश्नोई**: हल्ला मिन्स जोर से बोलना।

मारवाडी शब्द है।

**श्री रामकिशन**: व्यवहारिक बात है। बहुत ओब्जेक्शनेबल चीज है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की शालीनता है...

**श्री केसरीसिंह**: वे मेवाड के हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**: हल्ला मचाना कहना विलकुल अनपार्लियामेन्टरी नहीं है।

हल्ला मचाना मतलब जोर से बोलना।

**एक माननीय सदस्य**: डिक्शनरी देख लीजिये।

**श्री रामकिशन**: मैं डिक्शनरी देख रह हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने कहा उससे पहले ही इन्होंने देखना शुरू कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री दिग्विजयसिंह : मेरा प्रश्न रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दिग्विजयसिंह : मेरा एक प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष: वह शब्द असंसदीय नहीं है व्यवस्था दे दी गई।

श्री नत्थो सिंह (भरतपुर) : हल्ला शब्द असंसदीय नहीं है लेकिन किसी माननीय सदस्य की बात को हल्ला कह कर टाल जाना यह असंसदीय है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इससे तो सदन की गरिमा गिरेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मुख्य मंत्रीजी शब्द के आगे माननीय लगाते हैं, माननीय सुखाडिया जी कहते हैं, माननीय चीफ मिनिस्टर कहते हैं, इस प्रकार तो फिर मोहन लाल सुखाडिया कहेंगे, माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं कहेंगे। मुख्य मंत्री जी बनकर इस तरह का अपमान करें यह तो उचित नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

श्री दिग्विजयसिंह : रेजिडेन्शियल प्लाट्स उन्हीं को दिये गये हैं जिनके निजी प्लाट्स नहीं थे ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री दिग्विजयसिंह : इसी से सम्बन्धित है। फोर्मेलिटी करायी आपने। प्रश्न मैंने पूछा है। मोती शाह में प्लाट्स दिये हैं हजारों बीघा मौजूद हैं और प्लाट्स दे दिये गये हैं। यह बहुत ज्यादती है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत : जिनका प्रश्न हैं उनको तो आपने पूछने ही नहीं दिया।

श्री दिग्विजयसिंह : यह तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछ लिया गया है। यह तरीका नहीं अपनायेंगे तो दो-तीन घंटे में भी प्रश्न समाप्त नहीं होगें। श्री बद्री प्रसाद।

श्री विजय सिंह (मकराना) : ओन ए पोईन्ट आफ आर्डर सर। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक ही प्रश्न को दो माननीय सदस्य शामिल में पूछते हैं तो एक माननीय सदस्या को तो टाइम दे दिया और दूसरे माननीय सदस्य को टाइम नहीं दिया। यही व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री विजय सिंह : कैसे नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

# Page No. 11



## हमीरपुर कस्बे के वाटर वर्क्स को बिजली

208. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर):** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:—

(1) अलवर जिले में पिछले पांच साल में बिजली की नई लाइनें डालने का, गांवों को बिजली देने में कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(2) अलवर जिले में पिछले पांच साल में किस किस गांव व कस्बे को इलेक्ट्रिफाई किया गया है व किस किस तहसील में कितना कितना खर्चा हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि बानसूर तहसील के हमीरपुर कस्बे में करीब पांच साल से नल योजना (वाटर वर्क्स) बन कर तैयार हैं मगर वाटर वर्क्स चालू करने के लिये बिजली नहीं दी गई है जब कि इस कस्बे के बाहर सन् 1962 से लाइन मौजूद हैं ?

(4) क्या उस जिले में किसी अन्य स्थान पर भी वाटर वर्क्स बन कर तैयार हैं मगर बिजली के अभाव में चालू नहीं किये गये हैं ?

**उप मंत्री विद्युत् (श्री खेतसिंह) :** (1) 28, 78, 347.00 रुपया ।

(2) अलवर जिले में पिछले पांच साल में जिन गांवों व कस्बों का विद्युतीकरण किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । उक्त कार्य में 28,7[illegible], 3[illegible] रुपया खर्च किया गया है । तहसील वार व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(3) हमीरपुर ग्राम अभी तक विद्युतीकरण के लिये मंजूर नहीं हुआ है । इसलिये जलदाय विभाग को विद्युत् देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(4) इसकी जानकारी नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री बद्री प्रसाद गुप्ता:** उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल से वाटर वर्क्स लगा हुआ है । 62 से बिजली की लाइन चालू है । 2 लाख खर्च किया जिले में और सौ गांव इलेक्ट्रिफाई हो गये लेकिन वाटर वर्क्स को बिजली नहीं मिली । मुख्य मंत्रीजी यहीं पर मौजूद हैं । उस विभाग के मिनिस्टर हैं । उनके ध्यान में है कि पांच साल से वाटर वर्क्स वहां पर लगा हुआ है । हर वर्ष इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट को लिखा जाता है कि उनको बिजली दी जाय लेकिन पांच साल से बिजली नहीं दी गई है । अब भी कोई मिलने की उम्मीद है क्या ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

**मुख्य मंत्री (श्री मोहन लाल सुखाडिया) :** गांव के ऊपर से जहां तक मेरी जानकारी है, 33 के. वी. की लाइन जा रही है । इससे डाइरेक्ट कनेक्ट नहीं किया जा सकता । कई गांवों के ऊपर 132 के. वी. की लाइन

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
जा रही है, लेकिन उन गांवों को इस लाइन से बिजली नहीं मिली है। 11 के. वी. की लाइन लगाकर इस गांव को भी इसमें लाने की कोशिश की जायेगी।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता:** 96 कस्बों में इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाली गई है। इस कस्बे को न लेने की कोई वजह नहीं है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट खर्चा देने को तैयार है। इसके बावजूद भी कस्बे को इलेक्ट्रिफाइड नहीं किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मैंने चिट्ठी लिखी। अभी तक पांच साल के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। यह इस तरह से कब तक चलेगा?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया :** वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट यदि इसका खर्चा देने को तैयार है तो अविलम्ब इसको जुडवा दूंगा।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** मैंने अर्ज किया है। कई साल पहले का लिखा हुआ है। हर साल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्रेप्रोजल जाता है लेकिन ऊपर से काट दिया जाता है। जहां तक जान पाया हूं, जान बूझ कर अव्यवस्था की जा रही है। इसलिये अर्ज कर रहा हूं। कि इस कस्बे को जोडने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। अब भी अगले साल में इसको रख लिया जाये।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** कनेक्शन तो उस गांव को मिलेगा पर कब मिलेगा यह निश्चित कहना मुश्किल है।

**श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : यह आश्वासन नहीं है। बकवास है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : यह गलत परम्परा डाल रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। इसको प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय।

**श्री बद्री प्रसाद गुप्ता:** और भी वाटर वर्क्स को कनेक्शन मिला है। मगर विभाग अपनी मर्जी से, मनमाने तौर से काम करता है। पांच साल से बिजली के अभाव में योजना रूकी पडी है। पाइप टूट रहे हैं। यह अव्यवस्था है।

**श्री रामकिशन :** आपका हृदय कठोर है सुखाडिया साहब। पुराने संबंधों का खयाल करके कर दीजिये।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया :** इसलिये कान लगाकर सुन रहा था।

**श्री बद्री प्रसाद गुप्ता :** मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सुखाडिया जी के राज में इस तरह की कार्यवाही हो रही है। इस क्षेत्र की सडकें टूट रही हैं, पुल टूट रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे जिले के जो मिनिस्टर हैं, उनके क्षेत्र में करोडों रुपया सडकों, पुलियाओं पर खर्च हो रहा है।..

**श्री उपाध्यक्ष :** अगला प्रश्न श्री जुझारसिंह

**श्री देवीदत्त गाडिया :** सडकें टूट जाय इसकी इन्हें चिन्ता नहीं। इनको तो सरकार न टूट जाय इसकी चिन्ता है। लाखों रुपया खर्च करके भी ये इसको टूटने से बचाना चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

Page No. 13



**श्री देवीदत्त गाड़िया** : राजस्थान बरबाद हो रहा है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इस प्रकार बीच में बोलने वालों के लिये क्या वाक्य काम में लिया जाय ।

**एक माननीय सदस्य** : दामोदर जी आप में हिम्मत नहीं हैं । आप इस सरकार को तोड सकते हो ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न संख्या 209 श्री जुझारसिंह:

**उप-मंत्री के दौरे पर प्रदर्शन**

209. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अक्तूबर सन् 67 में कोटा जिले में उप मंत्री के दौरे के समय कितनी पुलिस व अधिकारी ड्यूटी पर लगाये गये थे और उनको कितना कितना भत्ता इस ड्यूटी पर काम करने के लिये दिया गया था ? आर. ए. सी. व सिविल पुलिस का अलग अलग बतलाने की कृपा करें ।

(2) पुलिस को ड्यूटी पर कब से कब तक लगाया गया था ? कृपया तारीखें बतलाने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त उप मन्त्री को पुलिस के जोर से व निगरानी में कोटा जिले की सब प्रमुख तहसीलों पर घुमाने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो इस योजना का क्या प्रयोजन था ?

कृपया उप मन्त्री के दौरे की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) अन्ता व बारां में उपरोक्त उपमंत्री के दौरे के समय धारा 144 लगाने के क्या कारण थे ? पुलिस व जनता के कितने कितने व्यक्ति इनके विरुद्ध प्रदर्शन में जख्मी हुए व कितना धन व माल का नुकसान हुआ ?

(5) अन्ता व बारां में इस प्रसंग में किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गए हैं या चलाए जा रहे हैं और क्यों ?

**राज्य मंत्री गृह** (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) अक्टूबर सन् 1967 में उप मंत्री वन विभाग के कोटा जिले के दौरे के समय कुल 292 पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए थे । इनको इस अवधि का निम्न भत्ता नियमानुसार मिला:––

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सिविल पुलिस | 431.20 |
| 2. | आर्मड ,, | 367.50 |
| 3. | एम. बी. सी. | 21.00 |
| 4. | आर. ए. सी. | 2,969.00 |
| | योग | 3,788.70 |

(2) दिनांक 23-10-67 से 26-10-67 तक ड्यूटी पर नयुक्त की गई थी ?

(3) यह सत्य नहीं है कि उप मंत्री महोदय को पुलिस के जोर व निगरानी के

(श्री हीरालाल देवपुरा)
तहत कोटा जिले की समस्त प्रमुख तहसीलों पर घुमाने की योजना बनाई गई थी। दिनांक 23-10-68 के दौरे के कार्यक्रम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) उप मंत्री महोदय के अन्ता व बारां जाने वाले रास्ते को प्रदर्शनकारियों द्वारा रोकने, पुलिस व मजिस्ट्रेट पर प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव आदि करने से एवं प्रदर्शनकारियों का उग्र रूप देखकर एस० डी० एम०, बारां में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 जाप्ता फौजदारी लगाई थी। 15 पुलिस के कर्मचारी तथा 11 जनता के आदमी जख्मी हुए। धन व माल का कोई नुकसान नहीं हुआ।

(5) 3 अभियोग अन्ता व 3 अभियोग बारां में कुल 6 अभियोग 59 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुए थे। इनमें 2 अभियोगों का चालान 13 व्यक्तियों के विरुद्ध अदालत में पेश किया गया। बाकी चार अभियोगों में फाइनल रिपोर्ट दी गई है। अभियोग चलाये जाने का कारण यह है कि इन लोगों ने पुलिस व जनता व मजिस्ट्रेट पर पथराव कर कानून की अवहेलना की थी।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

**श्री जुझारसिंह** : आपने प्रश्न के खंड 3 का जो जवाब दिया, वह गलत है। यह पूछा गया था कि योजनाबद्ध तरीके से उनको वहां भेजा गया था? उनको योजनाबद्ध तरीके से नहीं भेजा गया तो 16 जगहों का जो प्रोग्राम है, ऐसी ऐसी जगहों को जाने का प्रोग्राम है, जो गांव उनकी कॉन्स्टीट्यून्सी के बाहर है? वह क्यों बना? पुलिस की देख रेख में।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : शान्ति, व्यवस्था कायम रखना पुलिस का अपना कर्तव्य है। उप मंत्रीजी दौरे पर गये, पुलिस को सूचना मिली कि वहां पर उनके प्रोग्राम में बाधा डाली जायेगी तो पुलिस का यह फर्ज था कि वह व्यवस्था करती।

**श्री जुझारसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार, मन्त्री जी को यह जानकारी नहीं थी कि उप मन्त्रीजी ने जिस तरह से काम किया, उससे वहां की जनता में रोष है। उनके काम की प्रतिक्रिया होगी। 250 आदमी साथ भेजने का क्या कारण था?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : सरकार को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। इस प्रकार की जानकारी मिलने पर कि समाज विरोधी तत्व उप मन्त्रीजी के कार्यक्रम में अव्यवस्था और गडबडी पैदा करेंगे, पुलिस का प्रबन्ध किया गया।

**श्री जुझारसिंह** : 16 जगह का कार्यक्रम रखने का क्या कारण था?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : कोई भी मन्त्री उप मन्त्री अपने इलाके में, उसके आस पास के इलाके में, राजस्थान के दूसरे भागों में जाने का कार्यक्रम बना सकता है, जा सकता है।

**श्री नत्थीसिंह** : यह बताने का कष्ट करेंगे कि उप मन्त्री जी ने जो दौरा किया और जिसके कारण इतना खर्चा उठाना पडा, वह कौनसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मन्त्री का दौरा अपने आप में महत्व रखता है। किसी क्षेत्र में जाना महत्व रखता है। उनके आने जाने में दौरे पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किसी

(श्री हीरालाल देवपुरा)
कारणवश या अन्य किन्हीं कारणों से वे जा सकते हैं। शान्ति भंग होने की, या बाधा उत्पन्न करने की पुलिस को सूचना मिलती है, चाहे वह मन्त्री हो या कोई दूसरा व्यक्ति, पुलिस को इसके लिये अपने आप इन्तजाम करना पडेगा।

**श्री नत्थीसिंह** : मन्त्री अकारण ही दौरे कर सकते हैं, क्या यह सही है। बिना किसी कारण के मन्त्रियों को दौरे करने का हक प्राप्त है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मैंने यही कहा है मन्त्रियों के दौरे अपने आप में महत्व रखते हैं। यह नहीं कहा कि ये दौरे अकारण भी हो सकते हैं।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : उप मन्त्री जी के दौरे के समय में जो धारा 144 लगाई गई थी, यह बताने का कष्ट करेंगे कि कहां कहां पर लगाई गई ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : धारा 144 बारां और उसके एक मील के आसपास के क्षेत्र में और अन्ता में।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : किन कारणों से ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर, अगला प्रश्न।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : जिस प्रकार से यहां कहा गया कि समाज विरोधी तत्वों ने वहां गडबडी की, यह राज्य मन्त्रीजी गलत सूचना दे रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह प्रश्न नहीं है। सीधा प्रश्न कीजिये।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : इस प्रकार बारां नगर के अन्दर जो लोग गांव से आ रहे थे, उनमें महिलाएं भी आ रही थी, उनमें 60–60 वर्ष के लोग थे, उनके ऊपर राजस्थान की निकम्मी पुलिस ने, आर. ए. सी. के जवानों ने लाठीचार्ज किया, अश्रुगैस के गोले फोडे, फेंके····· (शोरगुल)

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : धारा 144 तोडी समाज विरोधी तत्वों ने।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने नहीं तोडी।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथों में लाठियां थीं। पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज कराई गई। अश्रु गैस के गोले छोडे गये। निर्मम प्रहार किया गया··

**श्री उपाध्यक्ष** : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : उपाध्यक्ष महोदय, मासूम बच्चों पर लाठियां चलाई गई, उनको बुरी तरह पीटा गया···

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज (बहुत जोर की अवाज में)

**माननीय सदस्यः** उत्तर नहीं दिया जाय।

**गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास)** : जितनी बातें इन्होंने कहीं हैं वे सब अदालत में उपाध्यक्ष महोदय, सब जूडिस हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको एक्सपंज कर दिया जाय।

**श्री नत्थी सिंह** : कौनसा रूल है जिससे आप इसको एक्सपंज करा देंगे।

(अश्रव्य, व्यवधान)

**श्री देवीदत्त गाडिया** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

**श्री उपाध्यक्ष** : उत्तर नहीं दिया जाय। प्रश्न के रूप में पूछें।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : हां, प्रश्न के रूप में ही पूछूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह बात कही कि यह अदालत में केस चल रहा है...

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न पूछिये।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : उस पर मेरी आपत्ति है। गृह मंत्री जी ने यह बात कही तो मेरी भी यह आपत्ति है कि माननीय मंत्री जी, माननीय उप मंत्री जी और राज्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह गलत उत्तर दिया इससे अदालत में प्रभाव पडेगा इसलिये इनके सारे उत्तर को एक्सपंज करा दिया जाय।

**श्री दौलत राम सारण** (डूंगरगढ) : एक मंत्री के लिये 252 पुलिस के अधिकारी ले जाये जायं इसलिये नहीं ले जाये गये कि जनता की नाराजगी है तो फिर कारण क्या है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : यह बात स्वीकार ही नहीं की है।

**श्री दौलतराम सारण** : उपाध्यक्ष महोदय, वहां नाराजगी थी।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : वहां न राजगी नहीं थी।

**श्री दौलतराम सारण** : वहां नाराजगी थी। जनता के प्रतिनिधि को खरीदकर उप मंत्री बनाया था...

(घंटी)

इसलिये जनता ने इसको अपमान समझा और उस अपमान का बदला लेने के लिये उनको अधिकार था कि अपना रोष सरकार के सामने निकाले और उस रोष को निकालने के लिये जनता में भयंकर नाराजगी थी।

**श्री उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज!

**श्री हीरालाल देवपुरा** : जनता में कोई असन्तोष नहीं था। कुछ तत्व ऐसे थे जो विरोधी लोग भडका कर कराना चाहते थे।

**श्री उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न

प्रश्न सं. 210।

**संकर बाजरा के बीज का वितरण**

210. श्री **नत्थी सिंह** (भरतपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस साल भरतपुर जिले की कई पंचायत समितियों में संकर बाजरा का जो बीज किसानों को वितरित किया गया है, वह उगा नहीं ? यदि हां, तो किस किस पंचायत समिति में कितना कितना सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि किसानों को उक्त बीज वितरित करने से पूर्व कृषि विभाग द्वारा इसके उत्तम और उन्नत बीज होने के सम्बन्ध में कोई परीक्षण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है ? यदि हां

(श्री नत्थी सिंह)
तो उक्त जांच का क्या परिणाम रहा है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) इस प्रकार के बीज वितरण में कितने किसान प्रभावित हुये हैं ? क्या सरकार द्वारा इनकी क्षति पूर्ति करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां तो क्या ? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उप मंत्री, कृषि** (श्री हरिसिंह): (1) जी हां कुछ पंचायत समितियों से इस विषय की शिकायत प्राप्त हुई है।

(2) जी नहीं। बीज परीक्षण के बाद ही खरीदा गया था।

(3) जी हां, जांच के आधार पर यह मालूम हुआ कि केवल एक लोट का बीज ही खराब था। बीज राष्ट्रीय निगम द्वारा प्रमाणित था। इसलिये इस सम्बन्ध में इस संस्था को लिखा गया है।

(4) यह बीज पंचायत समिति, नदबई, डीग, कुम्हेर, बैर तथा रूपवास के किसानों में वितरित किया गया था और ये लगभग 700 एकड में बोया गया था। इस बीज की कीमत काश्तकारों से वसूल न करने का निर्णय लिया गया है।

**श्री नत्थी सिंह** : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो पंचायत समितियों के नाम बताये हैं किस–किस पंचायत समिति के कितने–कितने एकड में बोया गया था।

**श्री हरि सिंह** : ये 5 पंचायत समितियां मैंने निवेदन की हैं और इसके अन्दर करीब 1000 एकड में यह बीज बोया गया था।

**श्री नत्थी सिंह** : किस-किस पंचायत समिति में कितना-कितना बोया था ?

**श्री हरि सिंह** : यह अलग से प्रश्न है।

**श्री नत्थी सिंह** : सूची मांगी है।

**श्री हरिसिंह** : यह सूचना मांगी गई थी लेकिन उपलब्ध नहीं हो सकी है इसलिये सदन की मेज पर नहीं रख सका।

**श्री नत्थी सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, आपको सूचना आज भी नहीं है कि संकर बाजरा दिया गया और किसानों को क्षति हुई है। यह आपने कहा कि उनसे कीमत वसूल नहीं करेंगे कीमत को वसूल नहीं करेंगे लेकिन संकर बाजरा किसानों ने बोया उसके बाद बरसात नहीं हुई, इसकी क्षति पूर्ति आप क्यों नहीं देंगे ?

**कृषि मंत्री** (श्री सोभाराम): नोहर भादरा के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायत है। इस सम्बन्ध में अभी चर्चा होगी इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहता हूं। भरतपुर को भी उस समय शामिल कर लूंगा, कीमत के आदेश दे दिये गये हैं। क्षति पूर्ति के सम्बन्ध में जरूर विचार करेंगे।

**श्री दौलतराम सारण** : बीज नहीं उगने के क्या कारण हैं ?

**श्री हरिसिंह** : जैसा उसमें निवेदन किया है बीज राष्ट्रीय निगम द्वारा जांच किया गया था और 79 पॉइन्ट समथिंग उसका पर्सेन्टेज

(श्री हरिसिंह)
प्राप्त हुआ और वैसे एन.ए.सी. के निर्धारित मान के अनुसार 75 पर्सेन्ट उसमें अंकुरण शक्ति होती है। उसकी जांच के बाद ही बीज खरीदा जाता है। उसमें 70 पर्सेन्ट जर्मेनेट था जो गंगानगर से लिया गया था। उसका सेम्पिल गलत हुआ हो चाहे और किसी कारण से हो दुर्गापुरा रिसर्च लेबोरेटरी से जर्मेनेट नहीं हुआ और 77 पर्सेन्ट हुआ। एक गंभीर प्रश्न यह है कि इसमें जो प्रमाणित करने की प्रणाली है वह किस प्रकार की हो। इस प्रकार परीक्षण करने का कार्य करने के लिये राजस्थान में कोई संस्था का निर्माण किया जाय। यह एक नीति विषयक प्रश्न है। माननीय मंत्री जी इसका अलग से उत्तर देंगे तब उस समय आपके भरतपुर जिले के लिये भी कह देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

**श्री दौलतराम सारण:** राजस्थान के कितने क्षेत्र में ऐसा बीज दिया गया है जो जर्मेनेट नहीं हुआ? | |

**श्री उपाध्यक्ष:** मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं इसका आज ही।

**श्री दौलतराम सारण** : उपाध्यक्ष महोदय, संकर बीज के नाम से तबाह कर दिया। हजारों एकड में यह बीज बोया गया है और वह उगा नहीं। सारी योजना उत्पादन की खतरे में पड गई है। सारी जगह धोखा दिया गया है।

**श्री नाथूलाल करोल** (जनुवा रामगढ): मंत्री महोदय ने यह कहा कि पैसा नहीं लिया जायगा मेरी अर्ज यह है कि खेतों में बीज डाला, इसकी कीमत तो हम देने को तैयार हैं लेकिन वह उगा ही नहीं उसका खमियाजा कौन देगा? बीज समय पर बोया जाता है, समय पर काटा जाता है। एक समय होता है वह निकल गया, उसका खमियाजा कौन देगा, यह बतायें।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह प्रश्न अभी सदन में··

**श्री नाथूलाल करोल** : एक बीज की कीमत लेने से दुःख नहीं होता है। वह समय निकल गया और वह उगा नहीं उसकी कीमत कौन देगा?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे, उस समय पूछ लीजियेगा।

**श्री नत्थीसिंह** : आपने यह कहा है कि इसको राष्ट्रीय निगम द्वारा परीक्षण करा लिया गया था तो क्या कृषि विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जब यह बीज खरीदा जाय तो वे भी देखें कि यह बीज सही है या नहीं है।

**श्री शोभाराम** : जो वक्तव्य मैं दे रहा हूं उसमें इन सब बातों का समावेश कर लिया गया है। नेशनल लैबोरेट्री से प्रमाणित बीज होता था उसके आधार पर राजस्थान सरकार उसका वितरण करती थी लेकिन उसकी दूसरी ऐजेन्सी जो इस प्रकार की है उससे बात कर रहे हैं। हम एक सेपरेट ऐजेन्सी राजस्थान सरकार की जो बीज प्रमाणित करें और बीज प्रमाणित करने के आधार सही हों, ऐसी ड्यूअल रेसपान्सिबिलिटि चल रही है जिससे यह समस्या मिट सके···

Page No. 19



श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 211

श्री जयनारायण खालोदिया।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

(श्री दिग्विजयसिंह के पूछने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑथोरिटी है ?

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहनलाल मोदी।

प्रश्न संख्या 212।

### टूरिस्ट कार से दौरे

212. श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) यातायात मंत्री ने एक जुलाई, 1967 से अब तक टूरिस्ट कार नं० 122 द्वारा किन-किन तारीखों में कहां-कहां का दौरा किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यह टूरिस्ट कार नं० 122,1 जुलाई, सन् 1967 से अब तक किस-किस महीने में कितने-कितने दिन टूरिस्टों के काम में आई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि टूरिस्टों की मांग पर यह कार टूरिस्टों को नहीं दी जाकर यातायात मंत्री को दी गई ?

उप मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनलाल मोदी : आपने सूचना दी है कि जिस दिन मंत्री महोदय जा रहे थे उस दिन गैरेज में दूसरी गाडियां उपलब्ध नहीं थीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न यह नहीं था। दूसरी गाडियां उपलब्ध होने पर भी जब टूरिस्ट कार रहती है मंत्री महोदय चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : जब छोटी गाडियां उपलब्ध थीं तो बडी टूरिस्ट गाडी ले जाने का क्या कारण है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सवाल यह नहीं है छोटी गाडियां उपलब्ध नहीं होने पर अच्छी गाडी इस्तेमाल की जाती है।

श्री मोहनलाल मोदी : गैरेज में और गाडियां उपलब्ध थीं या नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अलग से प्रश्न है।

श्री दिग्विजयसिंह (उणियारा) : कुल छोटी गाडियां कितनी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या यह टूरिस्ट गाडी माननीय यातायात मंत्री के लिये रिजर्व करदी गई जो उनके घर के आगे पडी रहती है ?

Page No. 20



**श्री प्रद्युम्नसिंह** : रिजर्व उनके लिये नहीं की गई है।

**श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या यह सही है कि सरकारी गाडियां प्रति मिनिट तीन के अनुपात से सडक पर पायी जाती हैं।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : यह सूचना हमारे पास नहीं है।

**श्री मोहनलाल मोदी** : मुझे जो सूची दी गई उसमें इस छोटी कार का माइलेज केवल 484 बताया गया है जबकि इस टूरिस्ट कार का 1?,846 माइलेज बताया तो इससे साफ मालूम पडता है कि मंत्री महोदय ने यह गाडी ज्यादा काम में ली है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री): टूरिस्ट से डिमान्ड आती है तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है नहीं डिमान्ड आने पर मिनिस्टर भी ले जा सकते हैं।

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : जिस दिन मंत्री महोदय उस गाडी में गये किसी टूरिस्ट की डिमान्ड नहीं थी ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : सिवाय एक वक्त के इस प्रकार स्थिति नहीं आयी जहां तक मुझे जानकारी है।

**श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : ऐसे मामले कई हैं जिनमें टूरिस्ट को गाडी न देकर मंत्री महोदय को दी गई है। मैं आपको ऐसे नाम बता सकता हूं जब कि टरिस्ट ने मांग की है लेकिन उनको न देकर मंत्रियों को दी गई है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : विभाग ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर बताया गया है कि उस दिन किसी टूरिस्ट की मांग रजिस्टर्ड नहीं थी। अगर आप ठोस प्रमाण देंगे तो इन्क्वायरी की जायगी।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ) : क्या इस गाडी में होम मिनिस्टर के साथ-साथ आप भी विराजमान थे ?

**श्री मोहनलाल मोदी** : टूरिज्म विभाग द्वारा एस० टी० सी० से और गाडियां मांगी गई उनसे कहा गया कि आपके पास अन्य गाडियां हैं क्या ? 6-1-68 को दौरे पर जब मंत्री महोदय ग्वालियर गये रास्ते में आग लग गई उस समय उप मंत्री शिवचरण जी भी उनके साथ थे ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : यह अलग प्रश्न है।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : टूरिस्ट्स को गाडियां जो दी जाती हैं वह कॉमर्शियल बेसिस पर दी जाती हैं तो क्या जो मंत्रियों को गाडियां दी जाती हैं वे भी कामर्शियल बेसिस पर दी जाती हैं उनसे वही चार्ज किया जाता है जो टूरिस्ट्स से चार्ज किया जाता ह ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : इसकी रेट्स माइलेज पर फिक्स हैं वही चार्ज किया जाता है चाहे कोई भी ले जावे। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं केवल एक दफा टूरिस्ट्स की मांग होने के बावजूद भी मंत्री जी को दी गई।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा यह क्वश्चन है कि आपने जो एस० टी० सी० से गाडियां मंगाई इनको कामर्शियल बेसिस पर रन करते हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : कार्मशियल बेसिस पर रन करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि बाकी लोग जो इन कार्स का इस्तेमाल करते है उन गाडियों का अकाउन्ट कोमर्शियल बेसिस पर हो जाता है और इसका खर्चा डेबिट होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जहां तक मेरी जानकारी है, होता है ।

प्रश्न संख्या 213

श्री उपाध्यक्ष : श्री शकरलाल, कपासन

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा ।

**नगरपालिका पाली द्वारा वकीलों की नियुक्ति**

214. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान नगरपालिका पाली ने अपने अवधिकाल में किन किन वकीलों को किन 2 मुकदमों के लिये कितनी 2 धनराशि देकर कब 2 मुकर्रर किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि वर्तमान नगरपालिका ने अपना स्थाई वकील 250) रु. प्रतिमास पर मुकर्रर कर रखा है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) इन वकीलों की नियुक्ति फुल बोर्ड ने की या चेयरमैन स्वयं ने ?

उप मंत्री स्वायत्त शासन (श्री मुलकराज थिन्द) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । दिनांक 1-9-67 से

(3) सर्व श्री कालूराम पोरवाल व रमेशचन्द स्वामी की नियुक्ति मंडल की कार्यकारिणी समिति द्वारा की गई है बकाया वकीलों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा: रमेशचन्द स्वामी कौन से मुकदमें में एपीअर हुए और कब हुये ?

श्री मुलकराज थिन्द : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चुन्नीलाल इन्दलिया

**आयुर्वेदिक औषधालय की मांग**

215. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखासु): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम बन्धडा, ग्राम पंचायत धावा,, तहसील नोखा जिला बीकानेर में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया है ? यदि हां, तो किस तिथि से ?

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत धावा के औषधालय के लिये यह मांग बहुत लम्बे अरसे से चली आ रही है, परन्तु वहां नहीं खोला जा रहा है ? यदि हां, तो किस कारण वश ?

उपमंत्री आयुर्वेद (श्री समर्थ लाल): (1) जी नहीं ।

(श्री समर्थलाल)

(2) जिला परिषद् से ग्राम पंचायत धावा के औषधालय का कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः प्राप्त होने पर नियमित विचार किया जा सकता है।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया:** क्या यह सही है इस जगह पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का सरकार विचार रखती है ?

**श्री उपाध्यक्ष:** इसका जवाब दे दिया है।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया:** दो बार हुक्म दे दिया पंचायत मकान देने के लिये तैयार है। इसके आस-पास 600 ढाणियां हैं कोई दवाई का इन्तजाम नहीं है फिर भी क्या सरकार खोलने का विचार नहीं करती ?

**श्री समर्थ लाल:** वहां से नियमित प्रस्ताव आने पर विचार किया जायगा।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया:** प्रस्ताव तो भेज दिया है।

**श्री दोलतराम सारण (डूंगरगढ़):** बिना जिला परिषद् के प्रस्ताव पास किये कहीं आपने औषधालय खोला ही नहीं है क्या ?

**राज्य मंत्री (श्री जयकृष्ण शर्मा):** जैसा कि प्रश्न का उत्तर दिया गया औषधालय खोलने के भी कुछ मान्य तरीके बने हुए है वह आबादी को देखते हुए, दूरी को देखते हुए खोले जाते हैं।

**श्री दौलतराम सारण:** क्या यह सही है कि आबादी दूरी व आवागमन के साधनों का अभाव ये सारी स्थिति यहां पर है फिर नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

**श्री जयकृष्ण शर्मा:** इस तरह की बात नहीं। राजस्थान में बहुत सी जगहें हैं जहां पर मकान बने हुए हैं, दूरी की सीमा भी है लेकिन हमने दस हजार की आबादी पर खोलने का तय किया है। बीकानेर जिले की 1.44 लाख आबादी है उस पर 39 औषधालय खोल रखे हैं। वैसी हालत में अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना में औषधालयों के लिये प्रावधान रख रहे हैं यह गांव भी यदि मान्य सिद्धान्तों के अनुरूप होगा तो इसको भी ले लिया जायगा।

**श्री विजय सिंह (मकराना):** माननीय राज्य मंत्री यदि दूसरी ओर से इसको पढ़ते तो पता चलता कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि गांव धावा की जनता की ओर से बहुत दिनों से मांग चली आ रही है ?

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया:** सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया उसी बारे में कह रहा हूं पंचायत मीटिंग में हमने प्रस्ताव पास किया है। पंचायत समिति की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके भेजा है।

(12 मध्यान्ह)

**श्री उपाध्यक्ष:** नेक्स्ट।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप समय ले रहे हैं सदन का।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया:** उस प्रस्ताव को जिला परिषद की मीटिंग में रक्खा, जिला निरीक्षक भी मौजूद थे। वह प्रस्ताव भेजा है यहां। वह नहीं पहुंचा हो तो मैं वह सारी तीनों जगह की कार्यवाही और प्रस्ताव की नकल देने को तैयार हूं आपको, आप अगर करना चाहें तो।

# Page No. 23



श्री उपाध्यक्ष: श्री लाभचन्द बेद। 216

मनोरंजन क्लब चूरू

216. श्री लाभचन्द बेद (सुजानगढ़): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चूरू नगर में मनोरजन क्लब नाम की एक नाट्य परिषद् की स्थापना सन् 1931 में हुई थी ?

(2) क्या मनोरजन क्लब का उद्देश्य नाटक द्वारा जो आय हो वह आम पब्लिक हित में लगाया जाना था ?

(3) क्या यह सही है कि उस क्लब पर सरकारी अफसरों ने नाजायज कब्जा कर लिया है ? और क्लब के पुराने आजीवन सदस्यों को हटा कर नई बोडी कायम कर दी व उस क्लब का नाम भी बदल दिया ? क्या यह कार्यवाही करने का उसके विधान के अनुसार उनको अधिकार था ?

(4) क्या यह सही है कि उस क्लब का सामान भी गायब कर दिया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि बिहार अकाल सहायता के लिये इस क्लब के पुराने आजीवन सदस्य जो उस क्लब के मन्त्री हैं नाटक खेलने के लिये क्लब के स्टेज का उपयोग करना चाहा था ? अगर हां, तो उनको स्टेज क्यों नहीं दिया गया ?

श्री उपमंत्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सब जूडिस है फिर भी जो सूचना मेरे पास है आप आज्ञा दें तो जवाब दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें जो पूछा है वह सब जूडिस है क्या ?

स्थगित किया गया। दुबारा पूछ लीजिये।

श्री दौलतराम सारण : किस आधार पर उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष: सब जूडिस है इसलिये मंत्री महोदय ने कहा है। वह बात अदालत में भी विचाराधीन है और दूसरे मामले से सम्बन्धित है।

श्री दौलतराम सारण : इसमें तो निरी सूचनाएं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: पूरी सूचना भी उपलब्ध नहीं है।

अगला प्रश्न। श्री देवीदत्त गाडिया।

जयसमन्द झील में मछली पकड़ने का ठेका

217. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उदयपुर की जयसमन्द झील में मछली पकडने का ठेका श्री होशियार चन्द कपूर को किस 2 तारीख को कितने २ समय का ठेका किस 2 एग्रीमेन्ट के द्वारा दिया गया ? प्रत्येक एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने सन् 57 में इस झील में मछली पकडने का ठेका नीलामी करके देने का निर्णय किया था, तथा विधि विभाग से भी राय मांगी थी ?

(3) क्या यह सही है कि सन 57 में उक्त ठेकेदार द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण सरकार ने नया ठेका नीलामी नहीं

(श्री देवीदत्त गाडिया)
करके इसी ठेकेदार को सन् 62 तक के लिये नया एग्रीमेन्ट लिख कर दे दिया था ? यदि हां, तो किस कारण से दिया ?

(4) क्या यह सही है कि सन् 62 में भी राज्य सरकार ने उक्त झील में मछली पकड़ने का नया ठेका देने का निर्णय किया था और उसके बाद उक्त ठेकेदार को ही नया एग्रीमेन्ट लिखाकर ठेका दे दिया ?

(5) क्या यह सही है कि सन् 67 के बाद भी अभी तक इस झील में मछली पकड़ने का ठेका देने के लिये नीलामी कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि इस समय भी इस झील में वही ठेकेदार मछली पकड़ रहा है ? यदि हां, तो किस कारण से और सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह बेगू):
(1) श्री होशियारचन्द कपूर को यहा ठेका निम्न वर्णित एग्रीमेन्ट के द्वारा दिया गया है:—

| (1) ठेका देने की तिथि | एग्रीमेन्ट की तिथि | ठेके की अवधि | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| 16-1-53 | 29-7-53 | 5 वर्ष (16-1-53 से 15-1-58 तक) | एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार और पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 16-1-58 से 15-1-63 तक बढ़ा दी गई थी। |
| (2) 16-1-63 | 12-9-63 | 5 वर्ष (16-1-63 से 15-1-68) | |

एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) जी नहीं। दिनांक 29-7-53 के एग्रीमेन्ट की शर्त संख्या 1 के अनुसार ठेकेदार को 1957 में पांच और वर्षों के लिये यह जलाशय उसके द्वारा ओपशन एक्सरसाइज करने पर दिया गया।

(३) नये एग्रीमेन्ट लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ठेके की अवधि बढ़ाने का कारण प्रश्न संख्या २ के उत्तर में आ चुका है।

(4) जी हां। लेकिन बाद में विधि विभाग की राय से एग्रीमेन्ट लिखवाया जाकर तथा ठेके की राशि बढाकर 5 और वर्षों के लिये ठेकेदार को ठेका दे दिया।

(5) जी हां दिनांक 15-1-68 को ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद से ही श्री कपूर ने कानूनी कार्यवाही चालू कर रखी है व मामला अब भी सैशन जज, जयपुर के न्यायालय में चल रहा है।

(6) जी हां, अदालत में सरकार की ओर से पैरवी जारी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री देवीदत्त गाडिया:** जिस एग्रीमेन्ट के अनुसार अवधि बढ़ाई उसकी नकल मुझे नहीं मिली।

**श्री हरिसिंह:** नया एग्रीमेन्ट कोई नहीं किया उसी एग्रीमेन्ट को कन्टीन्यू किया गया है क्लॉज नम्बर एक को मानते हुए रिन्यू किया गया है।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि अदालत में मुकद्दमा चल रहा है उसमें इस कपूर को न रखने के लिये स्टे आर्डर निकाला हुआ है।

**श्री हरिसिंह:** सैशन कोर्ट में पहले तो स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया इसके बाद में सरकार ने दूसरा लीज डीड लिखा था 63 से 68 तक।

**श्री भैरोंसिंह:** सरकार ने स्टे को वेकेट भी कराया था।

**श्री हरिसिंह:** उसने वापिस सैशन जज के सामने आब्जेक्शन रखा। वापिस मिल गया कपूर को स्टे।

**श्री रोशनलाल शर्मा** (सलूम्बर): स्टे वेकेट किया उस रोज सरकार ने क्या निर्णय लिया।

**श्री भैरोंसिंह:** क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पैरवी करने वाले पैरोकार को सरकार ने यह हिदायत दी थी कि इस स्टे आर्डर का विरोध नहीं किया जाय।

**श्री हरिसिंह:** नहीं, पूरा विरोध किया गया।

**श्री भैरोंसिंह:** वह तो मैं समझ गया। पर नीचे की कोर्ट से उसने स्टे आर्डर लिया और सैशन कोर्ट में सरकार ने वेकेट करा लिया। पर वह फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया और स्टे आर्डर ऑब्टेन किया। लास्ट में ऑब्टेन किया गया उस समय सरकार की तरफ से एडवोकेट को अपने सरकारी एडवोकेट को लिखित में कहा गया कि इस मामले में विरोध नहीं किया जावे।

**श्री हरिसिंह** ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। ऐसा कोई आर्डर सरकार की तरफ से नहीं दिया गया।

**श्री भैरोंसिंह:** क्या यह सही नहीं है कि सरकारी एडवोकेट ने इसका विरोध नहीं किया ?

**श्री हरिसिंह:** उन्होंने एम्फेटिक्ली विरोध किया है। पहले और छठे पैरा को आप देखिये।

**श्री भैरोंसिंह** : आप दोनों को मिक्स अप कर रहे हैं। दो चीजों को आप साथ साथ मत मिलाओ। लास्ट में, अन्त में, सबसे अन्त में, जाकर स्टे आर्डर पार्टी ने लिया उसके लिये पूछ रहा हूं।

**श्री हरिसिंह:** मैंने इसी का जवाब दिया है।

**श्री रोशनलाल शर्मा:** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

**श्री हरिसिंह:** वेकेट किया उसके दूसरे दिन उन्होंने वापिस सैशन जजी में दर्खास्त कर दी। आब्जेक्शन रेज कर दिया। दूसरे दिन वापिस स्टे मिल गया।

**श्री रोशनलाल शर्मा:** जब आपको वेकेट का आर्डर मिला तो तुरन्त आपको एक्शन लेना चाहिए था दूसरे दिन से पहले ही। कन्ट्राक्टर नाजायज काम कर रहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपमंत्री जी कि इस मामले में काफी गडबडी है। कन्ट्राक्टर ने काफी नाजायज फायदा उठाया है। जनता ने शिकायतें की हैं उसकी, इसमें काफी बडा भ्रष्टाचार है जहां तक यह जयसमन्द का मामला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बात का जल्दी से जल्दी निर्णय करे कि क्यों नहीं किया?

**श्री हरिसिंह:** कोर्ट में विचाराधीन है।

**श्री भैरोंसिंह:** क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह स्टे आर्डर गवर्नमेन्ट के खिलाफ है या कान्ट्रेक्टर के खिलाफ है?

**श्री हरिसिंह:** जो स्थिति मेरे सामने है और जो इनफर्मेशन अभी आई है जैसा मैंने निवेदन किया कि 23 तारीख को स्टे वेकेट हुआ और 24 को स्टे दे दिया गया। कपूर ने आब्जेक्शन दिया और उसी पर स्टे दिया गया है।

**श्री रोशनलाल शर्मा:** 23 तारीख को क्या ऐक्शन लिया?

**श्री हरिसिंह:** 23 तारीख को वेकेट आर्डर था और उसके बाद में कपूर ने ओब्जेक्शन किये और 24 को वापिस स्टे हुआ तो स्टे तो उसी आधार पर मिला।

**श्री भैरोंसिंह:** जो कोर्ट से स्टे आर्डर दिया गया है वह या तो गवर्नमेन्ट को दिया गया होगा कि जयसमन्द झील का कान्ट्रेक्ट दूसरे को नहीं दें और दूसरे को इन्टरवीन करने की इजाजत नहीं दें या फिर कपूर को स्टे आर्डर दिया है कि वह मछलियां जाकर नहीं पकडे।

**श्री हरिसिंह:** गवर्नमेन्ट कपूर के हक में स्टे को मान रही है और गवर्नमेन्ट आब्जेक्शन कर रही है कि स्टे नहीं मिलने चाहिए और उसके लिए विरोध कर रही है गवर्नमेन्ट।

**श्री भैरोंसिंह:** जिस समय आपका पहला स्टे आर्डर वेकेट हुआ उस समय आपके डिपार्टमेन्ट ने जयसमन्द झील को अपने अधिकार में क्यों नहीं किया ताकि यह स्टे की आफत ही खतम हो जाती?

**श्री हरिसिंह:** एक दिन के अन्दर अधिकार कैसे जमा सकते थे। उसके बाद में स्टे वेकेट हुआ और फिर स्टे हो गया और अधिकार हो भी जाता तो उससे क्या नतीजा निकलता?

**श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर):** अधिकार हो जाता तो स्टे की तामील कैसे होती? अगर आप अधिकार कर लेते दरमियानी तो स्टे आर्डर तामील ही नहीं होता।

**श्री देवीदत्त गाड़िया:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि यह ठेकेदार आज भी और जब से इसको ठेके की अवधि समाप्त हुई है इसके बाद से आज तक भी यह ठेकेदार जयसमन्द झील में मछ पकड़ता जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: उत्तर दिया जा चुका है। रिलेवेन्ट क्वश्चन पूछिये।

श्री देवीदत्त गाडिया: उपाध्यक्ष महोदय एक बात और पूछना चाहूंगा कि जब इस ठेके की अवधि जनवरी 63 में समाप्त हुई तो उसके बाद सितम्बर, 63 को ठेकेदार ने जो नया एग्रीमेन्ट किया तो यह 8 महीने के बीच में ठेकेदार किस प्रकार से मछलियां पकड़ता रहा और ठेकेदार को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका?

श्री हरिसिंह: अदालत में कार्यवाही अभी तक चल रही है। मेरे पास पूरी प्रोसीडिंग्स है आप कहें तो मैं पूरी सुनाकर बता दूं।

श्री देवीदत्त गाडिया: मंत्री महोदय आप मेरा प्रश्न समझने की कोशिश करें। आपका जो एग्रीमेन्ट 15 जनवरी, 63 को समाप्त हुआ इसके बाद आपने जो नया एग्रीमेन्ट सितम्बर, 63 में 5 साल के लिए किया तो 15 जनवरी के बाद और सितम्बर के पहले 8 महीने तक ठेकेदार कैसे मछलियां पकड़ता रहा और यह एग्रीमेंट किस प्रकार से आपने 8 महीने बाद किया उसके कारण क्या हैं और क्यों मछलियां पकडता रहा ?

श्री हरिसिंह: इस विषय में मैं निवेदन कर दूं कि कपूर ने सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान सरकार के विरुद्ध रिट याचिका पेश की जिसकी तारीख 4-3-68 निश्चित हुई इसकी सुनवाई नहीं हुई। कपूर ने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी रिट याचिका वापिस ले ली दूसरा निवेदन करूंगा कि कपूर ने सिविल न्यायाधीश जयपुर के न्यायालय में······

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए, (श्री देवीदत्त गाडिया से) इसको और किसी तरीके से उठा सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह: इसका जवाब तो दे नहीं पाये हैं मंत्री महोदय।

श्री रघुनाथ विश्नोई: बहुत रिलेवेन्ट क्वेश्चन है कि वह मछलियां क्यों पकडता रहा ?

श्री देवीदत्त गाडिया: उपाध्यक्ष महोदय इसका उत्तर मंत्री महोदय की ओर से दिया जाना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी महोदय ने ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये कार्यवाही की है। मुख्य मंत्री महोदय ने ठेकेदार से चुनावों के दिनों में पैसे लिये हैं और 40 हजार उससे लिये हैं और इसके लिये उसको अनुचित फायदा पहुंचाया है······

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात पर सख्त ऐतराज करता हूं कि माननीय सदस्य जब चाहें तब कुछ बोल जाते हैं कोई भी बात किसी आधार पर हो। इस तरह की बात सदन में कहा जाना मैं समझता हूं कि कतई उचित नहीं समझा जा सकता।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी इल्जाम सदन के अन्दर बिना पूर्व नोटिस के नहीं लगाया जा सकता और देवीदत्त जी गाडिया ने जो कहा है वह आपत्तिजनक है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री नत्थीसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इसमें निकालने की बात ही नहीं है क्योंकि

(श्री नत्थीसिंह)
शक इसलिये होता है कि मंत्री महोदय का जवाब ही साफ नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 3 देखिये )

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

**कर्मचारियों की सिनियोरिटी लिस्ट व पदोन्नति**

211. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन कर्मचारियों की सिनियोरिटी लिस्ट बनी है या नहीं ? यदि नहीं, तो फिर कर्मचारियों की पदोन्नति किस आधार से की जाती है ?

उत्तर

(1) निगम में अब तक कर्मचारियों की कोई फाइनल सिनियोरिटी लिस्ट तैयार नहीं है । निगम में जिन कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है, वह अस्थाई तौर (एडहाक बैसिस) पर की गई है ।

**महिला का कत्ल**

213. श्री शंकरलाल (कपासन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव सेमालिया, तहसील बड़ी सादड़ी पुलिस स्टेशन बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौडगढ़ में एक औरत का मर्डर करके एक नाले में इसी वर्ष कुछ माह पूर्व डाल दी गई थी ? यदि हां, तो कब मरडर हुआ था और अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कातिल का पता लग गया है ? यदि हां, तो वह कातिल कौन है ? और कातिल का पता नहीं लगा है तो किस की लापरवाही है ?

(3) क्या मर्डर सुदा औरत के कोई जायन्दा लडका है ? यदि हां, तो वह कौन है और उसकी ओर से क्या कार्यवाही हो रही है ?

(दिनांक 12-9-68 के लिये स्थगित किया गया)

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**हरिजन कर्मचारियों को वर्दियां**

231. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बारां नगरपालिका द्वारा हरिजन कर्मचारियों को सन् 1962 से लेकर सन् 67 तक प्रतिवर्ष नियमानुसार सभी को गर्मी व सर्दी की पोशाकें दी गई ? यदि हां, तो कितने हरिजन कर्मचारियों को कितनी पोशाकें प्रतिवर्ष दी गई थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका ने हरिजन कर्मचारियों को नियमानुसार प्रतिवर्ष पोशाक नहीं दी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने नगरपालिका के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) 1962-63 से 1965-66 तक बजट में स्वीकृत प्रावधान के अनुसार पोशाकें

# Page No. 29



(स्वायत्त शासन मंत्री)
दी गई हैं वर्ष 1966-67 से नियमानुसार वर्दियां दी जा रही हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1964-65 व 1965-66 में हरिजन कर्मचारियों को पोशाकें बजट में प्रावधान स्वीकृत न होने से नियमानुसार नहीं दी गई हैं। नगरपालिका के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

ग्राम जसवंतगढ़ की जल योजना

232. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जसवंतगढ़, तहसील लाडनूं जिला नागौर में जल प्रदाय योजना मंजूर की गई थी तब स्थानीय पंचायत समिति के साथ कोई एग्रीमेन्ट राज्य सरकार ने किया था ? यदि हां, तो उक्त एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि यह योजना पंचायत से किये गये एग्रीमेन्ट के आधार पर स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा जो स्वीकृति आदेश निकला है उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना को चलाने का जिम्मा पंचायत का था ? और घाटे-मुनाफे की जिम्मेदारी पंचायत की थी ? यदि हां, तो योजना चालू होने के बाद प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी आय और व्यय हुआ तथा नफा नुकसान क्या क्या रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) क्या उक्त योजना के संचालन में पंचायत के साथ सरकार द्वारा किये गये एग्रीमेन्ट का पालन हो रहा है ? यदि हां, तो कहां तक और नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सच है कि इस योजना को स्वीकृत करने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में से जो प्र. श. रकम पंचायत से लेने का प्रावधान है उससे ज्यादा रकम सरकार ने ली ? यदि हां, तो किस प्रकार से और किन व्यक्तियों से ? तथा इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया हो तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) भविष्य में इस योजना को सरकार चलायेगी या पंचायत को सौंपा जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां, जी हां, प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी हां, संलग्न है।

(3) जी हां, जी हां, आय-व्यय नफा-नुकसान की सूची सलग्न है।

(4) पंचायत पालन नहीं कर रही है पंचायत ने अभी तक होने वाले घाटे की रकम का भुगतान नहीं किया है।

(5) जी हां, 1 लाख रुपया चैक द्वारा, सेठ श्री लादूराम तापड़िया चेरिटी ट्रस्ट द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(6) घार्ट की रकम का भुगतान पंचायत द्वारा न होने पर योजना नोटिस देकर बन्द करदी जावेगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रक्खी गई)

### सुजानगढ़ में पानी की व्यवस्था

233. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जल प्रदाय योजना लाडनूं या जसवंतगढ़ से सुजानगढ़ नगर को भी पानी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो यह खर्चा किस योजना के अन्तर्गत माना जाता है ?

(2) जसवंतगढ से सुजानगढ तक पाईप लाईन जो लगी है उसमें कुल कितने रुपये किस के द्वारा खर्च किये गये हैं ?

(3) उपरोक्त योजनाओं में से सुजानगढ़ का पानी कब चालू किया गया था और उसमें जो खर्चा होता है वो किसके द्वारा किया जाता है तथा शुरू से लेकर अब तक की माहवार खर्चे की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, इसका खर्चा लाडनूं योजना के अन्तर्गत ही माना जाता है।

(2) रु० 83,264।- विभाग द्वारा किये गये।

(3) सुजानगढ़ को 11 अप्रेल 66 को चालू किया गया था उसका खर्चा लाडनूं योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा किया जाता है। चूंकि खर्चा पूरी योजना पर ही होता है इसलिये अलग से सुजानगढ़ पर खर्चा दर्ज नहीं होता तथा माहवारी खर्चे की सूची का का प्रश्न नहीं उठता ।

### कस्बा कार्मा की जल प्रदाय योजना

234. श्री मजलिस खां (कार्मा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा कार्मा में जल प्रदाय योजना का निर्माण कार्य चालू है ? यदि हां, तो यह कार्य कब चालू हुआ और उक्त योजना के कौन कौन से कार्य चालू किये गये हैं और उनमें से कौन कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना की ड्रेनेज स्कीम का कोई प्रावधान नहीं रक्खा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कार्मा से कुछ पाईप वापस मंगा लिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और उनको कहां भेजा गया है और क्यों और क्या इस कारण वहां पर पाईप्स की कमी नहीं पड़ेगी ? यदि हां, तो यह कहां से पूरी की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 66 में निम्न कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं :

(अ) उच्च जलाशय
(ब) स्वच्छ जलाशय
(स) कार्यालय भवन आदि तथा निम्न कार्य और करने हैं :-
(क) पाइप लाईन का डालना

Page No. 31



(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(ख) राईजिंग मेन का डालना

(ग) कुओं का निर्माण कार्य, पम्पिंग सेट मशीनरी एवं कुछ पाईप इत्यादि का उपलब्ध कराना।

(2) जी हां। धनाभाव के कारण।

(3) जी हां, कुल 250 नग सी० आई० पाइप (5.5 मीटर लम्बाई के) मालपुरा भेजे गये थे, क्योंकि वहां पर उस वक्त कार्य शुरू नहीं हुआ था और मालपुरा में अकाल की स्थिति होने के कारण इनकी आवश्यकता थी। अब कामों के लिये इन पाईप्स के इन्तजाम के लिए आवश्यक कार्यवाही की जारही है।

### ग्राम नगर में हुए नुक्ते

235. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नगर तहसील देवली जिला टोंक में दिनांक 21-6-67 व 13-6-67 को दो नुक्ते हुए थे, जिसकी जानकारी स्थानीय थानेदार को थी ?

(2) क्या यह सही है कि दि० 13-6-67 को जो नुक्ता भूर बीरमा छतरी वाले ने अपनी माता का किया था उसमें स्थानीय पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और 21-6-6 का नुक्ता में पुलिस ने चालान किया है ? यदि हां, तो यह भेद कैसे रखा गया ?

(3) क्या यह सही है कि 21-6-67 के नुक्ते की जानकारी स्थानीय सरपंच श्री रतनलाल व पंडित श्री निवास ने दी थी ? और दिनांक 13-6-67 को नुक्ता हुआ उसकी जानकारी स्थानीय सरपंच ने नहीं दी ?

(4) क्या यह सत्य है कि भूरा बीरमा ने 8 मन के मालपुआ की रसोई की थी, जिसमें नगर ग्राम के श्री निवास व सरपंच भी सम्मिलित थे ? इसलिये स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(5) क्या सरकार उक्त थानेदार के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिसने ऐसी पक्षपात-पूर्ण कार्यवाही की है ?

#### उत्तर

(1) दिनांक 21-6-67 को ग्राम नगर तहसील देवली के श्री कल्याण सिंह, इन्द्र सिंह और छतरसाल सिंह द्वारा उनकी माता की मृत्यु के संबंध में किये गये नुक्ते की जानकारी स्थानीय पुलिस नगर को श्री सौभाग मल जैन, मंत्री नवयुवक मण्डल नगर से प्राप्त हुई थी। दिनांक 13-6-67 को कोई नुक्ता नहीं हुआ अतः जानकारी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) दिनांक 13-6-67 को भूरा बीरमा छतरी वाले ने अपनी माता का नुक्ता कानून विरुद्ध किया ही नहीं तो स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने एवं भेद रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह सही है कि दिनांक 21-6-67 को किये गये नुक्ते का चालान अदालत में किया गया है।

(3) यह सही नहीं है कि दि० 21-6-67 को जानकारी स्थानीय सरपंच श्री रतन लाल व पण्डित श्री निवास ने दी थी बल्कि इसकी सूचना श्री सोभागमल जैन मंत्री, नवयुवक मण्डल नगर द्वारा दी गई थी। जब दिनांक 13-6-67 को कोई नुक्ता कानून विरुद्ध हुआ

(गृह मंत्री)

ही नहीं तो इसकी जानकारी स्थानीय सरपंच द्वारा देने या न देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) यह गलत है ।

(5) थानेदार नगर ने कोई पक्षपात पूर्ण कार्यवाही नहीं की । इसलिये थानेदार नगर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही कार्यवाही करने की आवश्यकता समझी जाती ।

**ग्राम नगर में महिला द्वारा आत्महत्या**

236. श्री **दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नगर तहसील देवली में पंडित श्री निवास की माता की आत्महत्या हुई थी और उसकी लाश एक कुए में से बरामद की गई थी जिसको वहां के सभी लोगों ने देखा था ?

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस ने आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की और उस केस को दबा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस मृत्यु का कारण अपने पुत्र पंडित श्री निवास से झगड़ा होना बताया जाता है जिसके फलस्वरूप यह घटना हुई ?

(4) क्या आज दिन तक पुलिस द्वारा कोई तफतीश नहीं की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? इस घटना को कितना समय हो गया है ? अब सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) पण्डित श्री निवास, ग्राम नगर, तहसील देवली की माता की मृत्यु सन् 1956 में कुए में गिरकर हुई थी । परन्तु यह पता नहीं कि आया वह इत्तफाक से गिरी थी अथवा उसने आत्महत्या की थी । यह स्वाभाविक है कि उसके मृत शरीर को वहां के लोगों ने देखा होगा ।

(2) यह सत्य नहीं है ।

(3) मृतका के विषय में दफा 174 सी आर. पी. सी. के तहत जांच की गई थी, उससे मृत्यु आकस्मिक होना पाया गया ।

(4) इस बारे में भाग (2) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गई है । यह घटना सन् 1956 में हुई थी । बारह वर्ष निकल जाने से अब कोई कार्यवाही फलप्रद नहीं होगी ।

**थानेदारों की नियुक्ति**

237. श्री **गंगासहाय** (कठूमर–सु.): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नवम्बर, 1967 में राजस्थान पुलिस विभाग में जो थानेदारों (सब-इन्सपेक्टर्स) की भर्ती की गई उसमें विभागीय व गैर विभागीय उम्मीदवार अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति थे ? कुल कितने थानेदारों की भर्ती की गई ? भर्ती किये गये उनमें अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

**उत्तर**

नवम्बर 67 में राजस्थान पुलिस में 55 रिक्त स्थानों के लिये नियमानुसार भर्तियां की गई थी । नियमों के अनुसार विभागीय

(श्री गृह मंत्री)
व गैर विभागीय उम्मीदवारों को समान ही समझा गया था। परीक्षा में अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछडी जाति के 49 व्यक्ति बैठे थे, इसके लिये 6 स्थान सुरक्षित थे किन्तु 7 व्यक्ति चुने गये। इनमें अनुसूचित जाति के 4 व्यक्ति थे।

### बारां नगर में चोरियां

238. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां नगर में गत 7 माह में कितने कितने रुपयों की किस किस दुकान एवं किस किस मकान में चोरियां व नकबजनियां हुईं तथा इस अवधि में किस किस व्यक्ति की हत्या हुई थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त अवधि में नगर में हुई चोरियां, नकबजनियां व हत्याओं में कितने अपराधी मय चोरी के माल के साथ पकडे गये तथा हत्यारों का पता लगाया जा चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि माह नवम्ब व दिसम्बर, 67 में नगर में लगातार कई चोरियां हुईं और उनमें से अधिकांश चोरियों का कोई पता नहीं लग पाया है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि माह नवम्बर दिसम्बर, 1967 में एक महिला की हत्या हुई और उसके हत्यारों का अभी तक पता नहीं लग पाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि नगर में खुली दुकानों पर से कई बार रुपयों के गल्ले की चोरियां हो गई हैं ?

### उत्तर

(1) सूची संलग्न करदी गई है। इस अवधि में कोई हत्या का केस नहीं हुआ है।

(2) उपरोक्त मुकदमात में इस अवधि में 2 मुलजिमान श्री प्रसादीलाल व बद्रीलाल नामक व्यक्ति मय चोरी के माल के गिरफ्तार हुए चालान पेश अदालत किया गया। प्रसादी को ता. 4-6-68 को सजा हुई तथा बद्रीलाल का मुकदमा अभी जेर तजवीज है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) जी नहीं। माह नवम्बर, दिसम्बर 67 में नगर बारां में किसी महिला की हत्या नहीं हुई। हत्यारों का पता लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वास्तविकता यह है कि ता. 12,13-11-67 की रात्रि को मुसम्मात केशरबाई बेवा फूलचन्द ठठेरा नि. बारां को किसी बदमाश ने चोरी करने की नियत से उसके मकान में दाखिल होकर उसे चक्कू से जख्मी किया था। रिपोर्ट पर मुकदमा नं. 109 धारा 458 ता. हि. कायम कर तफ्तीश की गई। मुसम्मात केशर को शफाखाना बारां में दाखिल कराया गया जो बाद में शफाखाना से घर आगई और करीब 8-10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। नतीजा पोस्टमार्टम में मुसम्मात केशर बाई की हृदय गति रुक जाने से मौत होना दर्ज है। इसलिये इसको कत्ल नहीं माना गया।

(5) ता. 6-1-68 को कल्याण चन्द्र पुत्र रामचन्द्र दुकानदार गल्ला साकिन

(श्री गृह मंत्री)

बारां की दुकान से 120) रु. नकद गल्ले में से चोरी जाने की एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसमें एफ० आर० अदम पता माल मुलजिमान दे दी गई क्योंकि माल मुलजिमान का कोई पता नहीं चला इसके अलावा खुली दुकानों पर से गल्ले में से चोरी होने की कोई घटना घटित नहीं हुई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

### थाना कैथून में दर्ज मामले

289. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) थाना कैथून, मंडावा सुल्तानपुर में 1966-67 एवं 1967-68 में कितने केस रजिस्टर हुए ?

(2) अदालत में किस किस नाम से इस्तगासे जांच के लिए आये ?

(3) दर्ज मुकद्मों में कितनों का चालान किया व कितनों में फाइनल रिपोर्ट दी ?

(4) फाइनल रिपोर्ट दिये जाने वाले मुकद्मे कितने व्यक्तियों के थे और किस जुर्म के थे ?

उत्तर

(1) थाना कैथून, मंडावा और सुल्तानपुर में सन् 1966-67 एवं 1967-68 में निम्न अभियोग दर्ज हुए।

| | | |
|---|---|---|
| (अ) कैथून | 1966-67 | 38 |
| | 1967-68 | 71 |
| (आ) मंडावा | 1966-67 | 30 |
| | 1967-68 | 79 |
| (ई) सुल्तानपुर | 1966-67 | 54 |
| | 196.-68 | 65 |

(2) अदालत में किस किस नाम से इस्तगासे जांच के लिये आये व जो अभियोग अदालत में चालान हुये हैं उनकी तालिका संलग्न है।

(3) दर्ज हुये अभियोगों में से निम्न संख्या के अभियोगों में चालान व फाइनल रिपोर्ट दी गई।

| | | |
|---|---|---|
| (1) थाना कैथून | 1966-67-12 | फाइनल रिपोर्ट व 26 चालान |
| | 1967-68-27 | ,, व 44 चालान |
| (2) थाना मंडावा | 1966-67- 8 | ,, व 22 चालान |
| | 1967-68-32 | ,, व 42 चालान |
| (3) थाना सुल्तानपुर | 1966-67-17 | ,, व 40 चालान |
| | 1967-68-23 | ,, व 42 चालान |

(4) फाइनल रिपोर्ट दिये जाने वाले मुकदमों में कुल 167 व्यक्तियों के थे। अभियोगों की तालिका संलग्न है।

| | फाइनल रिपोर्ट | व्यक्ति |
|---|---|---|
| 1966-67 | 33 | 33 |
| 1967-68 | 82 | 134 |

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**कोटा डिविजन में अपराधों के मामले**

240. श्री नन्दलाल (किशनगंज-सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1967 व 68 में कोटा डिविजन में आत्म हत्याओं व कत्ल के कितने कितने मामले कहां-कहां दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अवधि में इस डिविजन में कितनी बडी व कितनी छोटी डकैतियां हुई और किस किस स्थान में किन किन तारीखों में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष गत वर्षों से पुलिस का कार्य सराहनीय रहा ?

**उत्तर**

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। इस समय कोटा डिविजन नामक कोई खन्ड आरक्षी विभाग में नहीं है इसलिये जिले की सूची दी गई है।

(2) उक्त अवधि में डकैती के अभियोग सन् 67 में 14 व सन् 1968 में 8 अभियोग हुए। किस किस स्थान पर व किन किन तारीखों में डकैतियां हुई हैं इसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) सन् 1968 के समाप्त होने पर ही इस प्रश्न पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**बस दुर्घटनायें**

241. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा जिले में बस नं० आर० जे० आर० 1270 से गत तीन चार वर्षों में कई दुर्घटनाएं हो गई हैं जिसमें जानें गई हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी दुर्घटनाएं किस किस प्रकार की हुई और उस संबंध में क्या क्या कार्यवाही हुई ?

**उत्तर**

बस नं० आर० जे० आर० 1270 से दिनांक 21-5-66 को एक ऐक्सीडेंट हो गया था। उसके ड्राइवर करामत अली को दिनांक 28-1-67 को दंड मिल गया है।

**कोटा डिपो का भवन**

242. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 67-68 की बरसात में कोटा रोडवेज डिपो की तमाम बसें व कार्यालय पानी से चू रहे थे ?

(2) यदि हां, तो किस कारण से ?

(3) सरकार ने कोटा डिपो कितने रुपयों की लागत से बनाया, किस ठेकेदार को निर्माण कार्य का ठेका दिया था ?

(4) क्या ठेकेदार को निर्माण कार्य का पूरा भुगतान कर दिया गया है ?

(5) क्या सरकार ने डिपो की पूरी छतें पानी से चूने के कारणों की जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में क्या कारण बतलाए हैं ?

Page No. 36



(श्री यातायात मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। डिपो की पुरानी छतें व कार्यालय की छतें नहीं चू रही थी, कुछ कमरों में सीलन थी।

(2) छतों में सीलन का कारण अधिक वर्षा होना था ?

(3) राजस्थान स्टेट रोडवेज द्वारा डिपो निर्माण कार्य के लिये 2,14,200) की स्वीकृति दी गई थी। इसका ठेका श्री के. के. दत्ता ठेकेदार को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिया गया था।

(4) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूचना के अनुसार 1, 1', 954 रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

(5) जांच की जायगी।

**पहाड़ी-फिरोजपुर सड़क की मरम्मत**

243. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष 1967 में बाढ के कारण पहाड़ी-फिरोजपुर सडक टूट गई थी ? यदि हां, तो कितने कटाव हुए और कितने कितने लम्बे तथा गहरे और कितनी कितनी दूरी पर ?

(2) क्या यह सही है कि सडक कट जाने के कारण यातायात बन्द हो गया था ? यदि हां, तो यातायात कितने समय तक ठप्प रहा और कब खुला ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सडक के कटावों को कामां-फीरोजपुर बस मालिक ने अपने पैसों से ठीक करवाया था ? यदि हां, तो संबंधित विभाग ने क्यों नहीं करवाया ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सडक नीची और कोई पुलिया न होने के कारण टूटी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार अब उक्त सडक को ऊंचा करायेगी और पुलियाओं का भी निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कितनी ऊंची और कितनी पुलियाएं रखेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि मंत्री महोदय तथा प्रश्नकर्ता सडक का मौका देखने गये थे तब मंत्री महोदय ने पहाडी में जनता के सामने यह आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के भीतर भीतर सडक की मरम्मत करा दी जायेगी ? क्या यह भी सही है कि एक सप्ताह की बजाय आज तक भी विभाग की ओर से कोई कार्य नहीं करवाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां 4 कटाव हुये थे जिनका ब्यौरा निम्न है:— कटाव

मील नं. 0|5 5' चौडा 3' गहरा
मील 1|1 60' चौडा 5' गहरा

मील 2|1 58' चौडा 4½' गहरा

मील 2|3 15' चौडा 2½' गहरा

(2) जी हां यातायात करीब 2 सप्ताह बंद रहा था उसके बाद यातायात चालू हो गया था।

# Page No. 37



(श्री सा. निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं पानी के अधिक वेग के कारण सडक टूटी है तथा भविष्य के लिये पुलियाओं के अभाव को ध्यान में रखकर 2 पुलियों का निर्माण करा दिया गया है ? 2 पुलियां धन राशि प्राप्त होने पर बनाया जाना संभव हो सकेगा।

(5) जी हां। जी नहीं।

**बीदासर-डूंगरगढ़ सड़क**

214. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बीदासर से डूंगरगढ का रास्ता कच्चा है ? यदि हां, तो कब तक पक्का बनाया जायेगा ?

(2) क्या इस रास्ते पर बस चलती हैं ? यदि चलती है तो कितनी बसें ?

(3) क्या सरकार यह सडक वाया रिडी बनाने की योजना रखती है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि बीदासर से रिडी व रिडी से श्री डूंगरगढ मिट्टी की कच्ची सडक अकाल के दौरान बनाई गई थी ? यदि हां, तो कितनी मील लम्बी बनाई गई थी ? तथा अकाल के दौरान इस सडक पर डालने के कंकर पत्थर निकलवाये गये थे ? यदि हां, तो इन्हें सडक पर डलवाने का कार्य कब तक होगा ?

(5) क्या यह सही है कि इस रास्ते के बन जाने से डूंगरगढ के लोगों को जयपुर आने जाने में सुविधा होगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां। यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है अतः निर्माण संभव नहीं है।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं ऐसी योजना इस विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है।

(4) जी हां, डूंगरगढ से बीदासर सडक 7 मील में मिट्टी का कार्य हुआ है। जी हां। अकाल राहत विभाग की स्वीकृति के अभाव में निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(5) जी हां।

**जाडन-जोजावर सडक पर डामर**

215. श्री सुरेन्द्र सिंह (खारची): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील खारची जिला पाली में सडक जाडण से जोजावर को पूरी डामर की कब तक करवा दी जावेगी ?

(ख) क्या इस 32 मील लम्बी सडक को पूरी डामर की बनाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(ग) अगर पहले सेंक्शन हो चुकी हो तो इस सडक को पूरी डामर की अभी तक क्यों नहीं बनवाया गया है ?

**उत्तर**

(1) जाडन से मारवाड तक 12 मील डामर कर दिए हैं। बाकी 20 मील चतुर्थ योजना में विचाराधीन है।

(श्री सा. निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं सिर्फ 12 मील की मंजूरी थी जो पूरी हो गई है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

### बाड़मेर जिले के आयुर्वेदिक औषधालय

246. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आयुर्वेद औषधालयों की जिले वार संख्या क्या है? गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बाडमेर जिले में जो औषधालय हैं उनमें कौन कौन से औषधालय किन किन श्रेणी के हैं-मय नामावली सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) बाडमेर नगर का आयुर्वेदिक औषधालय किस श्रेणी का है?

(4) उस औषधालय को अपग्रेड करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

**उत्तर**

(1) आयुर्वेदिक औषधालयों की जिले वार ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2) बाडमेर जिला में जो 47 औषधालय हैं उनकी सूची श्रेणी अनुसार संलग्न है।

(3) बाडमेर नगर का आयुर्वेदिक औषधालय "स" श्रेणी का है।

(4) इस वर्ष प्रावधान की कमी के कारण अपग्रेड के सम्बन्ध में कदम उठाना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

### असिस्टेन्ट इंजीनियर का कार्य क्षेत्र

247. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) असिस्टेन्ट इन्जीनियर आर. एस. ई. बी. बून्दी का कार्य क्षेत्र किन किन तहसीलों तक फैला हुआ है? कृपया तहसील वार इलैक्ट्रीफाइड गावों तथा परमानेन्ट व टेम्पेरेरी कनेक्शन्स की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) सांगोद तहसील में कितने गांव इलैक्ट्रीफाइड हैं और उनका विभागीय मैनेजमेंट कहां से होता है? क्या बोर्ड सांगोद व दूसरी दूर की तहसीलों का बून्दी से नियन्त्रण व्यवहारिक समझता है? यदि नहीं, तो क्या असिस्टेन्ट इन्जीनियर का हैड क्वार्टर बारां या सांगोद में स्थापित करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि बारां से छबडा तक 11 के. वी. लाइन बिछाई जा रही है? यदि हां, तो इसका रूट क्या होगा? इस लाइन पर कितना खर्चा लगेगा व इसके रास्ते में आने वाले कौन कौन से गांवों का विद्युतिकरण किया जावेगा?

(4) सांगोद, रामगंज मंडी, बारां तहसीलों में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें से लाइन के गुजरते हुए भी सूची में नहीं होने के कारण बिजली नहीं दी जा रही है? कृपया गांवों के नाम बताने का कष्ट करें।

# Page No. 39



(श्री विद्युत् मंत्री)

उत्तर

(1) वर्तमान स्थिति के अनुसार सहायक अभियन्ता विद्युत मन्डल का कार्य क्षेत्र बून्दी, नेनवा, केशवराय पाटन, देवली जहाजपुर, मांगरोल, बांरा, छबडा, छीपा बडोद सांगोद, खानपुर एवं हिन्डोली तहसीलों में फैला हुआ है।

सूची सदन की मेज पर रखवादी गई है।

(2) सांगोद तहसील में 16 गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है। उनमें से 14 ग्रामों का विभागीय मैनेजमेन्ट कनिष्ठ अभियन्ता सांगोद से होता है। ग्राम मांगरोल का मेनेजमेन्ट झालावाड और बीड मन्डी का भवानी मंडी के कनिष्ठ अभियन्ता के यहां से होता है।

(3) सब बातों पर विचार करके विद्युत् मन्डल बांरा में एक अलग सहायक अभियन्ता का हैडक्वार्टर स्थापित करने का निर्णय ले चुका है जो शीघ्र ही कार्यान्वित हो जायेगा। जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) इस प्रकार के केवल 9 ग्राम हैं जिनकी नाम वाइज सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

**टोंक शहर व निवाई कस्बे में बिजली बन्द हने तथा वोलटेज तेज होने से नुकसान**

248. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:—

(1) टोंक शहर व निवाई कस्बे में जनवरी व फरवरी 68 में किस किस समय कितने कितने समय के लिये बिजली बन्द रही और क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि इन दो महीनों में कई बार बिजली दो दो दिन रात नहीं आई जिससे कारखाने व चक्कियां बन्द रहीं ?

(3) क्या यह भी सच है कि इन दो माह में कई बार इतना तेज पावर आया कि कंजूमरों की सारी टयूब लाइट्स व बल्ब फ्यूज होगये जिससे नगरपालिकाओं और जनता का हजारों रुपयों का नुकसान हो गया? यदि हां, तो ज्यादा पावर कितनी बार कितना आया और क्यों? क्या सरकार ने इसके आंकडे इकट्ठे किए हैं कि जनता का कितना नुकसान हुआ और किसकी गलती से?

(4) क्या यह भी सच है कि टोंक के अस्पताल में कई बार बिजली की कमी के कारण आपरेशन, एक्सरे आदि समय पर नहीं हो सके? यदि हां, तो क्या सरकार इन सारे मामलों की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दण्ड देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है जनवरी में 41 घन्टे ५२ मिनिट, तथा फरवरी में केवल 3 घन्टे 7 मिनिट की अवधि के लिए बिजली पूरे माह में बन्द रही है।

(2) केवल दिनांक 20-1-68 को 9.35 प्रातः से दिनांक 21-1-68 के दो बज कर 35 मिनिट अपराह्न तक का समय ऐसा है कि

(श्री विद्युत् मंत्री)

जब कि सवाई माधोपुर टोंक लाइन में फाल्ट हो जाने से 29130 घंटे के लिए बिजली बंद रही।

(3) जी नहीं प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) इस विभाग को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**गुढा गोडजी में सिंचाई के लिए बिजली**

249. श्री शिवनाथ सिंह (गुढा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गुढा गोडजी ग्राम में कुल कितनी दरख्वास्तें बिजली का कनेक्शन सिंचाई हेतु लेने के लिए पेंडिंग हैं तथा कितने अर्से से पेंडिंग पड़ी हैं?

(2) अब तक गुढा में कितने कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा उनको दरख्वास्त देने के कितने अर्से के अन्दर अन्दर कनेक्शन दे दिया गया था? कृपया प्रत्येक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) 16 दरख्वास्तें करीब ढाई साल से।

(2) 13 कनेक्शन दिये गये हैं सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

**क्रय विक्रय सहकारी समिति निम्बाहेडा**

250. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निम्बाहेडा में क्रय विक्रय सहकारी समिति की स्थापना कब हुई?

(2) उक्त समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी है?

(3) समिति की हिस्सा पूंजी कितनी है तथा राज्य की ओर से कितना धन लगाया गया है?

(4) समिति ने 1962 से दिसम्बर, 1967 तक कुल कितना बिजिनेस किया और उसमें लाभ और हानि कितनी रही?

(5) अगर लाभ हुआ तो क्या सदस्यों में उसका वितरण हुआ? यदि नहीं, तो क्यों और हुआ तो कितना?

(6) समिति का आडिट कौन कौन से वर्षों में हुआ? आडिट रिपोर्ट्स अगर हों, तो सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) समिति का अब तक कितनी बार चुनाव हुआ तथा उसकी स्थापना से अब तक उसके कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, पदाधिकारियों सहित नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अगर चुनाव नहीं हुए हैं तो सरकार ने आज तक चुनाव क्यों नहीं कराये?

**उत्तर**

(1) निम्बाहेडा क्रय विक्रय सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन 13-7-62 को हुआ।

(2) उक्त समिति की कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 153 हैं।

(श्री सहकारी मंत्री)

(3) समिति की कुल हिस्सा पूंजी 20,250) रु० है। राज्य सरकार की ओर से समिति ने निम्न मदों में धन लगाया है, वह इस प्रकार है:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | राजकीय हिस्सा पूंजी अंशदान .. .. .. | 9,000) रु. |
| 2. | गोदाम ऋण .. .. .. | 18,750) रु. |
| 3. | ग्रामीण गोदाम ऋण .. .. .. | 7,500) रु. |
| 4. | मागरोल गोदाम ऋण .. .. .. | 9,375) रु. |
| 5. | अनुदान गोदामों हेतु .. .. .. | 11,875) रु. |
| 6. | व्यवस्थापकीय अनुदान .. .. .. | 4,875) रु. |
| | कुल | 61,375) रु. |

(4) समिति ने 1962 से दिसम्बर 67 तक जो व्योपार किया एवं समिति में जो लाभ-हानि रही वह निम्न प्रकार है:—

| वर्ष | समिति द्वारा जो व्योपार किया गया | वर्ष में समिति में रहा लाभ या हानि |
|---|---|---|
| 62-63 | इस सहकारी वर्ष में कोई कार्य नहीं किया। | शून्य |
| 63-64 | 1,60,065.06 .. .. .. | +4,154.41 लाभ |
| 64-65 | 2,48,956.37 .. .. .. | +551.52 लाभ |
| 65-66 | ?,12,183.14 .. .. .. | +5551.88 लाभ |
| 66-67 | 7,67,332.42 .. .. .. | +16,682.64 लाभ |
| 67-68 (31 दिसम्बर 67 तक) | 3,09,090.28 .. .. .. | +2346.27 लाभ |

(5) समिति में जो लाभ हुआ उसका वितरण सदस्यों को नहीं किया गया क्योंकि समिति ने लाभ की राशि को अपने व्यवसाय में उपयोग कर लिया। लाभ राशि को समिति ने इस कारण व्यवसाय में उपयोग किया ताकि बाजार से अधिक ब्याज पर राशि लेकर अनावश्यक ब्याज देकर हानि न उठानी पडे।

(6) समिति का ऑडिट सहकारी वर्ष 62-63, 63-64, 64-65 एवं 65-66 की अवधि का किया जा चुका है इन सहकारी वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है। वर्ष 66-67 का ऑडिट चालू है।

(श्री सहकारी मंत्री)

(7) समिति में अब तक 6 बार चुनाव हुए हैं। समिति की स्थापना से अब तक श्री चुन्नी भाई पटेल एवं श्रीनिवास शारदा अध्यक्ष रहे, स्थापना से अब तक निम्न पदाधिकारी रहे :—

| क्रम संख्या | दिनांक प्रबन्ध कारिणी सदस्यों के चुनाव को | नाम व्यक्ति जो निर्वाचित हुआ | पद जिस पर नियोजित हुए |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 25-6-65 | (1) श्री चुन्नी भाई पटेल | अध्यक्ष मंत्री |
| | | (2) श्री किशन लाल घूत | मंत्री |
| | | (3) श्री जोधसिंह नाहर | कोषाध्यक्ष |
| | | (4) श्री नाथू लाल | सदस्य |
| | | (5) श्री मूलचन्द | " |
| | | (6) श्री भैरूलाल | " |
| | | (7) श्री रोशन लाल | " |
| | | (8) श्री चुन्नी लाल | " |
| 2. | 10-[illegible]-64 | (1) श्री चुन्नी भाई पटेल | अध्यक्ष |
| | | ( ) श्री किशनलाल घूत | सदस्य |
| | | ( ) श्री भैरूलाल | " |
| | | (4) श्री डूंगर सिंह | " |
| | | (5) श्री मेघराज | " |
| | | (6) श्री लादू लाल | " |
| | | (7) श्री रतनलाल | " |
| | | (8) श्री चम्पालाल | " |
| 3. | 27-10-64 | (1) श्री श्रीनिवास शारदा | अध्यक्ष |
| | | ( ) श्री किशन लाल घूत | सदस्य |
| | | ( ) श्री जादू लाल | " |
| | | (4) श्री लादूलाल | " |
| | | (5) श्री प्रभुलाल | " |
| | | ( ) श्री भैरूलाल | " |
| | | (7) श्री डूंगर सिंह | " |
| | | (8) श्री चम्पालाल | " |

# Page No. 43



(श्री सहकारी मंत्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | 14-11-65 | (1) श्री श्री निवास शारदा | अध्यक्ष |
| | | (2) श्री चुन्नीभाई पटेल | सदस्य |
| | | (3) श्री जसुलाल सुराना | " |
| | | ( ) श्री लादूलाल लोढा | " |
| | | ( ) श्री मीठालाल कोठारी | " |
| | | ( ) श्री प्रभुलाल | " |
| | | ( ) श्री मै लाल | |
| | | (8) श्री चम्पालाल | |
| 5. | 14-11-65 | (1) श्री श्री निवास शारदा | अध्यक्ष |
| | | (2) श्री चुन्नी ाई पटेल | सदस्य |
| | | (3) श्री जसुलाल सुराणा | " |
| | | (4) श्री लादूलाल लोढा | " |
| | | ( ) श्री मीठालाल कोठारी | " |
| | | ( ) श्री प्रभुलाल | " |
| | | (7) श्री पृथ्वी राज | " |
| | | (8) श्री चम्पालाल | " |
| 6. | 7-1-68 | (1) श्री चुन्नी भाई पटेल | अध्यक्ष |
| | | (2) श्री जसूलाल सुराणा | सदस्य |
| | | ( ) श्री लादूलाल | " |
| | | (4) श्री मीठालाल | " |
| | | (5) श्री प्रभुलाल | " |
| | | ( ) श्री पृथ्वीराज | " |
| | | (7) श्री चम्पालाल | " |
| | | (8) श्री श्री निवास शारदा | " |

समिति में प्रति वर्ष चुनाव होते रहे हैं और अन्तिम बार चुनाव दिनांक -1-68 को हुए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

**केन्द्रीय सहकारी बैंक, नागौर द्वारा डीडवाना में बैंक भवन निर्माण के लिए ऋण**

२५१. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि नागौर के केन्द्रीय सहकारी बैंक ने डीडवाना में बैंक की ब्रांच के लिए कोई भवन बनाने हेतु ऋण दिया है ? यदि हां, तो कब किस व्यक्ति

(श्री हरजीराम बुरडक)

को और भवन किस जमीन पर कब बना तथा डीडवाना में बैंक की ब्रांच खोलने की मंजूरी राज्य सरकार से या रिजर्व बैंक से कब प्राप्त हुई ?

(2) उपरोक्त बैंक की नागौर जिले में कहां कहां पर कब कब से शाखाएं हैं और उनके लिए बैंक ने कब कब भवन बनाये और उनकी मंजूरी राज्य सरकार या रिजर्व बैंक से कब कब प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) केन्द्रीय बैंक को अपनी शाखा खोलने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होती है ?

(4) बोर्ड की जिस मीटिंग में उपरोक्त ऋण की स्वीकृति दी गई थी उसमें सरकारी प्रतिनिधियों ने क्या राय दी थी ? उक्त प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। यह ऋण श्री रामचन्द पुत्र श्री बीन्जा राम को दिनांक 11-6-68 को दिया गया। भवन माह जून 68 में श्री रामचन्द की जमीन पर बना है। ब्रान्च खोलने की स्वीकृति कहीं से प्राप्त नहीं की गई है।

(2) बैंक की शाखायें लाडनूं, मेडता, मकराना व डीडवाना में क्रमशः 14 जुलाई 1964, 2 जुलाई 62 व 1 जुलाई 1960 तथा 9 अगस्त 68 से हैं। इन ब्रान्चों की स्वीकृति रजिस्ट्रार से क्रमशः 24-7-64, 19-9-62 व 4-4-60 से प्राप्त की गई है। डीडवाना ब्रान्च की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। इन ब्रान्चों के लिये कोई भवन नहीं बनाये गये, किन्तु डीडवाना ब्रान्च के लिये भवन प्राप्त करने हेतु ऋण श्री रामचन्द को देकर भवन किराये पर लिया गया है। अतः मंजूरी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) बैंक की अपनी शाखायें खोलने के लिये सर्व प्रथम उस स्थान का सर्वे करवाना पड़ता है जिसके लिये रिजर्व बैंक द्वारा प्रोफार्मा निर्धारित है। सर्वे के पश्चात् संचालक मण्डल आवश्यकता के आधार पर शाखा खोलने का निर्णय प्रस्ताव द्वारा लेता है। सर्वे एवं प्रस्ताव सहायक रजिस्ट्रार व उप-रजिस्ट्रार की सिफारिश से रजिस्ट्रार सहकारी समितियां की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तथा रजिस्ट्रार से स्वीकृति प्राप्त की जाती है।

(4) ऋण स्वीकृति में सरकारी प्रतिनिधियों की भी सहमति रही। प्रस्ताव की प्रति संलग्न है।

(परिशिष्ट 'अ' पर)

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

**सहकारी बाजार जोधपुर के भूतपूर्व अध्यक्ष**

257. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जोधपुर शहर के सहकारी बाजार के भूतपूर्व अध्यक्ष कौन थे व उनको हटाने के क्या कारण थे ?

उत्तर

जोधपुर शहर के सहकारी बाजार के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री काशीनाथ जोशी थे।

(श्री सहकारी मंत्री)
उनके द्वारा अनियमिततायें बरतने के कारण दोषी माना जाकर विभागीय आदेश दिनांक 22-1-68 द्वारा अध्यक्ष पद से पदच्युत किया गया था। श्री जोशी के हटने के पश्चात् श्री लक्ष्मण राज कल्ला अध्यक्ष पद पर रहे। परन्तु श्री कल्ला ने स्वयं की इच्छा से अध्यक्ष पद से स्तीफा दे दिया था, और सहकारी बाजार के संचालक मण्डल ने अपनी बैठक दिनांक 20-7-68 में श्री परसराम कल्ला को अध्यक्ष चुना, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं।

**संयुक्त कृषि सहकारी समिति ग्राम ठाकुरवास**

253. **श्री फूलचन्द बापना** (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पाली जिले की जैतारण तहसील के ग्राम ठाकुरवास में कोई संयुक्त कृषि सहकारी समिति हैं ? यदि हां, तो उसे केन्द्रीय सहकारी बैंक से कब कब कितना कितना ऋण किस किस प्रकार किस कारण दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपर्युक्त समिति द्वारा पूल में की गई भूमि समिति से निकाल दी गई है जब कि बैंक का ऋण अभी तक बकाया ही है ? यदि हां, तो बैंक की रकम वसूली हेतु क्या प्रयत्न किये गये और समिति को अवसायन में क्यों नहीं लिया गया ?

**उत्तर**

(1) जी हां, उसे केन्द्रीय सहकारी बैंक, पाली से कब कब कितना कितना ऋण किस किस प्रकार से व किस कारण से दिया गया है परिशिष्ठ (अ) पर संलग्न है।

(2) जी नहीं, अतः समिति को अवसायन में लाने का प्रश्न ही नहीं उठता ?

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

**पशुओं की नस्ल सुधारने पर व्यय**

254. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाडमेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए कितनी राशि किस किस मद में आज तक खर्च की गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) पशुपालन विभाग द्वारा पशु नस्ल सुधार हेतु किये गये व्यय की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

**ट्रेक्टरों की खरीद के लिए ऋण**

255. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ट्रेक्टरों की खरीद के लिए कृषि विभाग से कृषकों को ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किन किन काश्तकारों को कितना कितना ऋण कब कब दिया गया तथा उनके पास कितनी कितनी भूमि थी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरडक)

(2) क्या यह भी सही है कि ऋण देते समय यह शर्त भी की जाती है कि ऋण लेने के बाद अमुक समय तक ट्रेक्टर खरीदना होगा ? यदि हां, तो यह समय कितना है और जिन लोगों ने ऋण लिया है उन्होंने ऋण लेने के बाद कब कब ट्रेक्टर खरीदे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या यह भी सही है कि ट्रेक्टर का लोन इसलिए दिया जाता है कि जो भूमि बन्जर है उसे सुधार कर कृषि योग्य बनाई जावे ? यदि हां, तो इन ट्रेक्टर लोन लेने वालों के पास कितने कितने बीघा भूमि बन्जर थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) भूमि बन्जर मानने का क्या आधार माना गया और कितने साल से पडत बिला काश्त भूमि रहने से बन्जर मानी जाती है ?

(5) यह ऋण कितनी किश्तों में वापिस वसूल करना है तथा किस किस से कितनी कितनी वसूली हो चुकी है और कितनी कितनी बाकी है और किस से अब तक कोई वसूली नहीं हुई है ?

(6) उपरोक्त ऋण वितरण के लिए प्रार्थना-पत्र किस प्रकार मांगे जाते हैं तथा उनकी स्वीकृति किस आधार पर की जाती है ?

उत्तर

(1) ट्रेक्टरों को खरीदने के लिए कृषि विभाग द्वारा पहले ऋण दिया जाता था जो 67-68 से बन्द कर दिया गया है। 65-66 व 66-67 में जिन जिन काश्तकारों को ऋण इस विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था उसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखदी गयी है।

(2) जी हां। ऋण की भुगतान की दिनांक से तीन माह के अन्दर ट्रेक्टर खरीदना आवश्यक था। किन किन काश्तकारों ने ट्रेक्टर खरीदे, यह सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) ट्रेक्टर ऋण आधुनिक तरीकों से खेती करने के लिए दिया जाता है, उसमें भूमि चाहे बन्जर हो या काश्तशुदा हो। इसलिए कितनी बंजर भूमि सुधार कर कृषि योग्य बनाई गयी, ये आंकडे तैयार नहीं किए जाते।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्यों कि ऋण बंजर भूमि के आधार पर नहीं दिया जाता है।

(5) यह ऋण 8 साल में 16 किश्तों में अदा करना पडता है। वसूली तथा बकाया का अभिलेख तहसीलदार अथवा जिलाधीश के पास रहता है। व्यक्तिगत वसूली के खाते इस विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

(6) प्रार्थना-पत्र संबंधित तहसीलदार, विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी एवं जिलाधीश के द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त किए जाते थे। जिलाधीश की सिफारिश पर विचार करके स्वीकृति दी जाती थी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**केशवराय पाटन की कृषि मण्डी के गांव**

257. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन सु.): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन जिला बून्दी में पाटन-बूंदी रोड ईश्वर नगर, खाइता, लवांन, कापरेन कृषि मण्डी में आते हैं?

यदि हां, तो कितनी कितनी जमीन व कौन कौन से खसरा नम्बर आते हैं? प्रत्येक गांववार खसरा नम्बरों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(दिनांक 17-2-68 के लिये स्थगित किया गया)

**नये कुएं खोदने के लिए राय**

267. **श्री जयनारायण सलोदिया** (निवाई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था है कि किसानों द्वारा खोदे जाने वाले नये कुओं के सम्बन्ध में यह राय दे सके कि कौन सी जगह अच्छा पानी है? यदि हां, तो क्या और आज तक कितने मामलों में राय दी गई? यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो क्यों?

**उत्तर**

(1) हां, राजस्थान सरकार के भू-जल मण्डल में यह व्यवस्था है। जो भी किसान पानी की उपलब्धि के विषय में कोई भी राय पूछते हैं, उनको राय देने की व्यवस्था की जाती है। अब तक जिन जिन किसानों ने इस विभाग से राय मांगी है उनको समय समय पर राय दी गई है।

**स्थगित प्रश्न**

(29-8-68)

**बिना इजाजत तामीरें**

70. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, जयपुर के पास कई मुकदमे बिना इजाजत तामीरें बनाने के अनिर्णीत पडे हैं? यदि हां, तो कौन कौन से मुकदमें कब कब से अनिर्णीत पडे हैं व किन किन कारणों से? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनका फैसला हो चुका लेकिन उन फैसलों की तामीलें अभी तक नहीं हुई हैं? यदि हां, तो कौन कौन से मुकदमों में कब कब फैसला हुआ तथा क्या क्या फैसला हुआ और उनको तामीलें किन किन कारणों से नहीं हुई? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

1. जी हां, दिनांक 31-8-68 तक 7,819 मामले परिषद के विचाराधीन हैं 5,822 मामले अदालतों में चल रहे हैं व 2,254 मामले नगर विकास न्यास को उनका क्षेत्र होने से भेजे गये हैं।

इतनी कम अवधि में अन्य सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

2. जी हां, ऐसे मामले 337 हैं इतनी कम अवधि में अन्य सूचना दिया जाना सम्भव नहीं।

स्थगित प्रश्न

(29–8–68)

**साद .ी जिला पा .ी के निवासियों से बिजली के मीटर के पैसे**

78. श्री फूलचन्द बापना (सुमेरपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सादडी (जिला पाली) के निवासी श्री दानमल नथमल एवं श्री कुन्दनमल बागमल सोनी ने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, राजस्थान विद्युत् बोर्ड, फालना (जिला पाली) के यहां अपने अपने निवास स्थानों में मीटर लगाने हेतु मीटर के पैसे नियमानुसार बहुत समय पहले जमा करवा दिये थे? यदि हां, तो इन्होंने किस किस तारीख को कितने कितने रुपये मीटर के जमा करवाये थे? क्या इन दोनों नागरिकों के कंज़ूमर नं. क्रमश: 2–1–240 एवं 2–2–159 हैं?

( ) क्या यह सही है कि उक्त दोनों निवासियों के नाम पर मीटर इश्यू हुए परन्तु वे ही मीटर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर राजस्थान विद्युत् बोर्ड फालना (जिला पाली) ने कहीं अन्यत्र लगवा दिये? यदि हां, तो ये दोनों मीटर कहां कहां लगाये गये हैं और ऐसा क्यों किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने घरों में बिजली के फिटिंग करवा लिये और सारी नियमित कार्यवाही भी कर दी, फिर भी इन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं दिये गये आज तक भी?

(4) क्या यह सही है कि मीटर और बिजली नहीं दिये जाने के उपरान्त भी उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम बिजली के बिल कई महीनों से लगातार आते रहे हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है? और क्या इन बिलों का भुगतान करना होगा?

(दिनांक 12–9–68 के लिये स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(29-8-68)

**बोरों की खरीद**

86. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या भेड व ऊन विभाग मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर सन् 1965 में भेड व ऊन विभाग के बोरों की खरीद के लिये टेन्डर मांगे गये थे? यदि हां, तो किन किन के टेन्डर कितनी कितनी रेट के आये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त बोरों की किस किस फर्म से कब कब खरीद की तथा उनको कब कब सप्लाई किया गया तथा किस किस नाम से कब कब कितना कितना पैमेन्ट हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उपरोक्त बोरों की खरीद के बाबत कोई शिकायत राज्य सरकार के ध्यान में आई? यदि हां, तो कब और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई?

**उत्तर**

(1) यह सही है कि दिसम्बर, 1965 में ऊन वर्गीकरण केन्द्रों पर ऊन भरने

# Page No. 49



(भेड़ व ऊन विभाग मंत्री) के लिए खाली ऊन के बोरे खरीदने के लिए टेन्डर मांगे गये थे। जिनकी सूची संलग्न की जा रही है।

(2) सर्व प्रथम मैसर्स सुप्रीम आइरन स्टील वर्क्स जयपुर को 3,000 हजार बोरों का सप्लाई का आदेश दिया गया। परन्तु इस फर्म ने आदेश के अनुसार ठीक समय पर माल सप्लाई नहीं किया, क्योंकि वर्गीकरण केन्द्रों पर बोरे नहीं थे और वर्गीकृत ऊन के खराब होने का डर था, अतः दूसरा आदेश मैसर्स वन्शीधर बदरी नारायण, जयपुर को जो कि सुप्रीम आइरन स्टील वर्क्स जयपुर के द्वारा दी गई दर पर देने को तैयार था और यह कहा था कि हम नियत समय पर माल सप्लाई कर देंगे। उतने ही बोरों का माल सप्लाई कर देगें। उतने ही बोरों का माल सप्लाई करने हेतु दिया गया था। कुल बोरे 3,000 इन फर्मों के द्वारा माल सप्लाई करने का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इन बोरों की खरीद के सम्बन्ध में केवल एक शिकायत राज्य सरकार को दी गई पाई गई है। जिसमें यह जाहिर किया गया है कि उनकी रेट निम्न है, फिर उन्हें सप्लाई करने का आदेश क्यों नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में यह लिखा जाता है कि इस फर्म के द्वारा दिया गया नमूना स्टेन्डर्ड के मुताबिक नहीं था। इसलिए उनको आदेश नहीं दिया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## स्थगित प्रश्न

(29-8-68)

### भू-संरक्षण कार्य के लिये ऋण एवं अनुदान

89. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में भूमि संरक्षण का कार्य कब शुरू किया गया और अब तक इस कार्य के लिए कितना ऋण व अनुदान दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त कार्य के लिये ऋण व अनुदान देने के संबंध में कोई नियम बने हुये हों तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) ऋण और अनुदान देने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उक्त ऋण व अनुदान स्वीकार करने का अधिकार किस अधिकारी को किस नियम के अनुसार है तथा इनमें जो ऋण है उसको किस प्रकार वसूल किया जाता है?

**उत्तर**

(1) सन् 1957-58 से कार्य प्रारम्भ हुआ। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समितियों द्वारा जिन नियमों के अन्तर्गत ऋण आदि दिया जाता है वे सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। विभागीय कार्यों के नियम विचाराधीन हैं।

(3) ऋण व अनुदान देने से पूर्व प्लान व एस्टीमेट जिला भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा बनाए जाते हैं तथा उसी आधार पर ऋण व अनुदान राज्य भू-संरक्षण अधिकारी की सिफारिश पर निदेशक कृषि विभाग द्वारा

(श्री कृषि मंत्री

स्वीकृत किये जाते हैं। ऋण की वसूली जिलाधीशों द्वारा की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**स्थगित प्रश्न**

(29-8-68)

**जयपुर जिले की भवन निर्माण सहकारी समितियां**

91. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में कोई भवन निर्माण सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ? यदि हां, तो कौन कौनसी भवन निर्माण सहकारी समितियों का कब कब निर्माण हुआ और उसमें कौन कौन सदस्य बने तथा सदस्यों ने कितने कितने मूल्य के हिस्से खरीदे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त भवन निर्माण सहकारी समितियों को कितनी कितनी जमीनें कब कब मिली और उन समितियों ने अपने किन किन सदस्यों को कितनी कितनी जमीनें कब कब वितरित कीं तथा सदस्यों ने कब कब उक्त जमीनों में भवन बनाये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त समितियों के पास जो हिस्सा राशि एकत्रित हुई थी उसको किस किस कार्य में लगाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(दिनांक 12-9-68 के लिए स्थगित किया गया)

(12.05 म. प.)

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर उनके सम्बन्ध में निर्णय लिए जाकर माननीय सदस्यों को सूचित किया जायेगा :—

(1) दिनांक 31-8-68 को आदर्श-नगर पुलिस चौकी के पास कतिपय व्यक्तियों को पकडने तथा उनके साथ मारपीट करने आदि के संबंध में श्री रामकिशन व श्री नत्थीसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) कोटा जिले में पानी की कमी व सरकार की आर्थिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए 'देहों' की लिफ्ट योजनाओं को बिजली से जोडने के बारे में श्री जुझारसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) दिनांक 7 अगस्त, 1968 को ग्राम साईसर पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर की एक हरिजन महिला को कुछ व्यक्तियों द्वारा कत्ल कर कुए में डाल देने के बारे में श्री चुन्नीलाल इन्दलिया द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(4) ग्राम सूरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर के वाटर सप्लाई विभाग द्वारा चलाए जा रहे कुओं से हरिजनों व किसानों को पानी न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री चुन्नीलाल इंदलिया द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(5) दिनांक 2-9-68 से नेहरू मेमोरियल डिग्री कालेज हनुमानगढ टाउन के छात्रों की हडताल तथा पुलिस द्वारा छात्रों पर किए गए लाठी चार्ज के बारे में श्री केदारनाथ व श्री चुन्नीलाल इन्दलिया द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(श्री उपाध्यक्ष)

(6) दिनांक 2-9-68 को मध्य रात्रि के समय थोई के थानेदार एवं हैड कान्सटेबल द्वारा शराब पीकर कांवट गांव में मारपीट एवं अशोभनीय कार्यवाही करने तथा वहां के प्रतिष्ठित कुछ व्यक्तियों को हथकडी डालकर गिरफ्तार करने के बारे में श्री देवीदत्त गाडिया द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि श्री श्रवणलाल व श्री केशरीसिंह हाडा, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें सवाई मानसिंह हास्पिटल के अन्दर मरीजों को दवाई न मिलने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

इसके अतिरिक्त एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री चुन्नीलाल इंदलिया व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि दिनांक 3-9-68 को गांव बडोपल तहसील सूरतगढ में नाली की धार में नाव उलटने से 10 व्यक्तियों की मृत्यु होगई किन्तु राज्य सरकार इस संबंध में कोई व्यवस्था न की जाने से जनता में असन्तोष फैला हुआ है।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाये। अत: इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

**श्री देवीदत्त गाडिया:** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा ....

**श्री उपाध्यक्ष** : स्थगन प्रस्ताव के बारे में यह व्यवस्था दे दी गई है कि सूचना प्राप्त की जा रही है, फिर यह भाषण कैसा ?

**श्री देवीदत्त गाडिया:** मैं बड़े विनम्र शब्दों में एक मिनिट ...

**श्री उपाध्यक्ष** : जो कुछ आपकी शिकायत थी वह आपने लिख कर भेज दी, उस पर सूचना मंगवाई गई है। इसलिए भाषण की आवश्यकता नहीं है ...

**श्री देवीदत्त गाडिया** : थोई के गांव ...

**श्री उपाध्यक्ष:** अपना नियम ऐसा है कि एक दफा किसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं तो दुबारा वह विषय सदन में आता नहीं है, इसलिये इस सम्बन्ध में अभी चर्चा न करें और जिस समय यह आये तब कह दें।

**श्री देवीदत्त गाडिया:** मैं निवेदन करता हूं कि आदमियों को गिरफ्तार करके पुलिस का पहरा डाल दिया। पुलिस के डर से सारा गांव खाली हो गया है, वहां पर आतंक छाया हुआ है। उनको हथकड़ियां डाल कर थानेदार थाने में ले गया और वहां उनके साथ मार पीट की और उनकी इज्जत ले ली।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें। यह बाद में कह दें।

याचिकाओं का उपस्थापन। श्री दिग्विजय सिंह।

**याचिका का उपस्थापन**

**श्री दिग्विजय सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय मैं जिला टोंक के अधिकतर कर्मचारियों को उनके स्वयं के ही क्षेत्र में रखने से व्याप्त

(श्री दिग्विजयसिंह)

भ्रष्टाचार से सम्बन्धित दो याचिका देने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

## कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

**श्री उपाध्यक्ष:** प्रतिवेदन का उपस्थापन श्री दामोदर लाल व्यास । सलाहकार समिति का ।

**श्री दामोदर लाल व्यास** (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 14 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

**श्री उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि सहमति प्रकट की जाय ।

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई ।

## मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

महाराजा कालेज के छात्रों की हड़ताल पर शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य । क्षमा कीजिये । पहले कृषि मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे कृषि कालेज के सम्बन्ध में ।

**श्री रामकिशन** (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन में यह तय हुआ था उसके अनुसार पंचायत समितियों के अध्यापकों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देना था । अखबारों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उनसे यह साफ होता है कि मुख्य मंत्री और अध्यापकों के बीच में बातचीत हो चुकी है । हम जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में कब बयान आ रहा है ।

**श्री उपाध्यक्ष:** सूचना लेकर आपको थोड़ी देर के बाद दे दूंगा ।

कृषि मंत्री जी ।

## शासकीय वक्तव्य

**श्री शोभा राम** (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, उदयपुर, जोबनेर और सांगरिया कालेज के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों की तरफ से कुछ मांगें हमारे सामने प्रस्तुत की गई थीं और उन मांगों का आधार था, जो पे स्केल्स का रिवीजन हुआ, और राणावत कमीशन ने जो पे स्केल्स, वेतन शृंखलायें तय कीं और उन पर कैबिनेट ने जो निर्णय लिया इस बारे में उन्होंने तीन चार बातें मुख्यतया कही थीं । सबसे पहली बात तो यह थी कि रिसर्च असिस्टेन्ट की जो वेतन शृंखला मंजूर की और सबोर्डिनेट सर्विस जो एग्रीकल्चर विभाग की थी उन दोनों की वेतन शृंखलाओं को लेकर उन्होंने यह बताया कि वेतन शृंखलाएं इस वक्त तय की गई हैं वह उनके लिहाज से कम हैं । इसके अलावा एक मांग और उन्होंने की कि एम. एससी. एग्रीकल्चर को प्योर साइंस के मुकाबले में प्राथमिकता दी जाय इसका आधार यह था कि सन् 66 के अन्दर रिसर्च असिस्टेन्ट के लिए जो कमीशन ने रिपोर्ट पेश की थी उसमें एक पैरा डाला गया था कि एम. एससी. एग्री-

# Page No. 53



(श्री शोभाराम)

कल्चर के लिए जहां 285 रुपये के हायर स्टार्ट से वेतन दिया गया था वहां एम. एससी. जो प्योर साइंस के थे फर्स्ट डिवीजन, सैकिंड डिवीजन को 21 का हायर स्टार्ट देकर वेतन श्रृंखला में स्थान दिया गया। एक दूसरी डिमान्ड यह थी कि एग्रीकल्चर एम. एससी. को प्राथमिकता मिलनी चाहिए बमुकाबले प्योर साइंस के जो केमिस्ट्री और साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल करते हैं। तीसरी उनकी डिमाण्ड जमीन के एलॉटमेंट के सम्बन्ध में थी जैसे कि पहले भी इस सत्र में और पहले भी जिस समय सत्र में यह प्रश्न उठा था तो यह नीति घोषित कर दी गई थी कि बी. एससी. एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हों और जो जमीन पर बैठना चाहते हैं, उनके प्रार्थना-पत्र लेकर उनको जमीन पर बैठाने का कार्यक्रम चालू रखना चाहिए। इसके अलावा एक दो छोटी मोटी मांगे और थीं। इस सम्बन्ध में वह मुख्यमंत्री जी से मिले और मुझ से भी मिले और कल भी जब उनका जुलूस यहां समाप्त हुआ तो उनके लीडर्स और प्रतिनिधि हमसे मिले। हमने उनको बतलाया कि जहां रिसर्च असिस्टेन्ट का सवाल है, यह मामला है कि प्योर साइंस के मुकाबले में एम. एससी. एग्रीकल्चर को कितनी प्राथमिकता दी जाय और जो वेतन श्रृंखला हैं उसमें किसी प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं-इसका पहले डिपार्टमेंट परीक्षण करेगा, इसको एग्जामिन करेगा, क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम हमारे विभाग की जो ओरिजिनेटिंग स्केल पहले थी उसको किसी केडर में वेतन श्रृंखला के रूप में दिखा नहीं देते हैं तब तक वह मेन्टेन नहीं हो पाता है कि इसका दूसरे विभाग में असर होने की आशंका है। हमने कहा कि प्योर साइंस और एम. एससी. एग्रीकल्चर के बीच में प्रायोरिटी देने की एग्रीकल्चर स्टूडेंट की मांग है इस पर जो हमारे डाइरेक्टर एग्रीकल्चर हैं उनकी रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें एम. एससी. एग्रीकल्चर की ज्यादा विशेषता रखी गई है या रखी जा सकती है कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें एम. एससी. एग्रीकल्चर की ज्यादा आवश्यकता है उसकी क्वालिफिकेशन की दृष्टि से और क्या उस पर प्योर साइंस के एम. एससी. को भी ले सकते हैं। हमने इसके लिए उनसे कहा था कि हम जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट की तरफ से इस विषय को एग्जामिन करायेंगे लेकिन बदकिस्मती से हमारे एग्रीकल्चर डाइरेक्टर के जो बडे भाई थे गोकुल चन्द मेहता, जो हाईकोर्ट में जज थे, उनका परसों अचानक हृदय गति रुकने के कारण देहान्त हो गया। इसलिए हमारे डाइरेक्टर दस दिन के बाद में आकर अपनी ड्यूटी रिज्यूम करेंगे। खास करके रिसर्च के सब्जेक्ट में उनकी राय लेना आवश्यक है क्योंकि पहले वे रिसर्च के डाइरेक्टर रह चुके हैं। पहले सात दिन के बाद हमने कहा था, अब कहा है कि एक फोर्टनाइट के अन्दर या दो वीक के अन्दर क्योंकि दस दिन के बाद तो वह आयेंगे तो उसके बाद हम अपने विभाग की तरफ से कैबिनेट के डिसीजन के हेतु कैबिनेट के पास भेज देंगे। दो वीक्स के अन्दर वेतन श्रृंखला के बारे में एग्जामिन कर लेंगे। एक डिपार्टमेंट और दीगर प्रकार के दूसरे डिपार्टमेंट में जो 1966 में एक तरीके से जो समानता

(श्री शोभाराम)

थी, पैरिटी थी, वह कैबिनेट के डिसीजन के बाद किस तरह चेंज की गई है इसके लिए कहा कि साइंस और एग्रीकल्चर के विषय कौन कौन से पद पर इधर उधर हो सकते हैं- इसको डाइरेक्टर एग्रीकल्चर से एग्जामिन कराने के लिए हमने कहा था। डिपार्टमेन्ट इस विषय पर गौर करेगा। अब दो तीन बातें ऐसी थीं जो ज्यादा विशेष महत्व की नहीं हैं। जो विद्यार्थी हमसे मिले, हमने उनसे कहा है कि अभी सरकार इस विषय पर गौर करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि डाइरेक्टर एग्रीकल्चर के बडे भाई के देहान्त के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसमें दस रोज और डिपार्टमेन्ट के स्तर पर लेने पडेंगे। उसके बाद एक सप्ताह में विभाग, की तरफ से, सेक्रेटेरियट की तरफ से इन तमाम मांगों पर गौर करने के बाद कैबिनेट में प्रस्तुत कर देंगे ऐसा आश्वासन दिया था और मैं समझता हूं और कितनी ही बातें हो सकती हैं, इस वक्त सदन के सामने यह कहना मेरे लिए मुश्किल है कि कौनसी मांग किस हद तक वाजिब है, और कौनसी मांग किस हद तक नावाजिब है, क्योंकि इस प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन मुख्तलिफ विभागों से आये हैं, इस तरह के रिप्रेजेन्टेशन कर रखे हैं अन्य डिपार्टमेण्टस् की जो डिमाण्डस् हैं, उनकी, इस पर क्या किया जा सकता है, यह सब सरकार को देखना है।

जहां तक कृषि विभाग का सम्बन्ध है मैंने निवेदन किया कि दो सप्ताह में एग्जामिन करने के बाद कैबिनेट के सामने प्रस्तुत कर देंगे। जो विद्यार्थी यहां पर मिले वे भी संतुष्ट होकर गए और यह कह कर गए कि हम विद्यार्थियों के सामने यह चीज रखेंगे। क्या फैसला हुआ है, इसकी सूचना मुझे नहीं मिली है। इससे ज्यादा स्पष्टीकरण मैं इस समय इस सम्बन्ध में नहीं कर सकता।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्थान के 5 कृषि कालेजेज के स्नातकों की हड़ताल के संबंध में जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस पर कृषि मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें यह स्पष्ट किया है कि राणावत आयोग द्वारा सिफारिश की गई वेतन शृंखलाओं के संबंध में राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसके संबंध में जब तक मंत्रिमंडल के अन्दर संशोधन स्वीकार नहीं होता तब तक वे कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 16 और 17 तारीख को वेतन आयोग की रिपोर्ट पर यहां सदन में बहस होगी तो क्या आप उस समय इन वेतन शृंखलाओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर सकेंगे? या इसके बाद में 16 और 17 को वेतन आयोग के प्रतिवेदन के ऊपर सदन में बहस होगी और आपने दो सप्ताह का समय लिया है इससे जाहिर है कि इनकी वेतन शृंखलाओं के बारे में आप 16, 17 को स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकेंगे। राजस्थान सरकार, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से जो रिप्रेजेन्टेशन्स राज्य सरकार के पास आये हैं, उनके सम्बन्ध में 16, 17 को ही घोषणा करेगी, क्या कृषि मंत्री महोदय इस स्थिति में हैं कि इन स्नातकों के सम्बन्ध में इनकी वेतन शृंखलाओं के सम्बन्ध में जिससे कि हड़ताल का सवाल सम्बन्धित है, उस समय तक इस सम्बन्ध में अन्तिम तौर पर जानकारी सदन को दे सकेंगे?

**श्री शोभाराम** (कृषि मंत्री) : मैंने निवेदन किया कि 16, 17 को डाइरेक्टर एग्रीकल्चर लौट कर आयेंगे, तीन चार दिन उनके एग्जामिनेशन के लिये रखे हैं, हम यह मान कर चलें कि 16 से पहले लौटेंगे नहीं, तो उनको सारी स्थिति के अध्ययन के लिये कम से कम दो तीन रोज देने चाहिये, तो इस तरह से उनका 18, 19 तारीख तक लग सकती है। 16-17 को राणावत पे कमीशन की रिपोर्ट के बारे में सदन में चर्चा होगी, उस चर्चा से इस चर्चा को नहीं जोड कर चल सकते, दो-तीन रोज तो उनको सारी चीजे देखने के लिये देने चाहिये, तो 17 तारीख को तो यह संभव नहीं है। उनका जवाब आने पर हमारे लेवल पर भी स्क्रीन कर के नैतिक आधार बना कर आपके सामने कोई चीज रखें, यह 17 तारीख के पहले तो संभव नहीं है।

**श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : मुझे जानकारी करनी है, पे स्केल के बारे में माननीय सदस्य ने फरमाया वह राणावत कमीशन पर बहस होगी तब देखा जायगा। बी. एससी. एजी. और एम. एससी. एजी. में बहुत बड़ा अन्तर है, यदि इनके पे स्केल में कोई अन्तर नहीं होगा स्टार्टिंग पे में तो क्यों कोई भी दो साल खर्च करेगा।

जो आपने जमीनें देने का वायदा किया था बी. एससी. एजी., एम. एससी. एजी वालों को तो इस सम्बन्ध में रूल्स बनाये हैं ?

एक मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने अपोइन्टमेन्ट्स होते हैं उस सम्बन्ध में आपको एक पोलिसी बनानी चाहिये जिससे कि इन स्टूडेन्ट्स को मिनिस्टर्स के पीछे नहीं फिरना पडे। इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मैरिट लिस्ट लग जाय वेकेन्सीज के बारे में ताकि लोगों को मालूम हो जाय और अपोइन्टमेन्ट्स के बारे में लोगों को दिक्कत नहीं हो।

**श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : बी. एससी. एजी. और एम. एससी. एजी. वालों को जमीनें देने की बात है उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इनको जमीनें देने की घोषणा की थी, मुझे जानकारी है कि वे लोग जमीनें प्राप्त करने के लिये बार बार चेष्टाएं कर रहे हैं, उन लोगों ने मुझे भी वह सारी कोरेस्पोन्डेन्स दिखाई थी, पर राज्य सरकार की तरफ से उनको कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, जमीनें देने का तो सवाल ही नहीं। अगर सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति बनाई हों, कोई नियम बनाये हों तो उनको गजट में प्रकाशित करना चाहिये ताकि लोगों को जानकारी मिले। बहुत से कृषि स्नातक हैं जो चाहते हैं कि सर्विस की बजाय खेती करें, किन्तु उनको जमीन नहीं मिलती इसलिये नौकरी की तरफ भागते हैं। उन लोगों को जमीनें दें तो वे लोग खेती करना पसंद करेंगे बनिस्वत नौकरी में जाने के। केवल उन लोगों को जमीनें देने से ही कुछ नहीं होगा, उनको आर्थिक और दूसरे सहयोग भी देने पडेंगे। उस सम्बन्ध में भी सरकार को निश्चित रूप में लोगों को बताना होगा।

जहां तक ग्रेड का सवाल है यह देखना होगा कि एम. एससी. के छात्रों को कितना समय लगता है, दूसरे वैज्ञानिक छात्रों को जो समय लगता है उसको देख कर ग्रेड के बारे में तय करना चाहिये। इसके लिये उनका

(श्री दौलतराम सारण)

कहता है कि हम लोग व्यर्थ ही इतना समय बर्बाद करते है जब कि हम से कम समय लगाने वालों को ज्यादा ग्रेड और हमको ज्यादा समय लगाने पर भी उन लोगों से घटिया और कम ग्रेड मिलता है ।

इसी तरह से उनकी और भी छोटी मोटी शिकायतें हैं, जैसे वे कहते हैं कि राजस्थान के स्नातक तो घूमते, चक्कर लगाते रहते हैं और बाहर के स्नातकों को स्थान दे दिया जाता है, इसलिये राजस्थान के छात्रों के लिये विशेष स्थान सुरक्षित रखने चाहिये । आशा है आप इन सब बातों पर भी गौर करेंगे और प्रकाश डालेंगे ।

**श्री रामनारायण** (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में एक जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा । पहले भी यहां चर्चा हुई थी और अभी ी चर्चा चली कि जो एग्रीकल्चर में ग्रेज्युएट होंगे उनको काश्त के लिये जमीनें दी जायेंगी, इस सम्बन्ध में मैं, जानकारी चाहता हूं कि ऐसे एग्रीकल्चर ग्रेज्यूएट्स जिनको नौकरी नहीं मिले, घर पर बैठे हुए हों, उनको आपने जमीनें दीं और तीन या ६ महीने बाद में उनको एम्प्लायमेंट मिल गया तो उस जमीन की क्या स्थिति होगी, मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे सरकार की निश्चित नीति होनी चाहिये । एक तरफ जमीन देते हैं, दूसरी तरफ वह एम्प्लायमेंट की तलाश में रहता है । तो इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है ?

अनएम्प्लायमेंट को मिटाने की या कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की ? अगर इसके पीछे कृषि के उत्पादन को बढाने की सरकार की मंशा है तो माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि जो लोग ग्रेज्युएट्स एग्रीकल्चर में हैं, वे लोग यदि खुद जमीन पर जम कर कृषि उत्पादन को बढाना चाहें तो ऐसे लोगों को जरूर जमीनें दें इसको सभी पसंद करेंगे कि उनको जमीनें देने के मामले में प्राथमिकता दें, इस अर्थ में ही एग्रीकल्चर के ग्रेज्युएट्स को जमीनों के अलोटमेंट करने के बारे में सोचना चाहिये । मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि एक आदमी को महज इसलिये भूमि अलोट की जाय क्योंकि वह एग्रीकल्चर में ग्रेज्युएट है । अगर इस चीज का ध्यान ऐसे लोगों को जमीनों के अलोटमेंट के समय में नहीं रखा गया तो यह हो सकता है कि वे इस तरह अलोटमेंट में प्राप्त हुई जमीनों को ऊंची कीमत में बेच दें, अथवा अपने भाई या सम्बन्धी को जमीनें सौंप दें और वे खुद सर्विस में चले जायें । इस तरह से तो बडा दुरुपयोग होने की संभावना है । इसलिये मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी इस सम्बन्ध में खुलासा करें ।

**श्री शोभाराम** : उपाध्यक्षजी, कई माननीय सदस्यों ने बी. एससी. एग्रीकल्चर के लडकों को जमीन एलाट करने के बारे में नियम बनाने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । कल विद्यार्थियों से जो बातें हुई, उसमें हमने एक बात उनसे कही कि जब तक आप कहां पर जमीन चाहते हैं यह लिख कर नहीं देंगे तब तक हमारे लिए मुश्किल पडती है । मान लीजिए कोटा जिले में रहने वाले विद्यार्थी अगर कोटा जिले के बाहर नहीं जाना

(श्री शोभाराम)
चाहता और वह कुछ नहीं लिखे तो हम उसको दूसरे जिले में यदि भेजते हैं तो वह जाना पसन्द नहीं करेगा। इसलिए कल उनसे हमने निवेदन किया था कि आप अपनी इच्छा लिख कर बतायें कि किस जिले में आबाद होना चाहते हैं।

**श्री दौलतराम सारण** : आप कम्प्रीहेन्सिव योजना बनायें। राज्य की हर योजना व्यक्ति पर निर्भर करती है क्या ? आप अपनी तरफ से योजना दें।

**श्री शोभाराम** : इस पर उन लोगों ने कहा कि राजस्थान कैनाल एरिया में वे जाना चाहते हैं। यह इच्छा उन्होंने बताई। मैं समझता हूं, यह ख्वाहिश सभी विद्यार्थियों की थी। अब जहां तक नियम बनाने की बात है, मैं समझता हूं राजस्थान कैनाल के एरिया के अन्दर ऐसे विद्यार्थियों को किन शर्तों पर और किन हालात में कितने साधन उपलब्ध हो सकते हैं, कर्जे को बात आएगी तो लैन्ड डेवलपमेन्ट बैंक से कर्जा किस प्रकार से मिले, कई प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होंगी, रूल्स बनने चाहिए और जल्दी से जल्दी इस संबंध में एलाटमेंट के नियम बन जायें और जो श्री रामनारायणजी ने बात उठाई, यह महत्वपूर्ण बात है कि हम किसी कृषि ग्रेजूएट को इसलिए जमीन देना चाहते हैं कि वह ध्यान उधर ही लगाये और दूसरी तरफ अपना ध्यान जैसे नौकरी इत्यादि की तरफ नहीं लगाए। तो इन दोनों बातों का खयाल रखा जायगा।

एक एग्रीकल्चरल ग्रेजूएट को डिग्री हासिल करने में कितना समय लगता है और जो दूसरे हैं जैसे एम. ए. वगैरह उनको कितना लगता है और मिनिमम क्वालीफिकेशन्स एक परटीक्यूलर केडर के लिए क्या हों, तमाम बातों पर अध्ययन करने के बाद, जो दो सप्ताह हमने मांगे हैं, तब तक काम कर कर देंगे।

बाकी दूसरी बातें आपने एपाइटमेंट्स वगैरह के बारे में कही ऐसा कोई रूल नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है लेकिन आपने कहा कि एम. एससी. एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उनको पहले एबजॉर्ब करना चाहिए प्यूअर साइंस वालों के मुकाबले में लेकिन दूसरे जो विषय हैं या टेक्नीकल सब्जेक्ट्स हैं, मैं समझता हूं दो सप्ताह के अंदर, दो सप्ताह में इसका भी निर्धारण करने में हम समर्थ होंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई। एक स्थगन प्रस्ताव में शिक्षा मंत्री को वक्तव्य देना है, महाराजा कालेज के छात्रों को हड़ताल के संबंध में। इस बीच में आज और स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। इन दोनों पर शिक्षा मंत्री कल वक्तव्य दे देंगे एक साथ।

राजस्थान पंचायत व जिला परिषद् सर्विस चयन मंडल द्वारा अध्यापकों के चयन पर पंचायत मंत्री का वक्तव्य, यह और श्री रामकिशनजी का अध्यापकों का आंदोलन चल रहा है, उस संबंध में स्थगन प्रस्ताव है, इन दोनों पर पंचायत मंत्री 9 तारीख को वक्तव्य देंगे एक साथ।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** (चिकित्सा मंत्री) : महाराजा कालेज के विद्यार्थियों की मांगों में तीन मांगे मेडीकल कालेज से भी संबंधित हैं, आप चाहें तो· · · ·

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : साथ ही साथ हो जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : कल कह दें।

**श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : महाराजा कॉलेज के छात्रों ने मेडीकल कालेज की एडमिशन में जो अनियमिततायें हुई हैं उस संबंध में रिप्रेजेन्टेशन किया है, उस पर कैटेगोरीकली जवाब दे दें ताकि सारे भ्रम का निराकरण हो सके।

**श्री उपाध्यक्ष** : यही मानकर चलना चाहिए।

**श्री केदारनाथ** : मेडीकल कॉलेजेज में कैसे सिलेक्शन्स हुए। इस बारे में भी · · ·

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मेडीकल कॉलेजेज का एडमिशन्स के सिलसिले में जो कुछ इस साल हुआ है, सरकार ने पहले प्रॉस्पेक्टस जारी किया और उसके बाद प्री मेडीकल टेस्ट की व्यवस्था की, उसकी हाई कोर्ट में रिट हुई, स्टे ऑर्डर जारी किया, सरकार ने वह ऑर्डर वापस लिया। तो निर्धारित सीटें थीं, किस प्रकार एडमिशन किया, रिजरवेशन्स कितने किए, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए, पोलिटिकल परसन्स के लिए, वे कौन कौन हैं, राजनैतिक सफरर्स, किन किन लोगों को एडमिशन्स मिले हैं और 21 से 22 साल की उम्र की है जिसका प्रास्पेक्टस में हवाला नहीं है, फिर एज कैसे बढ गई, उसके कारण किन वी.आई.पी. के लडकों को एडमिशन मिला बृजसुन्दर शर्मा का या शोभाराम · · ·

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**: मेरा लडका नहीं है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**: आपका नहीं, वह शायद मेडीकल कालेज में पढने लायक भी नहीं होगा। जो कुछ सारा डिस्कंटेंटमेंट है, मेडीकल कॉलेजों की एडमिशन के सिलसिले में जो फर्जी तौर से एडमिशन्स हुए हैं, 22 छात्रों ने शिड्यूल्ड कास्ट्स के सर्टीफिकेट्स लेकर एडमिशन लिया, आप मेहरबानी करके कल पूरी तरह से तैयार होकर आए। जबानी बोलने के बजाय लिखकर लायें तो आपको सुविधा होगी।

## आधा घंटे की चर्चा

**श्री उपाध्यक्ष**: नियम 127 के अंतर्गत चर्चा। श्री रामकिशन व श्री रामचन्द्र आर्य ने जो संकर बाजरा के बारे में प्रस्ताव रखा है, उस बारे में।

**श्री केसरीसिंह हाडा**: सरकार ××

**श्री उपाध्यक्ष**: ऑर्डर प्लीज। एक्सपंज्ड।

**श्री रामकिशन** (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ राज्य सरकार और भारत सरकार काश्तकारों से कहती है कि वे नए बीजों का प्रयोग करें और जिला परिषदों और पंचायत समितियों को मीटिंग्स बुलाकर विकास विभाग की तरफ से लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि कितने उन्नत किस्म के गेहूं और बाजरा बोयेंगे लेकिन किसान ने जब बीज का इस्तेमाल किया तो कृषि मंत्री ने जवाब दिया है कि उसमें 700 और एक हजार एकड जमीन में बीज और बाजरा बोया गया और उगा नहीं लेकिन यह सूचना बिलकुल सही नहीं है और जैसे स्वतः उन्होंने स्वीकार किया है, हर पंचायत समिति में कितना बीज दिया गया, कितना बोया गया, किन किन काश्तकारों को दिया गया, अगर यह बात साफ हो जाती तो अच्छा होता। मेरी सूचना है, हो सकता है वह गलत हो, 20 हजार एकड का लक्ष्य भरतपुर जिले में निर्धारित हुआ था उन्नत बाजरा

---

×× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री रामकिशन)
और बीजों के लिए। पंचायत समितियों और जिला परिषदों से कहा गया। उसके बाद जहां जहां पहली बरसात हुई और जिन जिन काश्तकारों ने बीज बोया, आम तौर पर बीज नहीं उगा। उसके बाद अन्य जिलों में भी ग्राम सेवकों और किसानों ने उस बीज को लेने से इंकार किया तो सरकार ने उन ग्राम सेवकों को मुअत्तिल कर दिया। उनसे कहा गया कि आप बीज बांटने में दिलचस्पी नहीं रखते हो। मैंने जानकारी प्राप्त की तो वहां विकास विभाग के दूसरे कर्मचारियों ने कहा एक तरफ बाजरा नहीं उग रहा है दूसरी तरफ ग्राम सेवकों को मुअत्तिल कर रहे हैं बीज नहीं बांट रहे हैं। तो कृषि विभाग के अधिकारी कहते रहे कि ये ग्राम सेवक जानबूझ कर गडबडी कर रहे हैं, लोगों में जो नए बीज और खाद के लिए प्रेरणा पैदा करनी चाहिए थी वह कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारा कदम मुअत्तिली का उचित है। खैर यह विकास विभाग और कृषि विभाग का अंदरूनी मामला है लेकिन कृषि विभाग की सलाह से ग्राम सेवक चलते तो भरतपुर जिला चौपट··

**श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): यह अंदरूनी और बाहरी मामला आप छिपा नहीं सकते। स्पष्ट कहें।

**श्री रामकिशन** : केवल समझ का फर्क है, छिपाया कुछ नहीं है। आपके पास प्रयोग शाला है, जांच के साधन हैं और जब किसान कहता है कि बीज खराब है। उस समय विभाग जिद्द करता है कि पंचायत समिति ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें बीज बोना पड़ेगा आज उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में, सीकर जिले में, गंगानगर जिले में और जहां जहां पर किसानों ने बाजरे का बीज लिया, आज उसका नतीजा यह है कि उनकी जमीने खाली पडी हैं। पहली बरसात तो लेट हुई। बरसात हुई तो बन्द नहीं हुई और एक आध दिन बरसात बन्द हुई तो जिस किसी किसान ने भी वह बीज बोया तो वह उगा ही नहीं उसका नतीजा यह हुआ कि दस से पन्द्रह हजार एकड के बीच में जमीन खाली पडी रह गई। वास्तव में जब यह मालूम पडा कृषि मंत्री जी को वह बीज उगा ही नहीं तो उन्होंने एक कृषि मेले में इस बात की घोषणा कर दी जिनको भी यह बीज दिया गया उनसे कीमत नहीं ली जायेगी। अब तो आप भी खेती करने लग गये हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन किसानों के पास दस दस बीघा या तीस तीस बीघा खेती थी वे तो बगैर खेती के ही रह गये। उनकी क्या हालत होगी। आज जो परिस्थिति है उससे आप परिचित हैं ही। इस सम्बन्ध में मैं अकाल की बहस के समय अर्ज करूंगा। आप कहेंगे कि सीड हमने लिया और टेस्ट उसको किया उसके लिये जिम्मेदार नहीं। बीज के लिये जिम्मेदार नहीं, उसके पैदा होने के लिये भी आप जिम्मेदार नहीं, तो विभाग की किस बात की जिम्मेदारी है। बढिया बीज लिया तो मंत्रीजी अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि कार्पोरेशन ने किन किन काश्तकारों से खरीदा, किन किन का वितरण किया और वितरण किया तो उस समय उसका परीक्षण किया या नहीं। यह हो सकता है कि कार्पोरेशन ने बीज लिया, वह परीक्षण से ठीक हो, जब उसको बांटा गया तो सम्भवतया उसकी क्षमता नष्ट हो गई हो और वह काश्तकारों

(श्री रामकिशन)
को दे दिया गया हो। आपके पास कृषि विद्वान् बहुत बैठे हुए हैं उनका सब का आपको सहयोग है, उन सब विद्वानों के होते हुए यह स्थिति क्यों हुई इसके लिये क्या किसी की जिम्मेदारी है यह कृषि मंत्रीजी स्पष्ट करें।

चर्चा में, प्रस्ताव में भी कहा। दस रुपये की छूट, उसका तत्काल असर यह हुआ कि बीज बेकार है। यह आम बात फैली वरना तो और भी सत्यानाश हो जाता। जो जमीन खाली रह गयी उसके लिए यह प्रश्न उठता है कि उसका उनको मुआवजा मिलना चाहिये या नहीं। जो अधिकारी हैं उनको दंड देने से संतोष नहीं होगा, देना और न देना यह काम आपका है। नेग्लीजेन्स हुई है या जान बूझ कर हुई है गलती लेकिन यह बात सही है कि भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर सीकर के जिलों में बहुत बड़ा एरिया इसके कारण प्रभावित हुआ है। हमारी चिन्ता तो सबसे ज्यादा इसलिए है कि फसल खत्म हो गयी और अगली फसल की उम्मीद नहीं है और आपकी गलती से काश्तकार दूसरा बीज ले गये और उन्होंने बोया। आपने प्रेस करके उनको बीज दिया। जिन काश्तकारों को आपने अपने प्रोग्राम के अनुसार बीज दिया उनको मुआवजा दिया जाय जिनके खेत खाली रह गये हैं। जो गलती से ले गये उनको छोड भी दें। जिनको प्रेस करके पंचायतों की मिटिंग्स में बैठ कर कृषि प्रसार अधिकारियों ने और दूसरे आपके कर्मचारियों ने जोर दिया, आप उन किसानों को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करें। राज्य सरकार इसके लिये कितनी जिम्मेदार है और इसके लिये कितने लोग प्रभावित हैं यह आपके भाषण से स्पष्ट होगा।

बाजरा तो प्रतीक है। राजस्थान के किसानों में नयी खेती की प्रणाली की आदत पड रही है। बीच बीच में झटका आता है। अब के सरसों में चेपा लग गया। कहा गया कि हवाई जहाज से दवाई छिडकी जावेगी। दवाई छिडकी गयी। आज सरसों का एक दाना नहीं बचा है। आपके आंकडे आ गये होंगे। अलवर भरतपुर की बगल में है मंत्रीजी चक्कर लगा आये, हरिजन मंत्रीजी ने तो काफी चक्कर लगाये तीन चार मंत्री हवाई जहाज में बैठ लिये इससे अधिक कुछ नहीं हुआ। एक कृषि अधिकारी ने कहा कि आप भी देखिये। मैंने कहा कि मैं क्या देखूंगा काश्तकारों के पास गये तो उन्होंने कहा कि दवाई आपको नहीं छिडकना चाहिये इस तरह से। शोभारामजी आपके बाल धूप में सफेद हुए हैं। विज्ञान की दृष्टि से जो विज्ञान का ज्ञान लेकर आये उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है साइन्स में भी कोई चीज अन्तिम नहीं होती है, परीक्षण की सम्भावना होती है। किसान जो साधारण ज्ञान वाला होकर भी यह कह सकता है कि इससे फायदा होने वाला नहीं है, पौधों पर दवाई दूर से नहीं पडती है। सुगन्धी से कीडा नीचे चला गया और चिडियाएं मर गयीं। कुछ लोगों ने कहा कि सांड मर गये। पांच छः गांवों में मैं गया लेकिन मैंने कहीं नहीं सांड मरे हुए देखे। चिडियाएं जरूर मरी हुई देखी हैं। काश्तकारों को दवाई से कितना लाभ हुआ यह तो आपको मालूम है, कृषि अधिकारियों ने बताया, अलवर में हवाई जहाज उड रहा है तो भरतपुर भी ले चलो, और अब तीन चार लाख रुपया भरतपुर में वसूल करने जा रहे हैं। यह हालत है तो कौन विश्वास करेगा।

(श्री रामकिशन)

आप अनुभवी हैं और कृषि में स्नातक हैं। यह अच्छा लक्षण है कि आप विभाग को सम्हाले हुए हैं। लेकिन न तो कृषि मंत्रीजी को और न ही आपको फुरसत है कि यह देखें कि बीज कैसा बंट रहा है, दवाई किस प्रकार से छिडकी जा रही है। रोज आपके पास कांग्रेस के 8 एम. एल ए. पहुंच जावेंगे और कहेंगे कि आपको इनका ट्रान्सफर करना पडेगा नहीं तो कांग्रेस वहां से गायब हो जावेगी।

**श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द)** : इनकी तो मसकरी करने की आदत है।

**श्री रामकिशन** : हरिश्चन्द्रजी जान रहे हैं। इन्हीं लक्षणों से तो रूपसिहजी चले गये। पन्द्रह दिन में और चले जावेंगे, नहीं तो मान लेंगे कि सत्य से आपका सम्बन्ध नहीं है।

इनको फुरसत ही नहीं है कि यह सब देखें। वहां जाते हैं तो कोई यह नहीं कहता है कि खेती की उन्नति कैसे ह, विकास कैसे हो। चले आ रहे हैं यह कहने कि यह कृषि अधिकारी नहीं बदला तो कांग्रेस चली जावेगी। बुढापे में मोह बढ जाता है। कांग्रेस तो चली जाने वाली है। आप जैसे आकर चले गये। उन्होंने बुढापा खराब किया और जवानो को क्यों खराब करते हैं। आप विभाग की क्षमता को बढायें और टैक्निकल जानकारी बढायें। हो सकता है कि सुविधाओं का सवाल हो लेकिन कौन ग्राम सेवक कहां हो, कौन अधिकारी कहां हो इससे सब ही परेशान हैं विरोधी दल वाले भी परेशान हैं और सरकारी पार्टीवाले भी परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं, अतः हस्तक्षेप कहने के अनुसार न किया जाय।

(1 म. प.)

हम सच्चाई ग्रहण करने की ताकत रखते हैं। किंतु सच्चाई के नजदीक जाने की आपकी हिम्मत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार मुआवजा देने के सम्बन्ध में निश्चित कार्यवाही करें। अगर कार्यवाही न की तो आप जो उत्पादन बढाना चाहते हैं, वह समाप्त हो जायेगा। सरकार पर आर्थिक बोझ डाल कर भी मुआवजा देंगे तो किसान नई टैक्निक, नई प्रणाली को अपनाने के लिये तैयार हो जायेगा और पैदावार बढायेगा। अगर हम किसान को मुआवजा नहीं देंगे तो किसान पैदावार बढाने में प्रोत्साहित नहीं होगा और इसलिये हमें अमेरिका, कनाडा, रूस दुनियां भर में भीख मंगे बनकर घूमना पड रहा है। अगर आप किसान को मुआवजा देंगे तो उसको भरोसा हो जायेगा। इससे उसके साथ न्याय होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कृषि मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि आप किसानों को मुआवजा उदार दिल होकर दीजिये, एक तरह से काश्तकारों के हितेषी बनकर कीजिये। कन्जरवेटिव मन्त्रियों के साथ आप बैठ गये हैं। आप इन बन्धनों को तोडें। प्रगतिशील बनिये और प्रगतिशील काश्तकार का आप साथ करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। मेरे इलाके से आने वाले काश्तकार प्रगतिशील हैं। आप भी प्रगतिशील होइये।

(1 म. प.)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामचन्द्र। प्रस्ताव पेश किया।

**श्री रामचन्द्र (खंडेला)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव 28 अगस्त

# Page No. 62



(श्री रामचन्द्र)

को दिया था लेकिन उसको स्थगन प्रस्ताव न मानकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में लिया है। मैं कृषि मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर संक्षेप में आकृष्ट करूंगा। सीकर जिले में इस साल दस क्विंटल संकर बाजरे का बीज भेजा गया था। जो बाजरा खरीदा गया, वह अलवर से खरीदा गया। उसमें सील थी। किसानों को जो वितरित किया गया, वह 40 क्विन्टल दिया गया। 60 क्विन्टल वह बाजरा सरकार के पास वैसा का वैसा पडा है। मालूम करने पर पता चला कि इस साल 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत उगा। बाकी का उगा नहीं है। जिले वालों ने देखा यह छीदा बोया-हुआ है तो पौधा ज्यादा बढ़ेगा। कलियां उसकी बराबर न बढ़कर 6-7 इन्च तक ही निकलीं। मैं इलाके में गया। जो बीज दिया गया वह प्रमाणित नहीं है। वह फर्जी है। यह वहां आम धारणा है। मैंने इसे अपने खेत में भी बोया। पिछली साल श्री बलवीरसिंह जी प्रथम आये थे। उनके खेत में भी यह बीज बोया था। उनका भी यह खयाल है कि बाजरे का बीज गलत आया था। हमारे साथ सरकार ने धोखा किया है। इस बीज में निश्चित रूप से किसी ने घोटाला किया है। जिसने खरीदा है उसने गडबड़ी की है। निश्चित रूप से यह फर्जी है। किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है। विभाग की चार सौ बीसी है। भरतपुर में भी यही हाल हुआ है किन्तु वहां के काश्तकार तो चना ले लेंगे। वहां की जमीन उपजाऊ है। लेकिन सीकर जिले की जमीन तो एक फसली है। उस इलाके के लोग तो बाजरे के भरोसे ही रहते हैं। इस प्रकार वे इस फसल से वंचित रह गये हैं। सरकार इसके लिये दोषी है। उसके कारण हमें हानि हुई है। संक्षेप में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दें और क्षतिपूर्ति करे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामचन्द्र आर्य।

**श्री रामचन्द्र आर्य** (नौहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मन्त्री महोदय का आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में गत वर्ष जो संकर बाजरे का बीज दिया गया था, वह एक बीघे में 3-4 मन से ज्यादा नहीं उगा है। इस साल संकर बाजरे का जो बीज गंगानगर जिले के काश्तकारों को दिया, वह तो बिल्कुल उगा नहीं। जिससे हजारों काश्तकारों को नुक्सान हुआ है। इससे लोगों में बड़ा असन्तोष सरकार के प्रति पैदा हो गया है। मेहरबानी करके कम से कम इस बार इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय कि काश्तकारों को देने वाले बीज में किसी प्रकार का कोई हेरफेर न होने पावे। इस प्रकार से बीज में हेरफेर, घोटाला होता रहेगा तो हिन्दुस्तान का काश्तकार हमेशा के लिये तबाह हो जायेगा। इसकी तरफ ध्यान देना है। किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है। उनकी जमीनें खाली पड़ी हैं। कितनी मेहनत करने के बाद, जमीन को सुधार कर, किसान ने बीज बोया और वह नहीं उगा। इससे काश्तकारों को नुक्सान हुआ है। इसकी जिम्मेदारी सरकार न उठावे तो कौन उठायेगा ? इस प्रकार से किसानों के साथ विश्वासघात सरकार बीज देने में करती है तो दूसरे कामों में सरकार का वह क्या भरोसा करे। मैं सरकार से, मन्त्रीजी से आश्वासन चाहूंगा कि इससे काश्तकारों को जितना नुक्सान हुआ है, उसका उसे मुआवजा दिया जावे। क्योंकि काश्तकारों को नष्ट कर

(श्री रामचन्द्र)

दिया गया है। उनको नुकसान बीज के कारण न उठाना पड़े। बीज जैसी वस्तु देने के पहले उसका टैस्ट किया जाय। लोगों को मंहगे भाव में दिया जाय। आप कहते हैं बीज के दाम नहीं लेंगे। आप दाम डबल ले लीजिये किन्तु जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा मिलना चाहिये।

(1 05 म प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, समापति, पदासीन)

गत वर्ष भी इस बारे में प्रश्न उठाया गया था। इन्क्वायरी कराने के लिये कहा गया था। किन्तु काश्तकारों का जितना नुकसान हुआ उसके बारे में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इस तरह इस साल भी जो संकर बाजरे का बीज दिया गया था, उस से फसलें नष्ट हो गई। उगी नहीं। अब फसल बोने का मौका नहीं रहा। वे बाजरे से वंचित रह गये। आप लोग काश्तकारों के साथ गद्दारी करते हैं। काश्तकार आपको बुराइयों के खिलाफ बगावत करेगा बीज में मिलावट करके आप भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इसके बारे में जांच कमेटी बिठायी जावे। जांच करायी जावे। बीज किससे खरीदा गया? कहां से आया और किस प्रकार से लोगों ने बेईमानी की? सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आपको इस महकमे में इस बात पर निगरानी रखनी चाहिये कि काश्तकारों के साथ में किस प्रकार का बरताव किया जावे। जो अधिकारी आपके विभाग में हैं, वे आंख मीच कर घटिया बीज काश्तकारों को देते हैं। आये दिन काश्तकारों के खिलाफ कानून बनाये जाते हैं। आबयाना बढ़ाया जाता है। बैटरमेन्ट लेवी उनके ऊपर लगायी जा रही है। सरकार घटिया किस्म का बीज देती है, जिससे काश्तकार को नुकसान होता है। इसके लिये आपको इस सदन के अन्दर माफी मांगनी चाहिये काश्तकारों के साथ महकमे द्वारा बुरा बरताव करने पर। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि आपको इस सदन में आश्वासन देना पड़ेगा कि काश्तकारों को जो नुक्सान हुआ है, वह सरकार वहन करे। यदि वहन नहीं करते हैं तो सरकार के खिलाफ बगावत होगी। आप इसे पैदा कर रहे हैं। आपने इस सदन में पिछली बार यह आश्वासन दिया था कि जांच करायेंगे। कोई जांच नहीं करायी। कोई नतीजा सामने नहीं आया है सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कह देना चाहता हूं कि आप इस बात को सही तरह से रखें ताकि आगे चल कर काश्तकारों के साथ इस प्रकार का बुरा बरताव न हो। जो नुक्सान हुआ है, सरकार उसकी जिम्मेदारी उठावें। सरकार को उठाना पड़ेगा। प्रजातन्त्र में यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। काश्तकारों के साथ में कोई नुक्सान हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। बार बार इस सदन में इस मामले को उठाया गया है। फिर नौबत आ गई है। सरकार को शीघ्र ही कदम उठाना है अन्यथा कोई भी काश्तकार सरकार से बीज लेने को तैयार नहीं होगा क्योंकि उनका नुक्सान हुआ है। वे दूसरे फार्मों से बीज मगायेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री रामचन्द्र)

वह बीज बाजार से खरीदा है। उनके फसल खडी है बाकी उनका बीज उगा नहीं और वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। मैं अधिक न कह कर इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि जांच करवानी चाहिये यदि जांच का नतीजा सामने नहीं आयेगा तो आने वाले सैशन में हम सब फिर इस मुद्दे को उठायेंगे।

**श्री सभापति :** माननीय दौलत राम जी !

**श्री दौलतराम सारण :** सभापति जी सवाल बीज का है अगर बीज के मामले में अन्धेरगर्दी हुई तो सरकार के प्रति जो आस्था है वह डगमगा जायेगी··

**श्री प्रेम सिंह सिंघवी (छबडा):** सरकार का बीज ही गलत पडा है।

**श्री दौलतराम सारण :** माननीय शोभा राम जी का डाला हुआ बीज इस उम्र में नहीं उगे तो कोई अफसोस नहीं लेकिन डिप्टी मिनिस्टर साहब का डाला हुआ बीज जो अभी बिल्कुल नौजवान है नहीं उगे तो हमें बहुत ज्यादा अफसोस है। सभापति जी बीज के मामले में सावधानी बरतनी चाहिये। बीज डालने से पहले उसका ठीक प्रकार टैस्ट करवा लेना चाहिये ताकि बीज बेकार न जाय। सभापति जी राजस्थान का किसान बहुत प्रगतिशील दृष्टिकोण रखकर उन्नत बीज सुधरे हुये औजार और उपयुक्त खाद देने की तरफ आकर्षित हो रहा था, लेकिन अब पिछले साल से इस सम्बन्ध में उन्हें झटके आने शुरू हो गये हैं। गत वर्ष संकर बाजरे का जो पैटर्न आपने बताया उसका और व्हाईट गर्ब लग जाने का सवाल मैंने उठाया था उसका मालूम नहीं सदन को मालूम भी है कि नहीं, पर इस साल तो बीज में ही मामला गोलमाल हो गया। गत साल खाद में गडबड हो गई, कीडा पैदा हो गया और इस साल सील बन्द थैलियों के बीजों में गडबड हो गई विभाग ने खरीदा उसमें घोटाला, खाद में मिलावट बीज में गडबड और जो टेक्निकल गाईडेन्स है उसमें गडबड फिर किस बात पर भरोसा करके चलें कि किसान अधिक उत्पादन की तरफ ध्यान देकर चले।

किसान कोई गलती करता है, लगान देने में गडबड कर देता है तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती है लेकिन राज्य की गलती हो किसान की फसल राज्य के बीज की वजह खराब हो, राज्य के खाद की वजह से खराब हो जाती हो तो किसान को राहत न देना और कह देना कि हम कीमत नहीं लेंगे यह सही दृष्टिकोण नहीं है। मैं निवेदन करूंगा सभापति जी, कि माननीय मंत्री जी इस तरह के संकुचित रवैये को त्याग कर विशाल बनें। आप यह सोचते होंगे कि इस तरह पैसा ज्यादा देना पड जायगा, हो सकता है एक बार आपको ज्यादा पैसा देना पडे, लेकिन आपको यह ज्यादा आमदनी भी देगा, उत्पादन में वृद्धि करेगा। किसान की निष्ठा सरकारी बीज में व अधिक अन्न उत्पादन के कार्यक्रम में बढेगी। उसके मुकाबले में जो आर्थिक भार पडेगा, वह कम है। आप परिवार नियोजन और न जाने कौन कौन से नाम से फिजूल खर्च करते हैं। उसके बजाय तो आप किसान को मुआवजा देकर आकर्षित करेंगे तो यह ज्यादा लाभदायक होगा। राज्य अगर यह घोषणा करे तो निश्चित रूप से किसान और यह सदन आपकी तरफ आकर्षित होगा और आप देखेंगे कि जितना काम आप विभाग के मारफत नहीं

(श्री दौलतराम सारण)

करवा सकते उतना काम किसान अपने आप करवा लेगा। इसलिये मेरा पुनः आग्रह है इस बीज वितरण द्वारा जो घाटा हुआ है उसका किसान को मुआवजा दें और उन अधिकारियों की--जिन अधिकारियों ने गलत बीज वितरण किया है, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करके उनको कडी से कडी सजा दें। यह किसान के घाट का प्रश्न नहीं है यह देश के साथ गुनाह और गद्दारी का प्रश्न है। उन देशद्रोहियों के खिलाफ आपको सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिये। यह साधारण बात नहीं है। जैसा भाई राम किशन जी ने कहा सख्त कार्यवाही करना न करना आपके हाथ है, तो यह करना न करने का सवाल नहीं है। यह राष्ट्र के प्रति गुनाह है, गद्दारी है। सख्त कदम उठाने से आईदा किसी का होसला नहीं बढेगा और लोग भविष्य में सतर्क रहेंगे। खाद में घोटाले हों, बीज में घोटाले हों, बीज ऐसा दे दें जो उगे ही नहीं तो उन गैर जिम्मेदा र लोगों के खिलाफ केवल आप चेतावनी दें, एक ग्रेड इन्क्रीमेंट रोक दें या साधारण एक्सप्लेनेशन मांग लें तो उससे काम नहीं चलने वाला है। चाहे वह कितना ही बडा अधिकारी हो जिस किसी की गैर जिम्मेदारी से यह नुकसान हुआ है उनकी जिम्मेदारी फिक्स करके कडी से कडी सजा देनी चाहिये यह मेरा आग्रह है ताकि सरकार के प्रति आस्था बढे, सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो लेकिन अफसोस है कि आज इस तरह की बात नहीं होती है। यह मामला स्पष्ट आता है कि उन अधिकारियों को स्पष्टीकरण के तौर पर बख्स दिया जाता है। इसलिये सभापति जी इस मामले को गंभीरता से लिया जाय, साधारण नहीं समझा जाय। हमारे देश की यह तात्कालिक समस्या है बहुत ज्यादा सोच विचार कर कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे किसान का इनिशियेटिव गिरे नहीं। जिनकी इस सम्बन्ध में पूर्ण जिम्मेदारी थी वह निर्धारित करके उन अधिकारियों के खिलाफ कडी से कडी कार्यवाही की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार यह सख्त कार्यवाही अवश्य करेगी।

**श्री मदनसिंह** (दांतारामगढ): सभापति महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था और खास तौर से जब कि इसी पाईन्ट पर चर्चा चल रही है मैं आपसे मांग करूंगा मेरे भी बीच में दो-चार सुझाव हैं क्योंकि मेरा एरिया ज्यादा अफेक्ट हुवा है। आप फरमायें तो दो चार मिनट बोल लूं।

**श्री सभापति**: आपको मौका दिया जायगा श्री मनोहरसिंह मेहता।

**श्री रामकिशन**: सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मनोहर सिंह जी मेहता पूछते हैं कि बीज को टेस्ट करते समय अधिकारीगण होश हवास में थे या पीकर टैस्ट किया था।

**श्री मनोहर सिंह मेहता** (गांडलगढ): सभापति जी यहां न विनोद का सवाल है न और किसी बात का सवाल है यहां तो जीवन मरण का सवाल है। किसान का जहां नुकसान हुआ है वहां विश्वास भी पैदा हो तो अच्छे से अच्छा बीज देकर उनमें विश्वास पैदा नहीं करेंगे तो यह गंभीर रूप धारण करेगा। जो देश अन्न के मामले में दूसरे देशों पर आश्रित है उसका शासक

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
वर्ग किसान को ऐसा बीज दे जो उगे नहीं तो यह सब से भयंकर देशद्रोह है किसान को, जिनका खेतों के अलावा और कोई साधन नहीं है, आप खुद अन्दाज लगा सकते है इसके अलावा क्या मिलता है। मेरा निवेदन है कि ऐसे देशद्रोहियों को कडी से कडी सजा मिलनी चाहिये। मै समझता हूं इससे बडा कोई जुर्म नहीं है। कडी सजा नहीं होगी तो यह भविष्य में रुकने वाला नहीं है। जिस निगम से यह बीज मिला, उनके अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जाये। एग्रीकल्चरल अफसरों को जिन्होंने यह सारा पैसा धूल मिट्टी कर दिया उनकी बात पर तो आप विश्वास करते है और जो गरीब किसान देश को अन्न देता है, उसकी बात पर आप विश्वास नहीं करें इसका आप खुद अन्दाजा लगाइये उस गरीब पर क्या गुजरती है। जितना भी नुकसान हुआ है उसका सभी को पूरा का पूरा मुआवजा मिलना चाहिये और जिस एग्रीकल्चर अधिकारी का इसमें दोष हो उसको डिसमिस किया जाना चाहिए। और उसकी जायदाद जब्त की जानी चाहिये और उसकी जायदाद बेचकर उस किसान को उसका पूरा मुआवजा या हर्जाना दिया जाना चाहिये। ताकि भविष्य के लिये सब सावधान होकर कार्य कर सकें।

विश्वास पैदा करने में ज्यादा समय लगता है। मैं समझता हूं यह जुल्म इस प्रकार का है जिसको मैं कत्ल करने से कम जुल्म नहीं मानता। आज इस बीज से किसानों के मन में आपके द्वारा वितरित किये जाने वाले बीज में विश्वास पैदा नहीं होगा इसलिये आप सख्त से सख्त कार्यवाही करिये। कृषि मंत्री जी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है और उपमंत्री महोदय भी उत्साही युवक हैं अतः आप दोषी व्यक्ति को सजा देकर एक उदारण प्रस्तुत करें।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ) : इस संकर बीज के बारे में जो बहस चल रही है उस सम्बन्ध में सरकार यह तो मानती है कि इस बीज से किसानों पर बुरा प्रभाव पडा है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली बार कहीं कहीं तो यह हाई ब्रीड बाजरा बडा अच्छा हुआ और यह बीज सक्सेसफुल भी हुआ। पर इस बार जिन खेतों में हाई ब्रीड बाजरा नहीं था उनकी खेती तो आज कई जगह ठीक भी है लेकिन जिन्होंने हाई ब्रीड बाजरा ही बोया उसका नतीजा कई स्थानों पर बिल्कुल खराब रहा।

सभापति महोदय, हमने भी हमारे क्षेत्र में यह हाई ब्रीड बाजरा बोया, विधिपूर्वक बोया, उसमें जितनी खाद देनी थी, दी, फिर भी दुर्भाग्य से दांता रामगढ में ही नहीं जहां जहां भी यह बीज बोया उसके लिये आपके अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी है कि 30 परसेन्ट बाजरा सक्सेसफुल रहा यह भी केवल अपनी नाक ढकने के लिये कह दिया। मैं एलान करता हूं कि चार परसेन्ट भी बाजरा नहीं हुआ। सारा बीज खराब था। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करुंगा कि आप जो अलवर का बीज देते हैं जिस दुकानदार से आप खरीदते हैं उसको बन्द किया जाय। यह जो गुप्ता नाम की फर्म है उसको जितनी भी सजा आप दे सकते हैं दीजिये इससे बीज लेना बिल्कुल बन्द कर दीजिये। मेरी तो आपसे यह मांग है कि जो लोग ऐसा खराब बीज देते है उनको सजा दी जाय

(श्री मदनसिंह)
जिनके कारण खेत के खेत खराब हो गये। जो बीज दिया गया उसका मूल्य वापिस दिया जाय इतना ही आप कर देंगे तो हम समझेंगे कि आपने सब कुछ कर दिया।

**श्री नाथूलाल करौल** (जमुवा रामगढ) : सभापति महोदय, सवाल इस समय बीज का चल रहा है माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूं संकर बाजरा, संकर मक्का का बीज आपने लास्ट ईयर भी बांटा और इस साल भी बांटा। लास्ट ईयर संकर बाजरा की जिन लोगों ने खेती की है उनके पैदा हुआ ही नहीं। इस साल भी बहुत से जिलों में यह बाजरा उगा ही नहीं सब जगह उगा ही नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसको मैंने भी बोया मेरे यहां इसके सिट्टे बहुत अच्छे हैं। आपने इस साल जमुवा रामगढ में संकर बाजरा काफी मात्रा में बांटा। पहली बात तो यह हुई कि यहां 6-7 जुलाई को बरसात हुई। आप लोगों ने संकर बाजरे के बीज भी कुछ देरी से बांटे इसलिये एक तो देरी से बोया और फिर एक ही बरसात होने के बाद फिर पानी नहीं बरसा इसलिये वह पीला पड गया। संकर बाजरा जिन जिलों में उगा ही नहीं उन जिलों के लिये आपका यह कहना कि हम उन जिलों को जो बीज कीमत पर दिया था वह कीमत उनको वापिस कर देंगे मैं समझता हूं इससे कोई काश्तकार सन्तुष्ट होने वाला नहीं। जिस समय बीज दिया जाने को था उस समय आपके एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर इस बीज की बहुत तारीफ किया करते थे। उन्होंने 15 जुलाई को बीज देना आरम्भ किया और कई जिलों में तो 20 जुलाई तक देते रहे। उस समय तक बीज बोने का समय खत्म हो चुका। अगर केवल उन काश्तकारों को केवल बीज की ही कीमत दी जायगी तो जिन काश्तकारों के यहां उस बीज के कारण बिल्कुल ही खेती नहीं हो पायी है, और बीज नहीं उगा है यह इतना ही उनके लिये पर्याप्त नहीं है। तो उनको भी उसका मुआवजा देने की कृपा करें। यह आपके विभाग के अधिकारियों की गलती का खमियाजा किसान क्यों उठाये ?

मैं यह नहीं कहता कि बीज सारा ही खराब था क्योंकि वही बीज मैंने भी बोया है मेरे यहां इसकी अच्छी खेती है। आपको इसके बोने के लिये इर्रीगेटेड लेण्ड का प्रचार करते हैं लेकिन मैंने इनको बारानी जमीन में बोया है उसमें मैंने पूरी डोज दी है इसके कारण पौधा सिट्टे सहित मेरे से भी एक हाथ ऊपर चले गये हैं। या तो सरकार उन काश्तकारों को मुआवजा दे नहीं तो जिस अधिकारी के कारण यह गलत बीज दिया गया उसकी प्रोपरटी से या उसकी तनख्वाह से काटकर मुआवजा दिया जाय यही मेरा नम्र निवेदन है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : सभापति महोदय, मैं केवल इसके लिये दो मिनिट का ही समय लेना चाहता हूं। यह बडे दुख की बात है कि जब हमारे किसानों को इस बात की आशा थी कि खेत की पैदावार बढेगी और सरकार उन्नत बीज देगी। उस समय हमने किसानों के अन्दर इस उन्नत बीज के लिये काफी जोर शोर से प्रचार किया था और सब लोगों को तैयार किया कि वे उन्नत बीज ही बोयें। बडे दुख के साथ कहना पडता है कि आपके अधिकारियों की गलती से जहां बाजरे का बीज डिस्ट्रिब्यूट किया गया वह बिलकुल उगा नहीं। और जिन्होंने प्राइवेट लोगों से लेकर बीज बोया उनकी पैदावार

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

बहुत अच्छी हुई । इससे यह स्पष्ट है कि जान-बूझ कर इस मामले के अन्दर गडबडी की गई इसमें किसी की गलती से यह हो जाता तो फिर भी कोई बात नहीं । इसमें मुझे कोई शक नहीं कि अगर इन्डीपेन्डेन्ट इन्क्वायरी कराई जाय तो पता चल जायगा कि खराब किस्म का बीज किसी फर्म से खरीद लिया गया इसमें भ्रष्टाचार करने का उनको मौका मिला । मैं यह कह सकता हूं कि यह किसानों के साथ धोखा नहीं यह तो मुल्क के साथ धोखा किया गया इससे बढकर कोई मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता । आज हम अनाज के लिये विदेशों से भीख मांगते हैं हिन्दुस्तान की प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका गई तो उस समय वहां के लोगों द्वारा कहा गया दुनियां के सबसे बडे लोकतान्त्रिक देश की प्रधान मंत्री हमारे यहां पर आयी हैं और वह भी अनाज मांगने के लिये आई है । उस समय प्रेसीडेण्ट जान्सन ने भी तीन लाख टन अनाज देने का वायदा किया । आज जब अन्न के बारे में हमारी हालत यह है तो दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी इसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं यह बडे दुख की बात है ।

अलवर जिले मे दवा छिडकने की बात के बारे में कहना चाहूंगा । अलवर जिले की जिला परिषद् ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया था कि इस दवा के छिडकने से कोई फायदा नहीं हुआ है उसमें कलेक्टर मौजूद थे, और सब अधिकारी मौजूद थे, सरपंच मौजूद थे वहां इस प्रकार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया कि उस दवा से कोई फायदा नहीं हुआ । उल्टा उस चारे को मवेशियों ने चर लिया वे भी मर गई ।

अलवर जिले में फसल को रोली लग गई थी· · · · ·

**श्री सभापति** : आप संकर बाजरे तक ही सीमित रखे ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : रोली लगने से कम से कम आठ आना वहां की फसल खतम हो गई । उसके पास ही पंजाब और हरियाना का इलाका है वहां पर बम्फर क्राप हुई जब कि हमारे अलवर जिले में केवल आठ आना ही फसल हुई । मैं यही निवेदन करना चाहता हूं इस तरह से जिन अधिकारियों ने साजिश करके इस प्रकार का बीज दिलाया मैं समझता हूं इससे बढकर देश के साथ उनकी गद्दारी और हो नहीं सकती । इसलिये मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि आयन्दा के लिये सतर्कता बरती जावे और जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाय ।

**श्री भैरोंसिंह** : सभापति महोदय· · ·

**श्री सभापति** : आपकी पूर्व सूचना नहीं है और पूर्व सूचना के बिना कोई चर्चा नहीं कर सकता नियमों के मातहत ।

श्री कृषि मन्त्री ।

**श्री शोभाराम** (कृषि मन्त्री) : गंगानगर, सीकर और भरतपुर जिलों में संकर बाजरे के बारे में कहा गया और उसका बीज दोषपूर्ण होने से किसानों का नुकसान हुआ उस के बारे में सदस्यों ने चर्चा की । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह समस्या एक सूबे की नहीं है । इस समस्या को हम राष्ट्रीय समस्या मान कर चलना चाहते हैं ।

कम्पेन्सेशन देने का सवाल प्राय: सभी ने उठाया । इसके लिये अब तक जो परिपाटी

(श्री शोभाराम)

रही उसके बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। शंकर बाजरा किसी भी प्राइवेट फर्म से या प्राइवेट ग्रोअर से खरीदा जाता है और खरीदने से पहले नेशनल सीड कारपोरेशन उसको सरटीफाई करता है। बिना उसके प्रमाणित किये हम नहीं खरीदते। नौहर, भादरा और भरतपुर से एक लाट के बारे में शिकायतें आई कि इस बीज का जरमिनाइजेशन जीरो पर्सेन्ट से 30 परसेन्ट तक था जो किसी हालत में खेती के योग्य नहीं माना जाता। इस मामले को हम राष्ट्रीय बीज निगम के पास ले गये। वे कहने लगे कि हमने जब उसको सरटीफाई किया उस वक्त तो उसका जरमिनाइजेशन 79 परसेन्ट था बाद में आपके स्टोर करने वालों ने गडबडी की होगी। उसके लिये हम जिम्मेदार क्यों हों। इस पेशोपेश में यह मामला चल रहा है।

मैं समझता हूं यह बहुत ही वेदना देने वाला मामला है। इस बारे में मैंने अपने अधिकारियों से बातें कीं। मैंने कहा यह स्थिति किसी भी हालत में राजस्थान सरकार के लिये मन्जूर के योग्य नहीं है। तब हमने तै किया कि हम इस मामले में नेशनल सीड कारपोरेशन पर निर्भर रह कर नहीं चलेंगे। हम दोष उन पर डालते हैं और वह हमारे कर्मचारियों पर। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में किसान का तो नुक्सान होता है और इस प्रकार किसान का विश्वास अगर हमने उन्नत बीज और वैज्ञानिक प्रक्रिया पर से उठा दिया तो इससे देश का नुक्सान होगा। इससे होने वाली क्षतिपूर्ति फिर हम नहीं कर पायेंगे। इसलिये किसान में विश्वास बनाये रखने के हेतु हमने निश्चय किया कि यह भार हमें अपने विभाग को अपने सिर पर लेना चाहिये। अब इसमें तीन चार प्रकार की बातें आती हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं।

एक तो आगे से बीज को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की ओर से कृषि विभाग की होगी। दूसरी स्टोर करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर के अधिकारी की होगी। यह कहना कि सीड वेअर हाउस कारपोरेशन के गोदामों में जाकर गलता है तो जब उसके अच्छे होने पर उसका फायदा वे उठाते हैं तो खराब होने पर भी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिये। तीसरा यह जो करने जा रहे हैं वह यह है कि किसान को जानकारी होनी चाहिये कि वह सेम्पल रखे जो बीज उसको दिया गया है कि किस किसान से किस ग्रोअर से यह खरीदा गया कौन से रकबे में डाला गया उसका खसरा नम्बर क्या है ताकि गलत निकलने पर उसका पता लगाया जा सके। अलवर से बीज आया यह सही है। पर यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि कौनसे उत्पादक के कौनसे लाट नम्बर का कौनसे खेत में बीज गिरा और किस की गलती का यह फल था। यह पता नहीं चला। तो उत्पादक के बीज का सेम्पल रखना होगा ताकि बाद में पता चल सके। हम नहीं चाहते कि उसी ग्रोअर को बार बार फायदा मिले। कुछ लोग समाज में ऐसे पैदा हो गये हैं कि जो लाखों रुपया कमाना चाहते हैं दोषपूर्ण प्रणाली के द्वारा। मैं नहीं कह सकता कि किस हद तक त्रुटियां करते हैं। पर यह जो आठ आने किलो का देशी बीज विकता है उसके मुकाबले में जब हम उनको 6.50 रुपया किलो तक देते है और उनको यहां तक मिलता है और यह विशेष लाभ उनको होता है तो खराब होने पर उसका खमियाजा भी वे उठावें।

(श्री शोभाराम )

अब एक प्रश्न और आ जाता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । आप उस पर गौर करें । महाराष्ट्र में ग्रोअर्स की अपनी इन्डिपेण्डेन्ट एजेन्सी है । वे सरटीफाई करते हैं और जो नफा–नुकसान होता है तो उसी के पास एप्रोच करते हैं । हम सोचते हैं कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था यहां भी बन सकती है ?

फिलहाल तो हमने यही सोचा है कि सीड कॉरपोरेशन को प्रमाणिकता की जिम्मेदारी से हटाकर यह जिम्मेदारी स्वयं राजस्थान सरकार ले और शुरू से आखिर तक वह इसको देखे कि कहीं किसी दोषपूर्ण बीज से किसी किसान को नुक्सान तो नहीं हो रहा है और होता है तो उसका सही निराकरण किया जा सके ।

गंगानगर से एक लॉट आया । नाम तो मुझे याद नहीं । शायद रेखसिंह का था । एक लाख 19 हजार का था । उसमें से करीब करीब मैं समझता हूं 106 हजार का बीज भरतपुर में भेजा गया और करीब 13 हजार का बीज वहां पर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में खास तौर से उस लॉट को नौहर भादरा पंचायत समिति में भेजा । इसको दुबारा नेशनल सीड कारपोरेशन से अंकुरण की शक्ति के लिये टेस्ट करवाया वहां ० प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक निकला । राजस्थान सरकार ऐसे लोगों से भविष्य में बीज न खरीदे । आइन्दा उसकी फर्म से किसी प्रकार का बीज नहीं खरीदा जावेगा । अब दूसरा सवाल क्षतिपूर्ति का आता है । इसके पहले भरतपुर के लिये जहां तक फैक्चुअल रिपोर्ट की बात थी, दी । क्षति का सवाल रह जाता है ।

परसों के रोज मदनसिंहजी दाता ने मुझे कहा कि आप वहां के विकास अधिकारी से दर्याफ्त कर लें । पर उसकी क्या रिपोर्ट आती है और आपके अधिकारियों की क्या रिपोर्ट आती है । यह किस तरह से समन्वित हो यह देखें । मैंने इस पर उनसे टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की । मैं चाहूंगा कि अधिकारियों की रिपोर्ट अगर गलत साबित होती है तो दुबारा टेस्ट कराने पर भी और मौके पर जाकर हालत मालूम होती है वैसी तो अधिकारियों को दंडित करने का हमें अवसर मिलता है । मैं कल बात नहीं कर पाया पर उनसे दरख्वास्त करूंगा 9 तारीख के शाम तक चाहे सात को बनावें चाहे 9 को बनावें यह प्रोग्राम आप रक्खें, मैं खुद अपने अधिकारियों के साथ उस गांव में जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि जो विकास अधिकारी की राय है और जो आप कहना चाहते हैं और जो मुख्तलिफ राय रखते हैं और अधिकारियों ने राय दी इन दोनों की राय में कितना फर्क है । कितना किसका कसूर है । चार पांच रोज में ही यह करना चाहता हूं क्योंकि बाद में जाने का तो महत्व नहीं रहेगा । लेकिन इसके साथ ही साथ यह जो मैंने सीकर और नौहर भादरा की और भरतपुर की बातें की क्षति के मामले में अब यह सवाल है कि जब प्रमाणिकता निगम के लिए लेकर चलते हैं तो अब क्षतिपूर्ति किस से करें । हम उसके लिए नेशनल सीड कारपोरेशन के सामने इस मामले को लेकर जा रहे हैं । इस प्रकार के और भी मामले हैं । इसके साथ ही साथ उनसे यह भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जो अधिकारी आपके सर्टीफाई करने के अवसर पर यहां आये और जिन लोगों ने गडबडियां कीं और जो दुबारा वैरीफिकेशन और टैस्टिंग के बाद

(श्री शोभाराम)

खराबी पाई गई उन व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए। क्षतिपूर्ति करने की भी बहुत अहमियत है लेकिन इसका मौका ही क्यों आये? क्यों किसानों को मौका दिया जाये इस बात के लिए कि उसको बीज खराब मिला। जहां तक सीकर का सवाल है यह बात मन्जूर की है कि 16 तारीख को बीज दिया गया और 20 तारीख को बारिश हुई और जिसको हम कहते हैं सोडा की लेयर पानी की पड जाती है और वजन की वजह से अंकुर नहीं फूटते हैं ऐसी रिपोर्ट आई और इस प्रकार की रिपोर्ट भी आई कि 24 तारीख को दूसरी कई जगहों पर हल चलाकर देशी बीज बो दिया गया। तो यह जानकारी के विषय हैं।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह इनफर्मेशन की बात है और बहुत ही माकूल बात है। वह यह है कि जो लाट जहां जहां गया भरतपुर, नोहर और भादरा जिसकी हमने चर्चा की वहां पर कौन कौन से किसानों के खेतों में हाई यील्डिंग वैराइटी प्रोग्राम के तहत कितना एवरेज हुआ और कितना किसान का नुकसान हुआ-यह जानकारी करने की है। क्योंकि जब तक हम किसान के स्तर पर नहीं जायेंगे तब तक हमको पता नहीं लगेगा। तो इसकी जानकारी करना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम यह भी जानकारी करना पसन्द करेंगे कि वक्त से पहले 27-28 तारीख तक लोगों ने देशी बाजरे को बोया और दूसरा ले जाकर देशी बीज को बोकर लाट दिया उसकी भी जानकारी करनी होगी कि आखिर किसान का कितना नुकसान हुआ। यह नेशनल सीड कार्पोरेशन से इस प्रकार की घटना हुई उससे बहुत तकलीफ है। हम तमाम प्रश्नों को लेना चाहते हैं। आइन्दा के लिए हम राजस्थान सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं चाहे किसी प्रकार की खामियां हों। उन तमाम खामियों को लेकर हम दूर करेंगे और बाकी जो आपने मस्टर्ड और सरसों के बारे में और एरियल स्प्रे के लिए कहा मैं समझता हूं कि शंकर बाजरा के संबंध में मुझे वक्तव्य देना था। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भरतपुर जिला परिषद् ने या अलवर जिला परिषद् ने किसी प्रकार का प्रस्ताव पास किया हो वह आपके डवलपमेन्ट कमिश्नर के पास गया हो लेकिन मुझे उसकी सूचना नहीं मिली। लेकिन एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि क्योंकि यह बात बहुत गम्भीर है इसलिए कि पैदावार का नहीं होने का कारण कई फैक्टर्स हैं और उनकी तरफ मैं आपका ध्यान नहीं दिलाना चाहता हूं। एरियल स्प्रे के बारे में कहना चाहता हूं इस बात को आप गौर करें कि हम वैज्ञानिक परीक्षण के अन्दर से गुजर रहे हैं। हमारे सामने परीक्षण आये कि अमुक प्रकार की दवाई से अमुक प्रकार की बीमारियों को दूर किया जा सकता है तो एरियल स्प्रे ही एपेडेमिक के रूप में जहां फसलें खराब हो जाती हैं तो हमारे सामने दूसरा चारा नहीं रहता है सिवाय इसके कि हम हवाई जहाज से दवाइयां छिड़कें और अगर यदि दवाइयां किसानों को देते हैं तो वह कर नहीं सकते। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी खर्चा हुआ उसमें 12 आना भर सरकार का होगा और एक आना भर का खर्चा किसान से लेने की बात कही। याने 75 परसेन्ट तो सरकार और 25 परसेन्ट किसान का होगा। तो यह सवाल पैदा होता है कि इस प्रकार की

(श्री शोभाराम)

एपेडेमिक हो तो सदन फिर हमको सलाह दे कि पर्टीकुलर टाइप की दवाई असर करेगी या नहीं। यह प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। कितना उसका इम्पेक्ट हुआ इस संबंध में मैं जानकारी करना चाहूंगा कृषि विभाग से, रेवेन्यू के अधिकारियों से कि जो इस एरिया के अन्दर टोटल प्रोडक्शन मस्टर्ड का और सरसों का कितना हुआ और जो पिछले आंकड़े थे उससे मिलान करने के बाद हम फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने आखिरकार जो दवाइयों का इस्तेमाल किया वह किस प्रकार से प्रभावकारी रहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि हम नेशनल सीड कार्पोरेशन के सामने इस प्रकार के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़): मैं माननीय मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि आपने 7 तारीख को कहा है। मैं आपको बताऊं जहां बी.डी.ओ. स्वयं गया है और बीज बोया है और जैसा चाहा था वैसा काश्तकारों ने किया है....

**श्री शोभाराम**: मैं उन क्षेत्रों में भी जाना पसन्द करूंगा।

**श्री रामचन्द्र आर्य**: मैं यह जानना चाहूंगा कि गत वर्ष कितने किसानों को बीज का वितरण करने से नुकसान हुआ और उस नुकसान के लिए सरकार का क्या निर्णय है?

**श्री शोभाराम**: गत वर्ष जो भी इन्क्वायरी कराई माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आपका एक पत्र भी मुझे पहले मिला था इस वर्ष के दोषपूर्ण बीज के सिलसिले में। आपने पत्र लिखा था वह 1 महीने के करीब हुआ उसमें एक दो दिन इधर उधर हो सकते हैं। उसकी इन्क्वायरी कराई। हम नहीं कहते कि दोषपूर्ण बीज नहीं था। हमने माना है। गत वर्ष भी इन्क्वायरी कराई उसमें रिपोर्ट दूसरी प्रकार की उपलब्ध हुई और जब कि यह चर्चा जिला परिषद में या गंगानगर में बडा जलसा था जिसमें हमारे प्रोफेसर साहब भी थे उस समय भी मसला आया था। उसके बाद इन्क्वायरी कराई और उसके परिणाम यह निकले कि दोषपूर्ण नहीं पाया गया। इस साल दोषपूर्ण पाया गया। जब हमारे पास यह रिपोर्ट आई थी कि दोषपूर्ण नहीं पाया गया तो उसमें और एक्शन लेने की गुंजाइश नहीं थी। यह आप कह सकते हैं कि इन्क्वायरी की रिपोर्ट गलत है लेकिन फसल निकलने के बाद अक्टूबर और नवम्बर में संकर बाजरा के बारे में कोई जानकारी करूं यह सम्भव नहीं है। इसलिए मैंने मदनसिंह जी से कहा कि मैं उनके साथ जाना चाहता हूं। नोहर भादरा के लिए हम मन्जूर करते हैं कि जो एक लॉट का बीज था उसके दोषपूर्ण के बारे में इन्क्वायरी रिपोर्ट कहती है कि गलत बीज था और जितना हम कर सकते हैं करेंगे और एक्शन लेने की बात भी सोच रहे हैं।

**श्री रामचन्द्र आर्य**: सभापति महोदय पिछली साल बाजरा निकालने के बाद प्रमाणित नहीं हो सका तो क्या इस साल भी यह इन्क्वायरी कुछ महीनों के बाद कराई जायेगी और फिर आप कह देंगे कि कई खेतों में नहीं उगा और कईयों में उगा तो यह इन्क्वायरी भी रद्दी की टोकरी में इस साल चली जायेगी। इन्क्वायरी आप नहीं करा सकते। इन्क्वायरी करने वाले भी वही आदमी हैं और बीज का वितरण करने वाले भी वही

(श्री रामचन्द्र आर्य)
हैं। आप स्पेशल जांच करवाईये। अगर आप करना चाहते हैं तो नहीं तो कोई फायदा नहीं है।

**श्री रामकिशन** (वैर): सभापति जी जो मंत्री महोदय ने भविष्य के बारे में आश्वासन दिया है उसका तो हम अध्ययन करेंगे और शायद हम सही दिशा की ओर जा रहे है लेकिन आपने कहा कि राज्य सरकार के बीच में और नेशनल सीड कारपोरेशन के बीच में यह विचार चल रहा है कि मुआवजा कौन दे? यह विवाद तो आप अपने आप निपटाते रहिये लेकिन एक काम कीजिए आप कि अपने लेवल पर यह मालूम करें कि किस की गलती है यह फैसला करें और यह करें तब तक आप अपने लेवल पर इन्टरिम सहायता की व्यवस्था जरूर करें। जैसे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं यह थोड़े बहुत पैसों का सवाल नहीं है। मंत्री महोदय इस संबंध में निश्चित रूप से कहें कि कितना नुकसान हुआ है, किन को बीज बांटा है उसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करें। दूसरी बात कही गई दवाइयों के छिड़कने के बारे में लेकिन उसके कारण क्या हुआ है कि लोग कहते हैं कि एक तो अलवर का ही दवाई विक्रेता है और दूसरी दवाई की जितनी क्वालिटी पानी में मिलानी चाहिए वह नहीं मिलाई और वह दवा इफेक्टिव है यह केवल प्रचार के लिए है। मेरे इलाके में जो खेती के लिए बढिया जगह है, वहां काश्तकारों ने सरसों की और खेतों में दवाई छिड़की तो जिसके खेत में पहले तीन हजार मन, ढाई हजार मन सरसों हुआ करती थी उसके खेत में बाईस सौ मन सरसों केवल हुई। तो आपकी तरफ से जहां भी दवाई छिडकी गई वहां पर खेती साफ हो गई। इसका कारण पूछा तो किसी आदमी ने कहा कि बजाय दवाई के पानी छिड़क दिया गया और दवा वापिस बाजार में बेच दी गई। एक बात और आई, कि ऊंचाई से चला गया हवाई जहाज। मेरा निवेदन है कि इस मामले की जांच करायें और इस मामले को साफ कर दें नहीं तो कोई भी किसान इस विभाग का सहयोग लेने को तैयार नहीं होगा। जब किसान सहयोग नहीं लेगा तो फिर आप इस विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह कहां से चुकायेंगे। इस तरह के बेकार विभागों के कारण राज्य का व्यय बढता जा रहा है। इसलिए आप इस सम्बन्ध में स्पष्ट करें।

**श्री शोभाराम** : जो कुछ मैं कह चुका हूं उसमें इसके बारे में कह चुका हूं।

**एक माननीय सदस्य**: मैं एक सूचना कृषि मंत्री से लेना चाहूंगा। जो किसान शीड ग्रोअर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज जिले वाइज ...

**श्री श्रवणलाल** : यह शंकर बाजरा है।

**श्री केसरी सिंह हाडा**: वर्ण संकर बाजरा है।

**एक माननीय सदस्य**: उनको सीड ग्रोअिंग की ट्रेनिंग देने की नीति के लिए क्या विचार रखते हैं? दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां जहां भी यह ग्राम सेवक और कृषि प्रसार अधिकारी हैं उनको गांव में तो छोड रखा है लेकिन जहां पर भी बीज देते हैं वहां पर जिस तरह से बीज को बोना चाहिए, खेत को जिस माफिक जुतवाना

(एक माननीय सदस्य)
चाहिए, उसकी देख-रेख वह करते हैं और देखरेख-करने के पश्चात् दस दिन के अन्दर या महीने के अन्दर उनकी रिपोर्ट आपके पास आती है? इसके लिए क्या नीति निर्धारित की है? इन प्रश्नों का जवाब मैं जानना चाहूंगा।

**श्री नाथूराम करोल** : राजस्थान में कितनी जमीन में संकर बाजरा नहीं हुआ? और इससे काश्तकारों को कितना नुकसान हुआ?

**श्री सभापति**: चर्चा समाप्त हुई।

**श्री भवनलाल** : इसके बारे में जवाब नहीं दिया कि जिन काश्तकारों को नुकसान हुआ है उनको हम इतनी इमीजियेटली सहायता देंगे। इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया।

**श्री सभापति**: राज्य की बाढ़ एवं अकाल स्थिति पर विचार।

**श्री नाथूराम करोल**: वह तो होगा। मैंने जो क्लेरीफिकेशन मांगा था कि इतनी कितनी जमीन है . . .

**श्री सभापति**: बहुत क्लेरीफिकेशन हो चुका है। बहुत हो चुका है।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : मंत्री महोदय, कहते कहते रह गए हैं। वह एरिया बतायें कि कितने एरिया में खराबी हुई है?

**श्री शोभाराम** : जमुआ रामगढ़ के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं आई है। हम जिलों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। आप मुझे लिख कर दे दें, मैं जानकारी कर लूंगा।

**श्री दौलतराम सारण** : क्या आपको जानकारी है कि कुल कितने एकड़ जमीन में यह बाजरे के बीज नहीं उगे? कुल कितने एकड़ में यह बीज नहीं उगा है?

**श्री सभापति** : अलग से प्रश्न है। माननीय मंत्री जी? आपके पास आंकड़े हों तो इस पर प्रकाश डाल दें।

**श्री दौलतराम सारण** : अलग से प्रश्न कहां है। बाजरे का बीज खराब हो गया, वह उगा नहीं, इससे किसान बरबाद हो गये और इसके आंकड़े मंत्री महोदय को पता नहीं हैं।

**श्री सभापति** : यह अलग से प्रश्न है।

**श्री भवन लाल**: मुआवजे की बात कह रहा हूं,-मुआवजा कितना होगा और किसको देंगे?

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : भरतपुर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतपुर में पंचायत समिति क्षेत्र में बाजरे का बीज खराब हुआ, तो संकर बाजरे का आप बतायें कि कुल कितनी पंचायत समिति क्षेत्र में संकर बाजरे का बीज खराब हुआ है? यह सूचना आप दे दीजिये कितने एकड़ जमीन है जिसमें संकर बाजरे का बीज खराब हो गया है। कितने ही किसान तो कह देते हैं लेकिन कितने ही किसान यह सोचकर नहीं कहते कि सुनने वाला नहीं है। बैठ जाते हैं इसलिये मंत्री जांच कर बतायें कि संकर बाजरे का बीज कितनी जगह बोया गया और कितनी जगह खराब हुआ है इस प्रकार की सूचना सदन में दे दें ताकि यह पता चल सके कि डिपार्टमेंट ने कितनी

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
उन्नति की है और कितनी अवनति की है और आगे के लिए क्या करना है ?

**श्री सभापति** : आगे विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है।

**श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : एकड़ जमीन कुल कितनी है, यह बता दें, और लम्बा चौडा पूछा क्या है।

**श्री सभापति**: आगे का विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

**श्री केसरीसिंह हाडा** : सभापति महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

**श्री गंगाराम राजोरिया** : सभापति महोदय, यह काफी महंगा बाजरा है, इसकी जानकारी मंत्री महोदय दे दें।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

**श्री डूंगाराम राजोरिया**: सभापति महोदय मेरा कहना यह है कि सरकार जिस चीज से ज्यादा पैदावार करने जा रही है उसके बारे में राज्य सरकार के पास सूचना नहीं है कि कितना बाजरा बोया है? यह कितना महंगा बाजरा है, यह किसान बोते हैं लेकिन मंत्री महोदय को यह सूचना नहीं है कि कितने एकड़ में बोया है और कितने में खराब हुआ है, कितने में अच्छा हुआ है । तो किस आधार पर बीज बांटते है?

**श्री सभापति**: आर्डर प्लीज! माननीय मंत्री जी, आंकड़े हों तो बता दें।

**श्री शोभाराम**: तीन जिलों के अलावा और जिलों के आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।

**राज्य की बाढ़ एवं अकाल स्थिति पर विचार**

**श्री सभापति** : चर्चा समाप्त हुई । राज्य की बाढ़ एवं अकाल स्थिति पर चर्चा । माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि राज्य की अकाल एवं बाढ स्थिति पर भाषण सीमा 15 से 25 मिनिट रहेगी।

श्री मूलचन्द कटेवा।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : सभापति महोदय, समय को देखते हुए पन्द्रह मिनिट रखिये। काफी बोलने वाले होंगे।

**श्री सभापति** : यह आप लोगों के सहयोग पर निर्भर करता है।

**श्री भवरलाल** : क्या यह संकर मक्का बोल रहे हैं?

**श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) : सभापति महोदय, वैसे तो अकाल राजस्थान के लिए कोई नई चीज नहीं है। दुर्भाग्य से राजस्थान के किसी न किसी इलाके में हर वर्ष अकाल की छाया रहती है ...

**श्री भवरलाल** : हरे हरे !!

**श्री मूलचन्द कटेवा** : इस वर्ष अकाल जिस गम्भीरता को लेकर आया वह बहुत गम्भीर बात है। आज इस समय अकाल के विषय में इस सदन में विचार हो रहा है, मैं समझता हूं कि राजस्थान ...

**श्री मूलचन्द कटेवा** : राजस्थान का आधा हिस्सा ...

**श्री श्रवण लाल** : इनका समय कांग्रेस पार्टी का है या स्वतंत्र पार्टी का है।

**श्री केसरी सिंह हाडा** : आधा आधा कर दीजिये, मिक्स्ड मामला है।

**श्री प्रेमसिंह सिंघवी** : अकाल ने इनको इधर से उधर डाल दिया। इधर से उधर फिर गये हैं ...

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज !

**श्री मूलचन्द कटेवा** : अकाल से ग्रस्त है और दिन पर दिन अकाल का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष का अकाल है उसमें पशुओं के लिए, आदमियों से भी ज्यादा गम्भीर समस्या है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ जिलों के अन्दर लगातार पहली वर्षा बीस पच्चीस दिन होती रही ...

**श्री श्रवणलाल** : यह आपके उधर जाने का फल है।

**श्री मूलचन्द कटेवा** : इस कारण किसानों को तीन चार दफा काश्त करनी पड़ी। तीन चार दफा काश्त करने के कारण किसानों को भारी खर्चा उठाना पडा और उसके बाद दूसरी वर्षा नहीं हुई इसलिए वह फसल भी नष्ट हो गई। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके अन्दर शुरू से वर्षा नहीं हुई, वहां भी अकाल की भयंकर स्थिति आ चुकी है और कुछ इलाके इस प्रकार के हैं जहां पर एक के बाद दूसरी वर्षा हुई लेकिन अगर अगले आठ दस दिनों के अन्दर वहां भी वर्षा नहीं होगी तो वहां भी इसी प्रकार की अकाल की स्थिति सामने आयेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसके विषय में कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही करें। अगर प्रारम्भिक कार्यवाही समय पर नहीं की गई तो अकाल की भीषणता से मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। मेरा उनसे निवेदन है कि सबसे पहले तो प्रान्त व प्रत्येक जिले और तहसील लेवल पर अकाल सहायता समितियों का निर्माण करना चाहिए और यह जो अकाल सहायता समिति ...

**श्री प्रेमसिंह सिंघवी** : और उनका चैअरमैन इनको बना देना चाहिए।

**श्री मूलचन्द कटेवा** : तहसील में बनाई जायं, उनसे कहा जाय कि वह अपनी अपनी तहसील की अकाल सहायता समिति की बैठक बुला कर वहां की स्थिति का अध्ययन करके उसकी रिपोर्ट जिले को भेजें और जिले की अकाल सलाहकार समिति की रिपोर्ट प्रान्त की अकाल सलाहकार समिति के पास जल्दी से जल्दी पहुंचनी चाहिए क्योंकि इस बार राजस्थान में अकाल की स्थिति भयंकर है।

(2 म. प.)

अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की स्थितियां पैदा होंगी, अलग अलग जिलों की अलग अलग समस्याएं होंगी, तो मैं समझता हूं इस तरह की समितियों का राज्य सरकार निर्माण करेगी तो इस भयंकर अकाल का मुकाबला करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

एक तो मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल पड चुका है या जिन क्षेत्रों में कुछ ही दिनों में अकाल जैसी स्थिति पैदा होने वाली है, उन क्षेत्रों में तत्काल ही अकाल की घोषणा होनी चाहिये क्योंकि हम देखते हैं कि अकाल-राहत कार्यों में बहुत विलम्ब होता है और

(श्री मूलचन्द कटेरा)

सहायता कार्य बहुत लेट हो जाते हैं, अकाल पड़ने के बहुत बाद में देरी से सहायता कार्य शुरू होते हैं। अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल की भीषणता जब अकाल शुरू होता है उस समय ज्यादा होती है, अकाल की शुरुआत में जितनी भीषणता होती है, उतनी भीषणता बाद में नहीं होती है इसलिये मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय जिलाधीशों से बराबर सम्पर्क स्थापित रखें और उनसे कहें कि ज्योंही उनके जिले में अकाल की स्थिति हो राज्य सरकार को तत्काल सूचित करें ताकि राज्य सरकार तत्काल उन क्षेत्रों में अकाल की घोषणा करें।

तीसरी बात, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि दूसरे प्रान्तों से जो चारा आदि खरीदने की बात है, उसमें बहुत तत्परता रहनी चाहिये। हमारे राजस्थान में सबसे बडी गम्भीरता समस्या चारे की आने वाली है। इतने बडे क्षेत्र में इतने बडे पैमाने पर अकाल घोषित होने पर, दूसरे प्रान्तों पर भी असर पडेगा। देश के दूसरे प्रान्तों में भी अकाल घोषित हो सकते हैं तो चारे वाले प्रान्तों में भी चारे की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसलिये राजस्थान सरकार को अभी से ही चारे की खरीद शुरू करनी चाहिये। सभापति महोदय, मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इसमें संदेह है कि राजस्थान सरकार इतना सारा चारा लाकर राजस्थान के पशुधन को बचा सकेगी, क्योंकि यह कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इन अकालग्रस्त क्षेत्रों में चारा लाना चाहे तो अकाल क्षेत्र के रहने वाले उस व्यक्ति को रेल किराया सरकार दे, तभी सही रूप में हमारे राजस्थान के पशुधन की रक्षा हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से एक यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे राज्य सरकार से कह कर इस बात की व्यवस्था करायें कि जिन इलाकों में अकाल पड़ चुका है या निकट भविष्य में अकाल पड़ने वाला है, चाहे उन क्षेत्रों में अकाल घोषित हो या नहीं, सभी प्रकार की वसूलियां बन्द होनी चाहिये। आज राजस्थान में तरह तरह की वसूलियां हो रही हैं, लगान की वसूलियां, पंचायत समिति के ऋणों की वसूलियां, कस्टोडियन की वसूलियां और अन्य प्रकार की वसूलियां हो रही हैं। अगर ये वसूलियां इसी प्रकार होती रहीं और लोगों के पास से पैसा निकलता रहा तो एक दिन वह स्थिति आ सकती है कि आप चाहे अनाज ला कर रख देंगे, चाहे चारा लाकर रख देंगे पर लोगों के पास उन्हें खरीदने के लिये पैसे नहीं रहेंगे, उनकी परचेजिंग पावर बिल्कुल नहीं रहेगी, इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि किस जगह अकाल पड चुका है, किन किन जगहों में पांच सात दिन में अकाल पड़ने वाला है, तो इस प्रकार का प्रबन्ध उनको वहां तत्काल करवाना चाहिये, सब प्रकार की वसूलियां बन्द करा देनी चाहिये।

एक मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के कार्य को अकाल सहायता कार्य में शामिल किया जाना चाहिये, बिजली के कार्य को सहायता कार्य में शामिल नहीं करेंगे तब तक अकाल की समस्या का हल नहीं होने वाला है। राजस्थान में एक ही चीज

(श्री मूलचन्द कटेवा)

जो राजस्थान को अकाल से बचा सकती है, और वह है बिजली। बिजली गांव गांव में जाय, ट्यूब वैल जितने हैं, उनको बिजली मिले, कुओं पर बिजली पहुंचाई जाय तो राजस्थान को अकाल से छुटकारा मिल सकता है। पर मैं समझता हूं, बिजली बोर्ड आज जिस तरह बिजली दे रहा है, यदि उसी प्रकार का क्रम चलता रहा तो आगे आने वाले २० वर्षों में भी बिजली सब जगह नहीं पहुंच सकेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप यह कार्य अपने लेवल पर नहीं कर सकते हैं तो भारत सरकार से कहिये कि वह अकाल सहायता कार्यों में बिजली को भी शामिल करे।

इस समय राजस्थान में पता नहीं कितनी तादाद में कुए तैयार हैं, जहां बिजली की फिटिंग तैयार है, सिक्योरिटीज जमा करा चुके हैं पर उनको बिजली नहीं मिली है, मेरे क्षेत्र में 198 कुए ऐसे हैं...

**श्री रामचन्द्र आर्य** : 107 हैं, 198 नहीं हैं।

**श्री मूलचन्द कटेवा** : इन कुओं को अगर बिजली मिल जाय तो 1,00,000 मन अनाज व 7000 मन चारा उनसे पैदा किया जा सकता है, तो कृषि विभाग के मंत्री जी को और अकाल राहत मंत्रीजी को चाहिये कि बिजली मंत्रीजी से सम्पर्क स्थापित करें और चाहे कुछ भी करना पडे जहां जहां किसान कुओं पर बिजली के कनेक्शन्स लेने के लिये तैयार हैं, उनको जल्दी से जल्दी बिजली दी जाय। इसी तरह से हर जिले में इतनी भारी तादाद में कुए तैयार हैं, उन गांवों में तैयार हैं वहां बिजली आई हुई है, पर उनकी सिक्योरिटीज जमा नहीं की जा रही है और इस कारण वे अपने कुओं पर बिजली का फिटिंग नहीं करवा रहे हैं। अगर उनको बिजली दे दी जाय तो गेहूं की फसल के लिये वे लोग कुओं को चालू कर सकते हैं, जिससे इस अकाल में भी और आगे भी हमेशा के लिये बड़ी सहायता मिलेगी।

सबसे बडा आवश्यक काम यह है कि जिन कुओं को बिजली मिल चुकी है उनको पूरा वोल्टेज दिया जाना चाहिये, आज उनको पूरा वोल्टेज नहीं मिलने के कारण किसान अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन नहीं कर सकता, जिस जगह 200 हॉर्स पॉवर का ट्रान्समीटर होना चाहिये उस जगह आज 100 हॉर्स पॉवर का ट्रांसमीटर लगा हुआ है। जहां बडा स्टेशन होना चाहिये, वहां आज छोटा स्टेशन है। इसलिये बिजली विभाग को कहा जाना चाहिये कि फौरन इस तरह की सारी स्थिति का अध्ययन करके इस प्रकार की कमियों को दूर करें ताकि अन्न और चारे की समस्या का समाधान हो सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अस्थाई अकाल सहायता कार्यों के बदले ऐसे स्थाई कार्य चलायें जो कि स्थाई हों। आज अकाल राहत कार्यों में आप गांवों में सडकें बनाते हैं, इन पर बडा खर्चा होता है, इस वर्ष सडक बनती है और अगले साल उड जाती है, और इससे लोगों के दिलों में इस तरह के खयाल पैदा होते हैं कि यह सरकार समझदार सरकार नहीं है, यों भी इतना पैसा बर्बाद करती है, यह सही है। सिवा अकाल में थोडी बहुत राहत देने के वह किसी काम में नहीं आती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आपको इस तरह के निर्माण कार्यों का स्वरूप बदलना चाहिये।

# Page No. 79



(श्री मूलचन्द कटेवा)

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि जितनी ज्यादा से ज्यादा धनराशि कुए बनाने के लिये किसानों को कर्ज के रूप में दे सकें दें। अगर एक कुए को चलाने के लिये एक एक कुआं खुदवाने के लिये 4000 रु० भी ऋण दे देंगे तो वहां बीस, बीस, पच्चीस पच्चीस आदमियों को दो-दो महीने का काम मिल जायगा और इससे राजस्थान को हमेशा के लिये अकाल से राहत मिलेगी।

इसी प्रकार पंपिग सैंट्स लगाने के लिये अकाल के मद से किसानों को लोन दीजिये जिससे किसान लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पंपिग सैंट्स लगा सकें और अन्न का उत्पादन बढा सकें।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि जब इस बहस का जवाब दें तो निश्चित रूप से घोषणा करें कि राजस्थान में इस अकाल की चाहे कितनी ही बडी भयंकरता क्यों न हो, किसी भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया जायगा और अपने वक्तव्य में इस बात का आश्वासन दिलायें कि इस अकाल की कितनी भी भीषणता होने पर भी राजस्थान के एक एक पशु की रक्षा की जायगी, एक भी पशु को चारे के अभाव में नहीं मरने दिया जायगा।

अब मैं संक्षेप में मंत्री महोदय का ध्यान अपने जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे जिले में भूमिगत पानी बडी भारी तादाद में है, मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत कम जिले हैं जहां ट्यूब वैल से चौबीसों घंटे पंपिग सैट चलने पर भी एक फिट भी पानी नहीं टूटता। झुंझुनूं जिले में लोगों ने एक एक कुए पर एक एक पंपिग सैट तो लगा ही रखे हैं दूसरे और पंपिग सैट्स लगाने शुरू कर दिये हैं। दो-दो पंपिग सैट्स चौबिसों घंटे चलाने पर भी उन कुओं का पानी कम नहीं होता है, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि झुन्झुनूं जिले में प्रॉयोरिटी के आधार पर पंपिग सैट्स लगाने की व्यवस्था की जाय जिससे झुन्झुनूं जिला अपने अकाल का मुकाबला करने के लिये, राजस्थान के अकार का मुकाबला करने के लिये अनाज और चारा दे सके।

मैं मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे झुन्झुनूं जिले में जिन कुओं में बिजली लगी हुई है, उनमें देशी गेहूं की उपज एक एकड में 40 मन से कम नहीं है। और आपका 227 का गेहूं 82 और 83 मन एकड में हुआ है। वहां अकाल पड चुका है और अकाल सहायता के अन्दर झुंझुनूं जिले के लिए खास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि वहां बिजली का प्रसार हो, ज्यादा से ज्यादा गांवों में बिजली मिले, ज्यादा से ज्यादा कुओं व पंपिग सैट्स के लिए ऋण दिए जायं ताकि वहां पर स्थाई इंतजाम हो सके। हमारे झुंझुनूं जिले में आज जो बिजली की स्थिति है अगर वह स्थिति रही तो मैं समझता हूं कि जितने भी पम्पिंग सैट्स हैं वे इस वर्ष अनाज पैदा नहीं कर सकेंगे। हमारे यहां इतने अधिक कनेक्शन्स दिए जा चुके हैं और दिए जाने वाले हैं कि वह पॉवर स्टेशन छोटा पडता है, खेतडी में बडा पॉवर स्टेशन बनाया जा रहा है। बिजली विभाग के कहने अनुसार वह दिसम्बर में तैयार होगा। अगर खेतडी पॉवर स्टेशन दिसम्बर तक बनेगा तो आप झुंझुनूं से आशा न रखें कि वे अनाज या चारा पैदा करके देंगे।

(श्री मूलचन्द कटेवा)
इसलिए आप मुख्य मंत्रीजी से सम्पर्क स्थापित कर इस बात की व्यवस्था करें कि दिन रात काम करके किसी प्रकार खेतडी का पॉवर स्टेशन फसल की बुवाई से पहले तैयार हो जिससे आपको अच्छी मदद मिल सके ।

राज्य सरकार के पास चिडावा में कड़वी का भंडार था वह बेचा गया बागरे लगी हुई थ वह 10 साल तक खराब नहीं हो सकती थी। शायद सरकार को 8 से 22 आने मन की कीमत प्राप्त हुई है । सौभाग्य से कडवी का स्टाक आज भी उस जगह पड़ा है । इसलिए आप जिलाधीश, झुंझुनूं से संपर्क स्थापित करके उनसे कहलाइए ताकि वह उस कडवी के स्टॉक को अपने कब्जे में ले और कायदे के अनुसार उसका रेट तय करके बेचने की व्यवस्था करे । जिलाधीशों को अधिकार है कि किसी भी कमी वाली चीज का मात्र निर्धारित कर उस व्यक्ति को दिला सकें जिसको जरूरत हो । तो वह कडवी अपने कब्जे में ले तो झुंभुनूं जिले की घास की समस्या में बडा योगदान मिलेगा ।

अब बाढ के बारे में अपने क्षेत्र की मैं जानकारी देना चाहता हूं । अन्य क्षेत्रों के बारे में तो मेरे और साथी बोलेंगे । मेरे क्षेत्र में छतर वाला गांव है जिसके चारों ओर नदी बही है उसने अब बहाव बदल दिया है । गांव वालों की खुशकिस्मती थी कि गांव ऊंचे स्थान पर होने के कारण ज्यादा नुक्सान नहीं हुआ लेकिन अभी जो बाढ आई तो गांव के नीचे भी कटाव हो गया है, सारे गांव की खैर नहीं । वह गांव 300-350 घरों का है, आप कृपा कर नदी के बहाव को रोकें । मुख्य मंत्रीजी ने दौरे पर सिचाई विभाग के इंजीनीयरों को आदेश दिया था कि वे तुरन्त जाकर स्कीम बनायें लेकिन दुख की बात है कि आज तक कोई वहां नहीं गया । इसी तरह से सुलताना का कस्बा है जहां जंगल और अरेड का पानी आकर घुसा । 300 घरों को नुक्सान पहुंचा है । उस पानी को रोकने की भी व्यवस्था की जाय ।

अंत में मैं मुख्य मंत्रीजी और अकाल सहायता मंत्री से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जनता जिस भीषण अकाल के अंदर झूझ रही है, उसकी नजर आप पर है । आपकी तत्परता राजस्थान की जनता के काम आएगी । इसलिए अगर आपकी तरफ से पूरी तरह से तत्परता से अकाल का मुकाबला किया जायगा और सारे के सारे सदस्य इस कार्य में जूझेंगे तो अकाल का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकेंगे ।

**श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन के सामने बाढ और अकाल का प्रश्न विचाराधीन है । अतिवृष्टि और अनावृष्टि ने राजस्थान के जन-जीवन को झकझोर दिया है । बाढ के कारण राजस्थान में 69 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 10 बंधे टूटे, 125 बंधे क्षतिग्रस्त हुए । सरकारी और गैर सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति, कुओं, यंत्र, बिजली के खंभे, मकानों और जल-प्रदाय योजनाओं को हानि हुई । फसलों की बहुत हानि हुई, पशुधन की बहुत हानि हुई, लेकिन इन सारी हानियों के बावजूद हमें राज्य सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया कि कुल हानि कितनी हुई । पशुओं की हानि के बारे में यह नहीं बताया गया कि कुल कितने पशु इसमें मरे २ हजार ग्रामों के ६८ हजार परिवार प्रभावित हुये। बताया गया है कि व्यापक

# Page No. 81



(श्री दौलतराम सारण)

तौर से बाढ का असर पडा है। इस विवरण में और मंत्री महोदय के वक्तव्य में राजस्थान की घग्घर नदी की बाढ का कोई उल्लेख नहीं है। उससे होने वाली हानि का विवरण इसमें नहीं दिया गया है। बाढ से होने वाली हानि खेदजनक है, विचारणीय है। जिन लोगों की जाने गई हैं या जिन लोगों की हानि हुई है, सबके प्रति मेरे दल की ओर से और अपनी ओर से मैं हार्दिक श्रद्धांजलि और संवेदना प्रकट करता हूं।

बाढ प्रतिवर्ष आती है लेकिन इस वर्ष अचानक अप्रत्याशित वर्षा के कारण आई और ऐसी जगहों पर आई जहां प्राय आती, इसलिए हानि विशेष हुई। बाढ के लिए जो तत्कालिक राहत देने का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण अपनाया गया और जिस तरह से बाढ के कार्यों में भी राजनैतिक लाभ लेने के लिए लोभ संवरण नहीं किया जा सका, वह निंदनीय है। 5-5, 7-7 दिन तक बाढ से घिरे हुए लोगों के पास कोई सरकारी कर्मचारी आया तक नहीं। रेडियो पर प्रचार के बाद 4-5 दिन पहले हेलीकोप्टर से देखा, इसको कई बार रेडियो पर एनाउंस किया गया। लेकिन सदन को जानकर आश्चर्य होगा कि यह सब दस्तूर पूरा करने के लिए और प्रचार को सही साबित करने के लिए था। अगर प्रकृति के प्रकोप के अवसर पर इस तरह का व्यवहार राज्य सरकार की तरफ से किया जायगा तो वह अत्यंत आपत्तिजनक तो होगा ही लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से भी परे होगा, बार बार हमें कहा जाता है कि बाढ और अकाल जैसे प्रश्न पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। हम इस शब्द का जहां तक उपयोग करते हैं, वहां तक तो हम दाद देते हैं लेकिन जहां तक व्यवहार का प्रश्न है, राज्य सरकार मानवीय दृष्टिकोण नही अपनाती। बाढ के मामले में राज्य सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया, पक्षपात किया, देरी से राहत देने की चेष्टा की और जो राहत दी गई वह पक्षपातपूर्ण ढंग से दी गई। यह मेरा आरोप है। राजस्थान के घग्घर क्षेत्र को बाढ से जो हानि हुई है हजारों एकड की चारे चावल को फसलें बह गई या नष्ट हो गई, उसका कोई विवरण नहीं। उसका कोई विवरण यहां नहीं दिया गया। इसके अलावा घग्घर ने और भी कई हानियां की। वहां भी डाइवर्शन कैनाल कब बनेगी, इस वर्ष बनेगी। इस वर्ष कहा गया कि पक्की बना दी जायेगी। और नहीं टूटेगी। भगवान् ही जाने वह टूटेगी या नहीं। घग्घर का उपयोग अन्न उत्पादन के लिये किया जाना चाहिये था वह राज्य सरकार नहीं कर सकी। सरकार जिम्मेदारी से काम लेती तो पंजाब के लखाडिया नाले को राजस्थान में ले आती उसी पानी की राह को बदल कर बीकानेर गंगानगर, चूरू और सीकर और झुंझुनूं के क्षेत्र में लिफ्ट द्वारा पहुंचाया जाता तो उन क्षेत्रों की धरती अकाल से नहीं पीडित होती और हरे भरे खेतों में वह लहलाती और उन इलाकों का नकशा ही बदल जाता लेकिन राज्य सरकार ने फलड के पानी को लाने की बात तो दूर रही, जो निर्धारित योजना थी, जो निर्धारित प्रोग्राम बन चुका था उसको भी ढील में डाल दिया। राजस्थान नहर के कार्य को ढीला कर दिया और पूरा नहीं लिया हाथ में। युद्ध स्तर पर उसको लिया जाता तो जैसलमेर से रामगढ तक अकाल

(श्री दौलतराम सारण)

की छाया कम हो जाती और राजस्थान को चारे और अन्न के लिये इतनी चिन्ता नहीं करनी पडती जितनी आज करनी पड रही है उसको आर्थिक आधार बता कर उपेक्षा करते है। आर्थिक आधार उतना बडा कारण न था जितना राजनैतिक कारण था। सिद्धमुख के कार्य को रोका गया। जहां अच्छी जमीन है और प्राय: अकाल पडता है उसको नहीं लिया गया। नोहर फीडर के कार्यक्रम को नहीं लिया गया और लिफ्ट चेनल के द्वारा तारानगर का सर्वे किया था उसको नहीं लिया और एक लिफ्ट योजना जो छोटी सी है लूणकरणसर और बीकानेर के लिये ले गये। वह मामूली योजना थी। जो रूप था उसको चौथाई कट करके नहीं रखा है पांचवां हिस्सा कर दिया जहां 7 लाख एकड में सिंचाई होने वाली थी वहां 1॥ लाख एकड में ही सिंचित करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की सरकार अकाल का स्थायी हल करने की चेष्टा नहीं कर रही है न ही उसको घटाने की भी चेष्टा कर रही है। कोई इनके प्रयास स्थायी हल की ओर नहीं हैं। वह तो केवल थेगा लगाते हैं। वह क्षणिक इन्तजाम करके काम करती है। प्रकृति के प्रकोप को रोकने के लिये, लम्बी योजना बना कर दूरदर्शिता से काम नहीं लेती है।

राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में अकाल पडता है तो कहा जाता है:

"पग पूगल धड मेडतै, बाहू बाडमेर।
धरतो फिरतो बीकपुर, ठावो जैसलमेर॥"

वहां हर तीसरे वर्ष अकाल होता है। एक कवि ने कहा है:

"सात काल सताइस मांजरा, तरेसठ कोरा काचा
तीन काल इसा पडे, मावां मिलै न बाचा॥"

इस तरह से एक सदी का वर्णन उन्होंने किया है जो क्षेत्र सदा अकाल से पीडित रहता है उसके बारे में साधारण योजनाओं से मुकबला नहीं किया जा सकता। मुझे खेद है कि अकाल के सम्बन्ध में एक जगह लिखा गया है पशु जो बाहर जावेंगे उसके लिये विशेष व्यवस्था करनी है। 20 वर्ष की आजादी के बाद खाना बदोश की तरह लाखों किसान बाहर जायं यह बडी शर्म की बात है। ऐसी मुकम्मिल व्यवस्था की जानी चाहिये थी कि उनको बाहर नहीं भटकना पडता। हमारे क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता और आपत्कालीन स्थिति में अपने साधनों से उत्पादन करते। यहां की प्रत्येक योजना क्षणिक होती है। एक्स्प्लोरेटरी ट्यूब वेल्स से देखा गया कि पानी है या नहीं। पानी मिला है काफी मात्रा में और काफी जगह मिला है। उन कुओं का सदुपयोग आज अकाल निवारण के लिये किया जाय, चारे अन्न उत्पादन के लिये उनका उपयोग होना चाहिये था वह नहीं हुआ। वह राज्य सरकार के द्वारा धन न देने के कारण नहीं हुआ। अब राज्य सरकार अकाल के नाम पर धन कितना उडायेगी तीन-तीन, चार-चार मील सडकें चार-चार लाख रुपया लुटाया गया जहां पर सडकें बनी लोगों की जमीनें ले ली गई न तो उनका मुआवजा दिया गया और न ही उन का लगान माफ हुआ। कोई उनकी सुनवाई नहीं। उनके खेतों में खाने निकाल कर गड्ढे खोद दिये जाते हैं बड बडी चट्टाने पत्थरों की लगा देते हैं। अकाल सहायता के नाम पर यह सब किया गया और किया जाता है। किसान पर

# Page No. 83



(श्री दौलतराम सारण)

एक तरफ प्रकृति का प्रकोप है तो दूसरी तरफ सरकार की उस पर मार पडती है। वह मन मसोस कर रह जाता है और बद-दुआयें देता है उसके सिवाय उसके पास और कोई जरिया नहीं। इतना ही हो तो और कोई बात नहीं, लेकिन बीस बीस वर्ष से सडकें बन रही हैं और न जमीनों का मुआवजा दिये बगैर उल्टा उनसे लगान वसूल किया जा रहा है। वर्षों तक मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती है। यह रवैया आपत्तिजनक है, सरकार का यही तरीका जनता के साथ रहता है तो यह प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता है। वह तो अत्यन्त आतंक है।

पिछले अकाल के समय जो अडचनें आयीं, जो असुविधायें हुई उनका आप खयाल करेंगे और उनका निवारण करने की व्यवस्था करेंगे। वरना वही लीक पीटी गई, फेमीन कोड की बात लेकर काम किया गया तो कोई राहत नहीं मिल सकेगी। साधारण तौर पर जहां दैनिक तीन चार रुपया मजदूरी होती है वहां बीस-बीस पैसे मजदूरी वर्क चार्ज पर दी जायगी तो उसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता। आपको इन सारे प्रश्नों को बडी गम्भीरता से लेना चाहिये। यह केवल अधिकारियों पर छोडने के लिये नहीं है। नागरिकों के जीवन और मरण का प्रश्न है। पशुओं के जीवन-मरण का प्रश्न है। आप उनके ऊपर कोई दया नहीं कर रहे हैं। उनको आप कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं शासन से आपत्कालीन स्थिति में राहत पाने, सहायता पाने का अधिकार है। नागरिकों ने हुकूमत इसलिये नहीं बनाई कि केवल शासन करें और नागरिकों की सुरक्षा और सहूलियत का ध्यान न रखें। इसीलिये सरकार बनायी गयी है कि नागरिकों की अकाल, बाढ वगैरा से सुरक्षा की जाय, उनके विकास के साधन जुटाये जायें, उनको उसके अवसर प्रदान किये जायं इसलिये शासन बनाया गया है। यदि उनकी कठिनाइयों को पूरा नही करते हैं, शासन के कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं और केवल बहाना बना कर कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिये यह नहीं कर सकते हैं तो वह क्षमा नहीं किया जा सकता।

अकाल घोषित करने का दृष्टिकोण भी पक्षपातपूर्ण है और बेढंगा है। मैंने एक प्रश्न के रूप में यह पूछा था। सभापतिजी, आप जानते हैं, गिरदावरी की जाती है, अकाल घोषित करने की गिरदावरी अकाल घोषित करने का यह आधार है। उसमें किसान को अवसर नहीं दिया जाता है। कलेक्टर तीन दिन के नोटिस की बात करता है। तीन दिन में तो किसान को मालूम ही नहीं पडता पंच और सरपंच के साथ जाकर गिरदावरी की घोषणा की गई थी। सदन में कई बार यह प्रश्न आया कि किसी पंच सरपंच को साथ नहीं लिया जाता। पंचायत और पंचायत समितियों और जिला परिषदों के प्रस्तावों को नहीं माना जाता। माननीय सदस्यों के द्वारा सरकार को लिखा जाता है उसको नहीं माना जाता यह रोज आये दिन देखा जाता है। पिछले वर्ष के अकाल के सम्बन्ध में केवल एक बात कहना चाहता हूं। एक मेरे क्षेत्र की माल्कसर पंचायत है। उसके लिये कलेक्टर, मंत्री महोदय, उप मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय को शिकायत की। वहां का डेपुटेशन आया। लेकिन उसको अकाल क्षेत्र

(श्री दौलतराम सारण)

घोषित नहीं किया । लगान कुर्कियां करके वसूल किया गया और वह भी उस समय जब किसान काश्त कर रहा था, हल चला रहा था । दूसरी तरफ अकाल राहत कार्य उन जगहों पर नहीं शुरू किये जाते हैं जहां कि आवश्यकता हैं लेकिन उसके विपरीत उन जगहों पर खोले जाते हैं जहां गिरदावरियां राजनैतिक प्रभाव से हो गयीं । यह हकीकत है । जहां अकाल है वास्तव में वहां काम नहीं खोले जाते और केवल कागजों में जहां राजनैतिक प्रभाव के कारण अकाल है वहां अकाल के कार्य खोल दिये जाते हैं । यह वास्तविक स्थिति है । भूतपूर्व वित्त मंत्री ने किस प्रकार से अपने क्षेत्र में अकाल घोषित कराया यह प्रश्न सदन में आ चुका है जो माननीय अध्यक्ष के विचारार्थ है शासन का यह पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है और हकीकत के तौर पर आप यह नहीं करते हैं तो जनता का विश्वास नहीं ले सकते हैं । आप अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करते ।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अकाल कार्य में जो भी कुछ बनवायें, पुल बनवायें या सडक बनवायें वह पुल और सडक पुख्ता बनवायें चाहे फिर कम बनवायें । आपका फेमिन कोड अगर इसके लिये अलाऊ नहीं करता तो आप उसको बदल दीजिये । आप कई दफा ऑर्डिनेन्स जारी कर देते हैं, तो फेमिन कोड को बदलने के लिये ऑर्डिनेन्स भी जारी कर सकते हैं । आप फेमिन कोड को सदन से सुधरवा सकते हैं । इसके लिये आप प्रयास क्यों नहीं करते ? तो जो भी काम हो, जो भी मजदूरी हो, आप पुख्ता तरीके से करायें । मजदूरी भी पूरी दी जाये और काम भी पूरा लिया जाये । पूरे साधन दिये जाने चाहिये, पानी का, रोजगार का और आवास का। सुविधायें और साधन आप देते नहीं, रोजगार आप पूरा देते नहीं, आवश्यकता के अनुसार काम होता नहीं और न ही अकाल को समय पर घोषित किया जाता है । आप जनवरी-दिसम्बर तक ले जाते हैं और आपका उत्तर यही होता है कि कलेक्टर से जवाब नहीं आया, और लोग राहत से वंचित रह जाते हैं । कलेक्टर क्यों जवाब देगा ? उसको तो हर महीने ठीक समय पर तनख्वाह मिल जाती है । जवाब तो वे चाहते हैं जिन का पेट भूखा है अगर कलेक्टर या और अधिकारी काम में ढील करते हैं तो उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये, उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये । लेकिन मुझे खेद है कि एक भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आज तक किसी भी अकाल में कार्यवाही नहीं की गई । इतनी गडबडियां हुई, लाखों रुपयों के फर्जी मस्टर-रोल बनाकर मिसयूज किया गया, मैंने स्वयं ने शिकायतें कीं, लेकिन किसी गडबड में कोई जांच नहीं की गई और कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैंने चिट्ठियां लिखीं लेकिन उनका भी उत्तर नहीं दिया गया । ऐसी हालत में क्या करें ? आप किसी के पत्र का एकनालेजमेंट तक नहीं करते ।

मैं सुझाव देना चाहता था कि अकाल की समस्या को हल करने के लिये आपको ऐसा करना चाहिये कि हर क्षेत्र में तालाब खुदवाना चाहिये, पक्के तालाब बनवाने चाहिये, कुए खुदवाने चाहिये ताकि पानी की समस्या का भी हल होता जाये । इसके अलावा आपको चाहिये कि जहां जहां भी ट्यूबवेल्स खुदवाये हैं उनका इस्तेमाल करें । जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, जहां बिजली जा

(श्री दौलतराम सारण)
सकती है वहां बिजली दें। आज लाखों रुपये खर्च करके बिजली की लाइनें लगाई हुई हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिये बिजली नहीं है, खंभे नहीं हैं और अभी तक कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। इनको रातों रात कनेक्शन दीजिये। यह स्थिति आपने प्रश्नों के उत्तर में स्वीकार की है, भाषण में चाहे करें चाहे नहीं करें। मैं आपसे कहना चाहता था कि अकाल की समस्या को हल करने के लिये आप कूप योजना, नहर योजना और जौहड़ों की योजनाओं को देखें और उनकी तरफ ध्यान दें। जहां सडक बनवायें वहां पक्की सडक बनवायें। केवल मिट्टी डालने से कोई फायदा नहीं होगा। उससे तो उल्टा भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार को रोकने का इन्तजाम करना चाहिये।

दूसरे, वसूली के बारे में आप कोई कानून नहीं मानते। आप फसल के समय भी वसूली करते रहते हैं। आप कुर्की करते रहते हैं और उन लोगों पर करते हैं जिनकी देने की कोई हैसियत नहीं। एक तरफ तो उनको ऋण देकर उनकी स्थिति सुधारने की बात की जाती है और दूसरी तरफ उनका हल और जोतने का सामान जब्त किया जाता है। उनका साधारण सामान कुर्क किया जाता है। ऐसा क्यों उन पर आप वज्रपात करते हैं? आप एक या दो फसल ठहर नहीं सकते? आप उनसे वसूली करने के लिये तो इतनी सख्ती करते हैं और दूसरी तरफ जहां करोडों रुपयों की वसूली बाकी है वहां कोई ध्यान नहीं देते यह पक्षपात अच्छा नहीं। जिन किसानों की वसूली करने से आर्थिक स्थिति बिगडती है उन किसानों को समय मिलना चाहिये नहीं तो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड जायेगी और आपका उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। फेमिन कोड के बारे में भी जो मैंने सुझाव दिया उसको आप देखें। आप घोषणा करते हैं कि अकाल की स्थिति को हल करने में मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिये, तो आपको मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिये, तो आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। अगर आप इसमें भी पक्षपात बरतेंगे तो आपकी मानवीय दृष्टिकोण की घोषणा केवल घोषणा मात्र ही रहेगी।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिह।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, कुछ समय पहले इस सदन में शंकर बाजरा की चर्चा हो रही थी, और अब यह चर्चा शंकर सरकार की हो रही है जहां बाढ और अकाल, इन दोनों समस्याओं पर हमें एक साथ ही विचार करने को मजबूर होना पडा।

सभापति महोदय, यह सदन और सरकार इस बात से परिचित है कि आज से कुछ समय पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री जब योजना आयोग के समक्ष राजस्थान को कितनी सहायता मिले, इस सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये गये थे तो उन्होंने उस चर्चा का आधार इस बात को बनाया कि योजना आयोग रीजनल बैलेंस को खत्म करे और उसी बात को आधार मानकर अलग अलग राज्यों को सहायता दे। वहां पर यह बात भी उन्होंने जोर व शोर से कही थी कि जो राज्य विकास की दृष्टि से पिछडे हुए हैं, जो योजनाबद्ध विकास में पिछडे रह गये हैं, उनको बाकी राज्यों के समान स्तर पर लाने की दृष्टि से सहायता देनी चाहिये। यह तो दुर्भाग्य की

(श्री भैरोंसिह)

बात है कि मुख्य मंत्री की इस बात को योजना आयोग ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज उन्हीं की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि योजना आयोग के सामने जाकर जिन सिद्धातों पर सहायता लेने की बात आपने कही थी, क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री इस स्थिति में हैं कहने की कि उन्होंने राजस्थान के सभी जिलों का विकास उन्हीं समान दृष्टि के सिद्धांतों पर किया ? और अगर समान दृष्टि से किया है तो प्रत्येक जिले में डेवलपमेंट के नाम पर कितना पर कैपिटा एक्सपेंडीचर हुआ है यह देखने से मालूम पड जायेगा ।

आज सब से बडी दिक्कत तो यह है कि राजस्थान के कुछ जिले जैसे जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, जोधपुर और जालौर, वैधानिक दृष्टि से तो राजस्थान में हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से राजस्थान में जैसे सम्मिलित किये ही नहीं गये । सभापति महोदय, यह श्रेय मैं राजस्थान सरकार को तो नहीं दूंगा, लेकिम 1965 में जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां ने हमारे क्षेत्र पर हमला किया, उस वक्त जैसलमेर और बाडमेर जिलों में और बीकानेर जिले में कहीं कहीं सडकों का निर्माण हुआ, कहीं ट्यूबवेल्स खोदे गये, कहीं रेल्वे लाइन पहुंचाने की व्यवस्था की गई । लेकिन इसका श्रेय केवल राजस्थान सरकार अपने पर ही लेना चाहे तो मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं होगा । आज इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते कि राजस्थान का बहुत बडा हिस्सा अकाल से प्रभावित है । अकाल से प्रभावित है जैसलमेर, जालौर, बाडमेर जिलों का काफी बडा हिस्सा । लगभग चार सालों से वहां वर्षा नहीं है । कई कई तहसीलों में तो पांच साल से अकाल पड रहा है । एक तरफ तो योजना है । योजना का मत-मोटे रूप में यही कहा जा सकता है कि प्रकृति के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिये योजना का आधार हो । जिस प्रकार से योजना चल रही है उनसे कुछ नहीं होगा । जिलों की ऐसी योजना बने कि जिलों के अन्दर अकाल से, अकाल के कारण जो समस्या पैदा होती है वे पैदा न हों । यह सही है कि अभी तक राज-स्थान के कुछेक जिलों को छोडकर राजस्थान में पूर्णतया अकाल की स्थिति नहीं बनी है किन्तु ऐसा लगता है कि 7-8 दिनों के अन्दर बरसात नहीं हुई तो खरीफ की फसलें जो लग रही हैं नष्ट हो जायेंगी और राजस्थान का बहुत बडा भाग अकाल की चपेट में आ जायेगा राजस्थान सरकार प्रचार करेगी लोगों को अकाल से बचाने के लिये विशेष प्रकार के इस प्रकार के काम किये गये । राहत कार्य किये गये । जब भी अकाल पडा राजस्थान सरकार ने अकाल राहत कार्य किये हैं । हो सकता है राहत कार्य करने में सरकार ने राजनैतिक पक्षपात को आधार बनाया हो लेकिन राजस्थान सरकार की हुकूमत यह कहने की स्थिति में नहीं है, अकाल का मुकाबला करने के लिये हमने कोई स्थायी व्यवस्था की है ? जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने यहां कहा, जो राज्य अकाल के नाम पर बीस वर्षों से करोडों रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन उसकी व्यवस्था करने की ओर, इन्त-जाम करने के लिये, राजस्थान सरकार ने अभी तक फैमिन कोड नहीं बनाया है । यह अकर्मण्यता की एक बडी निशानी है । हर बार सदन में फैमिन कोड के बारे में चर्चा होती है ऐसी चर्चाओं के समय सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाता है कि हम अगले सत्र में फैमिन कोड बनाकर सदन में विचारार्थ

(श्री भैरोंसिंह)

प्रस्तुत कर देंगे। आश्वासन देने के बाद भी फेमिन कोड बनाने की स्थिति में सरकार नहीं है। मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे। झुंझनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि अकाल के कारण किसी भी व्यक्ति को भूख के कारण नहीं मरने दिया जावेगा। अनाज की व्यवस्था कर, अनाज पहुंचाकर हम लोगों को बचा सकते हैं। परन्तु मैं राज्य सरकार से यह सुनना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार इस बात का साहस कर सकती है कि राजस्थान के पशुग्रों के लिये चारे की व्यवस्था की जायेगी ग्रौर राजस्थान में एक भी पशु को नहीं मरने दिया जायेगा। सभापति महोदय, राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति है, उसमें खास तौर पर चारे ग्रौर पानी कि स्थिति विकट है। मुख्य मन्त्रीजी इसको स्वीकार करेंगे। जैसलमेर, बाडमेर, जालौर के इलाकों में, चुरू, झुंझुनूं, सीकर में लोगों ने अपने मवेशियों को डर कर छोडना शुरू कर दिया है। वहां चारे ग्रौर पानी की समस्या है ? मैं इस सरकार से वचन चाहता हूं। इसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया जायगा। बरसात पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण चारे ग्रौर पानी की समस्या है। मैं आपसे पूछता हूं आपने इसके लिए फोडर चारे का स्टाक किया ? सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि आपके जिले में अनाज का, चारे को इकट्ठा करके रख देते हैं। वह दस साल तक सुरक्षित रहता है। उसमें किसी प्रकार का घाटा नहीं होता। परन्तु सरकार जो इकट्ठा करती है, वह खराब हो जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पास फारेस्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कलेक्टर्स हैं, एस. डी. ग्रो. हैं, वे क्या करते रहे ? क्या सरकार के, अधिकारियों ने इस बात की चेष्टा की कि कभी हमें अकाल का सामना करना पडे, तो हम फोडर, चारे का स्टाक रखें। ग्रकाल पडा तो हम इसके जरिये पशुग्रों को मरने से बचा सकते हैं। परन्तु हमारे यहां परम्परा है, सुनते हैं, घास के वजन में, ढुलाई में, तुलाई में, उसके अन्दर स्केन्डल होते हैं। जानवरों के पेट में घास पहुँचो या नहीं यह कोई नहीं बता सकता। मैं पहले भी सरकार से निवेदन कर चुका हूं कि जहां से भी सरकार को घास मिलता हो ले ले। जिस कीमत पर मिलता हो ले ले। चाहे जो कीमत तय कर दें। इसके लिए किसी प्रकार का इन्तजार नहीं करें। जिस समय पशु मरने वाले हों, इलाके में घास की समस्या पैदा हो गई हो, उस समय सरकार इन्तजाम करने के लिए दौडती है। इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार को प्रेक्टिकल बनना चाहिए। अभी से निर्णय ले लें कि जहां से भी घास, चारा मिले सरकार ले ले। चाहे वह जैसलमेर के कस्बे में मिले, जयपुर के कस्बे में मिले या सीकर जिले में। सरकार घास के डिपो कायम कर दे ग्रौर ये डिपो सूखाग्रस्त इलाकों को घास मुहैया करें। जैसलमेर, ग्रौर दूसरे जिलों में भयंकर स्थिति है। एक-एक गांव में 40-40 मील का फासला है। वहां सडकें नहीं हैं। आने जाने के कोई सोर्स नहीं हैं। दूर दूर तक सामान कैसे पहुंचायें। इसलिए यह कार्यवाही आज ही से शुरू करनी पडेगी।

राजस्थान सरकार बराबर यह कहती है कि भारत सरकार ने 250 ट्यूबवैल्स की योजना स्वीकार की है। ये ट्यूबवैल्स

(श्री भैरोंसिंह)

सूखाग्रस्त एरिया के लिए निर्धारित किये हैं । हमने काफी सफलता इसमें प्राप्त करली है । 193 कुए अभी तैयार हैं। शीघ्रातिशीघ्र ये काम शुरू कर देंगे । यह सदन स्वीकार करेगा कि कोई भी दुर्भाग्य से ऐसा राज्य नहीं होगा, ऐसी कोई अकर्मण्य सरकार नहीं हो सकती, जैसी अकर्मण्य सरकार हमारे राज्य में है । कुए खुदे, पम्प लगे लेकिन जो कुए हैं उनमें पानी नहीं निकला और पानी के अभाव में जानवर मर जायेंगे । यह राजस्थान की हुकूमत में हुआ है । हरियाना पंजाब में जाइये । वहां ट्यूबवेल्स हैं । उनको देखिये । दो-दो मील के फासले पर आपको ट्यूबवेल्स मिलेंगे । उनसे सिंचाई होती है , पीने का पानी मिलता है । खेती भी होती है । हजारों लाखों रुपये खर्च कर दिए किन्तु कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाये । ट्यूबवेल्स बेकार पड़े हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इन तमाम ट्यूबवेल्स को चलाना पडेगा । इसके लिये एक टारगेट फिक्स कर दें कि राजस्थान में जहां जहां भी ट्यूबवेल्स बेकार पडे हैं, उनको फलां तारीख तक कमीशन्ड कर दिया जाय । इसके साथ-साथ जिन ट्यूबवेल्स में पानी की अच्छी केपेसिटी है, उस केपेसिटी के आधार पर उस ट्यूबवेल्स से मवेशियों को पानी पिलाने की व्यवस्था की जाय । एक ट्यूबवेल्स में कितने एरिया के अन्दर नये प्रकार की घास पैदा हो सकती है, वह आप देखें । एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट, एनीमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेन्ट ने नये नये प्रकार की घास को इन्ट्रोड्यूस किया है । उनको भी आप बोयें । हरी घास जानवरों को मिल सके इसकी व्यवस्था की जाय ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अगर जानवरों को सूखा चारा ही दिया गया तो उसके आधार पर जानवर जिन्दा नहीं रहेगा । चारा मिलने के बाद भी जानवरों को मौत के मुंह से नहीं बचा सकते । हमें उनको हरा चारा देना पडेगा । इस की व्यवस्था ट्यूबवेल्स की मारफत नहीं करेंगे तो राजस्थान का पशुधन समाप्त हो जायेगा । उसको बचाने के लिये राजस्थान की सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे । किसानों को इनिशियेटिव दे । किसानों को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा पैदा करने के लिये सरकार सहूलियतें दे । उस किसान को लैन्ड रेवेन्यू में सहूलियत दे । सरकार की ओर से किसानों को इनिशियेटिव दिलायें । राजस्थान में जो बैंक्स है, नहरें हैं, जो सिंचाई के काम में आते हैं, उन क्षेत्रों में हरी घास पैदा करावें । इसके लिये सरकार अगर एक्सीलैंट बीज की व्यवस्था कर सकेगी तो मैं समझता हूं एक बडी सर्विस होगी ।

सभापति महोदय, मुझे बडे दुःख के साथ कहना पड रहा है कि आज की राजस्थान सरकार पूंजी पतियों की गुलाम बन कर बैठी हुई है । इन उद्योगपतियों के उद्योगों के लिये सरकार नये नियम बना देती है । उनको सुविधायें देने की घोषणा करती है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है । यहां 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं । किसानों को बिजली आप किस तरह से प्रोवाइड करते हैं । क्या काश्तकारों को बिजली की रेट्स में किसी प्रकार का कन्सेशन देते हैं ? क्या आप उनको कनेक्शन देने में प्रायोरिटी देते हैं ? आपने किसान को बिजली देने के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं रखा है । यह सरकार किसानों को सस्ती बिजली मुहैया नहीं करती है । कुए के लिये किसानों को

(श्री भैरोंसिंह)

बिजली देने म बिजली विभाग परेशान करता है। राजस्थान में बहुत कुए हैं। कुश्रों के लिये बिजली की मांग प्रतिदिन बढती जा रही है। मैं मन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे किसानों को बिजली सस्ती देने के बारे में विचार करें। राजस्थान में किनको सस्ती बिजली दी जाती है? अगर आप सस्ती बिजली जो कन्जूमर गुड्स का उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों को कन्सेशनल रेटस् पर देते हैं तो कोई बात समझ में आ सकती है। परन्तु आप उन्हें सस्ती बिजली मुहैया कर रहे हैं जो यहां सामान बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह आप राजस्थान के पशुधन और किसानों की हत्या करना चाहते हैं। यह एक गंभीर समस्या है जिस पर राज्य सरकार को शीघ्र विचार करना होगा। सभापतिजी, यदि जाकर देखें तो मालूम होगा कि कोई किसान जिसका कुआ है, ऐसा नहीं है, कि वह बिजली लेने को तैयार नहीं है। तो बिजली लेने के लिये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको किसी प्रकार भी बिजली मिल जाती तो यह स्थिति नहीं बनती। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा हमारे यहां चारे की कमी है। आप यह कानून तो बना देते हैं कि हमारे यहां से चारे की निकासी नहीं होगी लेकिन आपको पता है कि राजस्थान से ग्वार की निकासी होती है जो किसानों के हित में नहीं होती है, जनता के हित में नही होती है चन्द पूंजीपतियों के कारखाने चलें इसलिये ग्वार की निकासी की जाती है। 66 से लेकर 68 तक करीब पचास हजार टन ग्वार की निकासी के परमिट दिये गये। आप यह कहेंगे कि हमने किसानों को कह रखा है उन पर पाबन्दी डाल रखी है वे चाहें जितना ग्वार बाहर ले जावें लेकिन किसान कहां ले जा सकता है आपने जितने ग्वार को एक्सपोर्ट करने के परमिट दिये वह सारा ग्वार गम फैक्टरीज में पहुंचा है और लोगों ने उस ग्वार को बेचकर अनुचित लाभ उठाया है, न तो वहां की सरकार ही गम फैक्टरी की जांच करती है कि वह ग्वार कहां जाता है। वास्तव में जितना ग्वार गम फैक्टरीज को बेचा गया है उन्होंने उसको ब्लैक मार्केट में बेचा है। इस मामले में भी आप यदि वास्तविक स्थिति को सामने रखकर चलेंगे तो आपको तुरन्त यह घोषणा करनी चाहिये कि राजस्थान से आगे से ग्वार की निकासी बन्द होगी। यह नहीं होगा तो हम समझेंगे न तो सरकार को अकाल की चिन्ता है और न सरकार में इस प्रकार का साहस है कि वे पूंजीपतियों का साहस के साथ मुकाबला कर सकें।

सभापति महोदय, अकाल की इस परिस्थिति म जब कि हमारा पशुधन नष्ट होता जा रहा है हमें वेटरनरी डिपार्टमेन्ट को सक्रिय करना आवश्यक है। जानवरों में भूख के कारण बीमारियां पैदा होंगी। यह तो हमारी सरकार का एक प्रकार से स्लोगन सा हो गया है कि भूख से अगर कोई आदमी मर जाय तो भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। उसके लिये भी एक्सपर्ट्स की यह रिपोर्ट आजायेगी कि यह भूख से नहीं मरा है यह तो हेमोबाइसिस या टी. बी. से मरा है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी जिनको इस काम के लिये नियुक्त किया हुआ है वे भी आज सरकार के इशारे पर चाहें कोई व्यक्ति भूख से मर जाये तो भी उसके लिये कह दिया जाता है कि यह तो बीमारी से मरा है। सरकार कभी भी इस बात को

(श्री भैरोंसिंह)
स्वीकार नहीं करेगी कि कोई भूख से भी मरता है। मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस भूखमरी और अकाल के अन्दर जो रोग पैदा हो जाते हैं, उनको रोकने के लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं आज जिस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान की है, उसको देखते हुए हमें कई प्रकार से सुसज्जित रहना है। आज देश का प्रत्येक नागरिक इस बात से चिन्तित है कि पाकिस्तान की सीमा पर जो हमारे इलाके हैं वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं, संचार साधनों की व्यवस्था नहीं, दूसरी तरफ अकाल को छाया है इस स्थिति में हमारे को पूरी तौर से तैयारी रखनी चाहिये। ये जिले पाकिस्तान से लगे हुए हैं अकाल के कारण काफी निराशा लोगों में है। वे सोचते हैं कि पहले पाक के आक्रमण के समय हम पूरी तरह से डटे रहे आज वहां पर पानी का इन्तजाम नहीं, रोजी-रोटी का इन्तजाम नहीं है इससे एक स्थिति यह होगी वे लोग तो पाक आक्रमण होने पर मर जायेंगे लेकिन यह आक्रमण उसी तक सीमित रहेगा यह आप और हम सब को मानकर नहीं चलना चाहिये। उसका भुगतान सारे भारतवर्ष को करना पडेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारत सरकार को खटखटायें आज सीमा के जिलों में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है उसका मुकाबला भारत सरकार के सहयोग के बिना हम नहीं कर सकते। आज वहां पानी की व्यवस्था न होने से कहीं लोग सीमा को छोडकर अन्दर न चले आयें इसके बारे में पूरे तौर से हमें सतर्क रहना चाहिये। अगर वे सीमा से भाग कर आ गये तो अकाल तो परेशान कर ही रहा है दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस तरह की परिस्थिति देखकर हमें परेशान करेगा। पहले का खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं अतः इन जिलों के बारे में राज्य सरकार को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिये।

सभापति महोदय, हम कहते चले आ रहे है कि हमेशा राजनैतिक आधार पर राहत के कार्य चला करते हैं माननीय सदस्य भी इस बात को स्वीकार करेंगे। सभापति महोदय, इसी विधान सभा में आरोप लगाया गया कि चुनावों में अकाल के पैसे का उपयोग किया गया कोई भी माननीय सदस्य मेरी चुनौती स्वीकार करें मैं उनको डूंगरपुर, बांसवाडा ले जाना चाहता हूं जहां से कांग्रेस के विधायक जीतकर आये हैं, ऐसी सडकें बताना चाहता हूं जिन सडकों पर पिछले छः साल से अकाल के नाम पर रोज मिट्टी पटती गई और उन सड़कों की हालत देखें तो आपको पता चलेगा एक एक मील की सडक में एक एक लाख रुपया लगा है। जब कि बीस हजार रुपये में 1 मील डामर की सडक बन सकती है उन सड़कों पर हर साल मिट्टी डालने के नाम पर एक एक लाख रुपया प्रति मील खर्च किया गया। आज उन सड़कों की हालत आप देखें तो उनमें भी जगह जगह पर अब करीब ढाई ढाई फिट के गहरे गड्ढे मिलेंगे इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार राहत के कामों में राजनीति नहीं आनी चाहिये। सड़क के काम आप खुलवायें डूंगरपुर, बांसवाडा में राहत के काम खोलें लेकिन वहां पर खोलें जहां की जनता गरीब हो जिनके पास आजीविका के साधन न हो। इस प्रकार इस पैसे के सदुपयोग करने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि इस पैसे

(श्री भैरोंसिंह)

को भी राजनैतिक उपयोग के लिये आप काम में लेते हैं तो यह राजस्थान के लिये बड़ा दुर्भाग्य होगा ।

सभापति महोदय, ऐसे स्थिति में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी स्थिति पैदा करे कि गांव में फेमीन रिलीफ के वर्क खोले और वे उन क्षेत्रों में खोले जायं जहां इसकी एक्यूट आवश्यकता है, जहां बाकी के जरिये कमाई के समाप्त हो गये हों, इस तरह की आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिये ताकि लोगों को स्थायी लाभ मिलता रहे। इस तरह से आपने कार्य किया तो वास्तव में जनता को लाभ होगा ।

यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा तीन चार साल पहले हमारे राजस्थान के कुछ हिस्सों में भयंकर अकाल पड़ा था मैंने भी उस समय तीन चार अकालग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया था। मैंने देखा है कि सरकार के जो कानून कायदे हैं वे इस प्रकार के भेद उपस्थित करते हुए नजर आते हैं कि जिसमें सरकारी अधिकारी इन्डिपेन्डेन्टली कार्यवाही नहीं कर सकते। सरकार के फाइनेन्शियल रूल्स बने हुए हैं: सामान खरीदा जाय तो पहले टेन्डर इन्वाइट किये जायं उसके बाद जो लोएस्ट टेन्डर है उसे स्वीकार किया जाय। यह सब प्रक्रिया पैदा हुई है सरकारी अधिकारियों की बेईमानी के कारण। मैं समझता हूं यदि अकाल राहत कार्य में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो हम जल्दी में कोई काम नहीं कर सकेंगे। घास का लोएस्ट टेन्डर स्वीकृत किया गया तो हो सकता है उसमें इस प्रकार की घास हो जो जानवर नहीं खा सकें। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि बहुत ही इन्टीग्रिटी के जो ऑफिसर हों उनका आप एक कैडर तैयार करें। और उन्हीं पर यह जिम्मेदारी भी डालें वे इमरजेन्सी में कानून कायदों को ताक में रख कर घास खरीदें, कुओं में बिजली लगाना हो, ट्रान्सपोर्ट करने की आवश्यकता हो तो उस इंटीग्रिटी के अफसरों की केटेगरी आप बनायें जिनको आप रलेक्सेशन दे सकें कि सब चीजों को समय पर उपलब्ध करा सकें यह मौका दें।

पशुपालक आज राजस्थान से बाहर जा रहे हैं। पहले तो ज्यादातर लोग मध्यप्रदेश में जाया करते थे, गुजरात जाया करते थे। लेकिन आज दोनों जगहों पर हालत इस प्रकार की है जहां लेन्ड अलॉटमेन्ट का आन्दोलन चलता है, पडत भूमि को किसानों में बांटी जायं इस कारण वहां पर चराई के साधन नहीं हैं पहाडियों पर भी डंडे के बल पर रिश्वत देकर लोग मवेशी चराते हैं। भूतपूर्व जोधपुर रियासत में जब वहां अकाल पडा था इस बात की व्यवस्था की गई थी मवेशियों के साथ साथ सरकारी अफसर जाया करता था वह दूसरे प्रान्त की सरकार से मिल कर उन मवेशियों के लिये चराई के बारे में इन्तजाम करता था। इस प्रकार का ऑफिसर माइग्रेशन करने के लिये अपॉइन्ट किया जाय जो उनके लिये इस प्रकार की व्यवस्था करे। वह अधिकारी पहले एडवांस पार्टी के तौर पर वहां जावे और वहां पहुंच कर सब स्थानों का पता लगावे कि कहां कितने कितने पशु आसानी से माइग्रेट कराये जा सकते हैं और फिर उसके अनुसार राजस्थान के पशुपालकों को

(श्री भैरोंसिंह)

सूचित किया जावे कि अमुक मात्रा में वे गुजरात में, मध्य प्रदेश में और बाकी के प्रदेशों में जा सकते हैं। जब तक यह व्यवस्था करके नहीं चलेंगे तो कोई बूंदी चला गया तो कोटा चला गया और अधिक मात्रा में चले गये तो चारे के अभाव में वहां पर जावेंगे और जहां अभाव नहीं है वहां जा नहीं पावेंगे, जहां जाने से वे बच सकते हैं। कहीं ज्यादा संख्या में चले जावेंगे तो कहीं कम संख्या में रह जावेंगे। तो अकाल के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

बाढ के सम्बन्ध में निवेदन कर दूं। बाढ आई और गई। बाढ भी भयंकर आई। अकाल भयंकर आ रहा है और सरकार की हालत भी भयंकर हो रही है। मैं इस सरकार से पूछूं, एक बार घटना होने के बाद हरेक नसीहत लेता है। इस राजस्थान की हुकूमत से पूछूं उसने कोई शिक्षा ली? अब कि बाढ आई। नये नदी नाले निकाले। क्या उसने सर्वे कराया? जांच कराई कि अमुक मात्रा में इस कस्बे में नया पानी कैसे आया, नई नदी और नये नाले कैसे बने? क्या उसे मालूम है कि जो परम्परागत पानी के रास्ते रहते हैं उन परम्परागत नालों से पानी जाने में अवरोध तो नहीं पैदा हुआ? यह भी कह सकता हूं टिन, रसद, झूंठमूठ में हैलीकाप्टर से कुचामन नावा में फूड पैकेट्स डाले गये। फौजी अधिकारियों ने नावों म बैठ कर राहत कार्य किया। यह तो झूठमूठ भी प्रोपेगन्डा करने को आप तुरन्त तैयार हो जाते हैं। पर यह नहीं कह सकते कि हम ने परम्परा गत नदी नालों का सर्वे कराने के लिये टीम लगाई है या सम्बन्धित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।

यह समस्या आज की नहीं है। बहुत पुरानी चली आ रही है। जनसंख्या गांवों में बढ रही है। जो भी पुराने पानी के निकलने के रास्ते थे प्रभावशील लोगों ने उनको रोक कर वहां अपने मकान बना लिये और इससे पानी का आवागमन अवरुद्ध हो गया। पर पानी तो अपना रास्ता निकाल कर चलता है। वह रुक नहीं सकता।

इसी प्रकार की हालत बाकी की जगह हो रही है। इसलिये निवेदन करूंगा कि इन नदी नालों को समझने के लिये परम्परा गत पानी की निकासी को रेगुलेट करने के लिये सर्वे करना चाहिये। रेल्वे लाइन के नीचे पुलियाएं नहीं हैं। पानी वहां रुकता है और तेजी से आया तो रेलवे लाइन को बहा कर ले जाता है। तो उन पर पुलियाओं की व्यवस्था करनी चाहिये। उदाहरण के लिये बताऊं हनुमानगढ टाउन से हनुमानगढ जंकशन तक रेलवे लाइन जाती है पुलियाओं के अभाव में हर साल बरसात में रेल्वे लाईन टूटती थी, पर अबके पुलिया बन गई तो रेल टूटी नहीं। तो इस बातकी भी सर्वे करानी चाहिये कि किस किस सडक के नीचे पुलियाओं की आवश्यकता है। किस नहर के पास से पानी निकलता है या परम्परा गत पानी के रास्ते कहां के हैं कहां उनको ठीक करने की जरूरत है यह सब देखना चाहिये।

जयपुर शहर में चार वर्ष पूर्व बाढ आई थी। उसको रोकने के लिये बहुत बडी योजना बनाई। आज वह योजना किसी खामोशी के बस्ते में पडी है। भरतपुर के

(श्री भैरोंसिंह)
लिये पिछले साल घोषणा की गई लम्बी चोडी। पर आज वही हालत है । या तो योजना की घोषणा करो मत । जनता आप पर निर्भर करती है उस हालत में कि यह सरकार कर रही है हमें बीच में पडने की आवश्यकता नहीं । इसलिये कहता हूं पहले अपनी क्षमता को देखो फिर योजना की घोषणा करो । समय का सही प्रकार से निर्धारण करने के बाद घोषणा करो । तब तो बाढ और अकाल सब में आई हुई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर): सभापति महोदय, अकाल सहायता मन्त्रीजी ने जो अपना वक्तव्य दिया वह मैंने ध्यान से सुना और उन्होंने जो विवरण प्रस्तुत किया उस को भी मैंने पढा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राज्य सरकार यह महसूस करती है और स्थिति की जानकारी है कि बाडमेर, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्रों में भयंकर अकाल की स्थिति है।

बाडमेर के 78 गांवों में कतई बरसात नहीं हुई। 150 गांवों में सिर्फ एक इन्च या कम बरसात हुई और फसल नष्ट हो गई। सिर्फ अभी 50 गांव सिवाना क्षेत्र में ऐसे हैं जहां भी 6-7 दिनों के बाद अगर पानी नहीं बरसा तो वहां भी वह उगी हुई फसल नष्ट हो जावेगी। तो इस प्रकार बाडमेर जिला भयंकर अकाल से ग्रस्त है।

जैसलमेर की फतहगढ़ तहसील में बरसात नहीं हुई। सम में 1 मीटर बरसात हुई वहां भी फसल पैदा नहीं हुई। इस तरह सारा जैसलमेर जिला अकाल से ग्रस्त है। सात साल से भयंकर अकाल जैसलमेर में है।

बीकानेर में भी हालत अच्छी नहीं है कोलायत में भयंकर अकाल है। वहां न बरसात हुई न बुवाई हुई। सीमावर्ती क्षेत्रों के ये जिले भयंकर अकाल से ग्रस्त हैं और सीमावर्ती होने के नाते उनका विशेष महत्व है। हम जानते हैं हिन्दुस्तान पाकिस्तान के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। कभी भी, किसी भी समय युद्ध छिड सकता है और ऐसे अवसर पर इस सीमावर्ती इलाके में जहां मनुष्यों को खाने को नहीं मिल रहा है, पशुओं के लिये चारे का अकाल पड गया है उस वक्त मनोबल उनका कैसे रह सकता है ? इसके लिये आवश्यक है कि उन क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। उनके विकास का प्रयत्न किया जाय। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह परम आवश्यक है।

मरुस्थल क्षेत्र के लिये सरकार की योजनाओं में कभी कोई स्थान नहीं रहा। डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड जरूर कायम हुआ। बोर्ड के अधिकारियों ने हमारे क्षेत्र में भी दौरे किये। उन्होंने कुछ रिकमण्डेशन्स की। बडे-बडे तालाबों के लिये चरागाहों के विस्तार के लिये सिफारिशें कीं, पर उन पर आज तक अमल नहीं हुआ। मैंने इस बारे में डेवलपमेन्ट कमिश्नर से भी निवेदन किया। परसों भी कोशिश की, निवेदन किया। वह स्कीम प्लानिंग कमीशन एवं फाईनेन्स के पास पडी है। आज अगर तालाब भी वहां पर थोडे बहुत बान्ध देते हैं तो भी काफी रिलीफ मिल सकता है। आज उस डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड को जोधपुर से जयपुर स्थानान्तरित कर दिया। इससे लगता है इसका महत्व सरकार नहीं आंक रही है। पानी की समस्या भी विकट है।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

मनसून की यहां अन्सर्सेन्टी रहती है। इसके लिये आप ट्यूबवेल्स खोदिये। एक्सप्लोरेट्री-ट्यूबवैल्स अर्गेनाइजेशन ने 281 ट्यूबवेल के कुए खोदे जिनमें से 141 असफल हुए। 140 सफल हुए। इनमें 63 कमीशन किये गये और इन 63 में से भी आज 43 ही काम में लये जा रहे हैं। जो नलकूप कमीशन नहीं किये गये हैं, उनको कमीशन किया जाय। ऐसे 77 नलकूप हैं। इस काम को जल्दी से जल्दी कराना चाहिये। एक्सप्लोरेट्री बोर्ड ने बाड़मेर का आठवां हिस्सा भी पूरा कवर नहीं किया। बायतू क्षेत्र में तो अभी काम ही नहीं हुआ। वहां मैंत्री महोदय भी भ्रमण कर चुके हैं, आठ हजार की वहां आबादी है पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हैं। बिल्कुल खारा पानी है। मने इसके बारे में प्रश्न पूछा था तो उस प्रश्न का उत्तर यह आया कि ऊंड़ से लेकर बायतू तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही हैं और मैं चाहता हूं कि अभी अकाल क्षेत्र में बाड़मेर शहर में पाइप लाइन के लिये 15 लाख रुपया स्वीकृत करके काम शुरू किया उसी प्रकार से बायतू को ऊंड़ से जहां 11250 गैलन पर आवर की शक्ति है वहां से बायतू को पानी पहुंचाया जाये और उसके पास पास में जो गांव आते हैं वहां भी पानी की व्यवस्था की जाय। इस प्रकार से तो पानी की व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा कहूंगा कि भीमडा के अन्दर ट्यूबवेल खोदा जाय तो उससे काफी पानी मिल सकता है। इन ट्यूबवेल्स को इस समय कार्य रूप में परिणत करना बहुत जरूरी है। जहां भी यह नलकूप कमिशन्ड नहीं हुए वहां मशीनें मंगा कर, पम्पिंग सेट मंगा कर उनको काम में लाया जाये। इस साल ऐसी भयंकर स्थिति होगी कि उस क्षेत्र में कुओं का पानी सूख जायेगा उस समय ट्यूबवेल्स बहुत ही काम के होंगे। इसलिए इन ट्यूबवेल्स को कमिशन्ड कराने के लिए, इनमें पम्पिंग सैट लगाने के लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। हम इस संबंध में कहें कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम इनको चौथी पंचवर्षीय योजना में लेंगे मैं चाहता हूं कि अगर चौथी पंचवर्षीय योजना में लेंगे तो फिर वह कब कार्य रूप में परिणत होंगे, हमको विश्वास नहीं होता। क्योंकि पहले जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किया, बीकानेर और जैसलमेर का विकास नहीं हुआ इसलिए हमें विश्वास नहीं होता कि चौथी योजना में इस प्रकार की व्यवस्था आप कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में जहां हमेशा अकाल पड़ता है उसके लिये स्पेशल योजना बनाई जाय और विकास के बारे में स्पेशल योजना बनायें। अकाल जो हमेशा पड़ता है इसलिए इसका परमानेन्ट सॉलूशन करने के लिए स्पेशल योजना बना कर उसका कोआर्डिनेशन प्लान से करके इसका कार्य करना चाहिये। इसके लिए मैं यह चाहता हूं कि यह जो परमानेन्ट मैजर्स हैं इनके लिए हम यह सोचते थे कि राजस्थान केनाल बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आयेगी और इसके लिए बड़ा भारी प्रचार होता था कि राजस्थान केनाल बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आकर कच्छ की खाड़ी में गिरेगी और नेवीगेबल केनाल होगी। लेकिन मैंने इसके लिए प्रश्न पूछा था तो उसका जवाब मिला कि इस स्कीम को बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में होकर कच्छ की खाड़ी में गिरने का जो प्रावधान था वह स्कीम मन्जूर नहीं है और उसके बारे में कोई गवर्नमेन्ट का कदम नहीं है। इसलिए राजस्थान केनाल के बारे में भी हमारा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। राजस्थान केनाल में जरूर जैसलमेर को

# Page No. 95



(श्री वृद्धिचन्द जैन)

लाभ हो सकता है और जैसलमेर को भी लाभ होता है, तो हम इससे भी बहुत प्रसन्नचित्त हैं, लेकिन यह कोशिश की जानी चाहिए कि पहले जो योजना बनी थी उसके अनुसार राजस्थान केनाल बाड़मेर में होती हुई कच्छ की खाडी में गिरेगी। गुजरात गवर्नमेन्ट कोशिश कर रही है कि नर्बदा के बारे में मध्यप्रदेश से, इस केनाल का संबंध बाड़मेर से जाने का होना चाहिये और राजस्थान केनाल को भी कार्यान्वित करने की योजना बनाई जाये और अगर वह योजना आये तो हमारा क्षेत्र भी काफी विकसित हो सकता है। और अच्छी फसल वहां हो सकती है।

इसी प्रकार से लूनी नदी को बांधा गया। जिसके लिए हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री पूनमचन्दजी विश्नोई ने जिक्र किया था कि उस पर बांध बांधने से हमारा क्षेत्र, बालोतरा का क्षेत्र, लूनी का क्षेत्र, सिवाना का क्षेत्र, सांचोर का क्षेत्र सभी क्षेत्र वीरान हो रहे हैं और हमारा तिलवाड़ा है जिसमें पशुओं का मेला होता है उसमें भी पानी की तकलीफ रही। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि गत साल बरसात हुई उससे जो लूनी नदी जिले में आई उससे कुछ स्थिति में सुधार हुआ लेकिन 10 साल तक लूनी नदी नहीं आई और उसके कारण से उक्त क्षेत्र वीरान हुए हैं। मैं चाहता हूं कि लूनी नदी पर बांध पर बांध नहीं बांधे जाने चाहिए और अगर इस प्रकार से बांध बांधे गये तो यह क्षेत्र बहुत ही वीरान हो जायेंगे।

यह जो ट्यूबवेल्स पानी के लिए बनाये जायेंगे उनके ऊपर चरागाह स्थापित किये जा सकते हैं और इन्टेन्सिव कैटल ब्रीडिंग की स्कीम चालू की जा सकती है और पाइप लाइन्स को जब तक विलेजेज में नहीं डालते तब तक व्यवस्था नहीं हो सकती।

मैंने तालाबों और टांकों के बारे में जिक्र किया था और उसके लिए हमारे मंत्री महोदय ने मन्जूरी भी दी और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 30 टांके खोदे गये। हालांकि बहुत बरसात नहीं हुई है उनमें पानी नहीं आया है, लेकिन ट्यूबवेल्स से, जल प्राप्त कर टंकी द्वारा पानी पहुंचाया जायेगा तो पानी की समस्या कुछ सुलझेगी नहीं तो स्टोर करने के साधन नहीं हैं। पानी लाया जाये तो कहां स्टोर किया जाये? तो मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में हर एक हजार आबादी पर टांके 15 हजार रुपये की लागत के बनने चाहिए इससे तो लोगों को गर्मियों में पानी मिल सकेगा। नहीं तो वहां पानी खारा जहर मिलता है। इस व्यवस्था से मीठा पानी मिल सकेगा। इसलिए भी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है।

अब मैं खास तौर से बाड़मेर शहर के बारे में कहता हूं। पानी की समस्या वहां भी है। वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और गवर्नमेन्ट ने 15 लाख 8 हजार की स्कीम स्वीकृत की है जो जल्दी से जल्दी कार्यान्वित होनी चाहिए क्योंकि जल का भयंकर संकट आने वाला है। उसी बाड़मेर टाउन से जो पाईप लाइन बनने जा रही है वह स्कीम अगर कार्यान्वित दो महीने के अन्दर अन्दर की जाती है तो उससे राहत मिलेगी और बाड़मेर शहर के पास पास जो गांव रावतसर शिवरा कुड़ला वगैरा हैं और दूसरे गांव हैं जहां पानी की तकलीफ है उन गांवों में भी अच्छी तरह से पानी पहुंचाया जा सकता है अगर बाड़मेर शहर को पानी की

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
स्कीम सफल तौर से चलती है, तो आने वाली गर्मियों में लोग पानी से प्यासे नहीं मरेंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पानी का संबंध बिजली से है और वहां पर बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। एक सैट 300 किलोवाट का कोशिश के बाद गवर्नमेंट ने निश्चय किया है परन्तु एक सैट से काम नहीं होगा। दूसरा 300 किलोवाट का सैट रावतभाटा में जो पड़ा है वहां से मंगा कर लगाना चाहिए। इसकी अभी से व्यवस्था करनी चाहिए। अगर नहीं की गई तो पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो सकेगी। इससे बाड़मेर शहर में तो कठिनाई पड़ेगी ही लेकिन दूसरे गांवों में भी पानी नहीं मिल सकेगा।

बाड़मेर जिले में भयंकर अकाल है और वहां अभी घास की समस्या काफी है। वहां अभी घास नहीं भेजा गया और गायें मर रही हैं। गायें काफी ब्याई हुई हैं, उनकी स्थिति बड़ी ही भयंकर है और दर्दनाक है और बहुत से लोगों ने गायें छोड़ दी हैं। इसी प्रकार की स्थिति हमारे जिले में गायों की है वह बहुत ही खतरनाक है और जो वहां चारा था उसके लिए स्थिति यह है कि वह चारा एक महीने पहले बाड़मेर के तहसीलदार ने कलेक्टर के आदेश से बेच दिया और जब कि जानते थे कि 78 गांवों में कतई बरसात नहीं हुई है तब क्या जरूरत थी उस घास को बेचने की और वह 6000 रुपये में बेचा गया जब कि वह 50,000 रु० की कीमत का था? अगर वह घास होता तो स्थिति में लाभ हो सकता था और गायों का बचाव हो सकता था। मैं चाहूंगा कि जो इस तरह के लापरवाही के कदम उठाये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

इस प्रकार हमारे क्षेत्र में, बाड़मेर जिले में, कतई भी घास की व्यवस्था नहीं की गई है। राजस्थान गौ सेवा संघ, जैसलमेर में अच्छा काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि उनके जरिये बाड़मेर में भी काम कराने की व्यवस्था हो। इसके अलावा मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की भी मदद लेकर इन जानवरों को बचाने की कोशिश करें। और इसप्रकार से राहत कार्य खोलें जिससे लोगों को राहत मिले। मैं मानता हूं कि संवत् 2023 में जो राहत कार्य खोले गये थे उनसे लोगों को काफी राहत और मदद मिली थी, उस वक्त सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। भले ही राज्य सरकार के उसमें चौदह करोड़ रुपये खर्च हुए लेकिन लोगों को बड़ी भारी राहत मिली। उसी प्रकार से इस बार भी लोगों को राहत मिलनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जिस समय यह चौदह करोड़ रुपये खर्च हुए थे उस समय राजस्थान में चुनाव हुए थे और उस वक्त अपोजीशन पार्टी वालों ने और विरोधी पार्टी वालों ने कहा था कि चुनाव के कारण चौदह करोड़ रुपये खर्च किये हैं। मेरा निवेदन है कि उस समय से दुगने राहत कार्यों की आज आवश्यकता है, इसलिए इस समय पहले से ज्यादा खर्च करना चाहिए। इसके लिए आपको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को भी मजबूती से मूव करना चाहिए, क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र है, इसकी रक्षा, सीमा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दूसरे यहां पर भयंकर अकाल है, एक तरह से कहें तो फेमिन की स्थिति है। मैं कहता हूं कि तीन चार महीने में जो अकाल की स्थिति होगी वह बहुत ही बुरी स्थिति होगी, यह भयंकर अकाल होगा इसलिए व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पैटर्न अपनाया है, श्री रामचन्द्रन को

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

एडवाइज पर, उसके अनुसार जो राहत कार्य खोले जायं वह दस मील के एरिया में वर्क्स नहीं खोले जायं। मेरे विचार में यह उचित नहीं है। इसलिए दूसरा पैटर्न निर्धारित किया जाय। इस पैटर्न के द्वारा यह है कि सबसे पहले तो लघु सिंचाई योजनायें ली जायं, उनको महत्व दिया जाय, फिर भू-संरक्षण को महत्व दिया जाय, फिर वन को महत्व दिया जाय और फिर चौथे नम्बर पर सडकों को महत्व दिया जाय। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर को महत्व दीजिये, फिर चरागाह को महत्व दीजिये, फिर सडकों को महत्व दीजिये और चौथे नम्बर पर भू-संरक्षण को महत्व दीजिये और फिर लघु सिंचाई को महत्व दीजिये। इस क्षेत्र में इस प्रकार के पैटर्न को लागू करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि ऑथोरिटीज कहती हैं कि हमारा तो इस प्रकार का पैटर्न है, इसके आधार पर हम कार्य करेंगे। इस तरह के पैटर्न से कमी लोगों को राहत नहीं मिल सकती। इसलिए जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसके पैटर्न को चेंज करके उस प्रकार कार्य करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार बाडमेर जिले में, जैसलमेर जिले में पूरी तरह से मदद करके पशुओं को बचायेगी और इस प्रकार का अवसर आने नहीं देगी जिससे कि पशु और मनुष्य मरें।

**श्री सभापति** : श्रीमती मदन कौर।

**श्री मूलचन्द डागा** : आप भी बाडमेर जिले की हैं।

**श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : सभापति महोदय, राजस्थान के पश्चिम भाग के इतिहास...

**श्री रामकिशन** : शिष्टाचार के नाते औरत से नहीं लडते हैं।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज ! माननीय श्रीमती मदन कौर।

**श्रीमती मदन कौर** : सभापति महोदय, राजस्थान के पश्चिमी भाग के इतिहास को अगर हम उठा कर देखें तो उसमें अकाल के प्रकोप की कहीं कमी नहीं है। गत चार वर्षों में ही, चार पांच वर्ष में ही यह तीसरा भयंकर अकाल इस वर्ष हमारे सामने है...

**श्री मूलचन्द डागा** : दस दस मिनिट। पांच पांच मिनिट।

**श्रीमती मदन कौर** : मैं समझती हूं कि इस वर्ष जो पशु और इन्सान के विनाश का अनुमान हम लगा रहे हैं वह वास्तव में इन्सान के रोंगटे खडा करने वाला है और यह इस बात का सबूत है, जैसा मालथ्यूज ने अपनी थ्योरी में कहा था यदि इन्सान जन संख्या को घटाने का प्रयत्न नहीं करेगा, खाने पीने के साधन के अनुसार यदि जन संख्या को नहीं रोकेगा तो प्रकृति अपने प्रकोप से जन संख्या को बराबर कर देगी। मालथ्यूज की थ्योरी में ज्यादा विश्वास लोगों का बढ जायगा यदि ऐसे अकाल बार बार पडे...

**श्री मूलचन्द डागा** : मालथ्यूज की थ्योरी को राजस्थान में तो आप लागू मत करिये।

**श्रीमती मदन कौर** : सभी जगह लागू हो रही है, राजस्थान में हो रही है और दुनियां की सब जगहों पर हो रही है।

**एक माननीय सदस्य** : फेमिली प्लानिंग डिपार्टमेन्ट की जरूरत नहीं रहेगी।

# Page No. 98



**श्रीमती मदन कौर** : इस सम्बन्ध में मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहती हूं कि अकाल राजस्थान के लिए आकस्मिक घटना नहीं है। राजस्थान में अकाल नियमित रूप से पड़ते रहते हैं और अकाल के समय करोड रुपये खर्च किये जाते रहे हैं उसके बावजूद भी कोई पक्का इलाज अकाल का नहीं हो पाया है। हर बार जब अकाल पडते हैं तो अकालग्रस्त क्षेत्रों की जनता सरकार के सामने असहाय रूप से आकर राहत की मांग करती है। मैं राज्य सरकार से जानना चाहती हूं कि इतने वर्षों के अनुभव के बाद, इतना रुपया खर्च करने के बाद, बजट के ऊपर आकस्मिक भार पड जाने के बाद भी क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसी स्थाई योजना बनाई है जिसको कार्यान्वित करने से इन अकालग्रस्त क्षेत्रों की हमेशा हमेशा के लिए अकाल से रक्षा की जा सके? क्या इसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई इस प्रकार की योजना का प्रस्ताव है? अकाल मंत्री अपना जवाब देते समय कृपा करके मुझे इस सम्बन्ध में बतलाने की कोशिश करें कि अगर कोई योजना है तो उसका क्या आधार है? क्या उस योजना को बनाते समय स्थानीय विधायकों, स्थानीय प्रमुख और प्रधान से राय ली जायगी या उनकी राय लेने का प्रस्ताव है? जैसा मैं समझती हूं यदि इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास नहीं किया गया, इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारा गया तो सारे राजस्थान का विकास रुक जायगा। अगर आपको सारे राजस्थान का विकास करना है तो जैसा जनसंघ के नेता ने कहा, आपको रीजनल इम्बेलेन्स को खत्म करना पडेगा, नहीं तो एक जगह की कमजोर अर्थव्यवस्था हर जगह के विकास को खा जायगी। जालौर, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर ऐसे जिले हैं जिनका विशेष तौर से आपको अलग प्लान बनाना चाहिए और उसके द्वारा इनका विकास किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों की समस्या खास तौर से पानी की है। वैसे भी अकाल की जड पानी में है। पानी समय पर प्राप्त नहीं हो सकता वर्षा समय पर पर्याप्त रूप में इन क्षेत्रों में नहीं होती, इसी वजह से बार बार इन क्षेत्रों में अकाल पडता है। मैं राज्य सरकार से यह चाहूंगी कि राज्य सरकार कोई ऐसी योजना बनाये जिसके द्वारा पानी की व्यवस्था की जा सके। जो ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं का प्लान बना है उसको पूरा का पूरा कार्यान्वित किया जाय, इसके अलावा घास के अच्छे बाडे तैयार किये जायं। घास का स्टोरेज करने को व्यवस्था की जाय। घास के स्टोरेज से मेरा मतलब यह नहीं है, जैसा कि मैंने कुछ विभागों के बजट में देखा है, जिसमें घास के स्टोरेज के लिए बडे बडे मकान बनाने के एस्टीमेट बनाये गये हैं. मेरे विचार में यह कतई सम्भव नहीं है। पांच हजार की घास को इकट्ठा करने के लिए बीस हजार का स्टोरेज के लिए स्टोर बनाना-यह कतई सम्भव नहीं है। इस तरह से ज्यादा पैसा ऐसे काम में लगायेंगे जिससे कोई मकसद हल नहीं होगा। घास स्टोर करने में सबसे बडी बात यह है कि हर क्षेत्र में घास पैदा की जा सके, अच्छी घास के बीज लगाये जा सकें और बहुत अच्छी पैदावार हो सके-ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि यह अकाल वर्ष में बहुत काम की चीज है। आम किसान अपने डोके के अन्दर घास हमेशा से जमा करते आये हैं। अच्छे वर्ष में इतनी ज्यादा घास वह इकट्ठी कर लेते हैं कि जिससे चार-पांच वर्ष आसानी से निकल जायं। राज्य सरकार को आम किसान से, साधारण अनपढ किसान से सबक लेना चाहिए कि घास के स्टोरेज अच्छी मात्रा में राज्य में रहें।

(श्रीमती मदन कौर)

इसके साथ साथ पानी की व्यवस्था का प्रश्न है। आज इतने वर्षों की स्वतंत्रता के पश्चात्, इतने वर्षों के लोकतांत्रिक शासन के पश्चात् हमारे प्रान्त में ऐसे इलाके हैं जहां पीने को पानी अच्छे वर्ष में भी उपलब्ध नहीं होता है। मैं अकाल मंत्री से निवेदन करूंगी कि वह अपने स्तर पर राजस्थान सरकार के वित्त विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए बाध्य करें कि वह भी इसमें कुछ फंड्स अवेलेबल करायें और अकाल सहायता के नाम से कुछ जल-प्रदाय योजनाओं को हाथ में लिया जाय ताकि हमेशा के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। बालोतरा के आस पास के कुओं से हमेशा अकाल के समय आस पास के गांवों को पानी पहुंचाया जा सकता था। इस साल यह एक भयंकर समस्या सामने आ रही है। बालोतरा और बालोतरा के आस पास के कुओं में पानी खारा होता जा रहा है और दूसरा कोई स्रोत नजर नहीं आता है जहां से हम टंकियों के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से पानी पहुंचा सकें। तो समस्या अब यह है कि पानी की सप्लाई कहां से की जाय, बालोतरा में पानी है वह खारा है और बाकी बचा हुआ पानी कुछ दिनों में खारा होता जायगा-इसलिए यह हमें सोचना पड़ेगा····

श्री मूलचन्द डागा : (अश्रव्य)

**श्रीमती मदनकौर** : डागा जी, आप अकेले ही बोल लिया करें तो बहुत अच्छा होगा।

मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूं कि हमारे यहां खास समस्या है वह पानी और चारे की है। जब तक इन दो समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक अकाल भी हमारे यहां से हट नहीं सकेगा। अकाल के समय मुख्य रूप से, जैसा मैंने कहा, चार समस्यायें हमारे सामने आ जायेंगी-पानी की, चारे की, अनाज की और रोजगार की। हमारे काश्तकार खेती के साथ साथ पशु-पालन का धन्धा भी करते हैं और पशु पालन हमारे चौहटन तहसील, पचपदरा तहसील और शिव तहसील में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। उन पशुओं के लिए इस वर्ष चारा नहीं है, जैसा कि मैंने सुना है, यहां से पशुओं को किसी दूसरी स्टेट में माइग्रेट करने की बात हो रही है। चार पांच वर्षों से अकाल पड़ रहा है इसलिए उन पशुओं की इतनी क्षीण और कमजोर स्थिति है कि यहां से कहीं दूर पैदल उनको ले जाया जाय तो आधे से ज्यादा संख्या तो रास्ते में ही खत्म हो जायगी। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि रेल मंत्रालय से सम्पर्क करके यह व्यवस्था करे सबसे पहले कि रेल गाड़ियों में वैगन्स के द्वारा यहां से दूसरी स्टेटों में पशुओं को ले जाया जाय तो हम उन पशुओं को बचा पायेंगे, वर्ना रास्ते में जैसे हमेशा से हमने देखा है माइग्रेशन के समय एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो उनके लिये पीने के पानी की, चारे की, दवाई की, खाने की, रहने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में जबकि सारे राजस्थान में इतने बड़े पैमाने पर अकाल की स्थिति नजर आ रही है इसलिये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जायेंगे, तो इनको बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और लोग अपने अमूल्य पशुधन को नहीं बचा पायेंगे। अतः राजस्थान सरकार को चाहिये कि रेल मंत्रालय से ऐसी व्यवस्था करे कि रेल के वैगन्स में इन पशुओं को माइग्रेट करवाया जावे।

पानी के बारे में मैंने पहले भी कहा है, एक्स्प्लोरेटरी ट्यूब वैल ऑर्गेनाइजेशन तीन चार वर्षों से हमारे राज्य में काम कर रहा था और उसने अच्छा महत्वपूर्ण काम हमारे यहां

(श्रीमती मदन कौर)
किया था पर अब कोई दूसरी स्टेट में उसे जाने के केन्द्र ने आदेश दिये हैं। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगी कि वह इस एक्स्प्लोरेट्री ट्यूब वैल ऑर्गेनाइजेशन को ओर अधिक समय तक राजस्थान में रखने के लिये भारत सरकार से बातचीत करे। ताकि जिस क्षेत्र में खारे पानी की संभावना नजर आई है, उस क्षेत्र में आगे और इन्टीरियर में जाकर यह ऑर्गेनाइजेशन मीठे पानी की खोज करे, यह बहुत संभव है कि कहीं मीठे पानी के श्रोत मिल जायं, क्योंकि बाड़मेर का तो ¾ हिस्सा इस तरह का आता है, उस क्षेत्र में मीठे पानी की पट्टी को यदि खोज निकाला जाय तो कम से कम पीने के पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान किया जा सकता है।

अनाज की समस्या हमारे क्षेत्र में रहेगी, इसके लिये समुचित व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी, मुझे मालूम हुआ है कि अनाज की काफी अच्छी राशि राज्य सरकार के पास है, पर वह अनाज की रेट निर्धारित करने वाली है उसमें 68 रुपया प्रति क्विन्टल बाजरे की रेट रखी है। 68 रुपया क्विन्टल के भाव से अगर अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को बाजरा देंगे तो वे लोग इस रेट से बाजरा नहीं खरीद सकेंगे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं रही है कि इस रेट से वे बाजरा खरीद सकें। एक तरफ जो राहत कार्य राज्य सरकार उनसे करवा रही है उनमें मजदूरी आदमी को 1 रु० 1 आना, औरत को 14 आना और बच्चे को 12 आना देती है, इस प्रकार की मजदूरी लोगों को देकर 68 रुपया क्विन्टल की रेट से अनाज उन लोगों को देना चाहती है उन लोगों के लिये इस रेट से अनाज खरीदना कतई संभव नहीं है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि मजदूरी की रेट को बढाया जाय, पी० डब्ल्यू० डी० के मेजरमेन्ट के आधार पर उनसे काम लिया जाता है और मजदूरी की रेट अकाल राहत की देती है तो यह कतई उचित और न्यायसंगत नहीं हो सकता। इनकी मजदूरी की रेट को बढाया जाय और अनाज की रेट को कम करें।

खास बात एक ही है और वह है पैसे की। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। राज्य सरकार का भंडार बिलकुल खाली है तो पैसा किससे मांगें अकाल राहत कार्यों के लिये? पैसा केन्द्र सरकार से मांगना पडेगा यदि केन्द्र सरकार ने पूरी तरह से मदद नहीं दी तो ये सारे विचार और योजनाएं जो अकाल सहायता मंत्रीजी के दिमाग में हैं वे कार्यान्वित कतई नहीं हो सकेंगी। तो राज्य सरकार से और इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हमें केन्द्र सरकार के सामने हमारे इस भीषण अकाल की स्थित का सही चित्रण करना चाहिये जिससे कि वह हमें राहत कार्यों के लिये अधिक से अधिक पैसा दें। केन्द्र सरकार पैसा भेजे तभी सही मान में हम इस अकाल की स्थिति का सामना कर सकते हैं। राजस्थान का यह इस वर्ष का अकाल बिहार और पश्चिमी बंगाल में पडने वाले अकालों से किसी कदर कम नहीं है, इस अकाल की सही स्थिति का चित्रण हमें केन्द्र सरकार के सामने करके जिस पैमाने पर यह अकाल पडा है उसी पैमाने पर पैसा प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिये। जैसा कि रेडियो पर हमने सुना था, केरल और गुजरात को बाढ से नुकसान हुआ था, उसकी पूर्ति करने के लिए दो–तीन करोड

(श्रीमती मदन कौर)
रुपये केन्द्र ने उन राज्यों को दिये हैं, गुजरात में जो बाढ आई उससे हमारे यहां पाली और दूसरे क्षेत्रों में जो बाढ आई वह कम भयंकर नहीं थी, हमारे यहां पर भी बाढ से उसी तरह से नुकसान हुआ है पर गुजरात वालों ने शोरगुल किया, वहां के जो संसद के सदस्य हैं, उनका पालियामेन्ट में सहयोग रहा, गुजरात की बाढ के लिये शोर किया और केन्द्र से पैसा लिया। लेकिन यह हमारे साथ नहीं हुआ। तो मैं राजस्थान सरकार को चेतावनी देना चाहती हूं कि कहीं यही चीज हमारे अकाल राहत कार्यों में भी नहीं हो जाय, इसलिये राजस्थान में जो यह बडे पैमाने पर भयंकर अकाल पडा है इसका सही चित्र केन्द्रीय सरकार के सामने जाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार को यह बताना चाहिये कि अगर राजस्थान के आदमियों को और पशुओं को बचाना है तो केन्द्रीय सरकार पूरी सहायता दे। मुझे आशा है कि यदि पैसा केन्द्र से मिला तो राज्य सरकार के इस वर्ष जो अकाल मंत्रीजी हैं, वे अच्छा प्रबन्ध कर सकेंगे, उनके दिमाग में बहुत अर्से से विचार आ रहे हैं कि कैसे व्यवस्था हो, किनको इन्चार्ज बनाया जाय। जहां जहां भयंकर अकाल है वहां अच्छी इन्टेग्रिटी के अधिकारियों को रखा जाय वर्ना आधा पैसा अधिकारी ही अपनी जेबों में रख लेंगे।

केन्द्र से पैसा लेने के लिये जरूरी है कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात पर जोर दें कि हमारे यहां भयंकर अकाल है, हमारे यहां मनुष्यों की जान-माल का खतरा है, मवेशियों के मरने का खतरा है। यह बात नहीं हुई तो केन्द्र से पैसा मिलेगा नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेन्ट से अकाल राहात के लिये पैसा मांग रहे हैं वह कुछ भी मिलेगा नहीं।

**श्री सभापति** : श्री रामकिशन।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : हमारे दल के सदस्यों को बोलने का समय अभी तक नहीं दिया गया है, एक भी सदस्य को अभी तक बोलने का समय नहीं दिया गया है।

**श्री रामकिशन शर्मा** : आपके दल की तरफ से श्री कटेवा बोले हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : वे भूतपूर्व हैं।

**श्री रामकिशन शर्मा** (वैर): सभापति महोदय, आज अकाल और बाढ पर बहस हो रही है। कल अकाल मंत्रीजी की तरफ से वक्तव्य दिया गया था, उसको सुनते समय मेरे मन में इस प्रकार की कल्पना उत्पन्न हो रही थी कि क्या कभी राजस्थान में भी ऐसे दिन आयेंगे कि जब अकाल और बाढ जैसी समस्याओं पर मन्त्रियों को समय खराब नहीं करना पडेगा। पर जो राजस्थान सरकार की दिशा है, नीति है और जो इसका ज्ञान है, उससे ऐसा मालूम पडता है कि अगर राजस्थान में यही सरकार रही, जिसकी कि उम्मीद तो कम है फिर भी यदि दुर्भाग्य से यही सरकार रह गई तो आने वाले दस-बीस वर्ष तो क्या 50 वर्ष तक भी यह सरकार इस समस्या का हल नहीं कर सकती। इसके कई कारण हैं, उन सब कारणों के सम्बन्ध में मैं इस समय विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस समस्या के समाधान के लिये कई तरह के सुझाव मैंने समय समय पर सरकार के सामने रखे हैं पर सरकार अपनी रूढिवादिता, अकर्मण्यता को छुपाने के लिये राजस्थान की यह सरकार राजस्थान के लोगों को भगवान् के सहारे पर रख रही है, आज कोई बाढ

(श्री रामकिशन शर्मा)

आती है, अकाल पड़ता है तो उसका कारण यह दुर्भाग्य भगवान का प्रकोप बताती है, यह सरकार की ज्ञान हीनता है। पिछले साल के वक्तव्य में एक दोहा दिया गया है, राजस्थान के अकालों के सम्बन्ध में, मुझे राजस्थानी बोली अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी जी चूंडावत यहां मौजूद हैं, पिछले साल वह दोहा छपवाया उसके लिये मुझे सरकार से सख्त एतराज है वह दोहा इस तरह है:

पग पूंगल धड मेडते, बाहू बाड़मेर ।
भूल्यो चूक्यो बीकपुर, ठावो जैसलमेर ।।

किसी भावना से कवि ने यह दोहा बनाया हो, पर विधान सभा के सदस्यों के लिये इस तरह का दोहा उन्हें वितरित किये जाने वाले साहित्य के साथ वितरित किया जाता है तो लोगों के मन में एक तरह की भावना पैदा हो जाती है कि राजस्थान में यह स्थिति है और हमेशा यह स्थिति रहेगी, इस दृष्टि से यह बिल्कुल वाहियात दोहा है। कवि की कविता, भावव्यंजना, जीवन दिशा से मुझे विरोध नहीं है, पर सरकार द्वारा वितरित किये जाने वाले साहित्य में इस प्रकार की निराशाजनक तस्वीर खींचने से लोगों के मन में काम न करने की भावना पैदा हो जाती है, निराशा पैदा हो जाती है, अब अकाल पडा है तो सरकार कह सकती है कि जोधपुर में तो अकाल पडेगा ही, शायद राजस्थानी के इस दोहे का यही अर्थ निकलता है। तो मैं अकाल मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी भी यही मान्यता है कि अकाल, बाढ को नहीं रोका जा सकता? अगर आपकी यह मान्यता है, दूसरा होता तो उदाहरण नहीं देता, पर आप पढ़े लिखे हैं, अध्ययनशील हैं, हिन्दुस्तान के अलावा हमारी जैसी स्थिति के कौन कौन राज्य हैं, जहां 50-59 को छोड अकाल नहीं पडे हों? हर साल आपके यहां अकाल पडता है केवल राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां एक वर्ष के अलावा 20 वर्ष ही अकाल पडा है। भारत के बाहर हमारी जैसे भौगोलिक स्थिति के मुल्क हैं, उनमें भी हर साल अकाल पडता है। राज्य सरकार के जो आर्थिक स्रोत हैं, भारत की आर्थिक स्थिति है जितनी मदद दे पाती है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इन 20 वर्ष में अकाल निवारण के लिए क्या क्या काम किए? जिस समय अकाल पडता है, पानी का प्रबन्ध करते हैं, चारे का भी करते हैं, उस समय सस्ते अनाज की दुकानें खोलते हैं लेकिन अकाल नहीं पडे उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

( 3.40 म.प. )

(श्री पूनमचंद विश्नोई, उपाध्क्ष, पदासीन)

जिन इलाकों में निरंतर अकाल पडता है उनकी जनसंख्या को ले लें तो अकाल निवारण के लिए ज्यादा से ज्यादा 50—60 करोड रुपए खर्च करने की जरूरत थी।

**श्री मदनसिंह** : पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर ! जिस समय हम चेयर पर दो आदमी देखें तो हम क्या स्थिति समझें ? उस समय हमारा क्या कर्तव्य है? स्पष्ट करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : जो चेयर पर बैठा हो उसी को समझ लें।

**श्री रामकिशन शर्मा**: राज्य सरकार ने इस वर्ष अकाल राहत कार्यों पर पिछले साल

(श्री रामकिशन शर्मा)

14 करोड रुपये खर्च किए, उसको जोडकर 63 करोड रुपए 20 साल में खर्च किए। खर्च की बडी रकम है लेकिन स्थाई काम कौनसा किया? आज भी राज्य सरकार जब बरसात नहीं हो रही है तो कोई छोटी-मोटी योजना बनाएगी लेकिन स्थाई तौर से कुछ नहीं। राज्य सरकार ने एक वर्ष में भी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया जो अकाल को समूल नष्ट कर दे। हम बहुत बडे इलाके से अकाल को मिटा सकते हैं अगर दिशा होती, ज्ञान होता और इरादा होता। सब जानते है कि आज पानी की स्थिति क्या है? पानी के जो स्रोत हैं जितनी जल क्षमता है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। सिंचाई मंत्री होता तो मैं निवेदन करता। जब आज अकाल और बाढ पर बहस थी तो सिंचाई मंत्री का यहां रहना आवश्यक था क्योंकि सिंचाई मत्री के बगैर बाढ का जवाब कौन देगा? इन 20 वर्षों में पंच-वर्षीय योजनाओं में आपने क्या क्या उप-लब्धियां की हैं सिंचाई के क्षेत्र में? आज एक करोड एकड में जमीन सिंचित कर दी है लेकिन नदी, कुए, तालाब इत्यादि सब मिलाकर केवल 40 लाख एकड पर पानी का प्रबन्ध कर पाये हैं। 20 साल पहले पानी का कितना सिंचित क्षेत्र था उस समय 12 लाख एकड सिंचाई का प्रबन्ध था। आज एक करोड एकड में सिंचाई करते हैं और आप एक करोड एकड में से 14 लाख एकड से ज्यादा जमीन पर पानी नहीं आ पाया है। हम इंद्र और वरुण को दोष नहीं दे सकते, उनसे कम दोष राज्य सरकार का नहीं है। राज्य में अगर एक आदमी या मवेशी भूख से मरता है तो उसकी जिम्मेदारी इन्द्र पर नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मोहनलाल सुखाडिया पर है और उन पर अपराधियों की तरह मुकदमा चलाना चाहिए। सरकार सही दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाती? अगर दूसरे देशों में ऐसी स्थिति पैदा हो जाय तो मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर दिया जाय। मैं सोवियत प्रणाली का समर्थक नहीं, मैं चेक प्रणाली का समर्थक नहीं और पोलिश प्रणाली का समर्थक नहीं लेकिन पोलैंड में पैदावार घटने के बाद पोलेंड में मंत्री जॉन साहब को किसी गांव में सहकारी समिति का मैनेजर बनाया जाता है लेकिन राजस्थान सरकार, भारत सरकार अकाल की हालत में दोष कुदरत को देते हैं। अकाल नहीं पडे तो सारी योजनाओं का लाभ पहुंचने का प्रचार करके आत्म संतुष्टि कर लेते हैं। सरकार जो कदम उठा रही है उसकी सूचना मंत्री महोदय के वक्तव्य से हमें मिली है लेकिन आप अकाल राहत कार्य खोलने जा रहे हैं, आप कुछ लोगों को मजदूरी भी दे रहे हैं लेकिन आप जरा विवेक से काम लें। 10-10 मील रोजाना चलकर मजदूर काम पर जाते हैं और वापसी आने में 10 मील, इस तरह रोजाना 20 मील चलते हैं। आपने उनको 1 रु. 20 पैसे रोजाना देना तय किया है, वे 100 क्यूबिक फीट मिट्टी खोदेंगे। अगर वे इतनी मिट्टी नहीं खोदेंगे तो क्या देंगे? आप कल कह रहे थे कि आपके पास सूचना नहीं। बीकानेर जिले में कई गांवों में केवल 12 पैसे रोजाना या 20 और 15 पैसे पड रहे हैं। एक गांव है छासर वहां एक व्यक्ति को 20 पैसा मिलता है। आखिर वह कैसे जीवन निभाएगा, कैसे जीवित रहेगा या उसकी आप भूख में

(श्री रामकिशन शर्मा)

ही उम्र लंबी करके सड़ाना चाहते हो? कोडू गांव में 13 पैसे मजदूरी देते हो। जैसहदेसर में 14 पैसे देते हो जो मगरा तहसील में है। सरकार टाल क्लेम्स करती है कि राहत कार्यों पर इतना पैसा खर्च किया। मैं मंत्री महोदय को सूचना देना चाहता हूं बिहार में अकाल पड़ा था जो राजस्थान के अकाल से भी बहुत भीषण था। आपका नेतृत्व कमजोर है, मुख्य मंत्री कई मामलों में दबते हैं। बिहार ने बगैर केन्द्रीय सरकार की सलाह से अकाल घोषित कर दिया। आपने 20 वर्ष में 63 करोड खर्च किए, बिहार सरकार ने उस अकाल में 53 करोड खर्च करके अकाल के भूत को भगा दिया और मिर्धा साहब भूतपूर्व हमारे अध्यक्ष ने टूअर किया है। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि बिहार सरकार ने शिविर ही नहीं लगाए, भोजन ही नहीं दिया बल्कि टारगेट्स भी बना लिए कि जो काम नहीं कर पाएगा, अशक्त महिलायें या छोटे छोटे वर्ग के लोग जिनकी १००) रुपए माह से कम आमदनी थी, उनके लिए तीन महीने तक भोजनालय चलवाए। आप मेहनत करवाते हैं, 20 मील उससे चलवाते हैं और उनको 20 पैसे देते हो। इस तरह बिहार सरकार ने मुफ्त भोजनालय खुलवाकर उनके जीवन की रक्षा की और रक्षा ही नहीं की, चाहे इंद्र नाराज हो चाहे इंदिरा नाराज हो बिहार के गांवों में लोग पानी के बगैर नहीं मरे, जिन गांवों में अकाल पडा था, हर गांव में ट्यूब वेल्स लगवा दिए सरकार के सामने दिशा थी, मन था, हृदय था, यहां राजस्थान में कुदरत को दोष दिया जाता है, भाग्यवाद के आधार पर जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए। अकाल का रूप 5–7 जिलों में ही नहीं रहा, अगर 8–10 दिन में बरसात नहीं आई तो राजस्थान में भयंकर अकाल पड सकता है और भरतपुर जैसा जिला जहां कभी अकाल नहीं आया वह भी चक्कर में आ जायगा। जब इतनी बडी भयंकर स्थिति हो तो क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी बीकानेर के लोग मिले, वे कहते हैं कि लोग छोड छोड कर जा रहे हैं गायों को। मेहता साहब के पास पत्र आया कि भेडों को लेकर भीलवाडा में आ रहे हैं, भीलवाडा के लोग शिकायत कर रहे हैं, महारावल साहब जानते हैं। एक काश्तकार जब गाय को छोड जाता है तो कितनी वेदना उसको होती है। धार्मिक दृष्टि से मनुष्य और पशु का सम्बन्ध है....

**श्री मदनसिंह**: इसी को धर्म कहते हैं।

**श्री रामकिशन शर्मा**: मुझे ऐतिहासिक प्रसंग याद है। कंस और कृष्ण। कृष्ण युद्ध के बाद द्वारका छोड जाते हैं, राधा को छोड जाते हैं, बलदेव को छोड जाते हैं लेकिन दो चीजें साथ थीं। दो गायों को लेकर जैसलमेर से होकर कृष्ण गए। लेकिन आज लोग उन गायों को, जो पशु थे, जिन पर उनकी आर्थिक स्थिति निर्भर करती थी साथ नहीं ले सके। बीकानेर के लोगों ने मवेशियों को छोड रखा है, चारे का प्रबन्ध नहीं है। वे किन स्थितियों में चले गये, मुझे कृष्ण का वर्णन नही कहना है, मुझे इतिहास की व्याख्यायें नहीं कहनी हैं। आपके मन की बात कहना चाहता हूं। जाते वक्त सब छोडे गये। लेकिन उन्होंने गायों को नहीं छोडा। ब्रज की जो सत्ता थी, शोभा थी उसको नहीं छोडा। बीकानेर में चारे का प्रबन्ध नहीं है। भरतपुर तहसील में रबी की फसल में चारे

(श्री रामकिशन शर्मा)

को उठाया तक नहीं। गेहूं का बढ़िया भूसा आठ आना मन बिक रहा था। सब ने उसको छोड दिया। अब भाव चढ़ रहे हैं वहां पर भी। आज यह स्थिति हो रही है कि चारे के अभाव के कारण हमारा पशुधन नष्ट हो रहा है। भेडों का प्रश्न नहीं। आर्थिक स्थिति का सवाल है। पशुपालन राजस्थान का प्रमुख व्यवसाय है। राज्य की आमदनी में भी पशुधन प्रमुख है। उसमें भी कुछ घाटा गया तो आर्थिक स्थिति गिरेगी। रबी की फसल जहां हुई है वहां के जिलाधीशों को आदेश दें। ढुलाई के लिये रेलवे मंत्रालय से मदद लें। भरतपुर में यह सूचना पहुंच चुकी है कि राजस्थान में अकाल पड रहा है चारा मंहगा होना शुरू हो गया। इसलिये आप समय निकलने पर निर्णय न लें।

अकाल के संबंध में ज्यादा नहीं जाना चाहता। वृद्धिचन्दजी ने कहा कि चुनाव होते हैं तो अकाल के कार्य चालू होते हैं। इतिहास में इतने लम्बे चौडे उदाहरण हैं जिनकी कल्पना ही नहीं की होगी, यह नहीं देखा कि राजनीति के उद्देश्यों के लिये जो कार्य किये गये और मानवीय पृष्ठभूमि को भूल गये ऐसा एक भी उदाहरण इतिहास में नहीं है। लावा, कुचामन, झुंझुनूं, भरतपुर से आये माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं कि अकाल और बाढ की स्थिति में राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं तो बडा खेद और दुःख होता है। बाढ की समस्या तो आपके जिले ने पहले ही देखी है। एक जिला है जहां बाढ आती ही रहती है, भरतपुर और डीग। चीन वाले यांग्त्सी नदी को बांध सकते हैं, बर्मा वाले रिंग नदी को बांध सकते हैं लेकिन राजस्थान में बाणगंगा और गम्भीरी की बाढ को नहीं रोक सकते यह तो हंसी और मजाक की बात नहीं है। यह भी कोई सरकार है जो दो दो फीट की नदी को नहीं बांध सके। यांग्त्सी नदी को बांधने वाला चीन छाती ठोक कर संसार की शक्ति के सामने खडा है। जो आज आपकी शान और शौकत के ऊपर खर्च हो रहा है उसका दंड भुगतना पडता है जनता को। आप जनता के लिये ये इतने से साधन नहीं जुटा सकते फिर काहे को अपने को सरकार कहलाते हैं। मैंने मन्त्री महोदय का वक्तव्य पढ़ा। बडी हंसी आती है। वे कहते हैं भरतपुर की नदियां शान्त है इसलिये वहां अब बाढ़ नहीं आवेगी। हंसी की बात है। ऐसे मन्त्री मैंने कहीं नहीं देखे। पहले भरतपुर बाढ से बरबाद हुआ और अब बरबाद हो रहा है सूखे से। इसलिए इसके लिये दोष नहीं दे सकता कि कृत्रिम साधन बनते जा रहे हैं, अभी तो वे आपकी कल्पना के ही परे हैं। फिर भी भरतपुर में एक बार बाढ़ आयी। आपके चीफ इन्जीनियर की गलती से वह सारा पानी उत्तर प्रदेश को निकाल दिया गया। कहा गया कि बांधों में पानी मत भरो। भरतपुर के सारे बांध खाली पडे हैं उसके परिणामस्वरूप। सारा पानी बाढ़ का निकल गया। रबी की फसल ही वहां ज्यादा होती है। सदन के माननीय सदस्य और मन्त्रीजी कह सकते हैं कि बरसात ज्यादा होती है तो बाढ का पानी निकाल दिया। भरतपुर जिले में, इसके लिये धन्यवाद दूंगा मन्त्रीजी को कि बाढ आने के बाद कुछ काम शुरू किये। आपने क्या किया यह थोडा

(श्री रामकिशन शर्मा)
नमूना बताना चाहूंगा। सिंचाई पर आपने पचास लाख रुपया लगाया। 40 लाख रुपया सिंचाई पर और 10 लाख रुपया मशीनरी पर। इतना खर्च करने के बाद जब पहली बाढ़ आयी तो बडी घबराहट हुई। सारा पानी निकाल दिया। चैनल बना दिये थे। कहा गया कि बाढ नियन्त्रण के लिये बांधों को खाली करना था। यह तो मैं ही कर सकता था। काहे को आपके टैक्निशियन और इन्जीनियर की आवश्यकता है? कहते हैं कि बाढ़ को नियन्त्रण करना था इसलिये बांधों को खाली रखना था। भरतपुर में रबी की फसल ही अच्छी होती है। खरीफ की उतनी नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पच्चीस पच्चीस मिनट दिये हैं आपने दूसरों को।

**श्री उपाध्यक्ष:** 30 मिनिट हो गये हैं।

**श्री रामकिशन शर्मा:** आपको भ्रम हो गया है।

सिंचाई मन्त्रीजी को लाना चाहिए था। यह सारा इन्तजाम होता है या नहीं। भरतपुर की यह स्थिति है कि बांध बनाते नहीं, मिट्टी ही मिट्टी डाली जा रही है। सिंचाई में कमीशन चलता है। इसको राजस्थान सरकार भी मानती है। शायद उन्होंने करप्शन की छूट दे दी है। राजाओं के टाइम में 5 परसेन्ट इन्जीनियर्स लेते थे तो अब 15 परसेन्ट ले सकते हो। करप्शन भी प्रगति में आना चाहिए। आज 25 परसेन्ट लिया जा रहा है। 2½ परसेन्ट असि. इन्जीनियर्स लेते थे वे अब 20 परसेन्ट ले रहे हैं। कहते हैं कि बांधों में मरम्मत करा ली तो क्या हो गया? दौसा और चौमूं के चुनाव हुए तो भरतपुर के असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स को कह दिया टेलीफोन पर कि दस दस हजार दे दो। एक एक लाख रुपया इस प्रकार असि. इन्जीनियर्स ने कमा लिया। आप गुप्त जांच कर लीजिये। सिंचाई मन्त्रीजी होते तो मैं उनसे कहता। एक कोल्डर डैम बनाया। क्या टेक्निकल नालेज है उसका नमूना बताना चाहता हूँ। गम्भीरी नदी पर बनाया पांच फीट पानी आते ही वह टूट गया। जिस कैनाल में पानी डालते थे उसको मध्य प्रदेश में निकाल दिया। जहां काम नहीं होता था वहां पर पांच पांच लाख का पेमेन्ट होगया। रुपयों की गिनती से सरकार कह देती है तो उसको नहीं समझना चाहिए। यह भरतपुर में विलक्षण हो रहा है। पचास प्रतिशत करप्शन में चला जा रहा है और पचास प्रतिशत इन पर।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कारण यह चाहे बाढ को हो यह कुदरत की देन नहीं है यह मनुष्य की देन है। घबराहट की बात न करें। कभी राजस्थान की औरत के लिये लिख देते हो कि घडा लेकर चलती है तो बडी सुन्दर लगती है, कभी लिख देते हो कि जैसलमेर में अकाल पडता है। इस प्रकार की बातों से बचने की कोशिश न करें।

(4 म.प.)

केन्द्रीय सरकार आपको अनुदान देगी। आज तक आपने नुकसान का अनुमान नहीं लगाया। बाढ के कारण राजस्थान में 25 करोड का नुकसान हुआ है। अभी पच्चीस करोड में से एक करोड का प्रावीजन किया है। केन्द्रीय सरकार पैसा दे सकती है। देगी। धन को लावें किन्तु

(श्री रामकिशन शर्मा)

लगावें कहां ? जहां अभी तक लगाया है, उसका क्या रिजल्ट निकला ? इसके लिये किसी प्रकार का आरगेनाइजेशन खडा करें। यह आरगेनाइजेशन खडा नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आयेगा। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार आपको रुपया देगी उसको आप जरूर लावें। केन्द्रीय सरकार पैसा कहां से लायेगी ? विदेशों से लायेगी। यह क्रम तो हिन्दुस्तान में बीस सालों से चल रहा है। परन्तु मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इसका स्थायी इलाज सोचिये। पिछले अकाल के समय केन्द्रीय सरकार ने, योजना कमीशन ने कुछ सलाह दी थी। उन पर आपने अमल क्यों नहीं किया ? अगर उस पर अमल करते तो हमारी आज यह स्थिति नहीं होती। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि इसका महत्व नहीं है कि आपने चारे का प्रबंध किया, पानी दिया। मैं निवेदन करूंगा कि आप स्थायी इलाज की सूचना दें। बिहार की बराबरी नहीं करें तो उडीसा की बराबरी करेंगे ऐसी आशा करता हूं। कुछ न कुछ तो करेंगे यह मैं मानता हूं। अकाल निवारण के लिये आपकी क्या योजना है ? बाढ नियन्त्रण के लिये आपकी क्या योजना है ? कितने इंच बरसात होगी ? इतने इंच बरसात होने पर अकाल नहीं होगा, राजस्थान के लोग इतने इंच बरसात होने पर भूखे नहीं मरेंगे ? यह प्लानिंग आपने किया है ? आप यह घोषणा करते हैं कि कोई भूख से नहीं मरेगा। परन्तु आप कोई स्थायी कार्यक्रम क्यों नहीं बनाते ? विधान सभा में बहस का कोई फल नहीं निकलता है। तो मैं समझता हूं सदन गंभीरता से इस पर चिन्तन करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढा !

**श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) : उपाध्यक्षजी, आज सदन में अकाल के ऊपर वाद विवाद चल रहा है और आज से पहले भी कई बार वाद-विवाद हो चुका है। मेरा कहना है सदस्यगणों से, सरकार से आप लोगों ने कह दिया है, मैं नहीं समझता कि सरकार से कुछ कहूं क्योंकि जैसलमेर लगातार सात वर्षों से अकालग्रस्त रहा है। सरकार की ओर से जो व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था नहीं कही जा सकती। जो व्यवस्था की गई है, वह आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सदस्यों को मालूम होगा। यहां की एस्टीमेट कमेटी हमारे यहां आयी थी। उसमें से कई माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं। वह मैं सदन को कहूंगा और उससे आप सूचित होंगे। जैसलमेर एक सीमावर्ती क्षेत्र है और बरसात के अभाव के कारण वहां हमेशा करीब करीब अकाल रहता है। आज बीस वर्षों से, स्वतन्त्रता आने के बाद प्रजातंत्र चल रहा है और सरकार ऐलान करती है कि हम एक भी आदमी को भूखों नहीं मरने देंगे, व्यवस्था करेंगे और अविकसित क्षेत्रों का विकास करेंगे। जैसलमेर में बीस वर्षों में जो विकास हुआ है वह सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। आज राजस्थान में 63 करोड रुपया अकाल पर खर्च हुआ, राजस्थान कैनाल का जो ओरिजनल प्लान था, वह मोहनगढ तक था, उसमें राजनैतिक कारणों से तब्दीली लाई गई है। बीच में लिफ्ट इर्रीगेशन सिस्टम लाया गया इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बीकानेर के लोगों को लाभ मिला है। दस वर्षों में इस नहर को कम्पलीट करने की योजना थी परन्तु आज तक इसको कार्यरूप में लेने का निश्चय नहीं लिया गया। अगर राजस्थान कैनाल पर

(श्री बालसिंह सोढा)
यह 63 करोड रुपया लगा दिया जाता तो मेरे ख्याल में यह 7 वर्षों में ही बन जाती और 15-20 वर्षों से लोग अकाल से पीडित हैं, वह अकाल की समस्या इससे हल हो सकती थी। राजस्थान कैनाल केवल अकाल की दृष्टि से ही उपयोगी नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका अपना महत्व है। इसका मैं उदाहरण पेश करूंगा। राजस्थान की सीमा 700 मील है, जिसमें गंगानगर जिला है जिसमें सिंचाई की व्यवस्था है इससे वहां ज्यादा लोग बसते है और जैसलमेर में, वहां की सीमा तीनसौ मील लम्बी है, बिल्कुल सूना पडा है। सन् 1965 में पाक-भारत संघर्ष हुआ था। हमारी सेनाओं ने काश्मीर में अपनी बहादुरी दिखाकर जीत प्राप्त की। इसके विपरीत क्या होता है जैसलमेर में? वह सुनसान था। सेना कम थी। वहां हम पीछे क्यों रहे? वहां लोगों को खाने को नहीं मिला, पीने को पानी नहीं मिला। आज वहां के लोगों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसलमेर की सीमा पर रहने वाले किसानों की कोई सुरक्षा नहीं है। हजारों की संख्या में पाकिस्तानी पशुओं को ले जाते हैं। लोगों को सात सात मील अन्दर आकर लूटते हैं। मवेशियों को ले जाते हैं। मनुष्यों को भी उठाकर ले जाते हैं। आपके यहां तो सात वर्ष में एक बार ही अकाल पडता है। वह प्रकृति का प्रकोप है। किन्तु जैसलमेर के साथ प्रकृति के प्रकोप के अलावा, राज्य सरकार का भी प्रकोप है, उसके ऊपर अयूब साहब का भी प्रकोप है। अयूब साहब का प्रकोप हमेशा के लिये हमारे ऊपर बना रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग राज्य सरकार पर दबाव डालेंगे कि वह इस विषय पर कोई निर्णय ले। विवाद से इसका कोई हल, समाधान नहीं होने वाला है।

अब मैं 7 वर्षों में राज्य सरकार ने इस जिले में अकाल की जो व्यवस्था की है उसके बारे में बता देना चाहता हूं। पहले पहल मैं मनुष्यों के लिये जो व्यवस्था की है वह बता देना चाहता हूं। अमेरिका से माइलो मिला था पहले पहल वह लोगों को फ्री दिया गया। धीरे धीरे उसकी कीमत बढ़ती गई और लोगों की शक्ति इससे क्षीण होती गई। पहले पहल इस ज्वार का भाव रहा 37 रुपया क्विन्टल। इसके बाद 45 रुपया हुआ और अब वह 55 से 60 रुपया क्विन्टल है। आज जो ज्वार दी जा रही है, वह 68 के भाव से। बाजार में उसका भाव है 99 रुपया और फिर कहते हैं कि हम सस्ता धान दे रहे हैं। सस्ते धान की दुकानों को लें, जैसलमेर की सस्ते धान की दुकानों पर जो भाव हैं, वे ही भाव आज जयपुर के बाजार के भाव हैं। यह है आपकी अकाल सहायता। हमारे यहां से डिस्ट्रिक्ट आथोरिटीज ने 20 हजार क्विन्टल की मांग पेश की, सरकार देती है 10 हजार क्विन्टल। आज जैसलमेर में सस्ते धान के आलावा और कोई दूसरा सोर्स नहीं होने के कारण लोगों को भूखा रहना पडता है। मैं आपको आंखों देखा हाल का उदाहरण पेश करूं 15 जुलाई को जैसलमेर में एक जगह बरसात हुई। एक नाले में पानी आ गया। 250 आदमी अपनी अपनी मवेशी को लेकर वहां पहुंच गये। मैं भी उसी तरफ चला गया, मवेशी के कारण लोग भी इकट्ठे हुए थे। मैं भी उस तालाब पर गया। देखा ये लोग खाना बना रहे हैं। मैं देखता क्या हूं ये लोग भूसे की, बांटे की रोटी बनाकर खा रहे हैं। यह अनाज का छिलका होता है। मैंने पूछा आपको राशन नहीं मिलता?

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

राशन हमको मिलता है। वह समय पर नहीं मिलता है और मिलता है प्रति व्यक्ति 5 किलो। समय पर न मिलने के कारण और वह पांच किलो भी साथ में ले आवें तो हमारे बच्चे क्या खाते ? यह है आपके अकाल की व्यवस्था ?

अब एक और उदाहरण दूं। हमने बीस हजार क्विन्टल की डिमाण्ड की तो देते हैं दस हजार क्विन्टल। दूसरी तरफ जैसलमेर को छोड दीजिये, दूसरे जिलों को माइलो अलाट किया गया। वे नहीं लेते। होता क्या है सरकार अपने निर्णय में तब्दीली कर देती है ? सरकार होशियार है। दूसरे दिन आर्डर होता है कि माइलो को 37 रुपये क्विन्टल के हिसाब से नीलाम किया जाता है। क्या बताऊं इसके क्या कारण हो सकते हैं। यही बाजार में 65 के भाव से बेचा है। यह तो जांच करने पर ही मालूम होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच की जाय।

अब पांच किलोप्रति व्यक्ति माइलो आपकी तरफ से दिया जाता है वह समझ में नहीं आया यह क्यों ? शाहगढ एक क्षेत्र है, वहां के निवासियों को सम और मीयाला से धान लाना पडता है जो वहां से साठ सत्तर मील दूर है। उसके सिवाय उनको माइलो मिलने का कोई ...सरा च...ा नहीं। वहां जाने पर कहा जाता है कि आज तो स्टाक में नहीं आप अन्दाज लगाइये जो व्यक्ति अनाज लेने सत्तर मील दूर जाकर यह सुने कि अनाज नही है तो उसकी क्या हालत होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो जानवरों के अलावा उनके कमाई का और जरिया नहीं। दूसरे पाकिस्तान वालों के डर से वे पशुओं को बाहर नहीं छोडते। सुरक्षा की व्यवस्था पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा वह आप माननीय सदस्यों से किसी से छुपी नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कम से कम एक बार क्षेत्र को देखें तो सही। मैंने कई बार मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखे हैं मंत्री जी से भी निवेदन किया लेकिन किसी का जवाब नहीं आया टेलीग्राम्स तक दिये लेकिन किसी ने उसका जवाब तक नहीं दिया।

सरकार द्वारा निकाली हुई विज्ञप्ति को मैंने पढा उसको पढकर मुझे बडा अफसोस हुआ जैसलमेर में जो व्यवस्था चल रही है उसको सुचारू रख रहे हैं। व्यवस्था तो जिस प्रकार की है वह मैंने बता दी है। मैंने 27 तारीख को एक एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था आज पांच तारीख है इन दिनों में आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई ? कुछ नहीं। समय समय पर समाचार-पत्रों में भी वहां की हालत का जिक्र होता रहा है। आज वहां स्थिति यह है कि हजारों की संख्या में रोज जानवर मरते हैं उसके लिये सरकार अब योजना बना रही है उसको कार्यरूप में परिणित कब किया जायेगा जब कि जैसलमेर के जानवरों का सफाया हो जायगा। जैसलमेर में यह पहली ही बार अकाल पडा हो ऐसी बात नहीं है लगातार सात वर्षों से वहां अकाल की स्थिति है इसको भी सरकार को सोचने समझने में महीने दो महीने लग सकते हैं वैसी स्थिति में हम लोग क्या विश्वास कर सकते हैं कि सरकार व्यवस्था करेगी।

अकाल राहत कार्य इस वर्ष खोले गये उदाहरण के तौर पर बताऊं जैसलमेर का

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

. एरिया सोलह हजार स्क्वायर मील है जहां डेढ लाख की पापुलेशन है और अकाल राहत कार्य खोले गये हैं केवल छः जगहों पर । इतने विशाल एरिया में जो क्षेत्र है उसमें केवल छः अकाल राहत केन्द्र खोलने से क्या राहत मिल सकती है ? इसको क्या व्यवस्था कह सकते हैं ? यह देखकर हमें रोना आता है ।

दूसरा उदाहरण मैं प्रस्तुत करूं जिसको सुनकर आप भी आश्चर्य चकित हो जायेंगे। जैसलमेर के लिये टांकों के लिये 2 लाख 80 हजार रुपया मन्जूर हुआ, सितम्बर में मन्जूर हुआ लेकिन आज तक एक भी टांका बनाने का कार्य आरम्भ नहीं किया है । इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? कहा यह जाता है कि चीफ इन्जीनियर से एस्टीमेट बनकर नहीं आये । 2 लाख 80 हजार की मन्जूरी टांकों के लिये हुई लेकिन उसके लिये चीफ इन्जीनियर ने तखमीना तक नहीं बनाया और एक टांके का भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया इससे ज्यादा क्या अन्धेर इस सरकार में हो सकता है ।

इसके अलावा एक सूचना हमें दी गई है कि वन विभाग को आदेश दिया गया है दो लाख मन घास काटकर वह उसकी व्यवस्था करेगा । यह तो उस तरह का मामला हुआ जैसे आग तो आज लगी हो और छ महिने के बाद कहा जाता हो कि बुझा दी जाय । आपके आदेश अब होंगे घास कटने में दिन लगेंगे और दो महिने के बाद जाकर घास मिलेगा जब तक तो पशु बिना घास के मर जावेंगे । यह है आपकी व्यवस्था इस ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । आपकी यह व्यवस्था देखकर एक तरफ हंसी आती है दूसरी तरफ रोना आता है । अगर इसी तरह आपका कार्य होता रहा तो उस इलाके के लोगों का भगवान ही मालिक है । इस अकाल की स्थिति को ठीक करने के लिये मेरे ये सुझाव हैं ।

पहला मेरा सुझाव यह है कि जितने भी ट्यूब वैल्स हैं उन सब को पूरी तरह से डेवलप किया जाय और भारत सरकार को अनुरोध किया जाय कि और ट्यूब वैल खोदे जावें तो और अधिक चारे की व्यवस्था हो सकती है ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि आज जो आपने अनाज की व्यवस्था कर रखी है वह अपर्याप्त और महंगा है अतः पर्याप्त अनाज एवं सस्ते दर पर वहां सप्लाई किया जाय ।

तीसरा ज्यादा से ज्यादा रिलीफ वर्क खोलकर राहत पहुंचाने का कष्ट करें ।

चौथा सुझाव यह है कि मजदूरी की दर है वह फैमिन कोड के मुताबिक कर रखी है उस दर को बदला जाय ।-आज भी आप वही दरें दे रहे हैं इससे ज्यादा अनुचित बात क्या हो सकती है ? इसके अलावा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के लिये मैं कुछ सुझाव खास तौर से देना चाहता हूं । वहां के लिये आप टांके बनवावें, सडकों की मरम्मत का काम करवावें, कुओं की मरम्मत करावें और नये कुए खुदवावें । इसके अलावा मेरा एक सुझाव यह है कि पोकरण और जैसलमेर में बिजली घर है वहां से बिजली का ऐक्स्पान्सन किया जाये ताकि ट्यूब वेलस को बिजली मिल सके और उनसे गावों को पीने का पानी मिल सके ।

इतना निवेदन कर मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, कष्ट

# Page No. 111



(श्री बालसिंह सोढा)

तो आपको होगा ही आप एक बार तो उस क्षेत्र का दौरा करिये। वैसे तो वहां कोई मंत्री आता नहीं वैसे एक मंत्री जी को झंडा रोहण का बडा शौक है जो हर 15 अगस्त को वहां पहुंच जाते हैं और जनता को लम्बे चौडे आश्वासन देकर आ जाते हैं। फिर जयपुर में आकर एक तरह से बन्द हो जाते हैं फिर वहां जाकर देखने का नाम नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।

इतना ही मैं निवेदन कर सरकार से अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय सरकार पर इस बात के लिये जोर डाला जाय कि वह राजस्थान नहर को जल्द से जल्द कम्प्लीट करे जिससे यह अकाल की जो समस्या हमेशा बनी रहती है उसमें कमी हो सके।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : ऐसे कौनसे मंत्री हैं जिनको झंडारोहण का शौक है नाम तो बतादें ताकि हम भी जान सकें।

**श्री बालसिंह सोढा** : वे हैं खेतसिंह जी जिनसे वहां की हालत छुपी नहीं है। हो सकता है कि वे सुखाडिया जी के इशारे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमारे मदेरना साहब तो उस क्षेत्र के होने के कारण वहां की हालात से अच्छी प्रकार से परिचित हैं ऐसे किसान होने के नाते भी वे वहां के गांवों से परिचित हैं मिनिस्टर होते ही वहां की स्थिति को भूल जायें, मैं नहीं सोच सकता। हमें आपसे बहुत आशा है आप उन सब को पूरी करेंगे इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री शंकरलाल (जैतारन)!

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने खडे हुए)

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं नाम उसी क्रम से ले रहा हूं जो पार्टी के सचेतकों ने दिये हैं।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : अल्प संख्यक दल को भी समय दीजियेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : ध्यान रखा जावेगा।

**श्री केशरीसिंह हांडा** : आया राम गया राम को भी लिया जावेगा ?

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शंकरलाल।

**श्री शंकरलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पाली जिले में जैतारण क्षेत्र में इस वर्ष भी बाढ का प्रकोप हुआ। सरकार ने तत्काल राहत पर ध्यान दिया मुख्य मन्त्रीजी भी आये तीन चार दिनों में, परसरामजी भी आये। गांवों का दौरा किया। इसके लिये तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको दूंगा। पर यह स्वीकार करना पडेगा कि बाढ के कारण जो क्षति पहुंची उसके मुकाबले में राहत कार्य पर्याप्त नहीं था।

बाढ से प्रभावित गांवों की गिनती के आंकडे जो दिये उसमें 12 गांव बताये जबकि 21 गांव प्रभावित हुए हैं। सरकारी मशीनरी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराती, न खोज करती है कि कहां कहां नुकसान हुआ। जिनके मकान बह गये उनकी एस० डी० ओ० ने 25 की रिपोर्ट दी। कालू में 8 मकान बहकर गये। कुडकी में 7 बहकर गये। एस० डी० ओ० के पास जीप थी साधन थे उसको जाना चाहिये था और पूरी पक्की सूचना देनी चाहिये थी। पर वह अपने कर्तव्यपालन में असफल रहा और सही सही रिपोर्ट नहीं दी। तो कहना

(श्री शंकरलाल)

चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर इन आदमियों को और सहायता देनी चाहिये जिनके मकान बहे हैं ।

बैलों की आपने तकाबी देने की बात कही । पर जिनकी सारी भेड़ें बह गईं जिनका आजीविका का एकमात्र साधन वही था, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया । घोडावड व अन्य गांवों में तीन हजार भेडें बाढ में बह गईं । उनको तकाबी देना चाहिये । आपने इसका कोई प्रावधान नहीं रखा ।

इस क्षेत्र में 16 बान्ध टूट गये । सिंचाई के दस कुए ढह गये । उनको भी राहत मिलनी चाहिये । जैतारण से मेडता की बारह मील की सडक टूट गई है उसकी मरम्मत कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है ।

इन गांवों में फेमीन में बनाई गई 37 मील की सडकें हैं । उसकी लिस्ट मन्त्री जी को दी गई है । पर अफसोस है कि उन सडकों पर भी मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ । फिर आज सरकार अपनी नीति निर्धारित नहीं कर सकी है कि फेमीन में बनी सडकों की मरम्मत का जिम्मा किसका है । दोनों विभाग इन्कार करते हैं । मैं कहूंगा कि राज्य सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये । ये सडकें इसी जिले में नहीं सारे राजस्थान में लाखों करोडों रुपयों की लागत से बनी हैं और मरम्मत के अभाव में ये नष्ट हो जावेंगी ।

सरकारी कर्मचारियों की तो इतनी अकर्मण्यता रही कि चांद गांव में तालाब टूट गया पर वहां सरकार का कोई आदमी गया तक नहीं । हमारे मन्त्री जरूर जागरूक हैं, पर सरकारी मशीनरी जागरूक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कल आपने कहा कि फेमीन के लिये सरकार को एक लम्बी योजना बनानी पडेगी इस मरुस्थल क्षेत्र में । मैं भी इसका समर्थक हूं । इन अकालों और बाढों का भी स्थायी हल हमें ढूंढना होगा । आज के विज्ञान के युग में कृत्रिम वर्षा तक कर देते हैं और इससे डेजर्ट इलाके भी लहलहाते बना दिये गये हैं । तब मैं नहीं समझता कि राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता । इसके लिये सरकार एक ऐसे बोर्ड का गठन करे ।

तीन समस्याएं मेरे इलाके में एक साथ हैं । बाढ, फैमीन और पेयजल की । चौथी योजना जो हमारी बनी है उसका हवाला देते हुए आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहूंगा कि हमारी चौथी योजना में जो ड्राफ्ट प्लान मुझे मिला है उसमें लिखा है : आउट ले डेजर्ट कन्ट्रोल प्रोग्राम आफ 8,604 करोड । हमारी चौथी योजना में 9,115 करोड का प्रावधान रखा गया है । इसमें अधिक से अधिक पैसा भारत सरकार से लिया जाय और इनका हल किया जाय । अगर राजस्थान में हमें इन चीजों का हल करना है तो एक बात और है । राजस्थान नहर योजना । अगर इसको भी आप समय में पूरा कर देते हैं तो जैसलमेर, बाडमेर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्र लहलहाता बन सकता है । हमने सुना भी है कि इस वर्ष भारत सरकार ने आपको 1 करोड 23 लाख का ऋण इसके लिये और दिया है । इस बारे में निवेदन करूंगा कि इन जिलों में अकाल की आज जो स्थिति है और इसके कारण बहुत से लोग इधर उधर जाने वाले हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती है तो उनको छोटे मोटे राहत कार्यों में न लगाकर इस राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर ही लगा दीजये । गांवों में पानी पहुचाने की भी समस्या है जो रेल से टंकी से

(श्री शंकरलाल)

पहुंचाया जाता है, बैलगाडियों से भी पहुंचाते हैं और कहीं कहीं तो पूरा पहुंचा भी नहीं पाते तो इसमें उनको राहत मिलेगी।

तो मैं कहता हूं कि यह जो हमारे राजस्थान की योजना है, हमारी ही नही बल्कि देश की योजना है वहां पर मजदूरों को खपाया जाये और एक ही जगह उनके पीने के पानी की व्यवस्था की जाकर, एक ही जगह खाने की व्यवस्था की जाकर और हमारे देश की योजना को जल्दी पूरा करने के अन्दर हम जुट जायें और इसके लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार जितना पैसा दे सकती है उसके लिए दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बात को कहा गया है कि अगर किसी भी जगह कोई नुकसान होता है तो उसको राजस्थान सरकार कितना दे सकती है और दूसरी सरकारों को कितना करना चाहिए। हमारी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें स्केयरसिटी इफेक्टेड एरिया के बारे में यह बताया गया है : "A provision of Rs. 40 crores has been made in the plan for surveys and pilot programmes which would suggest the direction of action necessary for effective utilisation of natural resources based on new strains to the agronomic and climatic conditions of these areas." सवाल यह कि जिस प्रकार बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि 40 करोड रुपया भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में इसलिए रखा है कि ऐसी सघन योजनाओं को खोजा जा सके कि जिससे जो स्केयरसिटी इफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर परमानेन्ट लम्बी योजना बनाई जाये जिससे उस जगह में अकाल पड़े ही नहीं। तो इस बात को बहुत सोच विचार कर हमारी राज्य सरकार को इससे बहुत बड़ा फायदा उठाना चाहिए और जब तक एक बोर्ड का गठन नहीं होता है, जब तक इसके बारे में गम्भीरता से विचार नहीं होता है तब तक हम इस प्रकार स्कीम आउट नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रगतिशील किसान हैं आधुनिक युग के अन्दर खेती के अन्दर हम उनसे कहते हैं कि हाई यील्डिंग प्रोग्राम में भाग लें। वह अच्छी से अच्छी खाद का प्रयोग कर सकते है, अच्छे से अच्छे बीज का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे जरियों से अपने उत्पादन को बढाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन जब अकाल की स्थिति आती है, जब दैवी प्रकोप आता है तो उनके द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वह नष्ट हो जाता है और इसके कारण उनको बहुत दुख होता है। पहले किसान इतना पैसा नहीं लगाते थे लेकिन अब लगाते हैं क्योंकि आगे बढ गये हैं और एडवान्स मोस्ट हो गए हैं तो ज्यादा इनवेस्टमेन्ट काश्तकार का होता है और जब वह पैसा डूब जाता है तो उसको बहुत भारी नुकसान होता है। उसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमें क्राप इन्शोरेन्स को राजस्थान के अन्दर लागू करना होगा जिससे हमारे काश्तकारों को मुआवजा दिया जा सके अगर उनकी फसल खराब होती है तो। फसल की जो बीमा

(श्री शंकरलाल)

योजना है उसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया है कि इसके बारे में बहुत सी स्टेट्स के अन्दर भारत सरकार ने कहा कि इस योजना को लागू किया जाये। और उसके लिये पंजाब वालों ने इसको लागू किया। यह बताया गया है:

"In the third five year plan it was proposed to undertake the pilot scheme to study the feasibility of introducing crop insurance in the country. The Govt. of Punjab which agreed to undertake this pilot scheme in a few areas have already taken preliminary action in this direction by way of collection of requisite data. Enabling legislation for the introduction of crop insurance at compulsory basis by the States is under preparation. A Scheme for crop insurance has been included in the 4th five year plan and will be implemented in Punjab initially."

दूसरे कहा गया है कि पंजाब ने इन्ट्रोड्यूस किया है लेकिन दूसरे प्रदेश भी इसको लागू करना चाहते हैं उनको भी भारत सरकार मदद देगी। तो मैं यह कहना चाहूंगा राज्य सरकार को कि हमारे राजस्थान के अन्दर जहां अकाल पडते हैं, वहां काश्तकारों की फसल के लिए बडी अनिश्चितता रहती है वहां इस बीमा योजना को लागू किया जाये। इससे काश्तकारों का बडा लाभ होगा और वे इसमें इन्वेस्ट करने के अन्दर नहीं हिचकिचायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे यहां सदन में ट्यूबवैल्स के बारे में कहा गया और यह कहा गया कि जो अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की स्कीम चली, जो ट्यूबवैल के एक्सप्लोरेशन की स्कीम चली वह जल्दी से यहां से हटाई जा रही है उसके लिए सदन द्वारा पुरजोर शब्दों में भारत सरकार से मांग की जानी चाहिए कि हमारे राजस्थान के अन्दर उस इलाके में जहां जल की समस्या है वहां ट्यूबवैल की स्कीम को लागू रखी जाये और नहीं उठाई जाये और उन इलाकों का सर्वेक्षण कराया जाये और वहां मदद दी जाये। मै अपने इलाके की बात कहूंगा। गत साल वहां अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने सर्वेक्षण किया क्योंकि वहां बहुत जल्दी और बार बार अकाल पडता है और पेयजल की समस्या है। और जो उसने सर्वेक्षण किया उसकी रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और उम्मीद की जाती है कि उसके आधार पर कुछ योजना कार्यान्वित होगी उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि रूरल वाटर सप्लाई की जो स्कीम है जिसके जरिये हम पेयजल की समस्या हल कर सकते हैं इसके बारे में हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ जरूरी बातें संक्षेप में कहीं गई हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

"Under the well construction programme about 7 lakh wells have been newly constructed renovated till the end of the 3rd Plan. There is, however, paucity of data on the number of villages so far provided with these facilities. The special investigation divisions set up during the third

(श्री शंकर लाल)

plan as a centrally sponsored scheme in 13 States have been able to investigate a number of areas affected by scarcity. The work should be investigated during the fourth plan. The well construction programme in the rural areas should be directed more to areas affected by scarcity conditions. This programme should be fully coordinated with the rural piped water supply programme. With the setting up of the Central Investigation, Planning and Design Organisation in each State, it should be possible to define quickly the areas affected by regular scarcity for drinking water and suggest sources of supply."

इसका तात्पर्य यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि स्टेट के अन्दर सेन्ट्रल इन्वेस्टीगेशन प्लानिंग एन्ड आर्गेनाइजेशन होना चाहिये जो कि इसका इन्वेस्टीगेशन करे और पता लगाये और पता लगाकर पेय जल की समस्या है उसका हल किया जाये। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, बाढ, अकाल और पेय जल की समस्या हमारे राजस्थान के अन्दर भयंकर रूप धारण करती है उसके लिए जैसा आपने कल कहा था और सदन में इस बात को रखा था कि लम्बी योजनाओं के द्वारा हमें इसका समाधान करना पड़ेगा तो उसी का समर्थन करते हुए मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं कि इस प्रकार का एक बोर्ड कायम किया जाये जो इन सारी बातों को देखे और हमारे राजस्थान के अन्दर इन समस्याओं को देखे कि उनका हल कैसे हो सकता है और उसके बारे में इसका पता लगाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अधिक नहीं कह कर कुछ बातें अकाल राहत के बारे में कहना चाहूंगा। वैसे गत वर्ष जहां भी अकाल रहा, काम आरम्भ हुए और जो रिपोर्ट हमने पढी है उससे मालूम होता है कि 50 प्रतिशत ऋण भारत सरकार हमें देती है और 25 प्रतिशत और देती है सबसिडी के रूप में और राजस्थान सरकार को केवल 25 परसेन्ट देना पडता है। इस प्रकार से जो फेमीन के ऊपर खर्च होता है उसके अन्दर इसलिए वहां की स्टेडी टीम आई है और हमने जो रिपोर्ट पढी है, वह टीम 66 में आई, 67 में आई और उन्होंने नागौर, जैसलमेर और बाडमेर का दौरा किया और उसके बाद में सजेशन दिये हैं कि अकाल राहत कार्य केवल सडकों पर नहीं लगाकर प्राडक्टिव प्लान पर पैसा लगाया जाये। जैसे भू-संरक्षण के कार्य हैं जिससे भूमि का कटाव नहीं हो और दूसरे फारेस्ट के काम लें। तो प्राडक्टिव प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने कुछ सजेशन दिये और मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार ने उन सजेशन को कई हद तक माना है साथ ही साथ जैसा कि यहां माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी कहना चाहूंगा कि उन अकाल राहत कार्यों में जो मजदूरी दी जाती है यदि वह मजदूरी समय पर नहीं दी जाती है और उसके लिए खास तौर पर राजस्थान सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि उनको मजदूरी समय पर मिल जाये। तो जो भी अकाल राहत के कार्य हों वह प्राडक्टिव हों

(श्री शंकरलाल)
और उनके अन्दर ऐसी व्यवस्था की जाये कि उनको तत्काल मजदूरी मिल जाये और वहीं पर उनके खाने का राशन का प्रबंध हो जाये जिससे उनको सुविधायें मिल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग यहां से माईग्रेट होने वाले हैं जैसे मध्यप्रदेश में पशुपालक माईग्रेट होने वाले हैं तो मध्य-प्रदेश में वहां की सरकार कैसे उनको मदद दे यह यहां की राज्य सरकार को देखना चाहिए। रास्ते में कई जगह उनकी चोरियां हो जाती हैं तो जो लोग माईग्रेट करें और इलाके तक माईग्रेट करें और जिस स्टेट में जायें वहां तक मदद उनको पहुंचायें यह भी राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। और वह राज्य सरकार को करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन सारी समस्याओं के बारे में गम्भीरता से विचार करने के लिए और इनका स्थाई हल निकालने के लिए हमारे यहां पर एक बोर्ड का गठन किया जाय। उसके बाद सारी समस्याओं के ऊपर विचार करके कोई हल निकाले जायं तो मैं समझता हूं कि हमारी राज्य सरकार राजस्थान के अन्दर इन बाढ और अकाल की समस्याओं को काफी समय तक के लिए टाल सकेगी।

**श्री उपाध्यक्षः** श्री हरिवल्लभ शर्मा!

**श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, दस ग्यारह जुलाई को सवाई माधोपुर में भयंकर बाढ आई···

**श्री उपाध्यक्षः** यदि बरसात नहीं हुई तो फसल हो जायगी या नहीं हो जायगी यह बतायें–

**श्री हरिवल्लभ शर्मा**: दस पन्द्रह दिन में वर्षा हो गई तो फसल हो जायगी नहीं तो जैसा देख रहे हैं इस बार भयंकर अकाल होगा। उपाध्यक्ष महोदय, दस ग्यारह जुलाई को सवाई माधोपुर शहर में तीन घंटे में तेरह इंच वर्षा हो गई -इसका नतीजा यह हुआ कि भयंकर तबाही हुई। सवाई माधोपुर एक नाले पर बसा हुआ है। उसके चारों तरफ पहाडियां हैं, इसलिए चारों तरफ से पानी घिर आया और उसका जो निकास है वह छोटा सा है, इसलिए सारा पानी शहर में सिमट कर नाले में होकर बाहर निकलता है। वहां पर जो रेल्वे लाइन का पुल है वह टूटा और नाले के ऊपर जो पुल है वह टूटा और चौबीस घंटे के लिए सवाई माधोपुर का बाहर से सम्बन्ध विच्छेद हो गया। मान सरोवर जो है उसका पुल टूट गया और सडकें क्षत विक्षत हो गईं और सवाईमाधोपुर में सारा जन जीवन इस प्रकार नजर आता था जिस प्रकार ब्रज में इन्द्र का प्रकोप हुआ था। दस तारीख को बारिस हुई, उसके बाद बारह घंटे के बाद में दस इंच बारिश हो गई, इस प्रकार कुल चौबीस घंटे के अन्दर चौबीस इंच बारिश हुई। कचहरी जाने वाले लोग उस बारिश में येन केन प्रकारेण कचहरी गये। हम यह अपेक्षा लगाये हुये थे कि अधिकारी वर्ग में से कोई न कोई आवेगा। उस दिन शाम तक किसी अधिकारी का आना तो अलग, दस तारीख की शाम तक नहीं आया, उस दिन की रात गुजर गई, ग्यारह तारीख आई तो उस रोज भी वहां से कोई नहीं आया। इस तरह ग्यारह तारीख भी गुजर गई और दो

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

दिन तक शहर उसी स्थिति में पडा रहा लेकिन कोई अधिकारी वर्ग, कोई देखने वाला तक नहीं आया हालांकि वकील लोग कचहरी जाते थे, वह कचहरी पहाडी पर चढ कर जाते थे लेकिन कोई भी अधिकारी वर्ग में से नहीं आया बहार तारीख तक सारा पानी बाहर निकल चुका था ग्रौर जीप के लिए रास्ता हो गया था। तो बटिया तक जीप में आ गये ग्रौर एक मील पैदल उनको चलना पडा। शहर के आधे भाग जिसमें सबसे अधिक नुकसान हुआ है ग्रौर जहां शहर की बगल में दोनों नाले आकर मिलते हैं उस शहर के आधे भाग में हरिजनों की बस्ती थी, मजदूर कालोनी थी, भंगी, रेगर, बैरवा-सब दलित कौमें वहां बसती थीं। जो मजदूरों की बस्ती थी वहां करीब सौ मकान गिर गये ग्रौर चौबीस सौ, पच्चीस सौ ऐसे मकानात थे जिनकी आधी क्षति हुई थी। सबसे बडी बात तो यह हुई कि घरों के अन्दर चार पांच फीट पानी घुस गया। इतना बडा वहां बाजार है, जिसमें इतने बड़े चबूतरे बने हुए हैं, दूकानों के सामने दुकानों के तीन तीन खम्भे बने हुए हैं, वहां तक तीन चार फीट पानी घुस गया ग्रौर दुकानदारों का सारा सामान, उनके खाने पीने की चीजें, उनके कपड़े लत्ते आदि सब बह गये ग्रौर कुछ गल गये। इस प्रकार की वहां पर हालत हो गई थी। कुछ ऐसे केसेज हुए कि मकान बच गये ग्रौर सामान बह गया। तो बडी मुश्किल से पानी से बच कर लोग-बाग निकल कर बाहर आ गये थे। कस्बे में दो दिन तक किसी तरह उनकी स्थिति को सम्भाला, व्यापारी लोगों ने खाने की व्यवस्था की, दुकानदारों ने कपडों की व्यवस्था की ग्रौर पडौसियों ने अपने मकानों में लोगों को ठहराया। उसके बाद बारह तारीख को अधिकारी वर्ग जाता है ग्रौर सहायता के नाम पर क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम रेस्क्यू होम खोलेंगे। रेस्क्यू होम खोलने की आवाज लगाई गई कि जो प्रभावित लोग हैं इन मोहल्लों के वह हम रेस्क्यू होम खोल रहे हैं उसमें शामिल हो जायं। बाढ की तरह लोग पंहुच गये तो उनको एक मन चना और चार पांच सेर गुड बांट दिया गया थोडा थोडा। हमने उनको कहा कि देखिये कि शहर में बाढ से प्रभावित इतने हैं कि जब तक सरकार से सहायता आये तब तक दो हजार सैंक्शन करने की पावर्स तो जिलाधीश को है वह कर दें। उसके बाद में राज्य सरकार को ऊपर लिखें, वहां से निश्चित रूप से सहायता देंगे, इस तरह से इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पहले भी राज्य सरकार ने इस प्रकार से सहायता की है। सब लोग वहां पर भीगे कपड़े बैठे हुए थे, उनके लिए कहा कि एक समिति बना ली जाय माननीय नागरिकों की एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाय, तो दो तीन की व्यवस्था तो शहर वालों की तरफ से हो सकती है। यह मामला बारह तारीख का है, इस तरह से बारह तारीख निकली। जो रेस्क्यू होम खोला था वहां से लोग चल दिये। उन्होंने कहा कि यहां पर ठहर कर क्या करेंगे, पडौसियों ने रहने को स्थान दे रखा है ग्रौर खाने पीने का किसी तरह कर लेंगे। इसके बाद में सरकार ने रेडियो से अनाउन्स किया कि दस हजार का अनुदान ग्रौर तीस हजार रुपये ऋण के रूप में दे रही है। तो हम तेरह तारीख को अधिकारियों से मिले। कहा कि देखिये, आपने टेलीफोन से राज्य सरकार से पूछा होगा, जब बारह तारीख को अनाउन्स मेंट हो गया है तो आपके

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

पास में टेलीफोन से सूचना आ गई होगी। जब राज्य सरकार ने इतनी तत्परता दिखाई है तो अधिकारियों को भी तत्परता दिखानी चाहिए। जब राज्य सरकार इस अकाल के मामले में पार्टी भेद को भूल गई है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आदमी हैं उनको भी आगे आना चाहिए क्योंकि यह मानवता का मामला है, इन गरीब ग्रौर प्रभावित लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। जब राज्य सरकार पैसा दे रही है तो जो एजेन्सी है, उसको व्यवस्था करके थोडी थोडी सहायता सबको देनी चाहिए। लेकिन यह नहीं हुआ इसके अन्दर मामला दूसरा है। वहां के अधिकारी इस बात के लिए प्रयास कर रहे थे कि मंत्री महोदय यहां आयें ग्रौर उद्घाटन कर जायं सहायता का, तो चालीस हजार रुपया बांटेंगे। तो वह इन्तजार कर रहे थे, फोन लगा रखा था, व्यास जी महाराज से फोन कर रहे थे। वह आयेंगे तब चालीस हजार रुपये का वितरण होगा। तो बारह तारीख को वितरण की व्यवस्था नहीं बैठी। तेरह तारीख को काफी शोर-गुल मचा, सारे राजनैतिक दल जिसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, उन्होंने बारह तारीख को मीटिंग की थी ग्रौर उसके बाद में अधिकारी वर्ग पर जोर डाला कि ठीक है, जब रेडियो से अनाउन्समेंट हो गया है तो निश्चित रूप से आपको खबर होगी। ग्रौर कुछ नहीं तो पांच पांच किलो आटा हर एक परिवार को दे दीजिये। रेस्क्यू होम से लोगों का काम नहीं चल सकता है। आटा दे देंगे तो घर में बैठ कर लोग अपने कपड़े वगैरह सामान की सुरक्षा तो कर सकेंगे, जिनके मकान टूट गये हैं वह पडौसियों के यहां रहेंगे। तो चार बोरी आटा बडी मुश्किल से निकाला। इस तरह से काम शुरू किया। मंत्री महोदय की ग्रोर से तेरह को कहा गया कि मैं पहुंच रहा हूं तो इस कारण से एक दिन ग्रौर निकल गया। उस दिन मुश्किल से चालीस पचास लोगों को वितरण किया आटा पांच पांच किलो फी परिवार के हिसाब से ग्रौर वह भी इसलिये कि उनको मालूम पडा था कि सारे राजनैतिक दल मिल कर शिकायत करने वाले हैं तो उनको फिक्र पडी। उन्होंने इसके बाद क्या किया कि वार्डवाइज दो विरोधी दल के ग्रौर दो कांग्रेस के सदस्यों की एक समिति बनाई यह असैस करने के लिये कि कितने परिवार किस तरह से प्रभावित हुए हैं। उसके बाद चौदह तारीख को व्यास जी वहां चले गये थे तो चौदह तारीख को उन्होंने स्वयं ने सारी स्थिति का निरीक्षण किया ग्रौर उस दिन चूंकि यह सूचना थी कि व्यास जी आ रहे हैं इसलिए चार बोरी के बजाय बीस बोरी आटा बांटा गया। व्यास जी ने सारी स्थिति का निरीक्षण किया, सारी स्थिति को देखा ग्रौर हम लोगों से सारी बात सुनी। हमने कहा था कि यह राजनैतिक काम नहीं है। यह तो ऐसा संकट है जो न आपको बख्सने वाला है ग्रौर न विरोधी दलों को बख्सने वाला है। ग्रौर मेरे खयाल में यह कांग्रेसी भी पसन्द नहीं कर सकते क्योंकि यह तो मानवता का काम है। वास्तव में जो प्रभावित हुए हैं उनको राहत मिलनी चाहिए।

वहां सर्वदलीय समिति है, व्यास जी वहां आये, उन्होंने डायरेक्शन्स दिये तो

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
1 लाख रुपया सवाई माधोपुर के लिये मंजूर किया। वहां जब 1 लाख की सहायता की बात सुनी तो स्थिति दूसरी बदली । वहां कुछ बन्धुओं को सनक सवार हुई कि दिसम्बर में कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं, लिस्टें बन रही हैं यह तो झोंका है । इसके बाद परिवारों की लिस्ट बनी तो उसमें 50 प्रतिशत ऐसे हैं जिनको नहीं मिलना चाहिये था वे पैसा ले गये और जिन्हें वास्तव में पैसा मिलना चाहिये था, सहायता मिलनी चाहिये थी, उनको एक दाना भी नहीं मिला, यह बड़ी शर्म की बात है। वहां के एस. डी. ओ. साहब, टिक्कू बड़े नेक और इन्डिपेन्डेन्ट विचारधारा के हैं, मैं उनको जानता हूं, उन्होंने कहा, क्या किया जाय, यह मेरे बस का रोग नहीं है, ऊपर मेरा आका बैठा है । 67 में यहां से विज्ञप्ति निकली थी कि सीमेन्ट फैक्टरी एक करोड़ से ज्यादा की लागत से स्थापित है उसमें वह नियमन संबंधी दस मील की पाबन्दी वह हटा दी गई, उस विज्ञप्ति को दबा कर बैठ गये और 4 हजार किसानों को बेदखली का ऑर्डर दे दिया, तहसीलदार को कापी नहीं भेजी। एक लाख रुपया सहायता कार्य के लिये दिया है, उस विज्ञप्ति को भी कलेक्टर ने दाब रखा। सहायता कार्य शुरू हुआ, जिनको आंशिक नुक्सान हुआ था उनको भी सहायता दी पर जिन व्यक्तियों के मकान गिर गये, वहां पर सारे मकानों में पानी भर जाने के कारण जिन लोगों के पास दो मन, चार मन, 5 मन गल्ला बरसात के काम के लिये रख रखा था वह सारा का सारा बह गया, उनको क्या मिला? 10) रुपया और एक सप्ताह का राशन। उसमें जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिये था वे भी ले गये, जैसे खैरात बंटती हो वैसे ले गये, खैरात के काम से आखिर संख्या तो बन जायगी, आंकड़े तो बन जायेंगे किन्तु इस तरह से बाढ़ से जो लोग प्रभावित थे उनको सही रूप में सहायता नहीं मिली। मैंने एस.डी.ओ. साहब को बताया कि 200 परिवार ऐसे हैं, आप स्वयं देखें, शिवचरणजी न देखा, व्यासजी जिन मोहल्लों में गये उनमें 200 परिवार ऐसे ही बिना सहायता के रह गये। एस.डी.ओ. साहब ने पटवारी से जांच करवाई, गिरदावर से जांच करवाई और जांच से साफ मालूम हो गया कि जो लोग पानी के किनारे बैठे हैं, वे तो रह गये और दूसरे ही लोग ले गये। एस.डी. ओ साहब ने कहा कि वास्तव में यह तो बहुत ही अनुचित हो गया अब इसको कैसे सुधारें, रुपया तो सब खर्च हो गया। मैंने उनसे कहा कि राहत कार्य में कोई गलती नहीं। जैसे केस की फाइल जाती है पटवारी, इन्स्पैक्टर, तहसीलदार, एडीशनल कलेक्टर इन सब स्तरों से होती हुई कलेक्टर के पास जाती है, कलेक्टर दबा कर बैठ गये, आज तक कुछ नहीं हुआ। लोग बिलबिलाते ही रह गये। मिनिस्टर महोदय को हांडियों में आंगन में उगा हुआ अनाज बताया। क्योंकि कच्चे मकानात थे, मकानों में पानी भर गया गल्ला बह गया, कच्चे चौकों में बिखर गया और अनाज उग रहा था चौक में। सारे के सारे रह गये महरूम। खैर जो कुछ हुआ सो हो गया, मैं यह कह कर नहीं चलता कि राहत के लिये रकम नहीं दी गई, पर मुझे खेद इस बात का है कि राजस्थान सरकार ने सवाई माधोपुर के बाढ़ पीडितों की सहायता के लिये राहत कार्य के लिये रकम भेजी, उसमें मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

वहां के अधिकारियों ने काम नहीं किया। मैं सदन को कह देना चाहता हूं कि सारे राजनैतिक दल चाहे इधर बैठने वाले हों, चाहे उधर बैठने वाले हों, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे उडीसा का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला हो, इस वक्त पार्लियामेंट में भी आवाज उठी है कि आये दिन हिन्दुस्तान में यह प्राकृतिक प्रकोप होता रहता है, करोडों रुपया राज्य सरकार राहत कार्य में खर्च करती है, पर राहत कार्यों की करने वाली एजेंसी इस प्रकार की नहीं है कि जिससे समाज को, सरकार को और प्रभावित लोगों को और राजनैतिक क्षेत्रों में काम करने वालों को संतोष हो। मारवाड रिलीफ सोसायटी बनी हुई है, उसके माध्यम से काम होते हैं पर एक जिले को आंशिक राहत पहुंचाने का काम होता है, उसमें इतनी बडी सोसायटी काम नहीं कर सकती।

आज भी प्रत्येक जिले में ऐसे आदमियों की कमी नहीं है, जिनमें सेवा भावना है, सेवा करने की लगन है, जो सत्यनिष्ठ और ईमानदार हैं, तो ऐसे लोगों की समितियां हर जिले में बनें और उनके सहयोग से अधिकारी वर्ग काम करें तो मैं कह सकता हूं कि लोगों को उचित रूप में अच्छी और अधिक राहत पहुंच सकती है।

मंत्री महोदय को मैं एक बात और कह देना चाहता हूं और वह यह है कि जो समिति हमारे यहां जिलाधीश महोदय ने बनाई थी वह विभिन्न राजनैतिक दलों की बनाई। व्यासजी आ गये उसके दूसरे दिन 15 तारीख को एक मीटिंग की, उसमें यह नहीं बताया कि राज्य सरकार द्वारा सहायता के लिये कितना रुपया दिया गया है, कितना कर्ज के रूप में और कितना सहायता के रूप में माप दण्ड क्या रखा है, कौन कौन खर्च कर सकते हैं।

मैंने सुना है कि राज्य सरकार ने बीज के लिये, बैलों की खरीद के लिये तकावी देने के लिये सवाई माधोपुर जिले के लिये रुपया दिया था। पर ऐसे महत्वपूर्ण कामों के लिये लोगों के फायदे के लिये विज्ञप्तियां जाती हैं पर अफसोस के साथ कहना पडता है कि उन विज्ञप्तियों को, आदेशों को जन प्रतिधिनियों को बताया नहीं जाता, जानने तक नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं कहूंगा कि जितनी भी इस प्रकार की विज्ञप्तियां भेजी जाती हैं, आदेश भेजे जाते हैं और काम के लिये माप दण्ड तय किया जाता है राजस्थान सरकार द्वारा, उन सब की एक एक प्रति-लिपि उन क्षेत्रों के एम.एल.एज, को मिल जाय तो फिर वह बात किसी से छुपी नहीं रह सकती सवाई माधोपुर के लिये तो मैं खास तौर से कहूंगा कि वहां तो इस तरह के आदेशों की प्रतिलिपियां भेजना बहुत ही आवश्यक है वरना आपके आदेश दबे ही रह जाते हैं। ऐसे आदेशों, विज्ञप्तियों की प्रतिलिपि सवाई माधोपुर में जन प्रतिनिधियों को नहीं भेजी गई उसका नतीजा यह हुआ कि बाढ से प्रभावित काफी लोगों को सहायता नहीं मिली, जो मकान बिलकुल स्वीप आफ हो गये थे, उनके लिये राज्य सरकार के आदेशों में लिखा है कि जिनके मकान स्वीप आफ हो गये उनको 300 रुपये सहायता के रूप में दिये जाने चाहिये और 10 दिन फ्री दिये जाने चाहिये पर वहां 100 रुपये से अधिक किसी भी ऐसे मकान मालिक को नहीं दिया गया है।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

आपने कल अपना प्रतिवेदन दिया उसमें भी कहीं नहीं लिखा कि उन परिवारों का क्या होगा जिनके पास कुछ भी नहीं रहा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिया गया, जिनके मकान गिरे उनके लिये दे देंगे, लेकिन जिन किसानों को क्षति पहुंची है, जिनके बैल कुए नष्ट हो गये हैं उनका लिखा है पर उनको राहत का कुछ नहीं मिला। मैंने तो सुझाव दिया था कि सहायता के रूप में न दें तो कम से कम ऋण के रूप में उनको जरूर दीजिये, जिनके मकान तो नहीं गिरे पर क्योंकि वहां पानी ही पानी भरा था, सारे मकानों में पानी भर गया था तो ऐसी हालत में जिन लोगों का पानी में सब सामान नष्ट हो गया और उनके पास कुछ भी नहीं बचा ऐसे व्यक्तियों को ऋण के रूप में दिया जाय····

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिये बढाया जाता है।

**एक माननीय सदस्य** : दो घन्टे के लिए बढायें।

**श्री रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, समय पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, एक वक्ता के लिये 10 मिनिट का समय रखा जाय। अभी इधर से काफी बोलने वाले हैं।

**श्री हरिवल्लभ शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसका नाम कहीं नहीं आता है, दो पाटों के बीच में वह पिसता आ रहा है, वह वर्ग है मध्यम वर्ग जो राज्य सरकार से सहायता नहीं लेना चाहता, जिनके मकान नहीं गिरे या गिर भी गये पर सबसे अधिक उनके सामान का नुक्सान हुआ, ओढने बिछाने के कपडे, खाने-पीने का सामान सब कुछ बह गया क्योंकि वहां सब जगह पानी ही पानी भरा हुआ था। अस्पताल मे एक कम्पाउन्डर 24 घंटे रहता है, उसका खुद का मकान नहीं था सरकारी क्वार्टर था उसमें 6 फीट पानी भरा था, उसका कुछ भी सामान नहीं रहा, उस क्वार्टर में उसका सारा सामान समाप्त हो गया, इसमें सहायता का क्या स्वरूप होगा? मकान उसका कोई टूटा नहीं, पर उसके पास कुछ भी रहा नहीं

( 5 म. प. )

ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रतिवेदन आपने सदन में प्रस्तुत किया, उसमें न कोई प्रावधान रखा गया कि किस प्रकार से उन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो आटा तो नहीं लेना चाहते हैं लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं जो ऊंची दरों पर कर्जा लेकर काम चला रहे है जिनकी आय का साधन नहीं है उनको राज्य सरकार द्वारा किसी न किसी प्रकार की सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। वह लोग जिनके मकान वास्तव में गिरे नहीं, लेकिन जिनका खाने-पीने का सामान बह गया, ऐसे आदमियों को कम से कम ऋण के रूप में आप कुछ न कुछ सहयता दें तो अच्छा है।

सवाई माधोपुर के बाजार में आधे बाजार को बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ। गांठें बह गईं। वहां पर कुछ शरणार्थी भी हैं। कम से कम उनकी 20 दुकानें जिनमें से 10 दुकानें एकदम गिर गईं और सब कुछ बह गया। 10–10, 11–11 फुट पानी था। ऐसे दुकानदारों को अगर राज्य सरकार ऋण के रूप में उनके पुर्नवास के लिए व्यवस्था करती है तो श्रेय की और उत्तम बात होगी।

तहसील खंडार और सवाई माधोपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बंधे टूटे हैं, मकान

(श्री हरि वल्लभ शर्मा)

गिरे। यह सौभाग्य की बात थी कि कम से कम मवेशियों का कम नुकसान हुआ और जहां तक जनहानि का सवाल है एक या दो जानें गई हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मध्यम वर्ग के लोग जिनका नुकसान अवश्य हुआ, जिनका सर्वस्व चला गया, बचा कुछ नहीं या जिनके दुकान और मकान गिर गए उनके लिए कुछ न कुछ राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : समय समाप्त हो गया।

**श्री हरिवल्लभ शर्मा** : दो मिनट में समाप्त करता हूं।

खंडार तहसील में सिवा मीडियम इरीगेशन के बाकी पूरी तहसील के बंधे तक नहीं रहे और बह गए। सडकों को बहुत अधिक क्षति हुई है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां पर बैठे हैं, वहां पुलिया का काम चल रहा था न मालूम क्यों छोड दिया। किस बहाने छोडा है लेकिन नवाब साहब के कहने में मुझे शंका होती है। इनके कहने के प्रति और उनकी बातों में मुझे यकीन नहीं होता। खैर, सवाई माधोपुर की जितनी क्षति हुई जितनी सडकें टूटीं, पुलियां टूटीं, मकान बहें, हमारा नवाब साहब 50 बेड्स का अस्पताल बनाना चाहते हैं फाइल को न मालूम किस ताक पर दबाए बैठे हैं, वह काम को आरंभ करने वाले नहीं। टेन्डर्स जा चुके हैं, आपने कहा फ्लड आती है कैसे बनाया जाय। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन करूंगा कि पुलिया को पूरा करवा दें, खंडार की सडक को शीघ्र पूरा करवा लें और साथ ही साथ अस्पताल का काम शीघ्र आरंभ करें।

**श्री उपाध्यक्ष**: क्योंकि बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या काफी है, इसलिए समय सीमा 15 मिनट होगी।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस इलाके से आया हूं, पूरे जिले में और आसपास के जिलों में भयंकर अकाल पडा हुआ है और मुझे अकाल का वर्णन करने की शक्ति नहीं है जिस प्रकार वहां लोग तकलीफ पा रहे हैं। एक दोहा यहां पढा गया आत्मसंतोष के लिए। हो सकता है कि जैसलमेर में हमेशा अकाल रहता है, बीकानेर में कभी कभी और मेडता और नागौर में कभी ही पडता है, लेकिन इससे लोगों को संतोष नहीं हो सकता। जहां राज्य में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा रहे है वहां हमारे सीमावर्ती इलाके में जहां हर दूसरे तीसरे साल अकाल पडता है और कई जगह तो बराबर 8–9 साल से अकाल है, वहां लोगों की आर्थिक स्थिति बिगडती जा रही है। आप कितनी ही सहायता दें राज्य और दूसरे जिलों के मुकाबले म उनकी आर्थक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। उनके पशु प्राय हर साल मरते हैं। मैं अकाल सहायता के बारे में हमेशा कहता हूं कि राज्य सरकार ने हद से ज्यादा सहायता की हजारों साल पहले भी अकाल पडता था और लोग मरते थे और बच्चों को संभाल नहीं सकते थे, पशुधन प्राय: नष्ट हो जाता था। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष घास का, अनाज का इंतजाम किया और लोगों को बाहर जाने की नौबत नहीं आई, लोगों को नुकसान हुआ लेकिन जम नहीं सके जैसा जीवन में जमना चाहिए। इस साल और वर्षों से अधिक भयंकर स्थिति आई। दुख के साथ निवेदन

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

करना चाहता हूं, इसमें अतिशयोक्ति नहीं। मन्त्री महोदय चलें तो मैं दिखादूं। परन्तु मर रहे हैं और पशुओं को छोडकर वास्तव में किसान बाहर जाते हैं, एक-एक दो-दो मवेशियों को छोडकर चले जाते हैं, बछड़ों को संभाल नहीं सकते। उनके पास घास का इंतजाम नहीं है। घास का पिछले वर्ष भी इंतजाम नहीं किया गया था। यह तो ईश्वर ने मेहरबानी कर दी। हमने बहुत कहा कलेक्टर महोदया को कि घास का इंतजाम करा लें। आज बीकानेर में आदमी घास को 16)से 20) तक और पाले को 20 से 25 तक खरीदें तो भी नहीं मिलता है, हालत खराब हो रही है। रोना क्या है, रो के उठाने भी तो नहीं आते लोगों को। घास के इंतजाम के लिए मैंने सरकार को कई बार लिखा है, 5-6 पत्र दिए हैं कि आप इंतजाम कराइए। मंत्री महोदय को मालूम है। मुझे आश्वासन मिला है कि इंतजाम करेंगे। कल तक जो लोग आए हैं उन्होंने कहा कि घास नहीं पहुंची। पशुधन मरा जा रहा है, देश का सबसे बढिया पशुधन जिस इलाके में हो उसको नष्ट करें। आस्ट्रेलिया से मेरीनो भेड को बाहर नहीं जाने देते, लेकिन यहां 15-16 सेर दूध देने वाली गाय बिना घास के नष्ट होती जाय, तो ऐसी नस्ल को बचाने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि सरकार जैसे हर साल इंतजाम करती है इस साल भी वैसे कुछ करेगी। लेकिन यह कहना कि यह एस्टीमेट नहीं आया और इंजीनियर ने यह नहीं किया, इससे काम चलने वाला नहीं है। योजनाबद्ध काम करना होगा। मैं हमेशा कहता आया हूं कि आप उनको भिक्षुक न बनायें। आप कोई स्थाई हल निकालें ताकि अकाल न पडे। उसका इंतजाम नहीं कर सकते तो फिर यह कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे सीमावर्ती इलाके के लिए कह दें कि भगवान के भरोसे रहें आपके पास पैसा नहीं है। करोडों रुपए राजस्थान कैनाल में लगा सकते हैं, चम्बल और भाखरा में लगा सकते हैं, लेकिन रेगिस्तानी इलाके में पानी नहीं पहुंचा सकते।

आप पानी का इन्तजाम करेंगे। इसमें अकाल सहायता का जो बजट है उसमें यह है पेय जल के लिये इतना पैसा, टंकियों से ऊंटों से पहुंचाना। जहां टंकियों में पानी ही न हो तो वहां पानी का क्या इन्तजाम हो सकता है? वे लोग थोडे हों। आप उनके पास अनाज न पहुंचा सकें। वे ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अन्यत्र ज्यादा विकास करते रहें और वे यों ही रहें। सीमावर्ती लोगों के लिये आपने क्या उद्योग लगाये हैं? गंगानगर में भाखरा से राजस्थान कैनाल लाने से कुछ नहीं हुआ। बीकानेर में लिफ्ट इरिगेशन का उद्घाटन हुआ। इस साल काफी काम चला दिया जाय। बिरदावल से कैनाल आयेगी। इसमें मजदूरों को लगाया जा सकता है। फमीन में लगाकर उनको 1 रु० दो आना देने के बजाय रेगुलर काम में लगाया जा सकता है। लिफ्ट इरिगेशन का काम जल्दी हो सकता है। कुछ लोगों को राहत मिल सकती है। जैसलमेर के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने यह फरमाया कि राजनैतिक कारण से बिरदावल से लूणकरण कैनाल जा रही है। जैसलमेर में 160 वर्ग मील में 1.11 लाख आदमी हैं। बीकानेर से एक चौथाई भी नहीं है। पांच लाख आदमी बस रहे हैं। भूमि समतल है, टीबे नहीं हैं। एक दफा पानी छोड दिया तो सीधा पहुंचेगा। अनाज ज्यादा पैसा होगा। काम जल्दी कराने

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

के लिये उनको कार्यवाही करनी चाहिये। राजस्थान सरकार के पास धन की कमी है। ट्यूब वैल नहीं खुदवा सकते हैं तो भारत सरकार से पैसा लाना पड़ेगा। बंगाल के अकाल की बात हमारे सामने आती है कि साठ सत्तर करोड रुपया लगा दिया। क्या बंगाल से कम अकाल ह? पिछले वर्ष में बिहार में अकाल पडा। जैसलमेर में पुगलसर में क्या कम अकाल पडा बिहार से?

**एक माननीय सदस्य :** बंगाल का अकाल नहीं बिहार का अकाल।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा :** बंगाल का इसलिये याद आगया था कि आज से अंग्रेजों के शासन के समय वहां पर भयंकर अकाल पडा था। बिहार में अकाल पडा। तबाही मचा दी लोगों ने उसके लिये। बीकानेर और जसलमेर के इलाकों में रोज अकाल पडते हैं उनको आप अकाल न पडे ऐसे स्थायी रूप नहीं दे सकते जो बिहार से कहीं भयंकर होते हैं। पांच लाख आदमियों में 250 ट्यूब वैल्स खुदवा दीजिये। दो करोड की योजना है उसको भारत सरकार से तैयार करवायें। भारत सरकार स्वीकार नहीं करेगी तो हम अब बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं। यहां लोग भूखों मर रहे हैं और वे वहां दिल्ली में ठाठ से रह रहे हैं। दिल्ली चमन हो रही है। यहां पर पशुधन के लिये चारा नहीं है, पानी नहीं है और जमीन पर पानी फेरने के लिये ट्यूब वैल्स खुदवा दीजिये। कहते हैं बजट नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? सीमावर्ती लोगों की ओर से आज मैं विधान सभा के अन्दर कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के सामने जाकर तय करवा लीजिये। हमारा फर्ज है हम वहां जायं। पाकिस्तान का आक्रमण हो तो हम मरें, डाकू आयें तो हम को उठा ले जायें, हमारा धन-माल लूट ले जायं, पशु उठा ले जायं, ऊंट ले जायं और उसके उपरान्त हमें भूखों मार रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे लिए पानी का, अरे, पीने के पानी का और पशुओं के लिये घास का इन्तजाम कर दो तो कहते हैं कि बजट नहीं है। इस काम के लिये सौ करोड का बजट तय कर लीजिये। अन्य सब कामों को छोड दीजिये। भारत सरकार इस तरह से भी नहीं देती है तो हम बडे दुख के साथ कहना चाहते हैं कि आप हम को अलग कर दीजिये। भूखों मरने से क्या फायदा? बेइज्जत हो कर हम नहीं रहना चाहते। आप हम को भूखों मार कर रखना चाहते हैं। आप पानी का इन्तजाम नहीं कर सकते। वर्षों से कहते आये हैं कि यहां पानी का इन्तजाम करिये, हम प्यासे रहते हैं। सौ-सौ करोड रुपया लोहे के कारखानों को खडा करने में लगा सकते हैं, लेकिन सीमावर्ती लोगों के लिये पानी का इन्तजाम नहीं कर सकते। नहीं करवा सकते हैं तो मैं अपने साथियों को धिक्कार देता हूं जो भारत सरकार से करवा कर नहीं लाये। हम क्या मुंह दिखायेंगे अपने जिले में जाकर? हमारा हक है, हमारी कोई विनती नहीं है, सही सलामत रखना चाहते हैं तो यह साफ कहिये कि हम पानी का इन्तजाम करवायेंगे। अन्य जगहों पर इतने बांध बनवा दिये, उन राज्यों की पर कैपिटा इन्कम 350 है और हमारे यहां की 175-176। बाडमेर के जिले की 17। यह कोई मजाक है? हम आपसे चौथाई भी नहीं हैं। कहते हैं कि बीकानेर में काफी पैसे वाले रहते हैं। सब कलकत्ते, बम्बई रहते हैं। उनकी हवेलियां हमें खा रही है। उनकी हवेलियां हमारे किसी काम की नहीं हैं। जरूरत हो तो राजधानी में उन हवेलियों को

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

उठा लाइये। सौ-सौ वर्षों से वे लोग नहीं आये हैं। जैसलमेर में तो उन लोगों को यह पता ही नहीं है कि हमारा कौनसा मकान है? सैंकडों वर्षों से वे लोग यहां नहीं आये हैं। मारवाडी धनवान् हैं तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में रहते होंगे। यहां के आदमी तो बिल्कुल गरीब हैं और इन्कम नहीं है। अकाल सहायता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस इलाके से आये हैं वहां कितने धनी हैं? अकाल सहायता के बिना काम चला सकते हैं क्या? किसी को घास दिला दिया, धान दिला दिया इससे काम भी नहीं चलने वाला है। सीमावर्ती लोग बडे स्वाभिमानी लोग हैं सन् 1930 में मैं विहार में था। 900 व्यक्ति बीकानेर से आये। उनके लिए कपडे और अनाज का इन्तजाम करना चाहा पर इतने अच्छे आदमी थे कि उन्होंने कहा चार औरतों को धोतियां फटी हुई हैं हम को चार धोतियां चाहियें। काफी कहा गया लेकिन उन्होंने कहा कि हम धर्मादे तो लेंगे नहीं। 900 में से चार धोतियां लीं। एक दो टाइम खाना खाया। लेकिन तीसरे टाइम कह दिया कि हमें किसी कारखाने में लगा दीजिये, लेकिन हम भीख नहीं मांगेंगे। रामकिशनजी ने कहा कि बिहार में मुफ्त भोजनालय खुलवाइये। लेकिन उन सीमावर्ती लोगों ने कहा कि हमें मुफ्त नहीं चाहिये। हमें काम दीजिये। हम काम चाहते हैं। बिना काम किये हम मुफ्त में नहीं लेंगे।

**श्री रामकिशन** : मैंने बीमार अशक्त, औरतों एवं बच्चों के लिये कहा था।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा** : विहार में सब को देने के लिये कहा है।

**श्री रामकिशन** : सब को कैसे हो सकता है?

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा** : राजस्थान सरकार की ओर से भी जितनी मजदूरी औरों को दी जाती है उतनी बीमार वृद्धों को देते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे यहां अकाल पड रहे हैं। जो स्त्रियां काम नहीं करती हैं उनको भी देते हैं। इस मजदूरी से पूरा नहीं पडता है। मजदूरी क्या देते हैं? एक रुपया दो आना, बारह आना। यह कौनसा कोड बना दिया आपने? यह तो हमारे लिये कोढ हो गया फैमिन कोड संहिता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनिट और कहूंगा। और मुझे कहने दीजिये।

आप हमें राजस्थान कैनाल में काम दीजिये। पूरा काम दीजिये। सड़कें ठीक करवाइये। मजदूरी पूरी दीजिये। जिन इलाकों में आप काम कराते हैं, उनमें जाकर आपने देखा है? कभी निरीक्षण किया है? नहीं किया है। बडे दुःख के साथ कहता हूं, मेरे जिले में इस साल काम शुरु है, वहां मन्त्रीजी आपने कभी दौरा किया है? 20, 25 लाख रुपया खर्च होता है। काम क्या होता है। कुछ लोग जाते हैं। राजनैतिक दबाव पडता है। अपने आदमियों को मेट, सुपरवाइजर बनाते हैं। उनको दे देते हैं मस्टर रॉल। वे मस्टर रॉल बनाकर लाते हैं। ऐसा मस्टर रॉल बनाते हैं जिन गांवों में दस दस आदमी नहीं हैं, जिन गांवों में आदमी नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों की हजारी मस्टर रॉल में भरी पडी होती है हर हफ्ते लाकर देते हैं। हाजरी भरी होती है। इस तरह से आधा पैसा बेईमानी से जाता है

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

पूछते हैं तो कहते हैं क्या करें ? जो आदमी गरीब है, उसको मैट, सुपरवाइजर नहीं बनाते हैं। ऐसे आदमी को मैट, सुपरवाइजर बनाते है, जिनके घर 100 ऊंट हैं। जिनके घर में हजारों मन अनाज भरा है। वे आपके मैट, सुपरवाइजर बनते हैं। वे गरीबी क्या जानें ? वे गरीब लोगों की परवाह नहीं करते। या फिर बाहर के आदमी को ले जाइये। आपके पास इंजीनियरों की फौज है। पी. डब्ल्यू. डी. 40, 50 इंजीनियर छोड़ रही है। वे बापिस ले लेंगे। क्या इन्जीनियर, ओवरसियर, ऐसी जगहों पर जहां हजार, दो हजार आदमियों की गेंग काम कर रही है, आप नहीं लगा सकते उनका काम देखने के लिये ? क्या इंजीनियर डेली जाकर हाजरी नहीं देख सकते ? जो लोग इसके हकदार होते हैं वे तो महरूम रह जाते हैं और जिनको नहीं मिलना चाहिये, वे लोग पैसा मार जाते हैं। फेमिन जिसके लिये सरकार ने एक चेरिटी-सा बना रखा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है आप पक्का काम करिये। मन्त्री महोदय अगर पक्का आश्वासन नहीं देंगे तो वहां के लोग बडे दुःखी होंगे। आपकी कॉन्स्टीट्यून्सी के लोग भी दुःखी होने चाहियें। मन्त्री पद या इलाका दोनों में से एक चीज चुन लीजिये। भारत सरकार से तय करवाइये। 100 करोड़ की योजना हो, चाहे 125 करोड़ की हो। यह अनुमानतः बता रहा हूँ। आप इस तरह की योजना तैयार करवा सकते हैं। आप यह काम करवा सकते हैं तो आपके इलाके के लोग आपके साथ रह सकते हैं। अपने इलाके के लिए काम करवाने के लिय आप यह पद छोड़ सकते हैं। आप अपने इलाके के लिये यह काम कर गये तो लोग परशराम को याद करेंगे। कहेंगे परशुराम भगीरथ का काम कर गया। बाढ़ की जो बात आयी है, हमें उसकी परवाह नहीं है। हमारे यहां मारवाडी में कहावत है सौ साण्डें मर गयीं, बाढ़ में चली गयीं, औरत और बच्चे चले गये तो दुःखी नहीं होऊंगा चाहे सब कुछ राख हो जाय। हमें यह मेह बहुत पसन्द है। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे यहां पानी है। ट्यूब वैल्स में पानी है। 40, 50 हजार गैलन पानी एक घण्टे में निकलता है। एक ट्यूब वैल से बीस बीघा भूमि सिंचित हो सकती है। कितनी पवित्र भूमि है। ऐसी उपजाऊ भूमि है। आपके साथ काफी लोग हैं। इनके रहते हुए यह इन्तजाम नहीं हुआ तो कब होगा ? आप ऐसे आश्वासन नहीं चाहिये कि घास मिल जायेगी। यह तो मिलेगा। लोग भूखे रहेंगे तो आपके यहां आकर बैठ जायेंगे। पूरा आश्वासन दें वरना साफ कहें कि आपके इलाके के लोगों ो पूरा काम मिलेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरलालसिंह !

**श्री हरलालसिंह** (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बाढ़ और अकाल के बारे में विचार हो रहा है। उसके बारे में मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह बाढ़ इस साल और पहले भी कई दफा अपने राजस्थान में आई है लेकिन इस सरकार की जो नीति रही है, वह इस तरह की रही है कि उसका कोई स्थायी रूप से हल खोजने का विचार नहीं किया वरना जितना नुकसान हुआ है, वहां उतना नुकसान नहीं होता। हमारे लोगों को यह नहीं भुगतना पड़ता। मेरे क्षेत्र में, खण्डेला ग्राम में भयंकर बाढ़ आई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यदि

(श्री हरलाल सिंह)
सरकार खण्डेला के बारे में विचार करती, सोचती कि यहां बाढ़ आ सकती है या नहीं तो यह बाढ खण्डेला में तो नहीं आती। जो पानी का बहाव था पहाडों से बहने का, उस बहाव की जगह किन्हीं नेताओं ने जो इस सरकार में बैठे हैं, उन्होंने इस जमीन पर अपने अपने मकान बना लिये, जिसने इस पानी को रोक दिया और बहाव रुकने से पानी एकदम घिरा और उसका चढ़ाव 14 फिट तक चढ़ गया। यह पहले देख लिया जाता तो वहां इस तरह की परिस्थिति नहीं होती। इस तरह से खण्डेला में ही नहीं, हर जगह इसी तरह की स्थिति आपको मिलेगी। बांध, तालाब आज टूट रहे हैं। जब बनाये तब नहीं सोचा कि इस देश में, राज्य में कभी अधिक वर्षा भी होगी, बाढ़ आयेगी तो उस पानी को निकालने का रास्ता किस तरह से किधर होगा। पानी का निकास नदी के रूप में, नाले के रूप में था। इसको इसी तरह से रखते तो ये तालाब, बांध टूटने की नौबत नहीं आती और उतना नुक्सान नहीं होता। इस तरह से बाढ़ आने पर जो अनुभव हुआ है, उसके आधार पर सोचें कि इस तरह का नुक्सान आगे जाकर नहीं हो।

अकाल के बारे में भी कहना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में इस समय जो स्थिति है, यदि 5-7 रोज में बरसात नहीं होती है, तो वह भयंकर रूप धारण करेगी अकाल का। फसलें जल रही हैं। 5-7 रोज में बरसात नहीं हुई तो सफाचट मामला है खेती का। हमारे क्षेत्र में श्रीमाधोपुर में डबल क्रॉप एरिया है। बिजली गांव में पहुंची हुई है लेकिन बिजली विभाग से समय पर बिजली नहीं मिलती। कनेक्शन नहीं मिलते। 5, 5 मिनिट तक भी रेगुलर बिजली नहीं आती। कृषकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रान्सफारमर जल जाते हैं। तीन-तीन महीने तक दूसरे नहीं लगते आकाश मंडरा रहा है बिजली विभाग पर। वह लापरवाही हमारे लिये घातक है। एक गांव में चार महीने से ट्रान्सफारमर जल गया लेकिन आज तक कोई ट्रान्सफारमर नहीं लगा है। ऐसी हालत में पांच पांच मील से बिजली दी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में बिजली से कृषकों को क्या फायदा ? विभाग यह नहीं सोचता। मोटर चलाने पर मोटर जलने का खतरा रहता है। मैं निवेदन करूंगा कि सीकर जिले में श्रीमाधोपुर तहसील ऐसी तहसील है जिसको सही रूप से बिजली दी जा सकती तो सीकर जिले में लोग अकाल का मुकाबला कर सकते हैं। मैं खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा बिजली विभाग से, ऐसी स्थिति में जबकि अकाल का सामना है, इसकी सही ढंग से व्यवस्था बिठाने की कृपा करें।

इसके साथ ही मैंने इधर और उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों के विचार सुने, उनको सुनकर यह आभास मिला कि सरकार ने जो राहत कार्य चालू किये हैं उससे किसी को सन्तोष नहीं है। इस बात पर मुझे एक गांव में बूढे द्वारा इस सरकार के लिये कहा हुआ किस्सा याद आता है जो सुनाना चाहता हूं।

एक राजा था उस पर किसी दूसरे राजा ने आकर आक्रमण कर दिया। राजा मंदिर में मस्त मदहोश रहता था। उसके चार साथी थे उनमें से एक तेली एक रेबारी एक खाती और एक माली। जब दूसरे राजा ने आक्रमण किया और वह उसके राज में बढने लगा तो लोगों ने जाकर राजा को कहा महाराज दूसरे राजा की फौज गांव में आ रही है तो उसने

(श्री हरलाल सिंह)

अपने पहले साथी को बुलाकर कहा जो तेली था । क्या करना चाहिये? तेली बोला तेल देखो तेल की धार देखो । फिर राजा मदहोश होकर फिर आराम करने लगा । इतने में उस राजा की फौज और आगे बढ गई फिर लोग आकर राजा को कहने लगे हुजूर उनकी सेना गांव को लूट रही है लोग तबाह हो रहे हैं । तो उसने दूसरे साथी को बुलाकर कहा जो रेबारी था उसने कहा ऊंट किस करवट बैठता है उसे देखो । इसके बाद भी फौज आगे बढ़ती गई और महलों तक आगई फिर जनता ने पुकार की फिर राजा ने अपने तीसरे साथी खाती को बुलाकर कहा क्या करना चाहिये? उसने कहा अभी लकडी बेज नहीं निकले । इस तरह से जब फौज बिल्कुल महल में आगई तो फिर राजा ने माली को बुलाकर कहा अब क्या करना चाहिये तो माली ने कहा अब तो क्यारी पीगी । यही हाल हमारे इस राजस्थान के राज्य का है । साल-डेढ़ साल से हम बराबर चिल्ला रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार की नीन्द नहीं उडती यह कोई शासन व्यवस्था है ? आज इस सरकार को जनता की परवाह नहीं जनता के जीवन के साथ क्या बीत रही है इसकी परवाह नहीं । आज जनता यह सोचने लगी है कि इससे तो अंग्रेजों का राज अच्छा था, जागीरदारों का शासन अच्छा था । अगर यही विचार जनता में पनपते रहे तो यह जनतन्त्र के लिय बडा खतरनाक होगा । आज हालत यह है कि अंग्रेज यहां से चले गये उनको कुछ भुगतना नहीं पडा जागीरदार गये कुछ भुगतना नहीं पडा लेकिन आज जनता की जो हालत है उनकी जो भावना बन रही है उससे यह साफ झलकता है कि आज की स्थिति में जनता जिस प्रकार के कष्टों को भुगत रही है वह बर्दाश्त के बाहर होते जा रहे हैं । आपकी इस प्रकार की अव्यवस्था का फल आपको हमको और आप और हमारे बच्चों को भुगतना पडेगा । आप सोचें और इस व्यवस्था को ठीक करें तो आपकी शासन दो चार महीने साल दो साल चल सकता है ।

इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो अकाल की स्थिति बन गई है उससे सीकर जिले को बचाना है तो श्रीमाधोपुर के तहसील क्षेत्र में 28 पंचायतें हैं वहां पर आप विजली का साधन उपलब्ध करायें ताकि लोग कुओं से पानी लेकर अपने खेतों को पिला सकें, और इस साल के अकाल से तो कुछ अंशों में बच सकें ।

(श्री जगन्नाथ के बोलने के लिये खडे होने पर)

श्री **उपाध्यक्ष** : आपको बाद में अवसर दूंगा । जरूर दूंगा । श्री आईदानसिह !

श्री **आईदानसिंह** (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे राजस्थान के अकाल को लेकर न कहता हुआ जालौर जिले में जो अकाल की स्थिति है उसी के बारे में निवेदन करूंगा । इस जिले में और किसी जिले से अकाल की स्थिति कम नहीं है । इसका अगर सही मायने में अवलोकन किया जाय तो यह सब जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है ।

आज से करीब चार पांच साल पहले अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने हमारे क्षेत्र के लिये कहा इस धरती में पानी की इतनी क्षमता है कि अगर इस पानी को इस्तेमाल नहीं किया गया तो वैज्ञानिकों का यह मत है कि यहां पर वाटर लॉगिंग की प्रोब्लेम हो जायगी । यह मेरे पास राजस्थान सरकार की प्लानिंग रिपोर्ट है उसका अवलोकन किया जाय तो उसमें एक्सपर्ट्स ने लिखा है:—

Page No. 129



(श्री आईदानसिंह)

"The old wells of western parts, however are esorting a gradual rise in the water rtable, the cause of which may be the vertical movement of the ground water from confined acquifers through moderately impervious sandy clay. This further necessitates an intensive development of ground water resources of the region which otherwise may create water logging in due course."

यह आपकी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में दिया हुआ है। जालौर जिले के धरातल में पानी है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो वाटर लोगिंग की प्रोब्लेम होगी।

आपके द्वारा 200 ट्यूब वैल्स बनाने की स्कीम बनायी गयी इसी सम्बन्ध में मैंने राजस्थान सरकार से एक प्रश्न पूछा था जिसका मुझे उत्तर दिया गया कि एक भी स्कीम का इम्पलीमेन्टेशन नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता दूं इस स्कीम के अन्तर्गत 36 कुए खोदे गये जिनमें से तीन कुए काम कर रहे हैं। इस अकाल को मिटाने के लिये पिछली साल इस सदन में जब बहस हुई उस समय भी मैंने कहा था कि आप इस ट्यूब वैल स्कीम को लागू करें तो कम से कम जालौर जिले को तो अकाल से मुक्ति दिला सकते हैं ऐसी मेरी मान्यता है। उन ट्यूब वैल्स में 30 से लेकर 62 हजार गैलन प्रति घंटा तक के हिसाब से पानी मिला है। स्वर्गीय हरिश्चन्द्रजी माथुर जो एम० पी० थे उन्होंने इसके बारे में सुखाडियाजी को पत्र लिखा जिसको दो तीन पंक्ति मैं सदन की जानकारी के लिये पढना चाहूंगा। उसको पढन से पता चलता है कि राज्य सरकार की फाइल में वे कागज बहुत नीचे चले गये मालूम पडते हैं। उन्होंने सुखाडियाजी को यह लिखा:--

"I am told we have struck recently water near Bagora in tube well scheme which promises good prospect of development. One well, I am told, is yielding 62 thousand gallons per hour and the water is hardly 30 ft. below ground level as against 250 ft. at Shadan which has been so much talked out.

Four other wells nearby are yielding 30th. gallons and several sq. miles of virgin land is available. It would be criminal in present context if immediate scheme to utilise all the water is not drawn up and implemented before the sowing of next wheat crop."

30 फीट नीचे पानी की क्षमता है। अगर उस पानी को इस्तेमाल नहीं किया गया तो इस इलाके में वाटर लोगिंग की प्रोब्लेम हो जायगी। स्कीम बडी सोच समझ कर बडे ढंग से पूरा इन्वेस्टीगेशन करके जितने वैज्ञानिक काम कर सकते थे काम करके उन्होंने यह स्कीम तैयार की। हमने देखा कि बडी मेहनत करके स्कीम बनायी गई लेकिन वह राज्य सरकार की रद्दी की टोकरी में पडी हुई है। मैं आप पर यह एलीगेशन लगा सकता हूं। आपने मुझे प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि ट्यूब वैल कोई नहीं बनाया गया इसकी प्रोग्रेस भारत सरकार के विचाराधीन है। आप यदि यह परमात्मा के लिये नहीं कर सकते तो आप इन जिलों को जालौर, बाडमेर

(श्री आईदानसिंह)

जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर इनको भारत सरकार के सुपुर्द कर दीजिये जैसा भी होगा हम भुगतेंगे। आपने भी एक लेटर श्री हरिश्चन्द्रजी को लिखा उसके भी मैं फैक्ट सुना देना चाहता हूं:—

There are 23 successful tube-wells in that area and we are taking action to procure suitable pumping sets for running these wells. Necessary orders were placed with the manufacturers but it appears that under the instructions of the Govt. of India, the manufactured sets were diverted ...... अब ये हमारे लिये बनाये गये अन्डर दी इन्स्ट्रक्शन आफ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट the manufactured sets were diverted to famine stricken areas of Bihar. We are however trying again to procure the pumping sets as expeditiously as possible. जालौर जिले में पूरा अकाल था हमारे यहां से आर्डर प्लेस हुए और वह बिहार को भेज दी गई मैं यह निवेदन करूंगा कि इस ट्यूब वैल स्कीम को शुरू किया है तो इसे पूरा करें। इसके टारगेट जैसा भैरोंसिंह जी ने कहा फिक्स कर दें, पर यह तो स्कीम में ही फिक्स किये हुए हैं। वह भी मैं अर्ज करदूं।

50 ट्यूब वैल्स और टूबी कम्प्लीटेड बाई 67 एण्ड 100 ट्यूब वैल्स बी कम्प्लीटेड बाई 67 एण्ड देन 200 ट्यूब वैल्स और टूबी कम्प्लीटेड बाई जुलाई 6। इसका मतलब यह है कि ये कुए बनकर इन पर पम्पिंग सैट भी लग जाने चाहिये अब यह भी बताया है इसमें कि इनको कनेक्ट करने के लिये सड़कें बनाई जावें और उसका भी एस्टीमेट इसमें दिया हुआ है। पाली से बिजली आवेगी वह 66 के वी की होगी। जवाई को बान्धने के लिये कितना खर्चा होगा वह सारा का सारा इस स्कीम में है। 66 में सरकार को लिखा था कि अब तक 36 ट्यूबवैल्स बन गये हैं उन्हें आरगनाइज किया जाय। इस पत्र के अनुसार 12 कुएं और बोर कराए जायेंगे। पुरानों को इनर्जाइज नहीं करवाया। पर अब राज्य सरकार क्या कर रही है। सरकार उनको आक्शन कर रही है या अपने किसी एजेन्ट को दे दे। इसको हम और हमारे इलाके के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने जो योजना बनाई है। वह उसके अनुसार चले। नहीं चले तो वह मेरे खयाल में सरकार कहलाने लायक नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री राम कुमार मन्दवाना।

**श्री दौलतराम सारण**: माकान्द का नम्बर नहीं आवेगा क्या ? आज मेरा नाम पहले पहले पुकारा गया। चुन्नीलाल जी को भी कहा गया था।

**श्री उपाध्यक्ष**: धीरज रखिये सबका नम्बर आ जावेगा।

**श्री दौलतराम सारण**: धैर्य की भी सीमा होती है उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष**: काफी लम्बी सूची है।

**श्री मनोहरसिंह मेहता**: यह तो जन्म पत्री की तरह हो गई साहब लम्बी। मैं भी कहीं हूं इसमें ?

**श्री रामकुमार मन्दवाना (चित्तौडगढ)** उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ में इस साल फिर

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

बडी भयंकर बाढ़ आई। मध्य रात्रि को दो बजे से लेकर प्रात: 8 बजे तक इतनी तीव्र वृष्टि हुई कि इन 6 घंटों में 14 इन्च वर्षा हो गई। इसके कारण चित्तौडगढ शहर में और आस पास के नीचे इलाकों में करीब करीब काफी पानी भर गया। आवागमन अवरुद्ध हो गया। गम्भीरी और बेंडच की पुलियाओं पर पांच छः फीट पानी था। शहर के आसपास के गांवों में भी काफी नुक्सान हुआ।

बडी सादडी तहसील में 14 गांवों में तबाही मच गई। इस सबका कारण है वहां बहने वाली नदियों के पानी को नहीं रोकना। इन पर बडे बडे बांध नहीं बनाना। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी राजस्थान सरकार से निवेदन किया था कि हमारा चित्तौडगढ का इलाका नदियों से घिरा हुआ है और चारों तरफ पहाडी इलाका भी है तो इन नदियों को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। यहां गंभीरी, बेंडच, बाखल और वम्बोरी नदियां हैं। इनको कन्ट्रोल करना परम आवश्यक है।

इनके कारण आज ही नहीं, ऐसी ही बाढें 31 में आई, 40 में आई, सन् 45 में आई और 51 और 61 में भी आई। इतनी बार इतनी भयंकर बाढें आने पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर इन नदियों को बान्धने का प्रयास नहीं करेंगे आप तो अगले वर्ष में चित्तौड के शहर का जो आज डवलपमेन्ट हो रहा है वह रुक जावेगा। उस पर काफी बुरा असर पडने वाला है। दस साल पहले और आज की स्थिति में अन्तर है। आसपास में आज सीमेन्ट की फेक्टरी बन गई है, मजदूर कालोनी बस गई है। जो कि इस बाढ में छः छः और आठ आठ फीट पानी में डूब गई थी।

सैनिक स्कूल है जिसका राष्ट्रीय महत्व है। वह भी चार से छः फीट गहरे पानी में डूबा हुआ था। सात सो साढे सातसौ बच्चे वहां रहते हैं। उनको आठ घंटों तक छतों पर रह कर गुजारना पडा। अगर अभी से आपने कन्ट्रोल नहीं किया तो आसपास का इलाका मुमकिन है अगली किसी बाढ में पूरा जलमग्न हो जाय और तब स्थिति को कन्ट्रोल करना और भी मुश्किल हो जावेगा।

गम्भीरी नदी का केचमेन्ट एरिया 16 हजार स्क्वायर माइल है। पर इसके बाद भी 700 स्क्वायर माइल का एरिया बाहर पडता है और उसका सारा पानी शहर में आता है। बेंडच नदी पर जो बान्ध बनाया है गढ गांव बडानाला के पास उसका भी उदयपुर से नीचे आने वाली नदियों के पानी पर कन्ट्रोल नहीं है। बाखल का एक हजार स्क्वायर माइल से बहकर पानी आता है। तो इसके लिये चौथी योजना जो हमारी तैयार हो रही है, उसमें प्रावधान होना चाहिये और यही समय है। अगर इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो चित्तौड की जनता काफी नुक्सान उठाएगी।

इस बाढ में जो नुकसान हुआ है उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चित्तौड में 313 कच्चे पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बडी सादडी तहसील में भी काफी नुकसान मकानों का हुआ है और इससे हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। इसी प्रकार पांच हजार एकड भूमि में मक्का की फसल खडी थी वह खराब हो गई है। आसपास के कुओं में मिट्टी छा गई है या नष्ट हो गये हैं। बडी सादडी में एक पूरा का पूरा गांव जिसमें 29 परिवार थे, पानी

(श्री रामकुमार नरवाना)

में बह गया। रात्रि में यह बाढ आई थी। बडी मुश्किल से ये लोग अपना जीवन बचा पाये।

एक तारीख को बाढ आई और पांच सात तारीख तक भी चित्तौड जिले के उच्चाधिकारी स्थिति का अध्ययन करने नहीं पहुंचे। सब डिविजन निम्बाहेडा में एस.डी.ओ. आठ तारीख तक नहीं आया। गांव वालों ने तहसीलदार और पटवारी को जानकारी दी। आठ तारीख को मैं स्वयं गया था।

(5 50 म. प)

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति पदासीन)

पांच तारीख को जब हमारे डिप्टी मिनिस्टर बडी सादडी तहसील में गये और बाढ की स्थिति का अध्ययन किया तो गरीबों को 3500) रुपया पचास पचास रुपया प्रति परिवार दिया। इसमें से भी तहसील के स्टाफ द्वारा तहसीलदार और स्टाफ वालों ने आधी रकम अपनी भेंट में ले ली तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि उस तहसीलदार का तबादला हो गया लेकिन केवल तबादला ही उसका इलाज नहीं है। इसको गम्भीरता से सोचना चाहिए।

इसी प्रकार से चित्तौड के अन्य इलाकों में जो नुकसान हुआ है उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चित्तौडगढ जिला राजस्थान में वह जिला है जिसने कई प्रकार की यातनायें और कष्ट सहे हैं और आजादी के आन्दोलन में काम किया है और वहां की जनता इस प्रकार के कष्टों को सहने में कभी नहीं घबराई है। तो मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि इस गम्भीरी की आई हुई भीषण बाढ में चित्तौड जिले के अन्दर करीब करीब 90 तालाब जो पंचायत और पंचायत समितियों में है वह इस भयंकर बाढ से नष्ट हो गये हैं। उसके लिए अभी समय है क्योंकि हमारे यहां सितम्बर के अंत तक बरसात होती है और अभी रिपेयर का काम किया जाये तो इन तालाबों को ठीक किया जा सकता है और यह तालाब भी वह हैं जो गर्मियों के दिनों में पानी पिलाने के काम आते हैं। इसलिए आवश्यक है कि कुछ व्यवस्था करें। चित्तौडगढ में जहां लम्बे दूर से नदी बहकर आती है वहां डैम बने हुए हैं उनको चैक करना आवश्यक है। वर्षा बहुत तेज हुई और चित्तौडगढ में आफिसेस को समाचार नहीं मिल पाये। तो यह आवश्यक है कि सिंचाई विभाग के जो डैम हैं गम्भीरी, बडगांव और ओराई डैम हैं वहां पर टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहां से जानकारी मिल सके कि डैम ओवरफ्लो हो गया है और पानी बह रहा है ताकि नीचे के इलाके के लोग सावधान हो जायें। गम्भीरी बांध में काफी पानी रहता है और वह हमेशा ओवर फ्लो होता है और एक ही बरसात में डैम भर जाता है जिससे 15 हजार एकड जमीन की सिंचाई होती है उस डैम में जो अभी की बरसात का पानी आया है करीब करीब मैं समझता हूं कि 3 लाख क्यूसेक्स पानी डैम में से गया है इस पर कन्ट्रोल करना आवश्यक है।

तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगली चौथी पंचवर्षीय योजना

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

बन रही है उसमे पानी पर कन्ट्रोल करने के लिए मौसम पर बाढ आये नहीं और उस पर कन्ट्रोल रखा जा सके तो यह योजनाएं बनाकर चौथी पंचवर्षीय योजना में इनको रखें ताकि उसकी ओर ध्यान दिया जा सके।

श्री सभापति : श्री रामसिंह कुडी।

श्री रामसिंह कुडी (जायल) : माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान आपकी मार्फत हमारे इलाके में हमेशा से चली आ रही अकाल की समस्या है उसकी ओर पहले दिलाना चाहूंगा और उसके बाद में बाढ के बारे में कहना चाहूंगा।

जहां तक अकाल के निवारण का सवाल है हमें तो इस बात की उम्मीद है नहीं परन्तु लोगों का आग्रह है और मेरा भी उसी तरह आग्रह है कि सरकार यदि कुछ कर सकती है तो करे ऐसा कर सकना असम्भव सा मामला है नहीं। जैसा कि एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने पिछले 4 दिन पहले बताया था कि 25 करोड की एक योजना थी और लिफ्ट योजना से नागौर के इलाके तक नहर लाई जा सकती थी। आपने राजस्थान के अकाल राहत कार्य में जैसा हमारे माननीय साथी श्री रामकिशन जी ने बताया कि 63 करोड रुपया खर्च कर दिया है। यदि बीकानेर और नागौर के जिलों की समस्या 25 करोड में हल हो जाती है तो राजस्थान सरकार के लिए यह आवश्यक है और जरूरी भी है कि वह लिफ्ट योजना को अब भी लागू कर सके तो करे। उसकी शुरूआत करे। एक साल में नहीं 2 साल में नहीं 10 साल में भी उसको पूरा कर सके तो करे और जिस अनुपात से अकाल पर खर्चा कर रहे हैं उससे कोई न कोई निवारण हो सकेगा। इसलिये मैं आपसे पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जो लिफ्ट योजना राजस्थान कैनाल को नागौर के लिए बनाई गई थी उसको लागू करने के लिए राजस्थान सरकार प्रयत्न करे।

हमें हमारे मिनिस्टर महोदय पर पहले तो कुछ विश्वास था और अब जो उनकी हालत है उससे नजर आता है कि वह इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। यदि रुचि लें तो यह समस्या हल हो सकती है। ट्यूब वैल्स के खुदवाने की बात है। उसमें बहुत ढिलाई बरती जा रही है। पीने के पानी की समस्या और अकाल की समस्या से पीडित नागौर का इलाका है वह हमेशा से पीडित रहा है और इस इलाके की तरफ इस समस्या के लिए सरकार का ध्यान नहीं गया। केवल चन्द कुए मेडता सब-डवीजन में खुदवाये बाकी लाडनू, जायल, नागौर इन इलाकों में कहीं भी कुए नहीं खुदवाये। केवल 4 कुए खुदवाये और वह भी बन्द पडे हैं और उनको चालू करने के लिए कहा जाता है। एक कुआ है उसमें पानी खराब है। हम कहते हैं कि उसका पानी बाहर फेंका जाय उससे जो हो सकते हैं। अनाज हो सकता है, घास हो सकती है। लेकिन हमारी बात समझे नहीं और दूसरे आदमी कहे उनको मानें नहीं सलिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि ट्यूब वैल खुदवाने का काम और लिफ्ट योजना का काम चालू करके जो अकाल की समस्या है उसका निवारण करें।

दूसरी बात सरकार का जो बाढ़ राहत का कार्य हुआ उसके बारे में निवेदन करूंगा कि बाढ से नागौर जिले में जो क्षति हुई वह 10 करोड से ऊपर की है हालांकि हमारे साथियों ने सरकारी आंकडों के अनुसार

(श्री रामसिंह कुडी)

केवल राजस्थान में 38 करोड़ की क्षति होना बताया है वह मेरे खयाल से सही नहीं है। नागौर जिले में जो क्षति हुई उसके बारे में सरकार ने महज एक क्षति के बारे में ध्यान दिया और वह ध्यान दिया था रेवास के मकानों के बारे में। बाकी हमारा मुख्य धन जो है वह पशुधन है और उसी की सबसे ज्यादा क्षति हुई है। मेरी एक पंचायत समिति जायल म करीब 50 गांव बाढ से पीड़ित हैं और उनमें 6–7 हजार पशु मरे. और कुल मिलाकर पूरे जिले में 30 हजार पशुओं के मरने का अन्दाजा है। यह 11 तारीख से लेकर 2-3 दिन में मरे उसकी संख्या 30 हजार की है। नागौर की पशु नस्ल विश्व में प्रसिद्ध है और जिसमें इस तरह की क्षति हुई उसकी सुरक्षा के लिये और उसको री-कन्सट्रक्ट करने के लिये कोई सहायता नहीं दी गई। किसान का धान बहा, कृषि के औजार बहे, नौहरा बहा, बाडा बहा और उसके बाद में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। महज मकानों की क्षति के बारे में ही इन्होंने कुछ सहायतायें दी हैं। आज तक कुछ भी नहीं किया एवं इस बार जो सहायता की उस सहायता के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और यह धन्यवाद उन अधिकारियों को भी देता हू जिन्होंने कि इस समय में कम से कम मेरे क्षेत्र में तो किसी भी अधिकारी ने रिश्वत का या भ्रष्टाचार का कार्य नहीं किया। अब देरी से कार्य शुरू हुआ उसके लिये अधिकारियों का दोष नहीं है। माननीय परसराम जी ने 13 तारीख को काम शुरू होना बता दिया लेकिन यह मिथ्या बात है। सरकार ने काम किया जो 19 तारीख को 9 बजे के बाद रात को शुरू किया और वह भी जब माथुर साहब को हमारा उलाहना मिला और उन्होंने डीडवाना से टेलीफोन किया ..........

(6 म. प.)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। सदन की अनुमति से सदन का समय एक घन्टे के लिए और बाढाया जाता है।

श्री रामसिंह कुडी : 28 तारीख को 9 बजे से धान वितरण का काम शुरू किया और वह भी हमारी पंचायत समिति में केवल दो गांवों में, डीडवाना में एक गांव में और नावां के अन्दर तो वह भी 26 तारीख के बाद शुरू हुआ धान वितरण के बारे में 20 तारीख को केबिनेट का डिसीजन हुआ तो उसका किसी को विश्वास नहीं हुआ। किसी को विश्वास होता भी कैसे जब कि स्वयं आपके अधिकारी गणों को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ था। यह इसलिए हुआ क्योंकि आप जो फैसला करते हैं उस पर अमल नहीं करते, केवल फैसला करके रह जाते हैं। हैलीकोप्टर की बात जो आई उस पर भी अमल नहीं हुआ? उसका भी निर्णय हुआ था उसका खूब प्रचार कराया। लोग यह बात मान कर चल रहे थे कि इस निर्णय पर अमल नहीं होगा। बाढ सहायता की यह रकम 26 तारीख को पहुंची कलेक्टर के पास तब उनको यह अहसास हुआ कि यह काम होगा। उसके बाद में 28 तारीख को मीटिंग बुलाई और उसके बाद में सहायता देने के आदेश हुए। 29 तारीख को ट्रेजरी में बिल पास हुआ। उसके बाद भी आश्वस्त नहीं थे आपके अधिकारी पहली रकम लेकर भी राहत कार्य चालू नहीं हुये थे धान नहीं बांटते थे। वह रकम 6 तारीख को बांटने का काम शुरू करते हैं जब कि उनके पास में दूसरा इन्स्टालमेंट पहुंच गया। दूसरा इन्स्टालमेंट पहुंचने के बाद में उन्होंने बांटने का काम शुरू किया

(श्री रामसिंह कुंडी)
यह हालत है आपके सरकार के निर्ण की ..

**श्री परसराम मदेरणा** : 4 अगस्त को मैं जायल थाना था, आप और मैं चले थे चार अगस्त को जब मैं आया तो आपने और मने देखा था कि गांवों में चद्दरें लगी हुई थीं।

**श्री रामसिंह कुंडी**: वह बंटना शुरू हुई थी जब दूसरी किश्त आ गई। जब तक दूसरी किश्त नहीं आई तब तक बंटना शुरू नहीं हुई। आप छः को आये थे।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं को आया था। आप मेरे साथ चले थे। उस वक्त आपने बताया कि चद्दरें बांट दी हैं और बंट रही हैं। आपने जिस गांव में गये थे वहां चद्दरें देखीं थीं।

**श्री रामसिंह कुंडी** : यह साबित है रिकार्ड से, 29 तारीख को बिल पास हुआ था ट्रेजरी से। आप बता दीजिये कि किसी भी फ्लड रिलीफ वर्क्स का बिल 29 तारीख के पहले किसी ट्रेजरी से पास हुआ है या पेमेन्ट हुआ है। आप यह बता दीजिये।

**श्री परसराम मदेरणा**: मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं।

**श्री रामसिंह कुंडी** : माननीय परसराम जी, हम आपको समझ रहे थे कि आप एफीसियेन्ट वर्कर हैं, स्विफ्ट वर्कर हैं लेकिन सुखाडिया जी ने बता दिया है कि हम यह विश्वास कर रहे थे यह गलत है। इसलिए ही विकास विभाग के मार्फत काम नहीं करा गया। हमें आपकी योग्यता पर इसी कारण विश्वास नहीं होता क्योंकि हम माननीय सुखाडियाजी का कहना सही मान रहे है, क्योंकि उन्होंने विकास विभाग से काम नहीं कराया बल्कि रेवेन्यू एजेन्सी से काम कराया गया है। पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट लागू है उस एक्ट में प्रावधान है कि जो भी आपत्कालीन स्थिति में सहायता दी जाय और दी जानी चाहिए उसका सही तरीका पंचायतों के माध्यम से ऐसी सहायता को दिया जाना ही हो सकता है। हमें पंचायत समिति की बैठक बुलानी चाहिये ग्राम पंचायत की आम सभा बुलाई जानी चाहिये और उनके मार्फत ही हमें ऐसे काम कराने चाहिए अधिकारीगण सिर्फ यह देख लें कि काम सही हो रहा है या नहीं, तब ही ऐसा सही काम हो सकता है, नहीं तो काम सही नहीं हो सकता है। रेवेन्यू एजेन्सी को यह काम देकर उससे काम कराया है उससे मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि सदन के नेता महोदय ने कहा है कि आपका यह विकास विभाग अयोग्य है और माननीय परसरामजी जो विकास मंत्री हैं वे भी अयोग्य हैं। इसी कारण ही रेवेन्यू एजेन्सी से उन्होंने काम कराया है। आपको बाद में यह महकमा देकर खुश कर दिया है। लेकिन हम को तो कहा है कि विकास विभाग के मंत्री अयोग्य हैं। नागौर में मैंने यह बात माननीय सुखाडिया जी को कही और सुखाडिया जी ने वापिस आकर आपको यह राहत का महकमा दे दिया। हम तो अर्जियां दे रहे थे माननीय राम किशोर व्यास को, हम अर्जियां दे रहे थे बूंदी के मिनिस्टर को

**एक माननीय सदस्य**: ब्रज सुन्दर शर्मा।

**श्री रामसिंह कुंडी** : बृज सुन्दरजी को यह महकमा राहत का माननीय परसरामजी के पास है, यह बताने के लिए आप पहुंच गये जायल में, तब हमें मालूम हुआ। यह

(श्री रामसिंह कुडी)

कार्यवाही जिस तरह से की गई है। वह गलत है। माननीय मुखाडिया जी जितने चालबाज हैं उसकी दाद है। हर वक्त चाल चलते है, लोगो को गुमराह करते हैं। माननीय मंत्रियों को खुद को गुमराह करते हैं। इससे भी गंभीर हालत यह है कि अधिकारियों को मुश्किल था कि क्या डिफरेन्स है वास्ड अवे और कालेप्स्ड हाउसेज में वे इसमें डिफरेन्स नहीं कर सकते खुद मुखाडिया जी ने जिला परिषद् की मीटिंग में नागौर में कहा था कि इसमें थिन मार्जिन है। फिर इस तरह का झगडा क्यों रखा? इसके अलावा जन प्रतिनिधियों को भी इस वार्ड के चक्कर में फंसा लिया था। मैं 13 तारीख से 9 अगस्त तक बाढ़ राहत कार्य करता रहा, मैंने अपने सारे कार्य बन्द कर दिये, मैंने वकालत उन दिनों में छोड दी और अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करके मैं काम करता रहा। हालत यह है कि मैं तमाम काम अधिकारी वर्ग से सहयोग लेकर कराता था। जब तक तहसीलदार के दस्तखत नहीं हो जायं तब तक कोई भी सहूलियत नहीं दे सकते थे। सरपंच प्रधान प्रमुख या एम.एल. ए. कुछ भी कह दें फिर भी कुछ भी नहीं होता था। धान आया पडा था, उनको सबने बांटने को कहा, फिर भी सहायता नहीं दी गई। जब एस. डी. ओ को हम ने कहा तब काम हुआ।

श्री **परसराम मदेरणा**: सब कुछ आप ही तो थे।

श्री **रामसिंह कुडी** : मैं कुछ भी था। मैंने काम कराने के लिये हाथ जोडे। मैं सोचता था कि जो कांग्रेस के लीडर हैं वह सुखाडिया की गुलामी कर करके अपना काम चला रहे हैं, उसी तरह से मैं ने भी अधिकारियों का गुलाम मान कर काम किया है....

श्री **परसराम मदेरणा**: सभापति महोदय यह बकवास कर रहे हैं। यह इस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं यह आब्जेक्शनेबल है। चाहे जो शब्द कह दिया। कोई भी व्यक्ति किसी की गुलामी नहीं करना चाहता है...

**श्री सभापति**: आर्डर प्लीज।

श्री **दौलतराम सारण**: गुलाम इन्होंने कह दिया, उसकी जगह चापलूसी सही।

श्री **देवीदत्त गाडिया**: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने ....

श्री **दौलतराम सारण** : परसरामजी आपमें जमीर होता तो अकाल और बाढ़ के मामले में मिनिस्ट्री से रिजाइन कर देते। इस तरह की बेहूदगी ...

श्री **परसराम मदेरणा** : आप इस प्रकार यहां दबे बैठे रहे, यह आपको मालूम है। किस तरह से उस समय चुप बैठे रहते थे।

श्री **दौलतराम सारण** : क्या हैसियत है आपकी।

श्री **परसराम मदेरणा** : आपकी कोई हैसियत नही है।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : आन ए पाइन्ट आफ ऑर्डर, सभापति महोदय...

**श्री सभापति** : माननीय गाडिया जी का पाइन्ट आफ ऑर्डर चल रहा है।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य अकाल की स्थिति का दर्दनाक चित्रण इस सदन में कर रहे थे उस वक्त माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य को कहा कि बकवास करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के शब्द प्रयोग करना असंसदीय है।

# Page No. 137



( श्री देवीदत्त गाडिया)
आप को इस प्रकार उत्तेजित नहीं होना चाहिए····

**श्री सभापति** : ऑर्डर ऑर्डर ।
No point of order

**श्री परसराम मदेरणा** : आप आरोप लगाते हैं और इस तरह हर किसी को गुलाम बनाते हैं, आप थोडा संयम रखिये और सोचिये कि आप क्या कहने जा रहे हैं ।

**श्री रामसिंह कुड़ी** : मैं कह रहा हूं कि इसी प्रकार माननीय मंत्री जी को भी संयम रखना चाहिए ।

**श्री सभापति** : ऑर्डर प्लीज !

**श्री देवीदत्त गाडिया** : माननीय सभापति जी, एक शब्द मुझे यह कहना है···

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज !

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : मेरी एक बात सुन लीजिये । कल माननीय मंत्री जी ने दारुणिक और हृदय विदारक अकाल का चित्रण किया था उससे लग रहा था कि हम बहुत चिन्तित हैं । उसके आधार पर माननीय सदस्य जब चिन्तित होकर कह रहे थे तो माननीय मंत्री जी को आवेश में आकर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था ।

**श्री रामसिंह कुडी** : परसराम जी, हमने तो गुलामी की है और गुलामी करके अधिकारियों से काम लिया है । और गुलामी इसलिए की थी कि अपने वे अधिकारियों के आपसी झगडों से ऐसा नहीं हो कि वे पीडित आदमी ऐसे ही रह जायं । इसलिए पीडितों को रिलीफ दिलाये जाने के आधार पर जन-प्रतिनिधि ने गुलामी कर कर के ऑफिसरों से काम कराया है । यह इसलिए हुआ कि माननीय मुखाडिया जी ऐसी ट्रेनिंग देना चाहते हैं जन प्रतिनिधियों को । मैं कहना चाहता हूं कि आपमें अहसास नहीं है, हिम्मत नहीं है, आपमें स्वाभिमान नहीं है, न किसी काम को करने के योग्य है । इस प्रकार गुलामी कराके किसी एक मिनिस्टर से काम कराना चाहते हैं माननीय सुखाडिया जी । माननीय सुखाडिया जी ने यह मोरल बनाया है मिनिस्टरों का छः साल के बाद, बाकी तो सब फालतू हैं । मैं सुखाडिया जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह बात कह रहा हूं ।

दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि लोगों के खेत बिगड गये, उनके मकान टूट गये, म्युनिसिपैलिटी की सडकें व खिचालारा मिडिल व अन्य कई स्कूल खराब हो गई, बांध टूट गये हैं । उनकी मरम्मत की व्यवस्था करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है । जो स्कूल खराब हो गई हैं उनकी मरम्मत की व्यवस्था करने के लिए पी. डब्ल्यू. डी. को पैसा देने की बात की जा रही है, वह पंचायतों के हित में काम नहीं कर रहे हैं । जो हमारा खुद का काम है, जो स्कूल खराब हो गये उनकी मरम्मत की व्यवस्था करने के लिए पंचायत समिति तैयार है, विकास विभाग के सारे के सारे कर्मचारी, और सारा का सारा विभाग क्या बेकार है जो अपने मातहत के स्कूल की मरम्मत तक नहीं करवा सकता । अगर पंचायत समितियों को स्कूल का पैसा दिया जाय गांवाई कूओं का पैसा दिया जाय तो उनकी मरम्मत हो जाय, और सारा काम पूरा हो जाय किन्तु माननीय सुखाडिया जी

# Page No. 138



(श्री रामसिंह कुड़ी)

ने यह विकास का महकमा बेकार है ऐसा बताया इसके मंत्री बेकार हैं इसलिये इनको यह काम नहीं देना चाहिए। श्रौर इन माननीय परसरामजी को इनके नेता मंत्री के रूप में काम नहीं करने देना चाहते तो माननीय सदस्य परसरामजी आपके नेता ने आपको अयोग्य करार दिया है, यदि आप पंचायती राज में विकास में विश्वास करते हैं या आप विकास का कार्य सही तरीके से करना चाहते हैं परन्तु, आपके नेता ने आपके पास से विश्वास हटा लिया, आपसे विकास का कार्य नहीं करवाया, आपकी भावनाओं की अवहेलना की तो आपको त्याग-पत्र देना चाहिये था। श्रौर आप मुझे डरा रहे हैं...

**श्री समापति** : आप विषय पर बोलें...

**श्री रामसिंह कुड़ी** : बालसिंह जी बोले तो मुझे डरा रहे थे, मुझे कहा कि मैं देख लूंगा, क्या देख लोगे मुझे, हजार बार देख लेना...

**श्री परसराम मदेरणा** : मैंने नहीं कहा आपने गुलाम गुलाम कहा।

**श्री रामसिंह कुड़ी** : कैसे नहीं कहा, मैंने सुना है।

सरकार ने पी. डब्ल्यू. डी. को पैसा दिया है, स्कूलों श्रौर कुश्रों के लिये वह पैसा फौरन पंचायत समितियों को दिया जाना चाहिये। इसके लिये मैं सरकार को क्या सुखाडिया साहब से मांग करता हूं कि वे फौरन इस तरफ ध्यान दें।

**श्री रामकिशन** : खाली 'कुर्सी ही है, सुखाडिया जी है नहीं।

**श्री रामसिंह कुड़ी** : जिन खेतों के धोरे टूट गये हैं, जो खेत बेकार हो गये हैं, उनके लगान माफ करने की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, उनको लोन नहीं दिये हैं, इसके अलावा जो लोन अभी देने बाकी हैं वे लोन कुश्रों के लोन के रूप में परिणत किये जा कर दिये जायं।

सडकों का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। मेरी पंचायत समिति में 11 सडकें हैं, वे ग्यारह की ग्यारह ही टूट गई हैं, इसलिये उन सडकों को बाढ राहत के कार्यों में पूरा किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अकाल की बात सबने कही है, वही हालत मेरे क्षेत्र में है। चार पांच दिन में यदि वर्षा नहीं हुई तो नागौर सब डिविजन पूरा का पूरा अकाल ग्रस्त हो जायगा।

**श्री समापति** : श्री मनोहरसिंह मेहता।

कृपया आप अपने आश्वासन के मुताबिक 10 मिनिट तक सीमित रहें।

श्री **मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ) : समापति महोदय, मैं अब इस बात में नहीं जाऊंगा कि अकाल क्यों पडा, किस की गलती से पडा, 20 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यो कि इससे अब कोई लाभ नहीं है। अब तो करना यह है कि सब मिल कर इस संकट का सामना कैसे करें। जब बृज भूमि में कृष्ण के समय में इन्द्र का प्रकोप हुआ तो श्री कृष्ण ने सबको कहा कि सब एक हो जाश्रो श्रौर गोवर्द्धन पर्वत को उठाश्रो, सब एक हुए, सबने मिल कर ताकत लगाई श्रौर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
184 सदस्यों का यह सदन है, तीन सदस्य नहीं हैं तो यह 181 का सदन है । 33 का यहां प्रश्न खडा होता है, 107 सदस्य शासक वर्ग में हैं और हम 74 हैं, 107 में से 74 बाकी निकालते हैं तो पीछे 33 ही रह जाते हैं और इनको जोडा जाता है तो 181 हो जाते हैं । 181 मिल कर ताकत लगायें तो इस संकट का सामना कर सकेंगे । एक दूसरे की आलोचना का यह समय नहीं है । आग लगी तो सभी आग बुझाने चले गये, आग कैसे लगी, किसने लगाई, यह उस समय कोई नहीं पूछता । तो आज जो यह अकाल की आग हमारे यहां लग गई है, इस आग को हम सब मिल कर बुझायें । अगर शासन करने वाले समझें कि हम अलग हैं, हम एक नम्बर हैं और विरोधी नम्बर दो हैं तो एक अपोन 2 आधा ही रह जाता है, 1 के आगे 2 को रख देंगे तो 12 हो जायेंगे

**श्री रामकिशन** : 2 के आगे 1 रख देंगे तो 21 हो जायेंगे ।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** :
सिर बैठ्या कीमत घटे, मडेलियां बढ जाये ।
एक बटा दो एक दो, लिख सोचो मन मांहि ॥

एक के पास दो लगा दोगे तो 12 हो जायेंगे ।

संकट आया तो बाबर ने शराब पीना छोड दिया स्वर्ण पात्र फोड दिये । सबसे पहला काम यह करिये कि जितने अधिकारी हैं उनमें से कोई भी अधिकारी इस संकट के समय में शराब पिये तो उसको नौकरी से अलग कर दीजिये । अकाल क्षेत्र में पूरी तरह से शराब बन्दी कर दीजिये । मैं जानता हूं अकाल क्षेत्रों में क्या होता है । उधर रीलीफ वर्क करते हैं, यों ही चुकारा होता है, ठेकेदार पहुंच जाता है, गारन्टी को पूरा करने । इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन है कि अकालग्रस्त क्षेत्रों से शराब की दुकानें उठा दीजिये ।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां तालाब बन सकते हैं, वहां तालाब खुदवाये जांय और काम करने वाले भी समझें कि मुफ्त में नहीं खाना है, डट कर काम करें ।

चोथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भोजों पर बडा प्रतिबन्ध लगाइये ताकि कोई भोज नहीं कर सकें । गंगाराम भील ने किया तो उसको तो सजा दे दी और सेठ करे तो बख्शीस, यह नहीं होना चाहिये । हर प्रकार के भोजों पर प्रतिबन्ध लगा देंगे तो अकाल का सामना करने में सहायता मिलेगी ।

पांचवीं बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां जहां बिजली जा सकती है, सेजे के कुए हैं, वहां बिजली लगा दीजिये ताकि अन्न के साथ साथ घास पैदा हो सके । जहां रेशा पैदा हो सकती है वहां यह काम करायें, रेशे वाले पौधे वहां उगाये जायं ।

मैंने कई बार कहा कि घास के बीड नीलाम मत करिये, घास के बीड को आधे बांटे पर कटवाइये, उसमें से वन फोर्थ बेच दीजिये और वन फोर्थ घास की गंजियें लगा दीजिये । अगर आपने इस सुझाव को माना होता तो करोडों की तादाद में आज आपके पास पूले मिलते । आपसे कहा कि कोटडी का बीड 1800 बीघों

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
का है, हर साल उसको दे देते हैं, वह नहीं देते तो आज आप सारे जैसलमेर को घास दे सकते थे ।

बरसे नी बरसात अर, खाद मिलेनी आज।
गाय रूंख दोनों कटे, कूंकर निपजे नाज ॥

जहां जहां ट्यूब वैल्स हैं, जहां कैटल के कैम्प्स लगाइये।और वहां पर घास लगा कर राजस्थान के पशुधन को जीवित रखिये आपने यदि लोगों को इस साल काम दे दिया पर उनकी गाय मर गई तो इस साल तो आप उसको काम दे दोगे पर अगले साल वह क्या करेगा ? इसलिये गायों को बचाया जाय, गायें नहीं बचेंगी तो राजस्थान नहीं बच सकता ।

आज अनाज पैदा नहीं होता क्योंकि भारत में आज गायें कट रही हैं और भूख से मर रही हैं । इसलिये इन गायों को बचाया जाय। गायें अगर बचेंगी तो राजस्थान बचेगा, नहीं तो राजस्थान की मृत्यु निश्चित है ।

पार्टी से ऊपर उठ कर , मुझे पूरी आशा है, मैं जानता हूं मंत्री जी में लगन है, राहत कमेटियां बनाईये और काम करिये। अकाल राहत के कार्यों में अगर कोई भी रिश्वत खाता पाया जाय तो उसको कठोर से कठोर दण्ड दीजिये । लोगों ने बाजरा बोया, वह ऐसा बीज था कि उगा ही नहीं । हमने मक्का बोई वह आज हमारे सिर के बराबर है पर वर्षा नहीं । तो जहां बाजरे का आपके अधिकारियों द्वारा ऐसा बीज दिया गया कि वह उगा ही नहीं तो उन अधिकारियों को इनाम दीजिये कि उन्होंने लोगों को ऐसा बीज दिया कि जो उगा ही नहीं जिससे किसान और बाकी के खर्चे से बच गये ।

आज सब जगह भीषण संकट है। हमें चाहिये कि आज एक दूसरे को बुरा कहने के बजाय हम सब मिल कर सोचें कि हमें इस भारी संकट का सामना करना है, वह सामना किस प्रकार किया जाय । सब मिल कर उन प्रयत्नों में जुट जायं जिससे कि हम इस संकट का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें ।

आकोला, बाडला, सवाइपुर आदि कई गांव ऐसे हैं, जहां बिजली चली जाय तो वे बडी क्षमता रखते हैं अन्न उत्पादन की, और इससे हमें इस अकाल का सामना करने में बडी सहायता मिल सकती है । मांडलगढ में बहुत नदियां हैं, अगर उन नदियों को बांध दिया जाता तो वह इलाका पंजाब की तरह पार्ट अदा कर सकता था । इसलिये पूरी शक्ति इन कामों में लगानी चाहिये । एक दूसरे को खांडने का वक्त अब नहीं है ।

**श्री सभापति** : श्री शिवनाथसिंह । आपके दल के बोलने वाले बहुत हैं, कृपया समय का ध्यान रखें ।

**श्री शिवनाथ सिंह** (गुढा) : आपके आदेशों का पूरा पालन होगा ।

सभापति महोदय, राजस्थान की विधान सभा में बाढ और अकाल दोनों समस्याओं पर एक साथ विचार हो, दो महिने पहले बाढ आई थी, उसकी पीडा से नहीं निकले थे कि अकाल की समस्या हमारे सामने आ गई । बाढ आई अधिक वर्षा से और अकाल हो रहा है सूखे से । बाढ के सम्बन्ध में कल मंत्री महोदय ने पर्चा दिया है और उसमें विवरण दिया है, उसके कुछ मुद्दों की तरफ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बाढ आई तो राजस्थान के मंत्रिमण्डल ने

(श्री शिवनाथसिंह)

बहुत दिलचस्पी से काम किया, इफेक्टेड एरिया में मंत्रिमण्डल गया, मंत्रियों ने रात दिन घूम घूम कर लोगों को आश्वस्त किया कि तुम्हारे लिये काम होगा, उस समय एक धारणा बनी थी कि राज्य सरकार मुसीबत में जनता के सामने आई है और जनता के कष्ट निवारण में प्रयत्नशील है। राहत कार्य भी खोले गए लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो मशीनरी है, जिस उत्साह के साथ काम शुरू किए जाने चाहिए उस उत्साह से काम नहीं हो रहा है। मैं अपने जिले के लिए कह सकता हूं जितने भी बाढ से पीडित आदमी थे उनमें 50 प्रतिशत लोगों को अभी तक राहत नहीं मिली है जब कि बाढ को दो महीने पूरे हो गए, रुपए की आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार की ओर से टिन गए हैं, रुपया गया है, अनाज गया है और कई साधन दिए गए हैं। हो सकता है हमारे जिले में कलेक्टर नहीं हैं, उनकी अनुपस्थिति में दूसरे अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा है। कोई भी कारण हो लेकिन राहत कार्य जितने जल्दी होने चाहिए थे, वह नहीं हो सके। हमारे यहां सार्वजनिक निर्माण मन्त्री आए थे, राजस्व मन्त्री आए थे, उन लोगों को मैंने दिखाया था पंची का बास और केरों की ढाणी बिल्कुल बरबाद हो गए। उन लोगों को भी अभी तक पूरी राहत नहीं मिली है और दूसरी जगह बसाने के लिए जमीन नहीं दी गई। जिनके मकान ढह गए उनको राहत नहीं मिली। वहां की जो मशीनरी है उसको आप टाइट करें। उन लोगों को कुछ इस तरह की हिदायत दी जाये जिससे वे राहत कार्यों में दिलचस्पी लें।

राजस्थान विभिन्न समस्याओं का प्रांत है। कहीं वन हैं, कहीं चिकनी भूमि है, कहीं रेतीली भूमि है, और कहीं पहाडी। भरतपुर में बाढ एक कारण से आती है और झुंझुनूं और सीकर जिलों में दूसरे कारणों से आई है। भरतपुर की बाढ रेगुलर फीचर हो गई है लेकिन जो रेतीली है इलाका जैसे झुन्झुनूं और सीकर, वहां रेग्यूलर फीचर नहीं है। कहते हैं कि 100 वर्ष तक ऐसी बाढ नहीं आई। झुन्झुनूं और सीकर में बाढ आई तो लोग आश्चर्य करने लगे। वहां बाढ इसलिये आई कि अचानक वर्षा हुई और पुराने नदी और नालों ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। इसलिये जिन नदियों और नालों ने कोर्स चेंज किया है उनके बहाव को ठीक करें वरना रास्तों पर ढाल दें और बहाव को डाईवर्ट कर दें। इससे बाढ की समस्या हल हो जायगी। इसलिए बाढ की ओर विशेष ध्यान देना नहीं है।

जहां तक अकाल समस्या का सम्बन्ध है, राजस्थान में और अधिकतर बीकानेर में तो यह रेग्यूलर फीचर बन गया है। इसके लिए राज्य सरकार को अपना दृष्टिकोण चेंज करना पडेगा। जब तक पिछले दृष्टिकोण को अपनाते चलेंगे, हमारी समस्या का हल नहीं होगा। हम नहीं चाहते हैं जैसे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भीख पर जीवित नहीं रहना चाहते, कल्याणकारी राज्य का फर्ज है कि जिस समय लोगों पर दिक्कत आए तो चारे का इंतजाम हो, अनाज का इंतजाम हो, मजदूरी का इंतजाम हो लेकिन इस समस्या का निराकरण तब तक नहीं होगा जब तक अकाल कम्प्लीटली इरैडीकेट करने के लिए साधन नहीं जुटायेंगे। रेगिस्तानी इलाका है जैसे सीकर, झुन्झुनू और बाडमेर लेकिन वहां एक समस्या है। जमीन अच्छी

(श्री शिवनाथसिंह)
है पर नदियों का पानी वहां नहीं है बंधों का पानी नहीं है। वहां पर किसान मेहनत करना चाहता है, उसने बडे बडे संकट झेले हैं, राज्य सरकार उनकी मेहनत का उपयोग करे। जहां नीचे जमीन में पानी है और जमीन उपजाऊ है, वहां ट्यूबवेल्स की स्कीम लागू की जाय। हो सकता है, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है लेकिन केन्द्रीय सरकार से पैसा ले सकते हैं। अकाल की समस्या प्रांतीय नहीं है, राष्ट्रीय नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से राज्य सरकार यदि मांग करेगी तो मदद मिलेगी। अभी हमारे यहां पर सीकर के अन्दर बद्रीनारायण सोगानी संस्था रन कर रहे हैं, अमरीका से आए हैं उन लोगों से बात करने का मौका मिला। वे कहते हैं यदि हमारी संस्था से कोई मांग की जायगी और अकाल निराकरण के लिए जितने ट्यूबवेल्स की आवश्यकता समझते हैं, तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि फारेन एक्सचेंज की वजह से या विदेशी नीति के कारण राज्य सरकार या भारत सरकार नहीं करना चाहे तो दूसरी बात है लेकिन वे लोग मदद करना चाहते हैं।

इस तरह जो इलाका वीरान पडा है, जमीन अच्छी है, पानी अच्छा है, लेकिन उपयोग नहीं किया जा रहा है। अगर किया जाय तो ट्यूबवैल्स की स्कीम सफल हो सकती है और जहां सीकर, नागौर में लिफ्ट इर्रीगेशन की स्कोप है तो सरकार को ध्यान देना चाहिये।

पिछले दिनों बीकानेर की तरफ लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा पानी सप्लाई करने की स्कीम जारी हुई तो झुंझुनूं, सीकर और नागौर के इलाके में भी लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा सिंचाई हो सकती है। राज्य सरकार को नई तरह से एसेसमेन्ट करना पडेगा कम से कम हर जिले के लिए वहां कितनी आबादी है और कितनी भूमि पर सिंचाई हो, ताकि कम से कम उन जिलों की जनसंख्या के लिए पर्याप्त अनाज पैदा हो सके, कम से कम उन जिलों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने होंगे इससे समस्या का हल होगा। वहां के लोगों को बाहर से अनाज नहीं मंगाना पडेगा, चारा नहीं मंगाना पड़ेगा इससे उस जिले के लोगों की समस्याओं का समाधान हो जायगा एक्सपेरीमेन्ट के स्टेज पर कुछ कुएं बनाये गये थे। अब सुना जा रहा है कि भारत सरकार वापस ले रही है, इसमें पूरा सदन सरकार के साथ है, पूरे सदन की मांग है कि उन स्कीम्स को भारत सरकार न ले, राज्य सरकार इसको आगे के लिये रखे उसके बाद राज्य सरकार इसका पूरा उपयोग करे। हम देखते आए हैं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने जो कुएं बनाए थे उसका पूरा उपयोग नहीं उठा रहे हैं। जितने ट्यूबवेल्स बनाए गए हैं उनका उपयोग किया जाय उसके बाद नए कुएं खुदवाए जायं।

जिस तरह से अकाल समस्या का अब निराकरण करने की कोशिश की जा रही है इस तरह 20 साल भी करते रहेंगे तो कोई उपयोग नहीं होगा। मैं कुछ जिलों के लिये कह सकता हूं। मेरे जिले के लिये आप राहत कार्यों पर जितना खर्च करना चाहते हैं, हम जनता को तैयार करेंगे। हमारे यहां रकम कम खर्च करते हो लेकिन हमारे हिस्से में जो रकम आए उसको परमानेन्ट वर्क में लगायें, वह रकम बिजली देने में खर्च करें ताकि स्थाई लाभ हो। इस साल बिजली घर पर पैसा खर्च करेंगे तो रबी की फसल में अनाज पैदा हो सकता है लेकिन जब

(श्री शिवनाथसिंह)

मुसीबत आती है तो सरकार जगती है उस समय खर्च करती है। इस समय कैलेमिटी हमारे सामने आई है उसका मुकाबला करें लेकिन ज्यों ही कैलेमिटी खत्म हो, तो कामों को बन्द न करें जिस तरह से मलेरिया निवारण के कार्य हुए, पूरे देश में आज मलेरिया का नाम नहीं है। इसी तरह से सरकार संकल्प कर ले कि अकाल नहीं पडने देंगे तो पांच दस साल की योजना बना सकते हैं। लेकिन यह कार्य होगा योजना बनाने से ही। आज कर देते हैं कुछ कार्य और हमेशा के लिये नहीं करते हैं तो इससे समस्या का हल नहीं होगा।

राज्य सरकार को नीति बदलनी पडेगी। हमें आश्चर्य है कि अकाल राहत कार्यों के लिये मजदूरी दी जाती है उसको बदल नहीं सकते हैं। कौनसा कोड बना हुआ है जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते ? क्या इस मंहगाई में एक रुपया दो आना, या एक रुपया चौदह आना आप पर्याप्त मानते हैं ? बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि लोग धर्मार्थ के रूप में देते हैं। जो कोड बना हुआ है उसके अनुसार स्त्री पुरुष और बच्चों को आप उतनी मजदूरी नहीं देते हैं जितनी कि उनको दी जानी चाहिये। इसलिये इसको आप बदलाइये। जितनी मजदूरी देंगे उतना काम भी देंगे। मेजरमेन्ट के हिसाब से मजदूरी देने के लिय आप तैयार नहीं हैं। इस फैमीन कोड में चेन्ज करना पडेगा।

मैं अधिक समय न लेते हुए माननीय मंत्री जी को एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों अनाज की पैदावार हुई और अनाज सरप्लस था। विधान सभा में कहा था कि एक्सपोर्ट करना चाहिये। आज इस भयंकर अकाल को देखते हुए सरकार सोचे। अनाज जिस तरह से बाहर जा रहा है उसके कारण शार्टेज हो जायगी। भारत सरकार से बात करने की बात हो तो बात करें। आज कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अकाल के समाचार नहीं आ रहे हों। राज्य सरकार इस स्थिति को फिर से सोचे। और अनाज बाहर जा रहा है उस पर पाबन्दी लगाये। आज चारे की समस्या आ रही है उसी प्रकार अनाज की समस्या भी आवेगी। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री विजयसिंह जी।

**श्री विजयसिंह** (मकराना) : सभापति महोदय, मैं उस गांव से आता हू जहां के लिये मैंने अपनी कविता के प्रथम चरण में कहा है :

"मोर नाचता सुबह शाम, और कौओं की पुकार जहां स्फटिक रूप टीलों में मकराना जैसा गांव कहां।

सभापति महोदय· · · · ·

**कई माननीय सदस्य**: एक बार फिर से यह कहिये दोहा।

**श्री विजयसिंह**: "मोर नाचता सुबह शाम,
और कौओं की पुकार जहां।
स्फटिक रूप टीलों में, मकराना जैसा
गांव कहां।।

सभापति महोदय, उन टीलों में बाढ़ आयी। किशनलालजी शाह ने बड़े अच्छे ढंग से उसका चित्रण किया। बाढ़ आयी तो किस प्रकार आपत्ति बढी और राज्य सरकार ने क्या अपने कर्तव्य का पालन किया उसके बारे में कुछ शब्द आपके सामने कहना चाहूंगा।

(श्री विजयसिंह)

जिस समय बाढ़ का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, 11 तारीख की रात्रि को जब वर्षा काफी हो चुकी थी, तीन तीन रेलें मकराना के आस पास खडी थीं। एक बेंसरोली, दूसरी मकराना और तीसरी जावदीनगर। जाबदीनगर का रेल्वे स्टेशन इस प्रकार बना हुआ है जहां पर हमारे इन्जीनियरों का इस प्रकार का एक ऐसा बेढंगा उदाहरण पेश होता है, मामूली बरसात में भी रेल्वे स्टेशन से क्वार्टर तक जाने के लिये छोटी मोटी बोट चाहिये। यह सांभर झील में बना हुआ है। उसमें ज्यादा पानी आता है तो क्या हाल होता है। वहां पर रेल खडी हुई। चौबीस घंटे तक यात्री तडफते रहे खाने के लिये, पीने के पानी के लिये और बच्चे तिलमिला रहे थे दूध के लिये। और हमारे मन्त्री रेडियो से यह प्रचार करा रहे थे कि जाबदीनगर रेल्वे स्टेशन पर दो हजार की खाद्य सामग्री भेज दी गयी है। दो हजार की जगह दो रुपये की खाद्य सामग्री भी नहीं पहुंची, यह बडे खेद का विषय है।

जिस समय मन्त्री मण्डल के सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे, मन्त्रियों के बच्चे मखमली गद्दों पर पलंगों पर आराम से सो रहे थे और वे लोग किसी लोक में विचरण कर रहे थे, उस समय बाढ का दृष्य बडा करुणाजनक था और जो उस समय उसमें समा रहे थे उनके दिल पर क्या गुजर रही थी यह तो वह ही जान रहे थे। यह तो ये मखमली गद्दों पर सोने वाले क्या जानें। सरकार जिनके हाथ में है, उनकी यह गवर्नमेन्ट की सारी मशीनरी ××× प्रचार कर रही थी। जिस प्रकार पाकिस्तान रेडियो प्रचार करता है उसी प्रकार से यह कांग्रेसी सरकार ××× प्रचार रेडियो आदि से कर रही थी।

**श्री सभापति:** ××× शब्द एक्सपन्ज्ड।

**श्री विजयसिंह** (मकराना): मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मोहनलालजी सुखाडिया जो आज कांग्रेस राज्य के मुगले आजम हैं उनकी जूं तक नहीं रेंगी। मैंने उनको खुद को निवेदन किया था पत्र लिख कर कि वे स्वयं बाढग्रस्त क्षेत्र का दौरा करें। लेकिन दौरे के समय केवल चमचागीर और चट्टे बट्टों को लेकर गये साथ। किन्तु उन्होंने विपक्ष के विधायक श्री किशनलालजी शाह और मेरे से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा जब कि हमने उनको कहा कि हमारे यहां भी इसके लिये प्रबन्ध कीजिये। मगर उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। और कुछ नहीं किया। माननीय मोहनलालजी सुखाडिया किस रोज हेलीकाप्टर में उडे? उनके साथ चोरों के बादशाह गुंडों के सरदार, उस्तादों के उस्ताद मथुरादास जी माथुर पधारे और मकराना में गये और उनका एक चमचागीर गुलाम मुस्तफा, जो गुलाम है, हमेशा उनकी गुलामी करता है...

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत :** यह संसदीय शब्द नहीं है। उचित नहीं है।

(व्यवधान-शोरगुल)

**श्री प्रेमसिंह सिंघवी:** (श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत और श्री विजय सिंह मकराना के एक साथ बोलते रहने पर) आप दोनों एक साथ क्यों बोलते हैं?

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

**श्री विजयसिंह:** वहां पर जाकर इस प्रकार का ऐलान किया कि चद्दरें उन्हीं को मिलेंगी, पैसा उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया ।

**श्री अमीनुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) :** यह बिलकुल गलत है ।

**श्री विजयसिंह:** एक रोज जूतों का वितरण होने वाला है । वहां पर जूते भी उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिये ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मकराना के अन्दर एक व्यक्ति का मकान है । उस मकान में मामूली सी दरार पडी उसके छः लडके हैं । छः लडकों के नाम से छः चद्दर की पेटियां ले लीं क्योंकि वह मथुरादासजी की चमचागिरी करने वाला है जब कि वहां पर सांसी, बलाई, ब.णजारे आदि, लोगों के मकान के मकान ढह गये लेकिन उनको एक भी चद्दर की पेटी और एक भी रुपया नहीं मिला । इस बात की जानकारी लेना चाहें तो मेरे साथ चल कर देखें । किन्तु जानकारी लेने की हिम्मत नहीं है । आपमें मथुरादासजी का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है । मैं जानता था कि परसरामजी मदेरना मथुरादास जी को इस बात में खुलकर दमंग रूप से कह सकते हैं कि न्याय होना चाहिये उनके साथ जो बे घरबार हुए हैं, डूबे हैं, उन्हें रुपये, चद्दरों का सही वितरण होना चाहिये ।

जिनकी फक्टरियां चल रहीं हैं उनको चद्दर की पेटी मिली । चद्दर को अपनी कम्पनी में चुना था । चद्दर की पेटी केवल अपने गाय, बैल के ठाण पर लगानी थी उनको चद्दर की पेटी मिली । जो खुले आसमान में रहते हैं, बरसात में भीगते हैं कडी धूप को सहन करते हैं, कडकडाती सर्दी में काम करते हैं, उनको चद्दर की पेटी मिलने का नामोनिशान नहीं है । मैं अधिक निवेदन नहीं कर रहा हूं, सभापति महोदय, आप बार बार घडी देख रहे हैं । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हू आपके माध्यम से कि जितना जितना भी वितरण हुआ है, उसकी खुली जांच की जाय और जांच में पता लगाया जाय कि वास्तविकता क्या है ? जो गरीब लोग आज भी इस मदद के लिये तडप रहे हैं, कांग्रेस सरकार उनको मदद करे वरना उनको खुदा ही मदद करने वाला है ।

**श्री सभापति:** श्री सांवरमल बासोतिया !

**श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ):** राजस्थान के कई हिस्सों में भयंकर बाढ आयी । अतिवृष्टि से बडा नुकशान हुआ खासतौर से सवाई माधोपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिलों में अतिवृष्टि बाढ के कारण भीषण तांडव नृत्य हुआ । लेकिन मैं समझता हूं इन चारों जिले के अलावा, जैसी बरसात झुंझुनू जिले के नवलगढ कस्बे के आसपास हुई, वैसी कहीं नहीं हुई । सभापति महोदय, नवलगढ में 14 घण्टे में 14 इंच वर्षा हुई जब कि वहां सालाना बरसात की औसत 15 से 18 इंच होती है । लेकिन इस बरसात ने उस एरिया में इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि वहां का पानी ही एक बाढ के रूप में हो गया । नवलगढ के दक्षिणी हिस्से में पहाडियां हैं । वहां से छोटे छोटे नदी, नालियों ने मिल कर एक भयंकर नदी का रूप धारण

(श्री सांवरमल बामोतिया)

कर लिया। नवलगढ के पूर्वी-उत्तरी क्षेत्र में किसानों की ढाणिया को बरबाद कर दिया। वहां के जानवरों, किसानों का घास घुरडा, उनके पास का सामान तबाह हो गया। न खाने को अन्न बचा, न कपडा बचा। नंदी के एक हिस्से ने नवलगढ कस्बे के वार्ड नं. ... में पदार्पण किया जहां भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। मैं समझता हूं वैसा भयंकर दृश्य आज तक देखने को नहीं मिलेगा। यह नवलगढ का दृश्य है। वहीं के लोग ही इसको जानते हैं ऐसी बात नहीं है बल्कि राजस्थान मंत्री मण्डल के वरिष्ठ सदस्यों ने समय समय पर वहां जाकर इसे देखा है आज भी वैसा ही दृश्य यहां विद्यमान है। हमने 15 जुलाई का प्रातः हमारे मुख्य मंत्री जी को टेलिफोन पर स्थिति की सूचना दी।

(6-45 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विशनोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उन्होंने पूछा सीकर, झूंझुनू जिले में इस तरह का दृष्य हो सकता है मुझे आशा नहीं। उनसे निवेदन करने पर वे वहां पधारे। वहां का दृष्य देखा तो कबूल किया वास्तव में जो कुछ हमने कहा था, वह सच था। उन्होंने तुरन्त हर तरह का इन्तजाम किया। गरीबों को अन्न देने का, कैश पेमेन्ट करने का इन्तजाम किया जो नीचे स्तर पर बसे हुए थे उन लोगों को ऊंचे के स्तर पर जगह देने का डिक्लेरेशन भी किया। काफी तादाद में टीन शीट्स भी भिजवा दी। राज्य सरकार ने प्रबन्ध तो किया किन्तु मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि राज्य सरकार सोई हुई रहती है। जब आग लग जाती है, तब उसको बुझाने का प्रयत्न करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगस्त 64 में भी इसी प्रकार का तूफान, अतिवृष्टि का दृश्य आया था उस समय भी वहां इतना ही नुकसान हुआ था। राजस्थान सरकार के मन्त्रियों ने उसे देखा था। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने भी इसको देखा था। उस समय आश्वासन दिया था कि जहां से नदी आ रही है, उसका पूरा प्रबन्ध किया जायेगा ताकि आगे जाकर इस तरह का नुकसान न हो। लेकिन इसको चार साल हो गये। वह आश्वासन वहीं का वहीं रह गया और उन्हीं नदी, नालियों ने भयंकर रूप धारण किया और दो हजार, बाईस सौ मकान नष्ट हो गए। यदि राज्य सरकार उस टाइम इस पर गौर करके वहां बांध बनाने का, नदी के पानी को डाइवर्ट करने का एक्शन लेती तो जो नुकसान हुआ, वह नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस ओर अब तुरन्त ध्यान दे। अभी गत वर्षों के समय मुख्य मंत्रीजी वहां गये हुए थे। माननीय मदेरणा जी भी वहां थे। अन्य सदस्य भी बैठे थे। सुखाडिया जी ने चीफ सेक्रेटरी श्री मेनन को हम लोगों के सामने बैठक में यह हुक्म दिया था कि जहां से भी नदी का उद्गम हो, उसको देखा जाय। उन नदियों के आवागमन के स्थान को देखकर पानी को रोकने का, बांध बनाने का, नदी के पानी को डाइवर्ट करने का, जो भी तरीका हो, उस पर पूर्ण ध्यान दिया जाय। लेकिन दुख के साथ कहना पडता है कि इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट का कोई इन्जीनियर वहां नहीं पहुंचा है। पी. डब्ल्यू. डी. का एक इन्जीनियर वहां जरूर पहुंचा है। लेकिन यह उनके बस की बात नहीं है। इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट ध्यान नहीं

(श्री सांवरमल बासोतिया)
देगा कार्यक्रम के अनुसार, काम नहीं करेगा तब तक इसका प्रबन्ध नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय जो टीन शीट्स वहां भेजी हैं, उनके वितरण के बारे में कुछ कहूंगा। जो नियम वितरण के राज्य सरकार ने बनाये हैं, वे काफी कड़े हैं और वह गरीबों की सहायता के लिये जिस मकसद से भेजी गई है, उन्हें इसका वितरण करने में कठिनाई आ रही है। तीन तीन टीन्स दी जा रही हैं, जो उनके लिये बेकार हैं। उनकी पूरी सहायता की जाय 5, 7 या दस टीन के करीब उनको दी जायं। मुफ्त न दे सकें तो वहां के किसान, गरीब जनता कन्ट्रोल रेट देने के लिये तैयार है। लेकिन इसमें भी एक चक्कर है। जो टीनें भेजी गई हैं, वह मिलिट्री के स्टाक में से भेजी गई हैं। जिन्होंने अपनी कीमत ब्याज, बट्टे व अन्य खर्चों के साथ लगाकर भेजी है। जो काफी कीमती हैं। राज्य सरकार के लिये यह बात बडी नहीं है, कि वह अपना खर्चा काटकर, एकचुअल रेट्स पर, कन्ट्रोल रेट्स पर ये टीन्स किसान को दी जायें तो उसे काफी राहत मिलेगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि खेतडी के राजा साहब का एक बांध था। गत वर्ष वह बांध अच्छी हालत में था लेकिन इस वर्षा में वह बह गया है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर सर्वे कराके उसे उसी रूप में बन्धवा दिया जाय तो आस पास की सुरक्षा हो सकेगी। एक गांव बिल्कुल नदी के किनारे पर बसा हुआ है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, थोडा सा ध्यान मैं भी इस ओर दिलाऊंगा, हमारे क्षेत्र में इन नदियों के कारण जितनी भी खेती की जमीन थी उसमें साठ सत्तर प्रतिशत बेकार हो गई है, उनमें इतनी मिट्टी जम गई कि काश्त की जमीन बेकार होगई। कुए बुर गये। इसलिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि या तो उन किसानों को दूसरी जमीन बतायी जाय ताकि अनाज पैदा कर सकें या उनको ऋण देकर जमीन साफ करने के लिये मदद की जाय ताकि वहां सिंचाई का काम हो सके।

अकाल के विषय में, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर इन जिलों में इतना भयंकर अकाल है कि सरकार यदि वहां उनके लिये पीने के पानी की, सस्ते अनाज की व्यवस्था नहीं करेगी तो वहां लोगों का जीवन दूभर हो जायगा। इसके अलावा जो वहां के पशु हैं उनके लिये भी व्यवस्था मुश्किल हो रही है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि पशुओं के लिये चारे का प्रबन्ध किया जाय ताकि वहां का अमूल्य पशुधन बचाया जा सके। इतना ही निवेदन कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: चूंकि बोलने वाले माननीय सदस्यों की सूची बहुत लम्बी है अत: अब समय की सीमा दस मिनिट से अधिक नहीं रहेगी। श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबडा): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं भी अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि इस सरकार के समय में राजस्थान अकाल से पीडित रहा है जहां यह सरकार का दुर्भाग्य है वहां जनता भी इनके पापों से नहीं बच पायी है।

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

जैसलमेर के बारे में श्री बालसिंहजी ने जिक्र किया मुझे भी कुछ दिनों पहले मालूम हुआ था 31 तारीख को जैसलमेर के पास हमीरा गांव में एक आदमी जिसके पास गायें थीं वह अपनी गायों को लेकर जहां थोडा पानी भरा हुआ समझ वहां पिलाने ले गया, वहां वह पानी न देखकर अपने गले में फांसी का फन्दा लगाकर मर गया। इससे ज्यादा सरकार के लिये शर्म की बात क्या हो सकती है। आपको हम लोग एक्टिव मिनिस्टर मानते हैं फिर भी इस तरह से मवेशियों को पानी न मिले यह कलंक माननीय मन्त्री जी पर है जो कभी मिटने वाला नहीं है।

कोटा बूंदी, झालावाड में इस साल भी पांच सात दिन तक बरसात नहीं हुई, अकाल की भयंकर साया वहां भी पड जायगी। अकाल पडने से वहां के काश्तकारों को कष्ट होगा मगर साथ साथ मारवाड, जैसलमेर, बीकानेर के किसानों को आज स्थिति का सामाना करना पड रहा है उससे कहीं अधिक स्थिति इस इलाके में पैदा हो सकती हैं। वे लोग यह सोचकर हमारे इलाके में आ रहे हैं कि उनके पशुओं को चराने के लिये घास मिलेगी लेकिन आपको पता होना चाहिये अलोटमेन्ट के जो नियम चालू हैं उनके कारण चरागाहों की जमीन खत्म हो गई है वहां के मवेशियों के लिये भी वह पूरी नहीं पडती।

कोटा डिस्ट्रिक्ट में जहां पहले सात आठ लाख मवेशी थे आज वहां एक दो लाख मवेशी ही मुश्किल से होंगे। इस तरह की स्थिति होने पर भी आज मवेशी वहां भेजी जाय, हमें ऐतराज नहीं। आज हमारी नदियां बह रही हैं, पुराने बन्ध हैं स्टेट के टाइम के उनमें फाटक लगाकर पानी रोक दिया जाय तो पानी मवेशियों के लिये बच सकता है वरना अभी से सावधानी नहीं रखी गई तो पानी नहीं रहेगा।

एक बात और निवेदन करूं, बिजली हमारे इलाके में पहुंच गई है। कुओं की वहां बहुतायत है अब बरसा होने की कोई संभावना नहीं, बिजली की लाइन मौजूद है। अगर उस इलाके के कुओं के लिये बिजली की व्यवस्था कर दी जाय तो निश्चित रूप से कह सकता हूं मेरा सब-डिविजन राज्य की फूड प्रोब्लम में काफी सहयोग दे सकता है।

**श्री परसराम मदेरणा:** आपने जैसलमेर के किस गांव का नाम बताया जहां आदमी फांसी लगाकर मर गया ?

**श्री देवीदत्त गाडिया:** हमीरा गांव के अन्दर एक आदमी अपनी गायों को . . .

**श्री उपाध्यक्ष:** बस हो गया नाम ही पूछा है नाम बता दिया।

**श्री प्रेमसिंह सिंघवी :** बिजली की व्यवस्था अगर आप कर देंगे तो हम लोग राज्य को अनाज की समस्या को हल करने में काफी मदद कर सकते हैं। इस क्षेत्र में कई तालाब हैं, स्टेट के समय में इनसे सिंचाई होती थी। अब चूंकि पूरे मारवाड में अकाल पड गया है बहुत से लोग हमारे तक मजदूरी के लिये आ रहे हैं। मवेशी भी वे साथ में रखते हैं, अगर उनके लिये चारे का साधन हो जाय, वहां पर राहत का काम चालू कर दें तो उनको आजीविका का साधन मिल जायगा और वे अपने पशुओं को भी चरा सकेंगे। और उनके लिये परमानेन्ट सिंचाई साधन भी उपलब्ध हो जायेंगे।

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

दूसरी तरफ शाहबाद पंचायत समिति में जुलाई के महीने में केवल तीन दिन में 11 इन्च वर्षा हो गई। पहले 24 घंटों में 13 इन्च वर्षा हो गई और इस तरह तीन दिन लगातार वर्षा होने से करीब तीस चालीस हजार मवेशी मर चुकी हैं। इससे करीब चार पांच करोड रुपये का नुकसान हो गया। कई तालाब तथा बन्धे टूट गये, इस तरह से चार-पांच करोड का नुकसान हुआ।

सहरिया जो आदिवासी वहां रहते थे उनके मकान ढह गये। अफसोस तो इस बात का है कि सरकार की तरफ से वहां पर ठीक ढंग से सहायता का प्रबन्ध नहीं किया गया। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अकाल राहत के लिये हमारे यहां लम्बे चौडे फील्ड हैं उन की तरक्की करेंगे तो उधर से आने वाले लोगों का भरण पोषण हो जायेगा और उनके लिये परमनेन्ट साधन हो जायेंगे।

एक छबडा मल्टीपर्पज हाइडल स्कीम की सर्वे हुई है अगर वह स्कीम वहां पर लागू हो जाती है तो काफी लाभ हो सकता है दूसरा यह चम्बल बैराज बन जायगा और एक लाख से ऊपर एकड जमीन में सिंचाई हो सकेगी और जगह जगह बिजली उत्पन्न हो सकती है और इस काम में दस पन्द्रह हजार मजदूर भी खप जायेंगे और लोगों को राहत मिल जायेगी।

(7 म. प.)

**श्री रणजीतसिंह (ओसीयां)** : आनरेबल उपाध्यक्ष महोदय, जो अकाल की स्थिति जिस रूप में राजस्थान में आई है उसके लिये हमें सामना करने की तैयारी करनी है। एक तरफ तो वर्षा न होने से अकाल हो रहा है और दूसरी तरफ अधिक वर्षा हो जाने से अकाल पड गया है। वर्षा नहीं होने से पडने वाला अकाल अधिक विषम है। एक दो साल से लेकर लगातार कहीं नहीं इलाकों में छः सात साल से अकाल चला आ रहा है। वहां के नागरिक इस कारण इतने भयभीत हो गये हैं आज कि जीवन निर्वाह करना उनके लिये मुश्किल हो गया है।

पश्चिमी राजस्थान के लोग बाडमेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर के आदमी पशुधन ज्यादा रखते हैं। वर्षा कम हो तो भी यहां के लोग इनके सहारे अपना निर्वाह मजे से कर लेते हैं। मैं एक दो तारीख को फलोदी की तरफ गया था। लोग मवेशी लेकर जैसलमेर से फलोदी आये घास की उम्मीद में। घास की हालत वहां भी खराब थी। मैंने पूछा अब क्या होगा? तो कहा कि पानी तो है। कुछ दिन तो जिन्दा रहेंगे। मैंने सोचा पानी पर मवेशी कब तक जिन्दा रहेगा। या तो परमात्मा की महरबानी हो, या राज की व्यवस्था हो। हालांकि मुझे उम्मीद है कि राज कसर नहीं रखेगा। जैसी व्यवस्था गये सालों में की है वही रफ्तार इस बार रखेगी। नहीं तो उनको बचाना मुश्किल हो जावेगा क्योंकि इन इलाकों में एक दो गायें नहीं होतीं, पांच पांच सौ का एक एक टोला होता है एक एक आदमी के पास।

(गणाभाव सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष** : (अल्प विराम के अनन्तर पूर्ति होने पर) आरम्भ करिये।

श्री रणजीतसिंह : आदमियों के लिये अनाज पानी की व्यवस्था तो राज कर सकेगा पर लाखों मवेशियों के लिये घास की व्यवस्था करना राज्य के वश का भी रोग नहीं है। वैसे ये लोग घास रिजर्व में रखते हैं। सैकड़ों वर्षों का घास पड़ा रहता है। पर लगातार पांच छः सालों से वहां दुष्काल है तो इस कारण घास का स्टाक भी इस बार कतई नहीं रहा है। सरकार घास की व्यवस्था करना भी चाहे तो कर नहीं सकती इन हजारों लाखों मवेशियों के लिये जैसलमेर में ½ लाख व्यक्ति हैं तो मवेशी 20 लाख हैं। फिर बाड़मेर का इलाका है, जालोर का है, बीकानेर का है। तो ऐसी सूरत में एक ही रास्ता है कि अगर इनको बचाना है तो उनको माइग्रेट कराना होगा। और जैसा पहले हमारे विरोधी साथी जिस तरह हमारे चुनावों में अभियान चला रहे थे उस वक्त गाय मरी हुई नहीं थी, कागजों में ही कोरा दिखा रहे थे कि कांग्रेस वाले गायें कटा रहे हैं यह उनका कोरा प्रचार था। पर आज वे गायें वास्तव में ही मर रही हैं। यह अकाल उनको सब को समाप्त कर देगा। इसलिये उनको बचाने के लिये पूरा प्रयत्न करें। ऐसे तो बचना मुश्किल है।

श्री मदनसिंह: सरकार तो सोच रही है कि अपने आप ही यह फन्दा कट रहा है।

श्री रणजीतसिंह: आप वहां घास का प्रबन्ध भी कुछ सीमा तक कर सकते हैं। पर वहां उनकी पर्चेजिंग पावर नहीं है कि इतना घास खरीद कर अपने जानवरों को वे खिला सकें। अब तक तो वक्त जिस किसी तरह से निकाला, घर के जेवर बेचे होंगे, कुछ भी किया होगा, पर आज अब उनके पास कुछ नहीं है। खुद के खाने पीने के लाले पड़े हैं। आज उन जानवरों की यह हालत तक नहीं है कि वे मालवा की तरफ माइग्रेट करके जा सकें। सात आठ साल लगातार अकाल पड़ते हो गये।

इसके लिये आप रेल गाड़ियों का मुफ्त में प्रबन्ध करें। नहीं तो उनको माइग्रेट करना मुश्किल है। गायें दुबली इतनी हो गई हैं। इसके लिये आप खाली गाड़ियों का वहां भेजने का प्रबन्ध करिये। और तुरन्त करिये।

श्री मदनसिंह: खाली गाड़ियां क्यों भेजते हैं, जाते वक्त घास लेती जावे तो अच्छा है कुछ सहारा लगेगा।

श्री रणजीतसिंह : यह सुझाव अच्छा है। जाते समय घास लेती जावें और आते वक्त मवेशी लेती आवें। यह भी पांच सात दिनों में ही जल्दी करावें तो वे बच सकती हैं। पर अगर जैसी आपकी राज की मशीनरी है उसने इसके लिये समय मांग लिया तो मवेशी का बचना सम्भव नहीं है। आज भी इतने मर रहे हैं कि थोड़े दिनों के बाद तो उन मरे हुओं को उठाना मुश्किल हो जावेगा। मीलों तक का इलाका बदबू दे रहा है जैसे बाढ़ के कारण नावां और कुचामन का देता है इससे भी बदतर हालत वहां की हो जावेगी।

जालोर के अन्दर भी अकाल भयंकर पड़ा है। सांचोर में फिर भी एक दो साल के लायक रिजर्व फोडर है। जावेंगे भी बाहर तो वे गुजरात में जावेंगे वह नजदीक पड़ता है। परन्तु जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर के मवेशियों को बचाना है तो रेल का इन्तजाम तुरन्त करिये।

श्री मदनसिंह : किधर भेजा जावे ?

श्री रणजीतसिंह: जिधर फौडर हो। कोटा में ही जोहड हैं राज के।

श्री रामसिंह कुडी: वे तो बृजसुन्दर जी ने बोलिये।

श्री रणजीतसिंह : अन्न भी आप वहां भेजें। आज बाजरा वहां ९८, 100) क्विन्टल है। इसलिये सस्ता धान मिलो है, ज्वार है कैसा भी हो आप जल्दी से जल्दी वहां पहुंचावें। फेमिन डिक्लेअर आप करेंगे तो जो अनाज आज मिलता भी है वह भी चोर बाजार में चला जावेगा। तो हालत और भी दयनीय हो जावेगी ।

दूसरा सवाल रहा पानी का। वहां पांच सौ फीट के गहरे कुए हैं । पहले वहां सामूहिक व्यवस्था थी। पर वह अब सम्भव नहीं है क्योंकि मवेशी बैल आज इतने सशक्त नहीं रह गये हैं। पहले साल सरकार ने सब्सिडी दी थी। पर इस साल तो राज्य सरकार के माध्यम से ही पानी निकाल कर दिया जाना चाहिये। पानी भले ही कम दिया जावे। विधान सभा के सदस्य गवर्नमेन्ट होस्टल और बंगलों में रहते हैं और जितना पानी उनके फ्लश के लिये दिया जाता है उतना भी पर हैड अगर पीने को दे दें तो जहां भी आपने ट्यूब वैल खोदे हैं चाहे वे डिफेन्स के हों चाहे रेल्वे के हों बन्द पडे हैं उनको खोला जावे तत्काल ताकि बाहर से आने वाले मवेशियों को भी पानी दिया जा सके। ट्यूब वैल को जहां गुंजाइश हो वहां और लगाये जावें और युद्ध स्तर पर लगाये जावें ।

एक सवाल और रहा मजदूरों का। धान खरीदने की उनके पास पावर नहीं रह गई है। फेमिन में सडकों तालाबों के राहत काम खोलें। इसमें भी जो सरकारी मशीनरी का रवैया है वह अच्छा नहीं है। आप मजदूरी किस हिसाब से देते हैं। एक रुपया दो आना दिन भर धूप में काम करने पर आप एक मजदूर को देते हैं। और उससे वह एक किलो अनाज लेकर घर जावेगा और वह सारा एक दिन में उसकी खुराक में चला जावेगा तो पीछे बच्चों के लिये क्या बचा पावेगा ? और जब बच्चों का सवाल आयेगा तो छोटे बच्चों को फेमिन के ऊपर नहीं रखा जायेगा तो वह क्या खायेंगे . . .

श्री मदनसिंह: वह नवाब साहब के पान खायेंगे।

श्री रणजीतसिंह: तो जो फेमिन कोड है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाये और मजदूरों की मजदूरी बढाई जाये और बच्चों के साथ रियायत बरती जाये क्योंकि हालत खराब है। सडकों का निर्माण होगा, सडकें चलेंगी तो जो फेमिन कोड है उसमें यह रखा गया है कि सडकें गांव वालों की मर्जी से चल। किसी आदमी के खेत में सडक आती है और वह मना कर देगा तो वह सडक वहीं बन्द कर दी जायेगी। यह नियम है । गरीब कभी मना नहीं करता है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि उसमें भी सरकार कुछ संशोधन करे कि सडकों के लिए वह जमीन एक्वायर कर सके। दूसरा सवाल यह है कि जहां जहां फेमिन है जैसा माननीय सदस्य श्री मनोहरसिंह जी कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं सके पर मेरा आग्रह है कि वहां कोई शराब की दुकान

(श्री रणजीतसिंह)

नहीं हो। जहां कहीं जंगल हैं। जहां सरकारी जोड है उनको पूरा संरक्षण मिलना चाहिए इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भयंकर स्थिति है इसका मुकाबला करना है तो पूरी विधान सभा को और सब मंत्रि मण्डल को युद्धस्तर पर करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान से युद्ध के 31 दिनों में देश के विकास को धक्का लगा है वह पश्चिमी इलाके में अगर मवेशी मर गए तो हम सौ साल तक जिन्दा नहीं रह सकेंगे। यह हालत हमारी होने वाली है। अगर एक बरसात हुई तो जहां कहीं फसल नजर आ रही है वह भी खराब होगी लेकिन हमें सारे मवेशियों को बचाना आवश्यक है। इसलिए सरकार अविलम्ब इसका इन्तजाम करे।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री चुन्नीलाल इन्दालिया।

**श्री चुन्नीलाल इन्दालिया** (नोखा-सु.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान खास तौर से राजस्थान के पश्चिमी इलाके बीकानेर, बाडमेर, जैसलमेर की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कल बहस शुरु होने से पूर्व भी सारा खाका इस स्थिति पर खींचा और इनके भाषण से मैं खुद यहां तक स्थिति का अवलोकन कर सका हूं कि मंत्री महोदय इस मामले में बहुत ज्यादा जागरूक हैं। जहां तक काम होने का सवाल है वह सवाल कुछ दूसरे ही रूप का है। इस साल चलाये गये राहत कार्य खास तौर से बीकानेर जिले के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि बीकानेर में मैं नहीं कहना चाहता वहां पर भी मामूली सा फेमिन का काम चलाया गया। बेचारे मजदूरों को तीन तीन महीने तक मजदूरी का पेमेन्ट समय पर नहीं किया गया और वह भी मजदूरी पूरी नही देकर, आधी नहीं देकर, आधी में से भी आधी का भुगतान किया गया। यह ठीक नहीं है। गाढे पसीने और मेहनत की कमाई आज का मजदूर चाहता है। इसके बावजूद भी पी.डब्लू.डी. के अधिकारियों से हम लोग बराबर मिलते रहे हैं और मैंने चिट्ठियां भी लिखी हैं। राजस्थान सरकार को लिखी हैं और भारत सरकार को भी लिखी हैं और माननीय अकाल सहायता मंत्री और उप मंत्री दोनों ही महानुभाव मंत्रियों को इस सम्बन्ध में मैंने जानकारी दी। मुझे दुख: इस बात का है कि जब पी.डब्लू. डी के डिप्टी मिनिस्टर बीकानेर पिछले महीने में पधारे तो मैंने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया और हमारे जिले के उनसे 10–15 सरपंच मिले और उन्होंने उनसे खास तौर से इस बात का एतराज किया कि आपका जो पी.डब्लू.डी. विभाग है यह हमारे फेमिन के काम में बहुत ज्यादा बाधा डालता है क्योंकि जिस राहत कार्य पर मजदूरों की संख्या एक हजार है वहां पी.डब्लू. डी. के अधिकारियों ने मजदूरों की संख्या 1500 तक दिखा रखी है और फर्जी दिखा रखी है। अगर सरकार एक्शन ले तो बीकानेर का कोई भी फेमिन वर्क का मस्टर रोल उठाकर देख लें उसके अन्दर 500 आदमियों की गलत हाजरी इस समय आपको मौजूद मिलेगी।

दूसरा सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, इस भयंकर अकाल का है। अकाल कोई आज की चीज नहीं है। बहुत ही पुराने बाबा आदम के वक्त से और दुनियां जब से रची है तब से अकाल की भयंकर स्थिति चालू है। आजादी के बीस वर्ष बाद अकाल को खत्म करने का

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

पहला ही काम था तथा भारत सरकार और राजस्थान सरकार को सबसे पहले इस काल को खत्म करना था और हमारे दूसरे विकास के कामों को बाद में करना था। अगर राजस्थान और हिन्दुस्तान से इस काल को खत्म नहीं किया गया तो मनुष्य को यह काल खत्म कर देगा। अगर इसी तरह से 20 साल हमने आजादी के समय के गुजारे हैं और इस अकाल को हम समाप्त नहीं कर पाये तो यह मनुष्यों को खा जायेगा। काल नाम, उपाध्यक्ष महोदय, मौत का है। मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार इस भयंकर अकाल को 20 साल की आजादी के समय में भी खत्म नहीं कर सकी तो आज राजस्थान की जनता का विश्वास इस राजस्थान की सरकार से उठ चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि लम्बे अर्से से हमारा पहला ही काम था कि राजस्थान और हिन्दुस्तान से किसी भी तरह से इस काल को खत्म किया जाना चाहिए···

**श्री उपाध्यक्ष:** इस अकाल तक तो ट्राई कर लीजिए।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भयंकर काल है और मैं इसी अकाल के लिए कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान से हमेशा के लिए इसको खत्म किया जाना चाहिए। यह आज मरा हुआ काल है जिन्दा नहीं है लेकिन फिर भी मरा हुआ काल राजस्थान की जनता को खा रहा है 20 साल की आजादी में मुझे वह दिन याद है जब हिन्दुस्तान पर पाकिस्तान ने हमला किया और देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उसके बाद में प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने हिन्दुस्तान के लोगों के सामने एक अपील की कि देश संकट में है और इस संकट से उभरने के लिए देश को सोना चाहिए। देश की आजादी खतरे में है और देश की आजादी को बचाने के लिए आज धन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि राजस्थान का एक जिला जो कि गंगानगर जिला है उस जिले के किसानों ने भारत के प्रधान मंत्री की अपील को स्वीकार किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन्दिरा जी को सोने से तोल दिया। वह पुन्याई राजस्थान की आम जनता की नहीं, दूसरे जिलों की नहीं वह पुन्याई उस शक्स की है कि जो महाराजा गंगासिंह जी हुए थे जो कि छोटा सी गंग कैनाल को लाये थे और उसके पानी से लोगो ने सोना पैदा किया। देश की आजादी जिस समय खतरे में आई तो देश के दो महापुरुषों को दो दफा सोने से तोल दिया। इसी तरह से राजस्थान की सरकार राजस्थान कैनाल को बीकानेर, बाडमेर और जैसलमेर तक अगर पहुंचा दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में अकाल का खतरा नहीं है। राजस्थान में संकट है तो इस निकम्मी सरकार से है। अगर राजस्थान कैनाल को पूरा कर दिया जाये तो सारे हिन्दुस्तान को और सारी दुनिया को अकेला राजस्थान सोने से तोल सकता है। जो हमारी योजना राजस्थान कनाल की थी उसको 20 साल में हमारी सरकार पूरी नहीं कर सकी इसलिए आज अकाल हमें खाने के लिए मुंह बाये तैयार खडा है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बहुत ही होनहार मिनिस्टर कहना चाहिए जो कि अकाल मंत्री जो हैं श्री परसराम जी

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

जो कि गरीब घर में पैदा हुए हैं और मैं तो उस दिन को याद करता हूं जब मेरे दादा कहते थे कि परसराम जी के कोई दादा थे उन्होंने छिनवे के काल में लोगों को सहायता देकर जिन्दा रखा था लेकिन आज मुझे इस बात का खेद है कि राजस्थान के उसी परिवार में पैदा हुए नौजवान के मंत्री काल में आज राजस्थान की गायें और इन्सान अकाल के कारण मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं मुझे खेद है कि उस परिवार में पैदा हुए नौजवान आदमी के सामने आज राजस्थान की गायें और राजस्थान के आदमी और पशु भूख से मरते हैं, वह आज दुःख से पीड़ित हैं और दुःखी हैं। मुझे खेद है कि उस गरीब परिवार में एक नौजवान पैदा होकर राजस्थान के मंत्रिमण्डल में बैठा है लेकिन अकाल के सम्बन्ध में ढिलाई की नीति चल रही है। इसका मुझे खेद है और मैं मदेरणा से आशा करता हूं कि आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं उस परिवार ने और आपके दादा ने उस अकाल में लोगों की मदद की थी। आज आपके हाथ में शक्ति है तो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है, तो आप तो इस सरकार के भीतर बैठे हुए हैं और तमाम अधिकार आपके हाथ में हैं, इसलिए आपको अपने परिवार के इतिहास का ध्यान रखना चाहिए। उस वक्त अकाल के समय लोगों को जिन्दा रखा था आपके परिवार ने, आपके दादा ने। तो आज लोगों की हालत भयंकर है

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में मजदूरों की जो मजदूरी बड़ी ईमानदारी की है, उन मजदूरों की और भी मांगों का सवाल नहीं है, न और कष्ट और पीड़ा का सवाल है, सवाल है तो यह कि इस जिले के अन्दर जो राहत कार्य चलाये गये थे, उनकी मजदूरी इन लोगों को नहीं दी गई है, वह मजदूरी इन लोगों को दिलाई जाय। उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में मुझे खेद है, जो अच्छी नस्ल की····

**श्री उपाध्यक्ष**: अब सुझाव दे दीजिये जल्दी जल्दी। आपका भाषण बहुत अच्छा रहा फिर भाषण लम्बा क्यों कर रहे हैं?

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया**: कोई लम्बा भाषण नहीं कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि बीकानेर की अच्छी नस्ल की गायें हजारों की तादाद में मर चुकी हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं वहां के किसानों की आत्मा जल रही है। वहां के लोग एक एक हजार की गाय को एक एक रुपये में छोड़ रहे हैं। जैसे अपने बच्चे को बीमार देख कर आंख में पानी आ जाता है उसी तरह जब किसान की गाय मरती है तो उसकी आत्मा जलती है। मैं खास तौर पर मदेरणा से चाहूंगा कि जो बाड़मेर, जैसलमेर के किसानों की हालत हुई है उससे मुझे खेद है लेकिन यहां की स्थिति को कंट्रोल किया जाय और जल्दी से जल्दी राहत कार्य खोले जायं। पिछली बार जो राहत कार्य खोले थे, उस समय वहां गंगाराम जी गये थे तो उनके जाने के बाद एक महीने तक तो ठीक ठाक चलते रहे, उसके बाद में उनकी व्यवस्था कन्डम कर दी गई और मजदूरों को मार मार कर कमजोर कर दिया गया, उनको सही मजदूरी नहीं दी गई। यहां तक कि लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। दूसरी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
बात और है, उपाध्यक्ष महोदय, जो पक्षपात फेमिन के कामों में बरता गया है उसको देखकर मुझे खेद होता है। माननीय मदेरणा जी ने टेलीग्राम दिया कि फलां फलां गांव में अकाल राहत कार्य खोले जायं लेकिन हुआ क्या। वहां के कलेक्टर ने वहां के पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों को हुक्म दिया कि मदेरणा जी का टेलीग्राम आया है कि साधासर, बाघणं सैणीवाला में कैम्प जल्दी से जल्दी चालू किये जाने चाहिए लेकिन उस काम को आज के माह तक चालू नहीं किया गया। पंचायत समिति की जनरल मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया कि यह कैम्प चालू किये जाने चाहिए, लोगों की हालत चिन्ताजनक है लेकिन···

**श्री उपाध्यक्ष** : भाषण समाप्त हुआ। आपने अपनी बात कह दी।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : बहुत जरूरी बात है।

**श्री उपाध्यक्ष** : फिर आप लम्बी भूमिका पहले क्यों बांधते हैं, आप पहले जरूरी बात कह दें। मजबूरी है, बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : मेरी भी मजबूरी है। मैं इनकी कापी पेश करूंगा। मैं भाषण नहीं दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला राहत के लिए मीटिंग हुई उसमें कलेक्टर मौजूद थे, एम. एल. एज. मौजूद थे···

**श्री उपाध्यक्ष** : आप फिर भूमिका बांध रहे हैं। सीधी बात कह दीजिये।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : वही कह रहा हूं। उसके बाद भी, सरकार का हुक्म होने के बाद राहत कमेटी के द्वारा मांग करने के बाद भी, जिला परिषद की मीटिंग में मांग करने के बाद भी, जिला परिषद के द्वारा मांग करने और टेलीग्राम देने के बाद भी, जिनकी कापी मैं देता हूं और गवर्नमेंट के द्वारा आर्डर देने के बाद भी पी.डब्ल्यू. डी.के निकम्मे मंत्री और अधिकारियों ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू. डी. के अधिकारी की ऐसी भावना हमारे प्रति रही है मुझे शर्म है कहने में कि जानबूझ कर अकाल सहायता···

**श्री मदनसिंह** : शर्म आनी चाहिए नवाब साहब को।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : मंत्री को गांव में पैदा हुए आदमी को बदनाम करना चाहते हैं। मैंने इस बारे में भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, और राजस्थान सरकार को भी लिखा है लेकिन मुझे उनका जवाब नहीं दिया गया। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मुझे खेद है कि आज जनता के साथ यह पी.डब्ल्यू. डी. अधिकारी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! श्री मूलचन्द डागा !

**श्री नाथूराम (बागीडोरा)** : उपाध्यक्ष महोदय, सबको समय मिलना चाहिए। जो हमेशा बोलते रहते हैं उनको ही समय मिलता है। सबको मिलना चाहिए।

**श्री श्रवणलाल** : पक्षपात करते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : जो सूची सचेतक ने दी है उनके अनुसार नाम पुकारे जा रहे हैं।

(श्री उपाध्यक्ष)

आप यह फरमा दीजिये कि आप सचेतक का कहना नहीं मानते तो देखा जाय कि समय दिया जाय या नहीं दिया जाय।

**श्री नाथूराम** : मैं कहता हूं कि सचेतक ने गलती की है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, यह नाथू भाई बाद में आये थे, इनको भी बोलने का मौका दे दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने चार लिस्ट फर्मायी हैं। मौका किसको कैसे दे दिया जाय आप इसको अमेन्ड कर दें तो मानने को तैयार हूं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : थोड़ा समय इनको भी दे दिया जाय।

**श्री दौलतराम सारण** : इन चारों में से छांट कर दे दीजिये।

**श्री मदनसिंह** : डागा जी तो बहुत बोलते हैं, यह तो बोले भी नहीं हैं इनको जरूर मौका दिया जाय।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : आप बीस बीस बार बोल चुके हैं आप क्यों बोलते हैं। आप रोकने वाले कौन हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बे भाषण में न जाकर मंत्री महोदय का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में यह भयंकर अकाल की छाया छा रही है, मैं चाहता हूं कि आप इस समय सतर्क और सजग होकर पहला काम यह करें कि जितने सिविल कोर्ट्स के अन्दर जो इजराय चलते हैं, डिग्रियां चलती हैं, उनको बन्द करवा दें ताकि हर काश्तकार और गरीब को रिलीफ मिले। पहला काम तो यह होना चाहिए कि जितनी अदालतें हैं और अदालतों में जो सिविल केसेज हैं और जो इजराय के मुकदमात चलते हैं उन मुकदमात के लिए कृपा करके यह कर दें कि फेमिन के पीरियेड में बन्द रहें।

दूसरे जो अदालतों में क्रिमिनल केसेज चल रहे हैं, और जो हीनिअस आफेन्स के नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में हाजिरी की छुट्टी दिलवाने की एक्जेम्प्शन फ्राम कोर्ट अटेन्डेन्स करने की कार्यवाही करें। इससे लोगों को राहत मिलेगी।

तीसरी बात यह है कि अकाल की स्थिति को मनोवैज्ञानिक ढंग से तय किया जाना चाहिए।

**श्री मदनसिंह** : जिनका फैसला जल्दी होने को होगा वह भी नहीं होगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य !

**श्री मदनसिंह**: यह अनर्थ कैसे सहन कर लें किसी गरीब के केस की जल्दी सुनवाई होने को होगी तो वह भी नहीं होगी।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : वह आपके कहने से चालू हो जायेंगे।

**श्री मूलचन्द डागा**: हीनिअस आफेन्स नहीं हो और मामूली केसेज हों उनमें छुट्टी हो जाय। इससे काश्तकारों को रिलीफ मिल सकता है। यह सुझाव है।

इसके अलावा जो राजस्थान का हर एक नागरिक है, एम.एल.ए. को अपनी एक महीने की तनख्वाह, मिनिस्टर को एक महीने

Page No. 157



(श्री मूलचन्द डागा)

की तनख्वाह इसके लिए महीने की देनी चाहिए। जितने मंत्री हैं वह अपनी एक माह की तनख्वाह इसमें दें, जितने एम.एल.ए. हैं वह अपनी एक माह की तनख्वाह इसमें दें, स्पीकर एक माह की तनख्वाह दें, डिप्टी स्पीकर एक माह की तनख्वाह दें, और एक बडे भारी तरीके से हमको युवकों का आह्वान इसका मुकाबला करने के लिए करना चाहिए और उनकी इस मामले में मदद लेनी चाहिए और जो आने वाला समय है उसके पहले से हमें चेतना चाहिए। मैं लम्बी बातों में नहीं जाना चाहता, मेरा निवेदन है कि मेरी इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : इसके साथ मेरा भी एक सुझाव मान लिया जाय, इस मंत्री मंडल के सदस्यों की संख्या कम कर दी जाय। दो तीन मंत्री के अलावा सबका इस्तीफा मांग लिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री आलम अली !

**श्री आलम अली** (फतेहपुर): उपाध्यक्षजी, आज दो दिनों सूं बाढ और अकाल के बारा में बातचीत हो रही है। मैं बाढ की एक बात है, वा बिल्कुल ठीक शब्दों में कहणी चाहूं हूं के बाढ 60 में राजस्थान में नहीं आई, वा बाढ राजस्थान में 67 में आई है और राजस्थान इं बाढ सूं घिरियोडो है। उपाध्यक्षजी एक आ बाढ की लैण बैठी है वा सामने आ 36 मन्त्रीयों की बाढ बैठी है। ऐ 36 ही पद त्यागे और एक दो मन्त्री रहे तो आ राजस्थान की गरीबी है वा दूर हो...

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा** : थे तो बणियां जिण दिन सूं ही छाती कूटो हो और कूटता ही रेवो। ऐ तो रहसी।

**श्री आलम अली** : थे तो दलाल हो दलाली करणी है जका करिया जावो दलाली ही लिखार लाया हो...

**श्री दौलतराम सारण** : ए कैहै के कागलां के कयां सूं ढोर नहीं मरे।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा** : थे छाती कूटियां जावो, ऐ तो रहसी।

**श्री आलम अली** : हमेशां ही थे तो मूरसी लेर ई देश ने डुबोयो, राजा लोग हा तो बांकी थे दलाली करता रया और अबे ए राजा बणिया तो आज यां का दलाल हो, करियां जावो दलाली। मैं आं दलालां की परवाह नहीं करूं, मैं मिलिटरी खानदान को सिपाही हूं, आं की परवाह नहीं करूं। मूरसी मैं कहो, दलाली में देखो थे ही आगे हो, मैं दलाली में नहीं हूं, मैं थारी परवाह नहीं करूं।

तो, उपाध्यक्षजी, आ बाढ़ राजस्थान ने खागी, ए सब पद त्याग देवे तो कती बचत होवे, ओ काम कर दो तो कती बचत होवे। आज नवाब साहब ने हंसता देखूं, ऐ देखे है के मारो काम सै फिट है, पहली लाग्योडी मोहर उडगी। पहलो उद्घाटन मन्त्री बणणे के बाद, एम. एल. ए. बणणो के बाद करियो वो भी उड गयो। दूसरा शब्दों में मैं आ कहूं के आ मन्त्रियां की 36 की फौज बाढ है हिन्दुस्तान आजाद होणे के बाद में राजस्थान में पहली वार बाढ आई है, आ 36 की फौज बैठी है जद ही बाढ आई है, नहीं तो राजस्थान में पैली कदेई बाढ नहीं आई, अकाल जरूर पडे है। आने बिल्कुल इयां की पुराणी बातां याद नहीं है, आंने खमियां नहीं करणी चाहिजे नेशनल हाई वे टूटी है और नेशनल हाई वे सीकर बीकानेर न जोडणो वाली है, वा जगह...

# Page No. 158



(श्री आलम अली)

जगह सूं टूटी है, और एक एक इंच कंकरी टूटी है। मैं तो आ समझिया करतो हों के और तो और हेर फेर कर सके हैं, पण ईयां का तपियाडा आदमी, मैं नवाब, मैं राजा, मैं महाराजा हां, वां के नजर में आ बात नहीं आवे।

उपाध्यक्षजी, आज गायां मर रही है, ओ मारो इलाको परो पशपालण को इलाको है। मैं खडो हूं ई जगह सूं लेर वीं तरफ को इलाको खाद को, गोबर को इलाको है। उदयपुर का चीं. चीं कर है क्योंकि बठे सबकी पाती को रुपियो लगायो, व टीबों में नहीं गया वां टीबां में शेर जलमियां करें हा, वां शेरां में कमी आई. वां शेरां की कमी आणे के कारण ईयान की बातां वे तेरी है। वां शेरां की बातां. वां ऊंटां की बातां वे ऊंट जहाज जठे नहीं जाय, मोटर जठे नहीं जाय, बठे वे सामान की सप्लाई करे, वे तीन तीन हजार रुपयां की कीमत का ऊंट, एक एक मिनिट में मरे है, वां की आने कोई परवाह कोनी. आं के तो बंगला साबत रहणां चाहिज। मन वो सीन याद है के फतपुर जिसा इलाका में बाढ आ जावे, रेल टूट जाय और एक मन्त्री नजर नहीं आवे। उपाध्यक्षजी, मारी आ बात जां चियोडी ही के मन्त्रीजी न थाये हो के बठे जार लोगों ने देखता बठा का लोगों में। कोई रीत री है, बठे पहुंचता, पण मन्त्री वां दिनां में लकियोडा रया. बाढ रही जितै वांग में रया और जद बाढ कोन्यां रही तो जियां मैंडक बोल टर्ड टर्ड, जियां बोलिया। बरसा नहीं होवे जिने कोई मेंडक नहीं दीखे है, बरसा होतां ही मैडक टर्ड टर्ड करे। उपाध्यक्षजी, हमेशा मैं एक मिनिट मांगूं हूं, आज आपसूं थोडा ज्यादा टेम मांगं गो।

**श्री उपाध्यक्ष**: यह संभव नहीं है।

**श्री आलम अली** : उपाध्यक्ष जी, चाहे पांच मिनिट ही दो, पण देणो तो पडेगो ही। राजस्थानी में बोलणो वालो में एक ही हूं सब अगर मगर में बोले है।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़): यह भी नवाब ने सिखाई।

**श्री आलम अली** : ऐ अगर मगर की बातां गैलेरियां में बैठा है, वाकें समझ में नहीं आवे, मैं राजस्थानी बात कहूं हूं, सबने अच्छी तरह सुणण को मोको दियो जावे।

उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जिका के अकाल सहायता का मंत्री है, मैं बिलकुल सही बात आ मानूं हूं, आज सूं नहीं बहुत दिनां सूं मानूं हूं के बां को मन है करणां को, वे चावे है के मैं न काम करूं पण गडबडी कै है? आज वे पुलिस का मंत्री कोनी, राज्य मंत्री जरूर बिगाजिया है, वे क्यों के मैं राजस्थान में कदेई घेराव नहीं करण दूं। उपाध्यक्षजी से राजस्थान में सही घेराव नहीं है असेम्बली में घेराव होयो, अकाल मंत्री ने घेर राखियो है एक व्यक्ति वो है मोहनलाल सुखाडिया, वो आने काम नहीं करण देणी चावे है, आंने घेर राखिया है। चाहे मुख्य मंत्रीजी जनता का घेराव की परवाह नहीं करे, साथियां ने घिरण नहीं देगा, जनता घेरावबाध देगी।

राजस्थान की जनता पाकिस्तान घेराव करियो तो धकेल दियो, चायना घेराव करियो तो धकेल दियो, थे ई के साथ मजाक करोगा तो थां को तो मामलो ही कै है। आं मंत्रियां पर घेराव है, आं को घेराव तोडियो जावे। कोई बात नहीं के सके, आं मंत्रियां सूं कोई मिलण जावे तो कैवे के मुख्य मंत्री जी सूं

(श्री आलम अली)
मिलांगा थे थांका विभाग का मंत्री हो, पण ए कीं कर नहीं सके आं पर मुख्य मंत्री जी को घेराव हैं ।

पहला अकाल की बात अठे विधान सभा में आई के फतेहपुर, लक्ष्मनगढ में लाखां का पूला खरी दिया गया, वे पूला बठै ही सिड गया, लाखों रुपया बरबाद हो गया, ईं को कारण हो के एस. डी. एम. को रिश्तेदार हो वीं ने पूला खरोदबा को कयो । तीज चढ़ावे तो बात बैठे नहीं, ईं वास्ते बठे ही पड़ियो राख्यो ग्रौर बठे ही पडियों पडियो सिड गल गयो तो कांई उम्मीद की जा सके हैं आं मंत्रियां सूं ग्रौर ईं राज्य सू, शिकायत आणे पर भी जांच नहीं कर सकिया ।

मैं तो आ बात केणी चाहूं हूं के जका दिन हिन्दुस्तान आजाद हुग्रो तो गांव गांव में सब सूं पहली देश में बिजली देणी चाहिजे ही, आं कुरसियां पर बैठण की बजाय नाचे बैठ जाता । बिजली की गारन्टी दे देता के पण आज हाल ग्रो है के काश्तकार बिजली मांगे तो बिजलो कोनी, मेड के वास्ते तकाबी मांगे तो तकाबी कोनी

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री आलम ग्रली : मैं समाप्त ही करूं हूं ।

उपाध्यक्ष जी, मैं तो निवेदन करणी चाहूं हूं के अकाल मंत्री जी ने सही मानूं हूं, आं में जोश है पण कोई का दबाव में आके जोश ने बिगाडे नहीं तो आ पूरी जनता बांके सागे है, कीं को भी परवा नहीं करे। चुणावां में मंत्री भागिया करे है, तो चुणावां के पैली ही यूं नहीं भागो । वे चुणावां में नहीं भागणो पडेगो ।

मैं आं ही शब्दों के सागे अकाल मंत्री जी सूं ग्रौर नबाव साहब सूं भी क्यों के आं को भी भाग रहसी, ग्रो काम जल्दी सी करवा दो, लोगां ने काम मिले । यें केवो के पीसो कोनी, काम सही करसी तो घणो ही पीसो है, गलती करसीतो पीसो कोनी ।

श्री ग्रब्दुल हादी (चोहटन): उपाध्यक्ष महोदय, कल से सदन में अकाल के संबंध में काफी चर्चा हुई । मैं इस चीज को ज्यादा दोहराना नहीं चाहता । मंत्री महोदय से निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि आपके सामने कुछ सुझाव रखता हूं । कृपा करके आप जल्दी ही उनको तामील करवाने का हुक्म फरमायें । मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं जैसलमेर ग्रौर बाडमेर जिले के लोगों का खास गुजारा मवेशियों पर है । इस साल भयंकर अकाल होने के कारण मवेशी काफी मर चुके हैं ग्रौर दिनों दिन मर रहे हैं । कल मंत्री महोदय ने इस तरह का बयान भी दिया था कि हम मवेशी बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं मगर जहां तक मैं समझ पाया हूं, लाखों को तादाद में जो मवेशी हैं उनको सरकार द्वारा बचाना नामुमकिन है, मगर सरकार का फर्ज है कि जितना हो सके मवेशियों को बचाने की कोशिश करे ।

जहां तक मवेशियों के बचने का सवाल है, मवेशियां का कम से कम दो महीने जब हरी घास मिलती है उसके बाद अगर मवेशियों को सूखी घास मिलती है तो मवेशी बच सकते हैं । हमारे इलाके में काफी एसा क्षेत्र है जो बिल्कुल सूखा रह गया, जहां एक छांट भी बरसात नहीं पडा

(श्री अब्दुल हादी)
ऐसी हालत में वहां के मवेशियों का बचना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उनके लिए इंतजाम नहीं करे। मैं चाहता हूं कि सरकार जितना भी हो सके इंतजाम करे, जल्दी करे। कल मंत्री महोदय ने बयान दिया था कि हमारे पास घास है, हम कटवा रहे हैं और भेजेंगे। मैं समझता हूं कि जब तक यह घास पहुंचेगी तब तक मवेशी तो खत्म ही हो जायेंगे। खैर जितना भी हो सके, सरकार इसमें जल्दी करे।

दूसरा मैं समझता हूं कि जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूं, उस इलाके में 1966 में अकाल था, 1967 का जमाना ठीक आया तो लोगों ने सरकार के कर्जे को या कोआपरेटिव बैंक के कर्जे को इस साल चुका दिया था। अभी लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास कल से बराबर खत आ रहे हैं कि हमें अनाज नहीं मिल रहा है और रुपये किलो के हिसाब से भी अनाज नहीं मिल रहा है लोग खुदकशी कर रहे हैं। हमारे यहां अनाज की कमी की वजह यह है कि जो बाडमेर का आनाज था वह बाहर भेजा गया, बाडमेर शहर में अनाज का स्टाक बिल्कुल नहीं है, लोगों को पैसे से भी नहीं मिल रहा है। अपन तो मवेशियों की फिक्र कर रहे हैं लेकिन आप सुनेंगे कि इन्सान भी भूख से मर रहे हैं, हमारे इलाके में कुछ लोग मरने वाले होंगे।

इसलिए मन्त्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करके, पता नहीं अकाल कब डिक्लेयर होगा, आप फौरन डिक्लेयर करें और पूछने की क्या जरूरत है। पता नहीं आपके कलेक्टर की कब रपोर्ट आएगी इसलिए मेहरबानी करके जितना हो सके अकाल को जल्दी ही घोषित करें और मैं चाहता हूं कि 2-4 दिन के अन्दर अनाज की व्यवस्था करवा दें। उसके बाद जल्दी से जल्दी सड़कों का काम शुरू करवा दें।

मैं 1966 जब हमारे यहां अकाल चला तो उस समय सरकार ने जो मजदूरों को पेमेंट करवाया, वह पी. डब्ल्यू. डी. एजेन्सी के थ्रू करवाया, उसमें पी. डब्ल्यू. डी. विभाग वालों ने काफी बेईमानी से काम लिया और लोगों ने काफी रिश्वतें खाई। इसलिए मेरा सुझाव है कि अब के जो आप पेमेन्ट का काम करवायें वह पंचायत समिति के एक्सटेन्शन आफिसर या किसी दूसरी एजेन्सी से करवायें ताकि यह काम ईमानदारी से हो।

अनाज के वितरण का जहां तक सवाल है, आप अनाज के वितरण का काम सहकारी समिति को दें। अगर कोई सहकारी समिति अनाज न लेना चाहे तो इन्डिविज्युअल को दें। मान लीजिए इसमें बेईमानी होती है तो भी उसमें कुछ आदमी तो हैं जो फायदा उठा रहे हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि जो कुछ आप करना चाहें मेहरबानी करके जल्दी करें। हालांकि समय कम है मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता। फिर भी यही गुजारिश है कि जो कुछ करना है जल्दी करें, काफी मवेशी मर चुके हैं, आप उसमें रुपए में से 4 आने भी कामयाब नहीं होंगे। इन्सान मरने लग जायेंगे और आप रिपोर्ट्स मांगते रहेंगे। इसमें हुकूमत की बदनामी होगी। इसलिए बीकानेर, जोधपुर, जसलमेर और जालौर

(श्री अब्दुल हादी)
जिलों को बगैर रिपोर्ट्स के आप अकाल पीडित डिक्लेयर कर दें और जितना आपसे हो सके जल्दी इंतजाम करवायें, नए काम खुलवायें और लोगों को अनाज दिलवाने की कृपा करें।

**श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): उपाध्यक्ष जी, मैं समय के अभाव में कुछ ही मिनटों के अन्दर अपनी बात समाप्त करूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** 10 मिनट का समय है।

**श्री देवीदत्त गाडिया:** उपाध्यक्षजी, आज राज्य सरकार के पास विदेशों से आयातित लाल ज्वार आती है जो अकाल क्षेत्रों में जनता को 55) रु. क्विंटल के हिसाब से बेची जा रही है। सरकार और राजस्थान के खाद्य विभाग के अधिकारियों ने यह कहकर कि माइलो खराब हो गया है राजस्थान के बाहर के व्यापारियों को, अधिकारियों ने साठ-गांठ करके, सरकार ने 3400 बोरियां 37.50) प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा। वही माइलो सरकार अकाल पीडित लोगों को जैसलमेर और बाडमेर में 55) क्विंटल के हिसाब से बेच रही है, यह सरकार के लिए लज्जा की बात है। जो सरकार जनता का शोषण करती हो, अकाल पीडित लोगों को अधिक भाव में अनाज बेचती हो, उसको क्या कहना चाहिए ? कौनसी सरकार की नीति थी जब आप बाहर के व्यापारियों को 37.50 में देते हो और इनको 55) में ?

इतना ही नहीं जब मैं जैसलमेर के दौरे पर गया तो मैंने अकालग्रस्त क्षेत्र को देखा। वहां पशुधन पर आधारित रहने वाली जनता की हालत कैसी है। सरकार ने जो घास के डीपो खोल रखे थे, वहां इतनी सडी घास थी कि मवेशी नहीं खा सकते, लेकिन ऐसा घास अधिकारी जनता को 8.40) क्विंटल के हिसाब से बेच रहे थे। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण लोग अपने मवेशियों की रक्षा नहीं कर सकेंगे।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्षजी, उस जैसलमेर के इलाके में आज 15 ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के लिये पानी न मिलने के कारण गांव वाले उन गांवों को छोड कर चले गये हैं। वे ये हैं:-सम, कनोई, दामोदर, कुछडी, मोकला, नीबा, गांगा, नगा, लेऊवा, लूणार, करेछडा, बीजराज का तला, पीछोना, छतांनगर, और सलखा। दूसरे दस गांव भी ऐसे हैं जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो वहां से भी गांव वाले गांवों को छोड कर चले जावेंगे। वे गांव हैं:-रामगढ, पिथला, सागड, ऊजला, खेतालाई, नानणपाई, दीरमदेवरा, खुडी, खारिया, नंडाई। ये दस गांव भी जल्दी से जल्दी खाली हो जावेंगे।

उपाध्यक्षजी, उस इलाके में सहागढ एक गांव है। उस क्षेत्र के लोगों को खाने के लिये अनाज चाहिए तो वे लोग 60-70 मील दूर जाकर अनाज लाते हैं। मवेशी मर जाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, अनाज के लिये 60-70 मील दूर जाने और आने में कितना खर्चा होता है ? आप उनके लिये कोई अनाज की व्यवस्था नहीं कर सके मेरी सूचना के अनुसार जो भाई वहां रहते हैं वे पाकिस्तान में जाकर अनाज लाते हैं। यह बडे शर्म की बात है। सहागढ के रहने वाले निवासी चाहे वे मुसलमान हों या हिन्दू हों, अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिये पाकिस्तान जाकर अनाज लायें इससे बडा कलंक हिन्दुस्तान और राजस्थान की सरकार के लिये नहीं होगा।

(श्री देवीदत्त गडिया)

इतना ही नहीं जैसलमेर जिले में 15 लाख मवेशी हैं। हमारी सरकार ने जो वहां घास पहुंचाया है वह देखिये। केवल सात हजार क्विन्टल घास वहां पर पहुंचाया गया है। 15 लाख मवेशी में 7 हजार क्विन्टल घास दिया यह इस बात को सिद्ध करता है कि मवेशी के लिये घास की समस्या को आप हल करना नहीं चाहते।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्षजी, सरकार ने एक सप्ताह पहले निर्णय लिया कि राजस्थान नहर के इलाके में निर्वाचन क्षेत्र कोलायत में वहां के किसानों को एक साल के लिये टेम्प्रेरी खेती करने का अधिकार दिया है। मैं पूछना चाहता हू कि आपने एक ही निर्वाचन क्षेत्र, जो कोलायत का क्षेत्र है, के किसानों को ही एक साल के लिये क्यों अधिकार दिया जब कि बाडमेर, और दूसरे इलाकों के किसानों को इस प्रकार के एक साल के टेम्प्रेरी अधिकार, जिस प्रकार कोलायत में दिये हैं, क्यों नहीं दिये? यह भेदभाव की नीति है। वहां से कांग्रेस को सदस्या चुनकर आयीं, उसका हाईकोर्ट से चुनाव रद्द हो गया और आंसू पूछाने के लिये एवं बाई इलेक्शन हो तो कांग्रेस का केन्डीडेट वहा से जीते इसलिये सरकार इस प्रकार के सरकारी निर्णय लेती है यह बडे ही शर्म की बात है।

हमारी सरकार ने गवार जो पशुओं के लिये पौष्टिक तत्व हैं उसको जून 66 से सितम्बर 67 तक इस प्रकार एक साल तीन महीने के लिये बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली की बडी बडी फर्मों को एक्सपोर्ट किया। उदाहरणार्थ हिन्दुस्तान गम एन्ड केमिकल लि. को 9353 टन, इन्डियन गम इन्डस्ट्रीज लि. बम्बई को 9570 टन, प्रेम सम गम प्राईवेट लि. बम्बई को 4880 टन, केलिको क्रशिंग केमिकल्स, अहमदाबाद को 630 टन, हजरत एन्ड कम्पनी, बम्बई को 5230, गम प्रोडक्ट, अहमदाबाद को 900 टन, शक्ति गम इन्डस्ट्रीज, अहमदाबाद को 428 टन, बोम्बे गम फैक्टरी, बम्बई को 1000 टन, शारदा गम इन्डस्ट्रीज, न्यू देहली को 1044 टन, श्री सरस्वती ग्रेन क्रशिंग मिल, बम्बई को 8943 टन, कृष्णा ग्रेन क्रशिंग मिल, बम्बई को 2822 टन। इस प्रकार से 44,780 टन गवार का परिमट राजस्थान की सरकार ने बडे बडे पूंजीपतियों से सांठ-गांठ करके एक साल में देकर बाहर निकाल दिया। गवार पशुओं के लिये पौष्टिक तत्व है, इससे दूध बढ़ता है और मवेशी मजबूत होती हैं, लेकिन सरकार इसकी चिंता नहीं करती। चुनाव के लिये कांग्रेस को मजबूत करने के लिये बडे बडे मन्त्रियों ने सांठ-गांठ करके भ्रष्टाचार के तरीके पर, राजनैतिक तरीके पर परमिट देकर राजस्थान के जन जीवन के साथ और मवेशियों के साथ खिलवाड किया है।

इतना ही नहीं, शाहबाद के जिले में भयंकर बाढ आयी। किशनगढ और शाहबाद तहसील में 30 हजार मवेशी मरे। 72 घंटे की घनघोर वर्षा के कारण, 24 घंटे में 13 इन्च पानी पडने के कारण जो सिंचाई के तालाब थे, टूट गये, एक बांध टूट गया और उसके कारण सैंकडों गांव प्रभावित हुए और पच्चीस तीस हजार मवेशी मर गये। 44 प्रतिशत आदिवासी सहरियों के मकान ढह गये, बरबाद होगये, जिनके पास खाने को अनाज नहीं। लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री और खाद्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि अकाल के नाम

(श्री देवीदत्त गाडिया)

से भेदभाव की नीति बरती गयी और राजनैतिक कारण अब भी लगाये गये तो यह राजस्थान की सरकार के लिये बडा कलंक होगा। शाहबाद क्षेत्र, में एक भी मन्त्री आज तक उस इलाके में नहीं गया। बाढ-पीडित क्षेत्र का उसने दौरा नहीं किया। मैंने और जनसंघ के विधायकों ने मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकृष्ट किया। खाद्य मन्त्रीजी, यह निवेदन करना चाहूंगा कि कल आपने अपने भाषण में ऐसे उद्‌गार प्रकट किये थे उससे ऐसा लगता था कि बाडमेर और जैसलमेर में भयंकर अकाल है और राजस्थान में जो बाढ आयी उससे मजदूर और किसान जो अकाल और बाढ से पीडित हैं आपके मुंह से उनकी आत्मा की आवाज निकल रही थी। इसलिये वस्तु-स्थिति में परिवर्तन होना चाहिये। शाहबाद क्षेत्र के लिये भी आप आज घोषणा करिये कि कितने दिनों में बाढ पीडितों को सहायता दे दी जावेगी और जो बांध टूटा है उसके लिये पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि उससे जो शाहबाद की सडकें और पुलियायें टूटी हैं उनकी मरम्मत क्यों नहीं हो रही है, जिससे यातायात में रुकावट पड रही है।

अन्त में यही कहते हुए कि राजस्थान में बडा भयंकर अकाल और बाढ आयी है उस से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिये सरकार को चाहिये कि वह राजनैतिक दलदल से ऊपर उठ करे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को और नेताओं को बुला कर उनसे वार्ता करे और उनसे सहयोग लेकर एक कमेटी का निर्माण करे जो बाढ-पीडितों को और अकाल पीडितों को सहायता पहुँचाने के लिये कोई उचित योजना बनाये।

(8 म. प.)

श्री **परसराम गंगाराम** (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस भयंकर बाढ़ के विषय में कुछ कहना है···

श्री **उपाध्यक्ष**: सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री **परसराम गंगाराम**: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बाढ़ के विषय में काफी कहना है। मगर मैं फक्त आपका थोडा टाइम लूंगा 11-12 जुलाई को जो भयंकर बाढ़ आई, उससे नागौर डिस्ट्रिक्ट में, परबतसर में जो भयंकर और दुखदायी पानी था, उसमें काफी घर बह गये बकरियां, भेडें, गायें, भैंसें बह गईं। ऐसा कुदरती कोप पडा जैसा राजस्थान में आगे कभी नहीं हुआ। काफी घर बह गये और ढह कर नष्ट हो गये। गायें, बैल, भेडें इत्यादि बह गईं। बाढ़ पीडितों के लिए जो सहायता कार्य किया गया वह पक्षपात, जातिवाद और वोटों की दृष्टि से किया गया उसमें हमारे प्रधानजी तथा तहसीलदार ने पक्षपात किया। जिनको चद्दरें दी गईं उनसे रिश्वत लेकर चद्दरें···

(8.1 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

दी गईं और उन्होंने यह भी किया कि जो, राजपूत है, राजपूतों का जो गांव है, उसमें राहत कार्य नहीं कराया। क्योंकि राजपूत हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट होते आये हैं और पंचायत समिति के प्रधान ने कहा कि उन्होंने वोट कांग्रेस को नहीं दिये हैं और वोट की दृष्टि से ही यह कार्य किया गया। प्रधान और तहसीलदार से एक-दो राजपूतों ने आकर कहा कि देखने चलो हमारे घर बह गये तो प्रधान,

(श्री परसराम गंगाराम)
तहसीलदार वहां स्थिति देखने नहीं गये। उन्होंने साफ कहा, राजपूतों के घर हैं इसलिये नहीं जायेंगे। तब मैंने कलेक्टर को कहा पक्षपात की दृष्टि से राजपूतों को अवाइड किया जा रहा है। यह नहीं होना चाहिये। कलेक्टर ने कहा, मैं क्या करूं? वहां ऐसा ही है। वास्तव में यह काम ठीक नहीं है पर करें क्या? उन्होंने तहसीलदार को बुलाकर कहा। तहसीलदार ने कह दिया कुछ नहीं है। गरीब को कोई सहायता नहीं मिली। गांव में जिनके के घर नहीं नष्ट हुए उनको चद्दरों की पेटी दे दी गई। और उनके घर ढह गये राजपूतों के घर थे उनको कुछ नहीं दिया गया और उनको अवाइड कर दिया गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास: राजपूत लोग धर्म का माल नहीं लेते।

श्री परसराम गंगाराम: ब्राह्मण लेते हैं। मैं परशरामजी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा। ऐसा भेदभाव रखा गया है। वहां पर काफी हरिजन रहते थे, जिनके घर वह गये, उनको भी कुछ सहायता नहीं दी गई है। और मन्त्रीजी रोहडा ग्राम में थे, आपने भी उसे देखा घर बहते हुए देखा था, उनको भी नहीं दिया गया। वाकई में जिनका नुकसान नहीं हुआ, उनको चद्दर की पेटियां दे दी गई और मैदा, दूध और मिल्क पाउडर, शक्कर जो बाढ़ग्रस्त लोगों को देनी थीं, उनको आज तक ये चीजें नहीं दी गयीं। जो घास था मवेशियों को देने के लिये वह भी वहां इन इलाकों में नहीं दिया गया। एक बांध था, जो सैकडों वर्षों का बांध था राजाओं के दिनों का, जिस पर चार-पांच गांव अपनी मवेशी को चरा सकते थे, वह बांध इस बाढ में टूट गया। इस गांव वालों को भी कुछ नहीं दिया गया। ऐसा ही एक झालरा गांव है। वहां नजदीक जुडा एक बांध था जिससे काफी आबपाशी होती थी, वह बांध ऐसा टूटा कि 500 वृक्ष उसमें बह गये और उसके बाद ऐसी हालत हो गई कि आज भी आदमी त्राहि-त्राहि कर रहा है और मवेशी पानी पीने के लिये तरस रही है। मैं अकाल मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बांध को जल्दी से जल्दी बनावें। निर्माण मन्त्री नवाब सहाब के द्वारा बनाया जावे। उनके पास पैसा न हो तो कुछ उसमें मदद की जाय।

परवतसर में पशुमेला होता है। वहां सडक का होना जरूरी है। अभी मेले के दिनों में भी नहीं बनायी गयी। वहां व्यापारी को काफी तकलीफ हुई और रास्ते में एक-दो बैल भी मर गये। इस पशुधन से जिससे हमारा सारा नागौर डिस्ट्रिक्ट पल रहा है, उसका नाश हो रहा है।

उस एरिया में जहां पर बाढ़ आयी है, वहां पर सर्वप्रथम शराब की दुकानें बन्द कर देनी चाहिये ताकि वहां की जनता को आराम हो और यह भी कहूंगा आपके माध्यम के द्वारा, सभापति महोदय, कि जिनको अनाज देना था, उसे साहूकार लोगों को दिया गया। उसका परमिट तहसीलदार ने निकाला। वहां के बंटवारा करने वाले आदमी ने उनसे रिश्वत खुले आम मांगी है और रिश्वत लेकर चद्दरें दी हैं। जिनके वाकई में घर बहे, उनको कोई चद्दरों की सुविधा नहीं दी गयी। वे आसमान के नीचे रहते हैं। उनकी देखने के लायक परिस्थिति है। उनकी खेती की यह हालत हो गई कि वह खराब

(श्री परसराम गंगाराम)

हो गई । कुए निकल गये हैं । यह सब आपको पता होगा । मैं आप से निवेदन करूंगा कि उनसे राजस्व कर नहीं लिया जाय । वहां एक जावला गांव है, जहां कि नदी के बाढ से बडा काफी नुकसान हुआ है और खेत के खेत बह गये । उनसे रेवन्यू का टैक्स नहीं लिया जाय । और ऐसे दूसरे बहुत से गांव हैं ।

(3. 7 म. प.)

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

कमेटी के द्वारा इनकी जांच करायी जाये और इसका पूरा प्रबन्ध किया जाये । बबाल ग्राम जैसा बांध जहां काफी आबादी है, वह बांध भी टूट गया है, जिससे सरस्वती नदी निकलती है, उसको भी बन्धवाया जाये तो काफी आबपाशी होगी । मैं यह कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नाथूराम ।

श्री नाथूराम (वागीडोरा): सभापति महोदय, राजस्थान के कुछ जिलों में हमेशा भयंकर दुष्काल रहता है । राज्य सरकार की तरफ से लाखों, करोडों रुपया खर्च होता है, लेकिन दुष्काल को दूर करने के लिये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती । जालोर, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर आदि ऐसे स्थान हैं, जहां भयंकर दुष्काल रहता है । वहां की मवेशी को पीने का पानी नहीं मिलता है । जैसलमेर एस्टीमेट कमेटी के सदस्य गये थे । मैं भी उसका एक सदस्य होने से वहां गया । जैसलमेर की स्थिति देखी । सैकडों मील वहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान है । पीने का पानी नहीं मिलता । खास तौर से वहां ट्यूब वैल्स देखे । सरकार की ओर से लाखों रुपया इन पर खर्च हुआ है लेकिन कुछ को छोडकर सब बन्द पडे हैं । सडक के नजदीक जो ट्यूबवैल्स हैं, वहां पानी पीने की व्यवस्था है और आसपास के इलाके के लोग मवेशी लेकर आते हैं । वहां पानी समय पर नहीं मिलता है । यहां की स्थिति भयंकर है । राजस्थान सरकार और भारत सरकार को चाहिये कि इस राजस्थान के अन्दर मनुष्य और मवेशियों का पेट पालने के लिये राजस्थान नहर को आगे बढावें । एक तरफ राजस्थान नहर का कार्य बंद पडा हुआ है । इसलिये आपके द्वारा राजस्थान सरकार को निवेदन है कि वह भारत सरकार से अच्छे शब्दों में खासतौर से इसका विशेष जोर देकर मांग करें कि राजस्थान नहर को जैसलमेर, बाडमेर के इलाकों में बढाना चाहिये ताकि यहां का रेगिस्तान हरा भरा हो जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल्स का प्रबन्ध कर दिया जाय तो उत्पादन बढ सकता है घास का भी उत्पादन बढ सकता है । आपको ऐसे हिस्से भी मिलेंगे जहां पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है वहां ट्यूबवैल्स खोद दिये जायं जिससे रेगिस्तान में भी कमी हो जायगी । लाखों रुपया खर्च हो रहा है लेकिन व्यवस्था की कमी है ।

आज आप लाखों करोडों रुपया खर्च कर रहे हैं डूंगरपुर बांसवाडा में गये तीन वर्षों से दुष्काल था, लाखों रुपया खर्च हुआ । उसके लिये मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आप जितना रुपया खर्च करते हैं उसमें से आधा रुपया तो नाजायज तौर पर पी. डब्लू. डी. वाले ही खा जाते हैं कुछ तहसील वाले खा जाते हैं और केवल 1/4 पैसा खर्च होता है

(श्री नाथूराम)

और 1/1 प्रशासन पर खर्च हो जाता है इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां दुष्काल है वहां पैसा खर्च करे, लेकिन प्रशासन वाले जो पैसा खाजाते हैं उनकी जांच होकर उनको सजा होनी चाहिये। जहां लाखों करोडों का खर्च होता है फिर एक-चौथाई काम नहीं होता है। इस स्थिति को ठीक करना चाहिये। जहां दुष्काल होता है वहां पर सस्ते अनाज की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वह बराबर वितरण नहीं होता है। बांसवाडा में गढी तहसील में बाहर से ट्रकों द्वारा चारा मंगाया गया। मवेशियों को जिन्दा रखने के लिये उनको अधिकारियों को कहा गया कि एक क्विन्टल, दो क्विन्टल चारा दिया जाय। गढी के एक्स तहसीलदार की सही एन्क्वायरी होनी चाहिये उसने चारा इतनी कन्जूसी से दिया कि किसी को दस पन्द्रह किलो से ज्यादा चारा नहीं मिला। लोगों ने अपने पशुओं को आम, महुआ आदि के पत्ते खिलाकर जिन्दा रखना चाहा लेकिन उससे वे मवेशी मर गये।

जो चारा बाहर से मंगाया गया वह ट्रकों में बन्द पडा हुआ है। इस साल अधिक वर्षा होने से वह सड गया है। तहसील वाले अब खुशामद कर करके उसको बेच रहे हैं। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तहसीलदार ने जो वहां अव्यवस्था पैदा की उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाडा, उदयपुर में लाखों रुपया सडकों पर खर्च किया गया है कहीं सडक पचास मील जा रही है तो कहीं साठ मील बीच बीच में जो नाले पडते हैं उन पर छोटी छोटी पुलियां बना दी जाय या सीमेन्ट के पाइप डाल दिये जायें ऐसे सुझाव दिये थे कि पानी की निकासी भी हो सकती है और सडकों को किसी तरह हानि नहीं पहुंच सकती, लेकिन इस साल एक दम वर्षा होजाने से कई स्थानों पर से सडक टूट गई और इस कारण आस पास के खेतों में बरबादी हुई इससे काफी मात्रा में अनाज का नुकसान होगया। पब्लिक वर्क्स डि. को इन सब बातों की जांच करवाकर मरम्मत की कोशिश करनी चाहिये। जिन खेतों के अन्दर मलबा गिरा है उनको मुआवजा दिये जाने की कोशिश की जानी चाहिये।

बाढ के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं इस साल बांसवाडा में वर्ष 41-42 में जो फ्लड आया माही और बनास नदी में इस साल अगस्त के प्रथम सप्ताह में इतनी वर्षा हुई कि पांच रोज तक लगातार बांसवाडा एक टापू की तरह बना रहा। मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान में लगभग एक सप्ताह से आवागमन तक रुक गया था। माही का पानी और चांप का पानी इस तरह से गढी तहसील में घुस गया उससे काफी नुकसान हुआ। वहां होस्टल में जो लडके रात को सोये हुए थे वे चार छ फुट पानी के अन्दर आजाने से वहां से भाग भाग कर अपनी जान बचाई और थाने की तरफ भाग कर शरण ली। सन् 1941 व 42 का जो फ्लड माही और बनास में आया उसी तरह इस बार भी पानी आस पास के गांवों में घुस गया था उससे फसलें नष्ट हुई हैं। जिलाधीश महोदय ने सही सही जांच नहीं कराई तो वहां की रिपोर्ट सही नहीं आयेगी। इन नदियों में बाढ आजाने के कारण फसलों का काफी नुकसान हुआ है।

(श्री नाथूराम)
सरकार द्वारा जांच की कार्यवाही करनी चाहिये ।

बांसवाडा डिस्ट्रिक्ट में इस साल पानी अधिक बरसा है । वर्षा पहले तो हो गई लेकिन अब जब कि वर्षा की बहुत आवश्यकता है यदि पांच चार रोज में वर्षा नहीं हुई तो भयंकर दुष्काल की स्थिति बन जायेगी । इसलिये अभी से दुष्काल की स्थिति को जानकर उसकी स्थायी व्यवस्था के लिये कोशिश करनी चाहिये ।

बांसवाडा में बजाजसागर डेम का शिलान्यास 7 मई 1960 को श्री मुरारजी भाई द्वारा हुआ था । दो करोड रुपया भी इसमें लगा दिया लेकिन एक इंच भी बान्ध का कार्य शुरू नहीं हुआ है । बंगले वगैरह बन गये, धन का दुरुपयोग हुआ । अगर यही दो करोड रुपया और दुष्काल का रुपया माही में लगाया जाता तो माही डेम बनने का कार्य होता और सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाते और बरसात के लिये इस तरह तरसना नहीं पडता । बांसवाडा जिले में स्थायी व्यवस्था अकाल से बचने के लिये यही हो सकती है । माही योजना, बजाजसागर डेम को जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिये । इससे गुजरात राजस्थान और मध्यप्रदेश सब को बिजली मिल सकती है और लाखों एकड भूमि में सिंचाई हो सकती है । इस दुष्काल को मिटाने के लिये यह स्थायी योजना जल्दी से जल्दी आरम्भ करनी चाहिये ।

**श्री जगन्नाथ** (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपने म्हारा इलाका में जो अकाल पड रहयो है उण बाबत कहणो चावूं हूं । बाकी और जगहां के वास्ते और माननीय सदस्य ने जानकारी दे दी है ।

किसान अपनी आजीविका चलावा खातिर मवेशी पाले है । आज वांका मवेशी भूखा मरे है । इण वास्ते चारे रो बन्दोबस्त होणो चावे ।

बीकानेर, जसलमेर, बाडमेर, जोधपुर इण इलाका में बरसा नहीं हुई । म्हारो ओ ही निवेदन करनो है कि माननीय मन्त्री जी अच्छी तरह गौर करे और इण रो जल्दी से जल्दी प्रबन्ध करे । मूं जिस क्षेत्र से आयो हूं उस क्षेत्र की बाबत आपने कहण चावूं हूं । इण इलाका में पहला पांच दिन बरसा नहीं हुई । दूसरी बार जब पानी बरस्यो तो बाढ आगई । इण बात री पहली ही सरकार ने जानकारी दे दी गई थी । आज हालत आ है कि लोग पानी रे वास्ते दौड रहया है फसल सूख रही है । मैं इरीगेशन डिपार्टमेन्ट का अधिकारियां सूं मिल्यो टोंक में जाकर लेकिन मेहारी सुनवाई वे कोनी करी । वहां मक्का की फसल अच्छी है ।

टोंक जिले में चार बडे बन्ध हैं । मासी टोरडी सागर, गलवे, मोती सागर । टोरडी को 32 फीट की भराई है । 22.8 इन्च कमांड कर सकता है । इसकी तीन नहरें हैं । दक्षिण नहर का कमांड का क्षेत्र मेरा टोडारायसिंह का क्षेत्र आता है । पर उसको 11 फीट ही कमाण्ड करेगा क्योंकि बाकी उत्तरी नहर में पानी जावेगा ।

वहां की जनता ने रिपोर्ट दी, क्योंकि मैं वहां का सदस्य था, एस. डी. ओ. साहब से भी कहा यह बन्दोबस्त नहीं हो सकता । नहर जगह जगह टूटी हुई है । साइडें उसकी खराब हैं । कहा भी माननीय एस. डी. ओ. साहब मेरी

(श्री जगन्नाथ)

अर्ज सुनो। यहां का मैं एम. एल. ए. हूं। आप मेरी बात नहीं मानते। यह एरिया मेरा नहीं होकर अगर किसी मन्त्री का होता आप जरूर भाग भाग कर काम करते। मैं बडे दुख के साथ कहता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं मन्त्री महोदय की ज्यादा बात नहीं कहता और नहीं ऐसी काट करता हूं। मन्त्री महोदय तो काम करते हैं। पर अर्ज यह है कि एक किसान के क्षेत्र को राज्य का कर्मचारी नहीं देखता। उस क्षेत्र के सदस्य की कर्मचारी रिपोर्ट नहीं सुनते। मेरे क्षेत्र का हर कर्मचारी और हर डिपार्टमेन्ट का आदमी मेरे निवेदन पर गौर नहीं करता। वे कहते हैं यह तो किसान है, अनपढ है कुछ जानता नहीं। पर मैं उनकी हर हरकत को कान्फीडेन्शल रिपोर्ट जो सरकार ने दी है डायरी में नोट करता हूं। वे मेरी जमीन नहीं छीन सकते। मैं पहले भी नहीं दबा। पर राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि पानी जल्दी से जल्दी टोरडी सागर का मोती सागर का और मसी बान्ध का छोड दिया जावे ताकि किसान को मौके की फसल पिलाने का मौका मिल जाय। इसमें जल्दी हो जाय। और पानी बचेगा वह रबी में दे दें। उससे गुजारा कर सकते हैं। इतना ही मेरा निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री श्रवणलाल !

**श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): उपाध्यक्ष महोदय, अकाल और बाढ के लिये दो दिनों से चर्चा चल रही है। सबसे पहले मैं यह कहने जा रहा था कि इस बाढ का और अकाल का मुख्य कारण क्या है ? आज हमारे देश में हमारे राजस्थान में भी इस प्रकार के कुछ अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार पनप गये हैं कि जिसके कारण से भगवान भी हमसे असन्तुष्ट होने लग गया है और उन पापों का फल आज जनता को इन इलाकों में अकाल और बाढ के रूप में दे रहा है। जहां कि ये कर्णधार इस राजस्थान के मन्त्रिमन्डल के सदस्य अपनी गलत और भ्रष्टाचार से ओतप्रोत नीतियों के द्वारा इस जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं उनके पापों का फल लोगों को मिला। उपाध्यक्ष महोदय, सौभाग्य से हमारे यहां के इलाके का मन्त्री अब तक इस मन्त्री मण्डल में नहीं था इसलिये हमारा वह इलाका इस पाप के दंड से वंचित रहा पर इस साल बदकिस्मती से हमारे क्षेत्र का एक मन्त्री भी इसमें आ गया और इसका फल हमारे क्षेत्र को भी भोगना पडा जो सवाई माधोपुर और खण्डार के इलाके को बाढ के रूप में मिला। ये पैसा खा जाते हैं अकाल के नाम पर भी। हरिजनों की भलाई के लिये स्वीकृति से प्राप्त पैसे में से भी ये खा जावें। उनके मवेशियों और बच्चों का हिस्सा भी ये चबा जावें।

उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे कि हमारे यहां पर सवाई माधोपुर में जब बाढ आई और इसके कारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले हरिजनों के घर बह गये उसके लिये जो सरकारी सहायता आई उसमें भी भेदभाव बरता गया कि यह कांग्रेसी है, इसको दिया जाय, यह जनसंघी है, इसको न दिया जाय। यह कांग्रेस का वार्ड है और यह जनसंघ का वार्ड है या यह स्वतन्त्र पार्टी का वार्ड है। इस प्रकार के दुर्व्यवहार करने से भी ये नहीं चूकते।

(श्री श्रवणलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ इस सहायता के पैसे का काफी दुरुपयोग भी ये करते हैं। पिछले साल भरतपुर में बाढ आई। उसमें ये लोग देखने गये तो उसमें एक लाख 37 हजार 37 रुपये का तो पैट्रोल फूंक दिया। बीस हजार इन्होंने टी., ए. डी. ए. में खर्च कर दिया। इतना पैसा गया इनकी जेब में या इनके अधिकारियों की जेबों में। अधिकारियों ने मनमाने ढंग से टी. ए., डी. ए. बनाया। इसके बाद भी इनको सब्र नहीं है चार चौकडी मलबा या मिट्टी हटाई या खोदी तो बताते हैं चार सौ चौकडी मिट्टी खोदी और उसका पैसा खुद डकार गये। पांच आदमियों को भोजन कराया और एन्ट्री कर दी पांच सौ परिवारों को भोजन कराया और उसकी व्यवस्था में इतना खर्चा हुआ। वह पैसा अपनी जेब के हवाले किया। ये हथकण्डे हैं इनके। इन हथकण्डों से इन अवसरों पर भी ये बाज नहीं आते। उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर की उस बाढ को मैंने अपनी आंखों देखा है। लोगों ने एक एक पैसा चन्दा करके रोटियां बनाकर सब्जियां एकत्रित करके गांव गांव में पहुंच कर लोगों को राहत पहुंचा रहे थे तब ये कांग्रेस के महारथी स्टेशन के पास तप लगाकर हवन कर रहे थे। इस हवन से उनकी भूख कैसे ठंडी होगी, यह उनसे पूछे कोई पूछने वाला कि कैसे इन हवनों से बाढ का पानी समाप्त होगा? बाढ में घिरे हुए मवेशी और आदमियों की रक्षा होगी?

इसी प्रकार से हमारे ये अधिकारी सर्व सर्वा ढोल पीटते हैं कि हम मवेशियों की रक्षा करेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे, खाने पीने का इन्तजाम करेंगे। दवाइयों का प्रबन्ध करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था इनके बूते की बात नहीं है। ये तो यह व्यवस्था करना जानते हैं कि कैसे पैसा डकारा जाय, इसकी क्या प्लान बनाई जाय, ग्राम काकियां और ग्राम चाचियों की योजना भी ये बनाना जानते हैं।

सबसे पहले जरूरत थी हमारे इस क्षेत्र के लिये कि छोटे छोटे बान्ध बनाये जाते। बडे बडे बान्ध कम बनाते। इससे पानी चारे की समस्या हल हो सकती थी। बडी बडी योजनायें बनाकर फिजूल खर्चियों के द्वारा इन्होंने तो धन हडपने की योजना बनाई।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं अनेकों बार फेमिन के यहां प्रश्न आते हैं और इस बात की मांग की जाती है कि अमुक काम के अन्दर लेबर को पैसा नहीं चुकाया जाता है। बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं और उनको पैसा नहीं दिया जाता है और उनको हाजरी भी ठीक से नहीं करते हैं। जहां अकाल राहत कार्य चल रहे हैं वहां पर पैसा नहीं दिया जाये और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो तो मैं इससे ज्यादा शर्म की बात और दूसरी नहीं समझता कि आदमी भूखों मर रहे हैं और अपने बच्चों के लिये रात दिन मेहनत कर रहे हैं और उनको तनख्वाह भी नहीं दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ हमारे सामने कई सालों से बाढ और अकाल की स्थिति है इसलिये हमें इमीडियेटली काम करना चाहिये। जो आप ढोल पीटते हैं और अखबारों में घोषणा करते हैं वह घोषणा हमें नहीं चाहिए। हम अकाल के नाम पर पैसा लेना चाहते हैं, उसको सही ढंग से खर्च किया जाये और इस प्रकार की हिदायतें होनी चाहिए कि जिस पैसे को हम गरीब आदमी को देना चाहते हैं उसको मेहनत के एवज में, जो अपनी

(श्री श्रवण लाल)
मवेशियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके मवेशी मर रहे हैं उनकी रक्षा के लिए जो पैसा यहां से जाता है उसके एक एक पैसे की रक्षा होनी चाहिए, एक एक पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। अगर यह सही माने में हुआ तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ उनका भला हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मेरे से पूर्व वक्ता ने कोशिश की है कि जिन स्थानों पर अकाल पडा है उनमें शराब की दुकानों को बन्द कर देना चाहिए, मैं भी इसका हामी हूं। अगर शराब की दुकानें होंगी तो कुछ आदमी जिनके पास पैसा है वह शराब पी पी कर आज दर दर के भिखारी हो गये हैं। उनको बचाने के लिए और पता नहीं क्या उनको इस युग के अन्दर करना पडेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसे स्थानों पर शराब को बन्द कर देना चाहिए। जहां अकाल है वहां चारे को व्यवस्था इमीडियेटली करनी चाहिए। इसी के साथ-साथ जिस जिले में मवेशी हैं और उनके लिए चारे की कमी है उसके लिए जहां जंगल हैं वहां मवेशियों के लिए छूट दे देनी चाहिए कि वह अपनी मवेशियों को लेकर वहां पहुंच जायें। इसी के साथ-साथ मेरी जो सबसे मुख्य बात है वह यह है कि आज हमारे राजस्थान का अनाज बाहर जा रहा है। इस अनाज को रोक हमको करनी पडेगी और जब तक हम इस अनाज को रोक नहीं करेंगे तब तक हमारे यहां का राजस्थान का जो भी अनाज है वह सब बाहर चला जायेगा। इसलिए आज हमें इसकी जरूरत है कि तहसील का तहसील में अनाज रोक दिया जाये और जिले का जिले में रोक दिया जाये और राजस्थान के बाहर अनाज को नहीं जाने दिया जाये . . .

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा**: जिले का जिले में अनाज रोक दिया जाये तो हम तो मर गए फिर उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के दिनों में कहीं से अनाज नहीं आयेगा। यह कोई सुझाव है ?

**श्री श्रवणलाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोकुलप्रसाद जी ने जो ऐतराज उठाया है उसको मैं वापिस लेता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष**: समय ज्यादा हो गया है।

**श्री श्रवणलाल**: राजस्थान में ही रहना चाहिए और उससे बाहर नहीं जाना चाहिए और उन इलाकों में स्पेशल रूप से पहुंचा दिया जाना चाहिए कि जहां भीषण अकाल है। इसी के साथ साथ में आपके द्वारा मन्त्रियों से इस प्रकार की मांग करता हूं कि ऐसे समय में जहां अकाल का संकट है, पैसे का अभाव है, पैसा हमारे पास नहीं है ऐसी स्थिति में हमको मन्त्रीमण्डल के ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए और दो, चार या दस मन्त्रियों को इस समय स्थगित करके बादमें अगर मानलें कि अकाल की साया हट गई है तो फिर बढा सकते हैं तो मुझे ऐतराज नहीं है। उससे हमारी काफी बचत हो सकती है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आर्डर, आर्डर- माननीय रामचन्द्र !

**श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल और बाढ के सम्बन्ध में दो रोज से बहस हो रही है और इसके बारे में काफी प्रकाश डाला जा चुका है। इस संदर्भ में मैं भी दो तीन सुझाव सदन के सामन

(श्री रामचन्द्र आर्य)

प्रस्तुत करना चाहता हूं। आशा है कि यह गूंगी और बहरी सरकार इस ओर ध्यान देगी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर आज जो अकाल सहायता सम्बन्धी कानून बने हुए हैं यह बिल्कुल निकम्मे हैं और इनकी व्यवस्था के अनुसार गरीबों को मजदूरी बहुत कम मिलती है और पडौसी राज्यों के मुताबिक ही लोगों को मजदूरी दिलाई जाये। सबसे पहला यह सरकार का कर्तव्य है कि जितनी मजदूरी है खुले बाजार में उससे आधी मजदूरी तो कहतसाली के मजदूरों को मिलनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आज जो व्यवस्था पी. डब्लू. डी. के हाथ में फेमिन वर्क्स चलाने के लिये दे रखी है यह बिल्कुल निकम्मी व्यवस्था है। यह महकमा बिल्कुल चोर है और जितना यह महकमा है पुराना उसके लिए सब को मालूम है कि 10 पर्सेन्ट तो यह लेते ही हैं और आज इतना बडा काम इनके हाथ में नहीं होना चाहिए। यह सारा का सारा फेमिन का प्रबन्ध पंचायत समिति, जिला परिषदें और पंचायतों के हाथ में होना चाहिए यहां गडबड भी होगी तो बहुत कम होगी और सही ढंग से लोगों को मजदूरी मिल सकेगी और रुपया सही ढंग से खर्च हो सकेगा।

अभी मैं गंगानगर के लिए आपको थोडा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। गंगानगर में पिछले साल काफी गांवों में कहतसाली पडी और 100 से ज्यादा गांव अकाल में थे लेकिन इस सरकार ने नोहर तहसील को शायद पाकिस्तान समझ रखा है कि उस जगह पर कोई रुपया नहीं लगाया जाये। केवल 13 हजार रुपये उन गांवों में खर्च किया, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? सूरतगढ़, अनूपगढ़ और रायसिंहनगर का कुछ क्षेत्र भयंकर रूप से इस बार अकाल में है और बरसात नहीं हुई है और बहुत सा इलाका कहतसाली में परिवर्तित हो जायेगा।

इसके साथ-साथ मैं बाढ़ के बारे में भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। गंगानगर जिले में इतनी बाढ़ आती है। पिछली साल रावतसर के रकबे में एक मुसलमानों की ढाणी है जिसमें 30 घर थे वह बिलकुल तबाह हो गए और इस साल भी हुआ। उनकी फसल और अनाज वगैराह सब डूब गया। उनको एक रुपये की भी सहायता नहीं दी गई और उनसे डबल आबियाना वसूल किया गया यह है नमूना इस निकम्मी सरकार का और इस नौकरशाही का। कोई भी इस राज्य में सुनाई नहीं करता जितने बाढ़ पीडित हैं उनको सहायता नहीं मिली। इस साल भी सैंकडों काश्तकारों की फसल डूबी और लाखों रुपयों का नुकसान हुआ लेकिन आज तक किसी को एक धेला नहीं मिला। बडोसर गांव का जिस गांव का यहां मंत्री भी बैठा है वहां पर सौ हरिजनों के घर बरबाद हो गये थे, लेकिन उनको एक पैसा भी नहीं मिला। इस प्रकार की भेद-भाव पूर्ण नीति जो इस सरकार में चल रही है उसको दूर किया जावे।

यह इनके बस की बात नहीं है। जब तक यह शासन नहीं बदलेगा तब तक यह फेमिन कोड नहीं बदल सकता है।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा** : आप नहीं बदल सकते हो इस शासन को।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : मैं मान लूंगा आपको, आप इस कानून में परिवर्तन कर दीजिये। लेकिन आप नहीं कर सकते। यह आपके

(श्री रामचन्द्र आर्य)
बस की बात नहीं है। सुखाडिया जी जैसा कहेंगे वैसा आपको चलना पडेगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : नेता महोदय जैसा कहेंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। हम आपकी तरह नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में आप सुधार करिये। अगर इस कानून में सुधार नहीं करेंगे तो अकाल-ग्रस्त लोगों की मदद नहीं हो सकती है। इसके लिए मैंने जो सुझाव दिये हैं इनके ऊपर अमल किया जाय। मेरा निवेदन है कि जिन इलाकों में कहतसाली है, जिन इलाकों में अकाल है वहां के लोगों की आप मदद करिये। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जाना पडेगा। अकाल से जो पीडित लोग हैं वह इस व्यवस्था और सत्ता के खिलाफ विद्रोह करेंगे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : घग्घर की बाढ़ से तो गंगानगर जिले को लाभ हुआ है। घग्घर की बाढ को लोग मानता मानते हैं। बीकानेर के महाराजा गंगासिंह जी तो घग्घर की बाढ़ के लिए साल में दो दफा अनुष्ठान करवाते थे। आप कहते हैं कि घग्घर की बाढ़ से जुल्म हो गया और आप घग्घर की बाढ़ के लिये चिल्ला रहे हैं। लेकिन घग्घर तो दयालू है उसकी बाढ़ से तो लोग निहाल हो जाते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : घग्घर की बाढ़ में दस आदमी डूब कर मर गये। आप भी उसमें मरिये। आपको भी उसमें डूब जाना चाहिए।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : डूब गये, यह दूसरी बात है। मैं तो घग्घर की बाढ़ के लाभ की बात कह रहा था।

श्री रामचन्द्र आर्य: आप तो जिन्दा ही मरे हुए हैं। आप घग्घर की बाढ़ का समर्थन कर रहे हैं। आप जिन्दा ही मरे हुए हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि अन्धे के आगे रोना और अपने नैना गंवाना। इस हाउस के अन्दर बाद और अकाल पर जो दो दिन में बहस हुई है....

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए आप अपनी बात यही समाप्त कर दिजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बहस निरर्थक है। बहस में दिये गये सुझावों पर कोई अमल सरकार नहीं कर सकेगी। अगर आप कहते हैं कि करेगी तो जो मैंने सुझाव दिये हैं-एक तो पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत कोई काम नहीं होना चाहिये। पंचायतों की मार्फत यह सारे काम होने चाहिए। और दूसरे फेमिन कोड के अन्दर परिवर्तन करके मजदूरी बढ़ाई जाय। इन दो बातों को आप मान लेंगे तो काफी काम राजस्थान में हो जायगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत काम नहीं हुए तो हालत यह हो जायगी कि आज तक जो काम हुआ है वह भी नहीं होगा, झूंठे मस्टर रॉल भरे जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! इस तरह चर्चा लम्बी हो जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर विराजमान हैं, इन पर आप पाबन्दी लगाइये, यह बीच में बोलें नहीं। अगर यह चाहते हैं कि हम नहीं बोल सकें तो आप जब कभी खड़े होंगे तो आप नहीं बोल सकेंगे। आपमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा:** ठेकेदारी है, नहीं बोलने देंगे।

**श्री रामचन्द्र आर्य:** राजस्थान में अकाल और बाढ के कारण अव्यवस्था हो रही है और आप इस पर मजाक कर रहे हैं। शर्म नहीं आती। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान के अन्दर हो और आप शासन का समर्थन करते हैं। किस प्रकार आप समर्थन करते हैं, इस राज्य सरकार के द्वारा हमारा करोडों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है फिर भी राज्य के मजदूर को अकाल राहत कार्य में बीस पैसे मिलते हैं। उनमें लोगों को राहत नहीं मिल सकती है। ऊपर के ऊपर झूठे मस्टर रोल बना कर, झूठे बिल बना कर राज्य का पैसा हडप कर जाते हैं। यह असली बात है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि दो रोज में काफी बहस हो चुकी है। अगर सरकार के अन्दर समझने का माद्दा है और समझते हैं कि शासन को चलाना चाहिए ठीक ढंग से तो फेमिन कोड में परिवर्तन करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो इस राजस्थान की दो करोड जनता भी इस बात को कभी सहन नहीं कर सकती है। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर अमल करने के लिए आप शासन पर दबाव डालें क्योंकि आप लोगों की संख्या ज्यादा है, आप हां पक्ष में हैं, हम ना पक्ष में हैं। हमारी पार्टी और हमारा दल अल्प मत में है और आपका दल बहुमत में है। आपके हाथ के अन्दर ताकत है। आपके हाथ के अन्दर ताकत होते हुए भी आप जनता का भला नहीं कर सकते तो आपको इन कुर्सियों पर रहने का कोई हक नहीं है। इनको आप इन कुर्सियों से हटा दीजिये ताकि राजस्थान की दो करोड जनता को सुव्यवस्था देने का प्रबन्ध दूसरे जन प्रतिनिधि कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री कुन्नीलाल इन्दलिया:** उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। एक बात रह गई है।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री रामनारायण! पांच मिनिट।

**श्री गिरधारी लाल व्यास:** दुबारा बोलने का कायदा नहीं है। यह तार दे दें जाकर। रामनारायण जी को दे दें।

**श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं बहुत संक्षेप में आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राजस्थान में प्रकृति का जो प्रकोप हुआ है उसकी वजह से, बाढ की वजह से राजस्थान में भयंकर नुकसान हुआ है। राजस्थान के दूसरे जिलों के साथ साथ जिस जगह से मैं चुन कर आया हूं झुंझुनू जिला, वहां पर भयंकर नुकसान हुआ है, एक आदमी की जान चली गई और लाखों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि पूरे मन्त्रिमण्डल ने घटना स्थल पर जाकर लोगों को सांत्वना दी और तुरन्त उन तक सहायता पहुंचाने की चेष्टा की और सहायता पहुंचाई गई। जो काम राजस्थान सरकार ने तत्परता से किया है, उसके लिए तो मैं राजस्थान सरकार की सराहना करना चाहता हूं लेकिन उसमें जो

(श्री रामनारायण चौधरी)

कमी रही गई है उनके सम्बन्ध में संकेत देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले फ्लड के वक्त झुंझुनू जिले में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। इसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया है। मैं मंडावा के बारे में, जहां से मैं चुनाव जीत कर आया हूं, निवेदन करना चाहता हूं। मंडावा में दो लाख 50 हजार रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है और एक आदमी की जान वहां गई है। राजस्थान सरकार के चीफ मिनिस्टर साहब, रिलीफ मिनिस्टर साहब और कबिनेट के दूसरे सदस्य वहां घटना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने घटना स्थल पर पहुंच कर लोगों को आश्वस्त किया। कुछ इमीजियेट रिलीफ दिया। इसके अलावा कुछ इस प्रकार के आश्वासन राजस्थान सरकार ने वहां पर दिये। उनको कार्यान्वित करने में कुछ कमी रही है, जिनकी ओर मैंने रिलीफ मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित किया है, और मैं पुनः उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंडावा में फ्लड मान कर फ्लड का जो क्राइटेरिया है, उसके आधार पर जो बचे हुए लोग हैं और जिन्होंने फ्लड क्राइटेरिया के हिसाब से सहायता न दिये जाने के कारण सहायता लेने से इन्कार किया है, उनको फ्लड क्राइटेरिया के हिसाब से रिलीफ दिया जाय। दूसरी बात यह है कि झुंझुनू जिले में हमेशा एक साल छोड़ कर दूसरे साल अकाल पड़ता आया है। इसका कोई स्थाई हल करने के लिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से रिलीफ मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां भी ट्यूब वैल्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट खुदवाता है, यह झुंझुनू जिले में खुदवाने चाहिए। कल जो एक प्रश्न के उत्तर में इस सदन में बताया गया था उसमें मने देखा कि चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाडमेर इन जगहों पर अकाल के कारण भारी संख्या में ट्यूब वैल्स खुदवाये हैं। मेरा निवेदन है कि झुंझुनू जिला भी हमेशा से अकाल में रहता है और इस वर्ष तो ऐसी स्थिति बन गई है कि झुंझुनू जिले में भयंकर अकाल की छाया पड रही है, और उसके लक्षण भी बन चुके हैं क्योंकि अब पानी पडने के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं इसलिए वहां पर कुछ ट्यूब वैल्स खुदवाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही गांवों में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाय। इस प्रकार अकाल का स्थाई हल खोजने की कोशिश की जाय।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे झुंझुनू जिले के कुल गांवों में से 60 गांव ऐसे हैं जहां खारा पानी है। वहां पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए स्थाई हल खोजने का प्रयत्न करना चाहिए, वहां पर ट्यूब वैल्स को खोद कर उनके जरिये से पानी को सप्लाई करने की व्यवस्था की जाय, जैसा बाडमेर और जैसलमेर में इस सरकार ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने जो बातें कही हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत मन्त्री महोदय मंडावा में जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक गौर करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा सोर्ड एण्ड स्वीट !

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय !

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल

(श्री परसराम मदेरणा)

और आज दो दिन की बहस में सदन के 27 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है। जैसा कि कल मैंने मोशन मूव करते वक्त बाढ और अकाल की स्थिति पर इस सदन के विचार करने के लिए उस वक्त प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि अकाल की स्थिति काफी गम्भीर है और जो कुछ भी मैं कह रहा था यह इसलिए नहीं कि सदन के माननीय सदस्यों के सामने कोई बढा चढा कर बात कह रहा था लेकिन मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो बाढ और अकाल की आज समस्या और गम्भीर मसला है, जिस पर राजस्थान के लाखों लोगों का भविष्य निर्भर है-इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने कुछ बातें उठाई, मैं उनका उत्तर देता लेकिन वह सदन से अनुपस्थित हैं।

सबसे पहले उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने अकाल के बारे में जो सुझाव यहां रखे, वे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे, इसलिए कि आपका राजस्थान के मरुस्थल से और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से नजदीक का सम्बन्ध है और इसलिए यहां की समस्याओं को जोग्राफिकल कन्डिशन्स को, क्लाइमेट की प्रोब्लेम को, और उन प्रोब्लेम्स को फेस करने के लिए जिन दिक्कतों का लोगों को सामना करना पडता है, उनकी आपको जानकारी है। उपाध्यक्षजी, आप सैन्ट्रल डेजर्ट डेवेलमेन्ट बोर्ड के सदस्य हैं। भारत सरकार ने सेंट्रल डेजर्ट डेवेलपमेन्ट बोर्ड इसलिए स्थापित किया है कि मरुस्थल की समस्या अपने आप में एक बडी समस्या है। सेंट्रल डेजर्ट डेवेलपमेन्ट बोर्ड ने कुछ स्कीम्स ली हैं और उनको इम्प्लीमेंन्ट करने के लिए राजस्थान सरकार ने भी एक योजना बनाई है। राजस्थान सरकार जैसा कि आपने बताया, आपका सुझाव था कि राजस्थान में अक्सर अकाल की छाया निरन्तर रूप से राजस्थान के कुछ इलाकों में पडती रहती है, इसलिए अकाल की मीनेस को मीट-आउट करने के लिए जो उपाय किये जायें वे परमानेन्ट नेचर के होने चाहिए, ताकि जब कभी अकाल पडे तो अकाल की सीवयोरिटी और इन्टेन्सिटी को कम किया जा सके। इसके लिए राजस्थान सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने से पूर्व एक वर्किंग ग्रुप बैठाया था, वह वर्किंग ग्रुप अकाल सहायता कमिश्नर की चेअरमैनशिप में बैठाया था और उस वर्किंग ग्रुप ने एक बहुत बडी रिपोर्ट प्लानिंग डिपार्टमेन्ट को दी है। उस रिपोर्ट में दो बातों के सुझाव दिये हैं, उन्होंने राजस्थान के क्रोनिकल अफेक्टेड क्षेत्र हैं उनके लिए अलग योजना बनाई है और डेजर्ट इलाकों के लिए अलग योजना बनाई है। पहली योजना के लिये उन्होंने 21 करोड 22 लाख का प्रावधान रखने की एक तजवीज पेश की है, उस तजवीज में, जितने मुद्दे आपने कल उठाये थे, चाहे पाश्चर लैंड का था, चाहे ट्यूब वैल्स खोद कर वाटर की प्रोब्लेम को हल करने का था, चाहे पाश्चर लैंड के डेवेलपमेन्ट का प्रश्न हो, पेय जल की समस्या का हल करने के लिये किस तरह प्रायोरिटी करनी चाहिए, इन सब बातों में तफसील से यह वर्किंग ग्रुप गया है और 21 करोड 22 लाख की स्कीम राज्य सरकार के सामने रखी है, व राजस्थान सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के सामने विचाराधीन है।

उपाध्यक्षजी, मैं आपके उस सुझाव से भी सहमत हूं कि मरुस्थल के इलाके में, वहां की समस्याएं अलग हैं इसलिए बंगाल की तरह एक ही पैटर्न रखा जाता है तो वह सूट नहीं

# Page No. 176



(श्री परसराम मदेरणा)

करता। 11 व 12 जून को हिंदुस्तान के सब मुख्य मंत्रियों की, कम्युनिटी डेवेलपमेंट मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स मद्रास में हुई वहां यह प्रश्न आया और डिस्कशन के बाद सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि पंचायत समितियों का बजट एस्टिमेट हो उसमें वर्क फैक्टर कायम नहीं किया जाना चाहिए और अलग अलग राज्यों को वहां की कन्डिशन्स के अनुसार, उनकी जरूरतों के अनुसार बनाने की फ्रीडम रहनी चाहिए। इसलिए आपके सुझाव से जहां तक राजस्थान सरकार का प्रश्न है, वह सहमत है। उसके साथ-साथ ट्यूब वैल्स के बारे में कहा, वर्किंग ग्रुप ने ट्यूब वैल्स के बारे में सिफारिश की है कि उन इलाकों में जहां हमेशा अकाल पड़ते रहते हैं, रेगिस्तान के इलाके नहीं हैं, हिल्ली एरियाज हैं, बांसवाडा, बागीडोरा है, यह उस एरिया में लिये हैं जहां हमेशा अकाल पडते हैं, उनकी अलग प्रोब्लेम हैं उनको लिया जाना चाहिए, इसमें भीलवाडा की आसिंद तहसील आती है, जहां अकाल पडते रहते हैं, उनको अलग लिया है और उनके लिये अलग योजना बनाई है। वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की है कि अगर उसी तरह से धनराशि का प्रावधान रखा गया तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि परमानेन्ट तरीके के जो उपाय सोचे गये हैं, वह किये गये तो काफी हद तक अकाल की समस्या का हल किया जायगा।

पेय जल के बारे में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे सदस्यों ने काफी जोर दिया...

**श्री मदनसिंह** (दांतारामगढ) : यह योजना की रिपोर्ट कब आ गई थी, तैयार कब हुई थी?

**श्री परसराम मदेरणा** : वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन रिलीफ कमिश्नर थे, दूसरे डिपार्टमेन्ट के टैक्निकल आदमी भी इसमें सदस्य थे, इस मई जून में दिया गया और सवा महीने में रिपोर्ट तैयार कर के पेश कर दी है। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में एक ही बात पर जोर दिया है कि भयंकर अकाल पडते रहते हैं। डेजर्ट एरिया की खुद की प्रोब्लेम है, डेजर्ट इलाके को स्कीम में, सेंट्रल डेजर्ट डेवेलपमेंट बोर्ड जो स्कीमें चालू करता है, उनके साथ में डेजर्ट एरिया की इन स्कीम्स को सप्लीमेंट करने का है, उसके साथ में को-ओर्डिनेशन होना चाहिये।

डेरी के बारे में सिफारिश है, कितने लाख रुपया एक स्कीम में खर्च करना चाहिये इसका ब्यौरा दिया है।

एक सुझाव उपाध्यक्षजी, आपने और दिया था कि रेगिस्तान में बडे बडे तालाबों को खुदाने की आवश्यकता है। एक दफा बरसने के बाद ऐसे तालाबों में तीन तीन सालों तक पानी खत्म नहीं होता है। पहले अकाल सहायता कार्यों में तालाबों के खोदने को शामिल नहीं रखा गया था पर पिछले साल से तालाबों को अकाल राहत कार्यों में शामिल रखने के आदेश दे दिये गये हैं। बीकानेर, जोधपुर, बाडमेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में 5 तालाब इस साल खुदवाये हैं। इसलिये कि रेगिस्तान की अपनी एक अलग प्रोब्लेम है, तालाब में से रेती निकाल कर अच्छी खुदाई नहीं करते हैं, जितना यह काम कम होता है उतना ही पानी कम रहता है, नतीजा यह होता है कि वहां के लोगों का पशुपालन का धंधा ही मुख्य रूप से है, ऐसी दशा में उनको बडी भारी दिक्कतों का सामना

(श्री परसराम मदेरणा)

करना पडता है। फैमीन वर्क्स में तालावों के खोदने का काम लिया जाना चाहिए, उसे पिछले साल से लिया है, आपके इस सुझाव से मैं सहमत हूं।

चिडावा से आने वाले माननीय सदस्य यहां नहीं है, उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे, विस्तार में नहीं जाना चाहता पर उन्होंने अकाल को जल्दी घोषित किया जाना चाहिए इस बात पर ज्यादा जोर दिया था। दूसरे माननीय सदस्य डूगरगढ से आने वाले हैं उन्होंने और दूसरे सदस्यों ने भी यह कहा कि अकाल जल्दी घोषित किया जाना चाहिए। यहां पोकरण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। हालांकि मैं हाउस में उपस्थित नहीं था फिर भी जो भी सदस्य कह रहे थे, मैं पानी पीने बाहर चला गया तो भी एक माननीय सदस्य बोले रहे थे, वह सब मैं सुन रहा था। मैं उनके सुझाव से सहमत हूं। 31 अगस्त, 1 सितम्बर को कलेक्टर्स की कान्फ्रेन्स बुलाई·····

श्री उपाध्यक्ष: सदन की अनुमति से मन्त्री महोदय का उत्तर समाप्त होने तक सदन का समय बढाया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा उसमें उनको यह आगाह कर दिया गया है कि अक्टूबर की 31 तारीख तक और पहली नवम्बर तक उनको अकाल के बारे में रिपोर्ट भेज देनी चाहिए। यह पहले था पर अब उनको मैंने आदेश दिया है कि कलेक्टरों को मालूम है कि उनके इलाके में कहां कहां है कहां कहां सोइंग कल्टीवेशन नहीं हुआ है, कहां कहां क्रोप खत्म हो गई है, इसलिए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी कलेक्टरों की मेरे पास पहुंच जानी चाहिए ताकि वहां जल्दी से जल्दी राहत कार्य शुरू करा दिये जायं। तो हम खुद इस कार्य को जल्दी से जल्दी प्रारम्भ करना चाहते हैं। क्योंकि फैमीन की इन्टेन्सिटी अगर 8, 10 दिन में वर्षा नहीं हुई तो कुछ जिलों के कुछ गांवों को छोड कर बडे पैमाने पर अकाल की स्थिति हो सकती है। इस स्थिति का मीट करने के लिये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी भेज दें।

(1 म. प.)

श्री रामचन्द्र आर्य: आप रिपोर्ट मांग लें जल्दी से जल्दी।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज, मन्त्री महोदय स्थान ग्रहण करें। दो दिनों से बहुत ही गंभीर समस्या पर विचार हो रहा था। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य मन्त्री महोदय के उत्तर को सुनलें और उसके बाद में अगर उनको कोई आशंका रह जाय तो पूछ सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य: बार बार कहा जाता है कि रिपोर्ट आनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा: इसलिए मैंने कलेक्टर्स को आदेश दिया है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी भेजनी चाहिए। मैं इस बात की कोशिश करूंगा और मैं फरदर इन्स्ट्रक्शन्स फिर देने वाला हूं कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जल्दी मेरे पास पहुंचनी चाहिए ताकि अकाल के बारे में जितनी कार्यवाही करनी है, की जा सके।

कठेवा के माननीय सदस्य ने एक बात कह दी कि घोषणा करनी चाहिए कि राजस्थान में एक भी आदमी भूख से नहीं मरने देंगे।

(श्री परसराम मदेरणा)

राज्य सरकार इस सदन में घोषणा करती है कि जहां तक अनाज का प्रश्न है, हमारे पास में स्टॉक्स हैं, भारत सरकार से हमने बात करली है और हम अनाज की समस्या पर तो काबू पा जायेंगे और राज्य सरकार इस बात का एलान करती है कि किसी भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया जायगा। बिजली के बारे में उन्होंने बात कही कि बिजली प्रसार का काम भी अकाल सहायता के परव्यू में लिया जाना चाहिए, यह प्रश्न भी कलेक्टर्स कान्फरेन्स में आया था और यह बात राज्य सरकार के विचाराधीन है। अगर इस तरह से बहुत बडी कठिनाई हो जाती है और उस कठिनाई के अन्दर किसी तरह मवेशियों के बचाने का और ज्यादा अन्न उत्पादन का प्रश्न रहता है तो बिजली के कुओं को कनेक्शन्स ज्यादा से ज्यादा कैसे दिए जायें और दूसरी जगह बिजली को कैसे कम किया जाय, इस बात को राज्य सरकार ऊंचे स्तर पर विचार कर रही है, वर्क आउट किया जा रहा है और वर्कआउट करने के बाद में जो कुछ निर्णय लिया जायगा, उससे मैं माननीय सदस्यों को अवगत करा दूंगा।

डूंगरगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने सडक के मुआवजे के बारे में कहा। जहां तक अकाल सडकों के मुआवजे का सवाल है, बीच में आब्स्ट्रक्शन खडी करते हैं रिलीफ की सडक चालू करते हैं तो एक-दो आदमी फंस जाने से सरकार के सामने यह कठिनाई है लेकिन राहत कार्य इतनी तेजी से शुरू करने पडते हैं कि लड का हम एक्वायर करके उसके बाद में मुआवजा देकर फिर राहत कार्य चालू करें तो देरी हो जायगी। यह इमरजेन्सी नेचर का काम होता है। 99.9 प्रतिशत लोग राहत कार्य के लिए जो सडकों के काम होते हैं किसी तरह आब्स्ट्रक्शन नहीं डालते लेकिन एक परसेंट कहीं कोई बात आ जाती है तो सडक बीच में रुक जाती है और सब प्रोसीडिंग्स हमें करनी पडती हैं जो लड एक्वीजीशन एक्ट के नीचे हैं और उसमें समय लग जाता है।

डूंगरगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात अकाल के बारे में कही कि अकाल घोषित करने में पक्षपात किया जाता है और उन्होंने एक पंचायत की बात कही। जैसे सदन में पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। जहां तक अकाल घोषित करने का सवाल है और गजट में नोटीफाई करने का सवाल है, उसका एक ही रास्ता है। हमने जो नार्म निर्धारित किया है वह गिरदावरी के बेसिस पर किया है। नसीराबाद का मामला भी सदन में आया था लेकिन जहां ऐसा गांव नहीं है जो जिसकी गिरदावरी 50 प्रतिशत डैमेज्ड नहीं है तो उसको अकाल पीडित घोषित करना मेरे लिए संभव नहीं है। हो सकता है कि वास्तव में गिरदावरी ठीक नहीं की गई हो, उसके लिए राजस्व विभाग इन्सपेक्शन करता है वह स्पाट पर जाकर चैक करता है उसके बाद में जब ऐसी शिकायत सरकार के पास आती है तो दुबारा में रिपोर्ट मंगाता हूं। जब कभी मेरे पास मामला आया है कि खराबी 50 प्रतिशत नहीं है तो मेरे लिए संभव नहीं होता। तो राज्य सरकार की सैटिस्फैक्शन कोई मायने नहीं रखती। इसलिए प्रोसीजर से मैं डेवीएट नहीं होना चाहता। सदन यदि इजाजत दे कि चाहे

(श्री परसराम मदेरणा)
गिरदावरी कुछ भी है तो उसमें वैसे ही कार्यवाही की जायगी।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा:** सदन सर्व-सम्मत है।

**श्री परसराम मदेरणा:** यहां पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा नहरी इलाके के अन्दर चारे के उगाने का प्रबंध करना चाहिए। कलेक्टर्स कान्फ्रेन्स में जब 31 तारीख को यह मामला हमारे सामने आया कि राजस्थान नहर के अन्दर कुछ पानी है और इसमें टेम्प्रेरी कल्टीवेशन करें तो चारा उग सकता है इसलिए कालोनाइजेशन के डाइरेक्टर को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अन्दर बताए कि कितनी जमीन वहां पर खाली पडी है और उसके अन्दर कौन अपना मवेशी भेजना चाहता है। बीकानेर की राठी नस्ल सबसे अच्छी नस्ल है। बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कोलायत के लोगों को टेम्परेरी कल्टीवेशन की इजाजत दी है। मेरे पास ऐसी इत्तिला नहीं है कि कोलायत के लोग वहां जाकर बसे हैं क्यों कि एक माननीय सदस्या वहां से जीतकर आई है। जो कुछ आरोप लगाया है, मैं समझता हूं निराधार है।

**श्री देवीदत्त गाडिया:** आप कैबीनेट के मंत्री हैं। मन्त्रिमंडल ने डिसीशन लिया है आप बता दें। राजस्थान नहर में कोलायत क्षेत्र के किसानों को टेम्प्रेरी कल्टीवेशन की इजाजत दी है या नहीं ?

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा:** कोलायत सूखा इलाका है। कोलायत में राजस्थान कैनाल का क्या ? कोलायत लम्बा चौड़ा है, आपने देखा नहीं है। एक जगह भी कोलायत तहसील में नहीं है। वह कोलायत से 100 मील दूर है।

**श्री उपाध्यक्ष:** आर्डर प्लीज। अगर किसी माननीय सदस्य की शंका रह जाय तो बाद में पूछ सकते हैं। केवल श्री देवीदत्त गाडिया का नाम लिया इसलिए बीच में बाधा उपस्थित न करें।

**श्री परसराम मदेरणा:** कुछ मुद्दे के प्रश्न आपने उठाये हैं, अगर उनका जवाब नहीं दूंगा तो आप कहेंगे कि आपको जवाब नहीं मिला।

मैं राजस्थान मंत्रिमंडल का सदस्य हूं। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी कैबीनेट की किसी मीटिंग में अनुपस्थित रहा हूं। इस प्रकार का मसला कैबीनेट के सामने नहीं आया कि कोलायत के लोगों को वहां ले जाकर बसाया जाय। यह मामला कलेक्टर्स कान्फ्रेन्स में जरूर आया था। बात यह की गई थी कि राठी नस्ल अनोपगढ़ से लेकर कोडाल तक व रणजीतपुरा के गांव अकाल में हैं वहां के लोगों को जमीन मिल जाय तो चारा उग सके, मवेशी बच सकते हैं। मवेशियों के बचने की बात इस संदर्भ में की गई थी जैसे जयपुर और चौहटन के माननीय सदस्यों ने मुद्दे की बात कही है कि जो मवेशी आज 12 महीने के अन्दर सूखा घास खाते हैं और किसी कैटिल ओनर के पास कितना चारे का स्टाक हो वह मवेशी बच नहीं सकता क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूं जहां अकाल अक्सर पड़ता रहता है। इसलिये हमने सोचा इस प्रकार मवेशियों को बचाना है तो थोड़ा बहुत इस

(श्री परसराम मदेरणा)
घास को उगाकर मवेशियों को बचा सकें तो बचाना चाहिये ।

वहां पर इस बात की भी चर्चा चली थी कि इतने मवेशियों को इतनी दूर पहुंचाना मुश्किल हो जावेगा । गंगानगर जिला, पंजाब से घास पूली लाकर दें, जल्दी से जल्दी ट्रान्सपोर्ट कर सकें, बीकानेर जिले में काफी मुश्किल समस्या होगी । मवेशी को बचाने का बड़ा गम्भीर मामला है । राज्य सरकार के प्रयत्नों से कितनी मवेशी बचेगी मैं आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं । दूसरी राज्य सरकारों को लिखा है कि मवेशी उनकी तरफ माइग्रेट हो रही हैं । हमारी मवेशी मध्य-प्रदेश को माइग्रेट होती है । बारां से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं । मध्यप्रदेश की आज की जो स्थिति है और तीस वर्ष पहले की क्या स्थिति थी, उन इलाकों में मवेशी जाती है और वहां पर धर्म भाई बने हुए हैं, लोग पहले टोह करके आये हैं और मुझे बता रहे थे, दो दिन पहले मेरे घर पर रहे थे, वहां पर भी इतनी मवेशी नहीं जा सकेगी क्योंकि बंजर के बंजर पड़े हुए थे वे सब हल के नीचे आगये हैं । मध्य प्रदेश भी उतना नहीं ले सकेगा । गुजरात में दो वर्ष पहले से कोई मवेशी नहीं जा रही हैं, बैन लगा रखा था । पिछले साल बाड़मेर और सांचोर के इलाके में अकाल की स्थिति थी । तो गुजरात गवर्नमेन्ट को लिख कर रिलेक्सेशन कराया, हमने लिखा और माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी चिट्ठी लिखी कि किसी प्रकार हमारी मवेशी को बचाने के लिये गुजरात को हमारी सक्रिय सहायता करनी चाहिए । भारत सरकार को अवगत करा दिया है कि स्थिति बडी गम्भीर है और हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए । मवेशी के माइग्रेशन की बात कही वह उनके ध्यान में है । कुछ इलाकों में अकाल पडा और कुछ में नहीं पडा तो वहां जाकर बच सकती हैं । लेकिन पूरा राजस्थान अकाल की चपेट में आता है तो वैसी स्थिति में, जैसा मैंने बताया 1 लाख मवेशी भिन्न भिन्न तहसीलों में भेजने का टारगेट बनाया और वह बरसात पर निर्भर करता है । बरसात नहीं हुई तो समस्यायें पैदा हो जावेगी और लडाई झगडा पैदा हो जावेगा । इस सम्बन्ध में एक माइग्रेशन अफसर की नियुक्ति के स्टेप ले लिये गये हैं । माननीय सदस्य बता रहे थे कि अफसर इन्टी-ग्रिटी वाला होना चाहिए । मैं जिन अफसर को लगा रहा हूं उनकी इन्टीग्रिटी के बारे में कोई डाउट नहीं कर सकेगा । लेकिन जो प्रोसीजर है उसके रिलेक्शेसन की बात आती है । इसको सदन गम्भीरता से देखता है । आडिट ऐतराज होते हैं और फाइनेन्स ऐतराज करता है और माननीय सदस्य भी नाना प्रकार के ऐतराज करते है, आज की स्थिति और होती है और उस वक्त की स्थिति बदल जाती है । बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गंवार का निकास कर दिया गंवार का निकास इसलिए नहीं किया था कि कांग्रेस के लिये चन्दा लेना था । गंवार राजस्थान के पश्चिमी इलाके में उगाई जाती है । इसके ज्यों ज्यों भाव गिरने लगे तो उन लोगों ने कहा कि हमारी आमदनी का जरिया गिर रहा है । वहां पर बाजरा, मोठ और गंवार बेजड होता है और न वहां मूंग, चना, तिल, सरसों होता है । जिनके यहां बार बार अकाल पड़ता रहता है और कभी अच्छी फसल हो तो उनको भाव न मिले, गंवार और कोर्स ग्रेन के लिये भारत सरकार ने उस वक्त यह निर्णय लिया था, उस वक्त पोजीशन यह हो गयी थी कि सांचोर और बाड़मेर इलाके में

(श्री परसराम मदेरणा)

बाजरी का भाव 45 रुपया क्विन्टल हो गया था। चार महीने पहले 45 रुपया भाव था। चार महीने के बाद 90) का भाव हो गया। यह एन्वीसेज नहीं किया था। रेस्ट्रिक्शन्स लगाते हैं तो भाव गिरते हैं और आर्थिक स्थिति गिरती है। यह फसल हुई तो वह वर्षा के अकाल के बाद हुई। रिकवरी हो रही थी। उसको अदा करने के लिये यह किसानों की मांग थी और प्रतिनिधि जोर डाल रहे थे कि कोर्स ग्रेन एक्सपोर्ट नहीं किया तो भाव गिर जावेंगे। आज से तीन महीने पहले गेहूं का प्रश्न था। रेस्ट्रिक्शन थे। सांचोर में लाल गेहूं था। पचास रुपया क्विन्टल में भी खरीदने वाला कोई नहीं था। सुमेरपुर और आबू की मंडी में ले जाने की इजाजत देनी पड़ी। आज स्थिति यह है कि वह ही गेहूं नहीं मिलने वाला है। मार्केट में डिमाण्ड और सप्लाई का सवाल आता है किसान थोडे समय में अनाज बेचता है तो उसको कम पैसा मिलता है। यही कारण था कि एक्सपोर्ट के लिये रिलेक्स किया। कोर्स ग्रेन के बारे में माननीय सदस्यों के सुझाव आये। उदयदुर वाटी के माननीय सदस्य कह रहे थे कि अनाज के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। यह आल इन्डिया लेवल पर ही किया जा सकता है। एक तरफा हम करेंगे तो भारत सरकार से दूसरी चीजें लेनी ह उसमें पाबन्दी हैं और इशेन्शियल कमोडिटी एक्ट की धारा 3 के सब-सैक्शन में यह साफ है कि अगर कोई स्टेट रिलेक्सेशन करेगी तो उसको इसका कोई पावर नहीं होता है जब तक भारत सरकार इजाजत न दे दे। इसलिए यह आल इन्डिया पोलिसी पर निर्भर है।

यह कहा गया कि काश्तकारों को बिजली दी जाती है वह कन्सेशन रेट पर नहीं दी जाती ह और बडे बडे पूंजीपतियों को कन्सेशन रेट पर दी जाती है। चूंकि मैं किसान वर्ग से हूं इसलिये मुझे पुर जोर शब्दों में केबिनेट के सामने इसको रखना चाहिए। मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि जब मैं डिप्टी मिनिस्टर पावर था उस समय यह फैसला लिया था। पहले 25 पैसे पर यूनिट बिजली दी जा रही थी अब वह 18 पैसे पर यूनिट दी जा रही है। मुझे अच्छी तरह से याद है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रतिनिधि को बुलाया था। चेयरमैन और चीफ इन्जीनियर आये थे। उन्होंने कहा था कि पर यूनिट प्रोडक्शन का खर्चा 19 पैसे किसी प्रकार भी कम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर दबाव डाला कि ओटोनोमी बोडी है और उसमें सरकार के शेयर्स हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि काश्तकारों को कन्सेशनल रेट पर बिजली दी जाय। उसी के अनुसार उनको दी जा रही है। हम इस बात की कोशिश करेंगे फैमीन को मीट आउट करने के लिये ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को बिजली दी जाय। उपाध्यक्षजी, यहां पर माइग्रेशन के बारे में बात कही गई है। माइग्रेशन इन्टरनली डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे हो, बाहर कैसे हो, रेगुलेटरी फुल आरगेनाइजेशन माइग्रेशन का है इसके बारे में रिलीफ विभाग पूरी तरह से सतर्क है। राजस्थान के रिलीफ डिपार्टमेन्ट ने एक ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार करवाया है। 3-4 दिन में प्रारूप बन जायगा। हम सिचवेशन को देख रहे हैं कि सात दिन में मानसून कितना मेहरबान रहता है उस पर निर्भर रहेगा। मवेशी किस तरह से माइग्रेट हों, इसकी तरफ पूरा इन्तजाम रखेंगे। यह नहीं होगा कि घास के डिपो

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं हों। एनीमल डिपार्टमेन्ट के डाक्टर नहीं हों। रास्ते में पानी का इन्तजाम न हो।

ट्यूब वैल्स के बारे में, ट्यूब वैल्स को कमीशन्ड करने की बात माननीय सदस्यों ने यहां कही है। बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने, और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने ट्यूब वैल्स के बारे में बातें कही हैं। इसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर अभी तक जो ट्यूबवैल्स खोदे गये हैं, उनकी कुल संख्या 231 है। उनमें बहुत से बन्द कर देने पडे। किसी का पानी खारा था या कहीं पानी नहीं आया। इसलिए कमीशन्ड अबेनडन्ड करना पडा। इनकी संख्या 11 है। इन 111 ट्यूब वैल्स के बाद 119 और 21 कुल 140 ऐसे हैं जिनको हमने असेप्ट किया है। उनमें पानी होने की सूचना है। काम में आ सकते हैं। और कुछ फोडर और चारा पैदा करने के काम में आ सकते हैं। कुछ पेय जल की समस्या हल करने के काम में आ सकते हैं। कुछ ट्यूब वैल्स कमीशन्ड हैं जो अच्छी हालत में हैं। पाइप लगे हुए हैं। तीन दिन पहले रिलीफ डिपार्टमेन्ट ने वाटर वर्क्स के चीफ इन्जीनियर को आर्डर दिया है कि जो ट्यूब वैल्स अच्छे हैं, उनको कमीशन्ड कर दिया जाना चाहिए। पाइप लाने का आर्डर दिया हुआ है। जिनको आर्डर दिया है, उनको कहा है कि वे पाइप को जल्दी से जल्दी पहुंचायें। इसके लिये स्पेशल आफिसर लगा रहे हैं। जहां पाइप लगे हुए हैं, वे ट्यूब वैल्स काम में आ रहे हैं। जो ट्यूब वैल्स अच्छे हैं, उनमें पाइप फिट किये जाकर उनको कमीशन्ड किया जा सकता है। उनको चालू करने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोडेगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। समस्या गम्भीर होने के पहले जितने ट्यूब वैल्स कमीशन्ड हो सकते हैं, उनको कर दिया जायेगा। जितने को मशीनरी की जरूरत है, उनको मशीनरी उपलब्ध होने पर कर दिया जायेगा। इसके लिये भारत सरकार को भी लिख रहे हैं कि हमें इसमें प्राथमिकता दी जाय। ट्यूब वैल्स की एक समस्या है। वहां बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। इसके लिये भी जहां जहां पर बिजली का प्रावधान है, बिजली के कनेक्शन दे दिये जायेंगे। जिन ट्यूब वैल्स के पास बिजली के स्टेशन हैं, वहां उनको कनेक्शन पहले ले लेंगे। लेकिन बिजली की लाइन खींचने में खर्चा होगा। वह खर्चा फेमिन डिपार्टमेन्ट वहन करेगा और उनको जल्दी से जल्दी कमीशन्ड किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में एक बात और कही गई है कि जो ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं वे एक दो तहसीलों में ही हैं। लाडनूं तहसील में नहीं है। यह सही नहीं है। नागौर जिले में 20 ट्यूब वैल्स हैं। वे कई जगह पर खोदे गये हैं। लाडनूं में भी खुदे हैं। ऐसी बात नहीं है। कितनों को कमीशन्ड कर सकते हैं। कितनों में पानी रिक्यूजिट क्वान्टिटी में है या नहीं, इसको देख कर नागौर डिस्ट्रिक्ट में कितने कमीशन्ड हो सकते हैं, वे किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय यहां पर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी।

(9.25. म. प.)

(श्री परसराम मदेरणा)

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति, पदासीन)

उन्होंने कहा कि भारत सरकार पर दबाव दें राजस्थान नहर के लिये। पीने के पानी की समस्या है। इसको हल करने के लिये ज्यादा से ज्यादा धनराशि का प्रावधान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में है। जैसा कि मैंने बताया है, प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के वर्किंग ग्रुप में हमने 21 करोड 82 लाख रुपयों की मांग की है।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा:** मैं जानकारी दे दूं मन्त्री महोदय को कि······

**श्री परसराम मदेरणा:** पेय जल की समस्या हल करने के लिये कहा है, ऐसा मानकर चलता हूं। अगर पेय जल की समस्या हल होती है, तो अकाल को बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। भारत सरकार ने जो फाइनेन्स कमीशन बिठाया है, वह राज्य सरकारों से प्रस्ताव ले रहा है। कितना सेन्ट्रल हैड से धन दिया जाना चाहिए। आपको मालूम होगा अभी 22 तारीख को हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी और वित्त मन्त्री फाइनेन्स कमीशन के पास गये थे। फाइनेन्स कमीशन के सामने उन्होंने इस बात के लिये पुरजोर शब्दों में कहा है, खासतौर से प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान में पेय जल की अत्यन्त गम्भीर समस्या है। इस पर काबू पाया जा सकता है, करोडों रुपया लगाकर ट्यूब वैल्स का जाल अगर बिछाया जाय तो पीने का पानी उपलब्ध किया जा सकता है। यह प्रस्ताव रखा है। आउट साइड दी प्लान सीलिंग 5 करोड रुपया पेय जल की समस्या को सुलझाने के लिये दिया जाना चाहिए। और पांच वर्षों में 25 करोड रुपया आउट साइड दी प्लान सीलिंग पेय जल की समस्या को सुलझाने के लिये दिया जाये तो इसे आसानी से सुलझाया जासकता है।

सभापतिजी, यहां पर यह भी कहा गया कि अकाल के लिये परमानेन्ट नेचर के स्टेप्स नहीं लिये गये। इसकी बात कहता हूं। अभी पूरा ब्योरा नहीं है। पिछले सैशन में सदन में इस पर भी चर्चा हुई थी। कहा गया कि ग्रामीण जल व्यवस्था के लिये राज्य सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। इस वक्त मैंने बजट आफिसर से आंकडे मांगे थे। वे आंकडे बताते हैं कि गत 15-16 वर्षों में लगातार हर साल इस पेय जल की समस्या के लिये पंचायत समितियों, वाटर बोर्ड के जरिये, पाइप लाइन की स्कीम गांव में चलाने के लिये पैसा दिया है और कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर पेय जल की समस्या का हल करने के लिये 15-16 करोड के आस-पास रुपया खर्चा किया है। इस तरह से काम नहीं किया गया हो, ऐसी बात नहीं है। लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना है। वह लूणकरणसर में अभी शुरू हुई है। यह उन इलाकों में है, जहां लगातार अकाल ही अकाल रहता है। इसकी क्रियान्विति से निश्चित तौर से अकाल की स्केरसिटी कम की जा सकेगी। राजस्थान नहर योजना, राजस्थान में अपने आप में एक बडी स्कीम है। मैं जानता हूं कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य उत्साहित हैं कि राजस्थान कैनाल जल्दी से जल्दी मोहनगढ तक पहुंच जाये। हम भी यही चाहते हैं। अगर यह होती है, तो राजस्थान के एक बडे भू-भाग में पानी की समस्या हल होती है। राजस्थान नहर के बारे में, डिबेट्स में चर्चा हुई है। धनाभाव के कारण हम इस योजना को नहीं ले सकते

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं। जिस वीरान इलाके में यह राजस्थान नहर की लिफ्ट इरींगेशन योजना ली गई है, वह खुशहाल होगा जहां मीलों तक पीने का पानी नहीं था, वहां यह कठिनाई दूर होगी। अनपूगढ़ तहसील में मुझे कुछ लोग मिले थे। वे बता रहे थे कि राजस्थान नहर से पीने के पानी का प्रबन्ध हो गया है। उन्हें दस दस, पन्द्रह पन्द्रह मील से पानी लाना पडता था। यह परमानेन्ट नेचर की योजना राजस्थान नहर है जो सबसे बडी नहर है ।

चेयरमेन महोदय, माननीय सदस्य जो बाडमेर से आये उन्होंने टांके और तालाब खोद जाने के बारे में बात की । मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले फेमीन के वक्त में टांके बनवाये हैं। बाडमेर में बनवाये जैसलमेर में बनवाये जिसके लिये 2.80 हजार रुपये की राशि रखी भी गई। मैंने कलेक्टर्स कान्फ्रेन्स में उनसे पूछा था हमने जो रुपये सेंक्शन किये थे आपने उनसे टांके क्यों नहीं बनवाये। उस एरिया के अन्दर मैं अलग टांके बनवाना चाहता था पी. डब्लू. डी की मार्फत टांके बनाये जायं यह कलेक्टर ने पी. डब्लू. डी वालों को कहा लेकिन उन्होंने कहा कि यह हमारे लिये संभव नहीं होगा । कलेक्टर जैसलमेर का जहां तक ताल्लुक है वे इसमें बडी रुचि लेते हैं। वे बडे इसमें जागरूक थे। हमने मई महीने में इसके लिये ढाई लाख की सेंक्शन की थी वे कहने लगे कि मेरे सामने यह समस्या रही कि बडे बडे टांके बनवाऊंगा उसके लिये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट को मैंने ठीक समझा लेकिन वह बना नहीं सके।

(१.30 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसके बारे में तीन-चार दिन में स्कीम वर्क आउट करके पेमेन्ट करने वाली एजेन्सी पी.डब्लू. डी. नहीं होवे टैक्निकल काम उनके हाथ में रहे लेकिन पेमेन्ट का काम उनको न दिया जावे इस बारे में स्कीम वर्क आउट कर रहे हैं। अकाल की वजह से खोले गये राहत कार्यों में काम करने वाले मजदूरों को टाइमली पेमेन्ट नहीं होता तो जो हम बडा रिलीफ देना चाहते हैं वह उनको नहीं मिल पाता। इस एजेन्सी के बारे में कि वह कौनसी एजेन्सी हो इस बारे में हम दो तीन दिन में निर्णय ले लेंगे।

बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां फेमिन समस्या गंभीर होती जा रही है। मेरा उनसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार के जो वेज एन्ड मीन्स हैं उनकी पोजीशन को देखते हुए इतनी बडी धनराशि हमारे पास नहीं कि हम इस भयंकर अकाल का सामना कर सकें। हम भारत सरकार को एप्रोच करेंगे। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को निमन्त्रण दिया है वह इसीलिये दिया है वह खुद आकर देखें अपनी आंखों से देखे कि हमारे वहां अकाल की क्या भयंकर स्थिति है। उसके अलावा भी स्टेडी टीम है प्लानिंग विभाग की उसने जो नोर्म्स निर्धारित किये हम उन पर जोर डाल रहे हैं कि उनमें परिवर्तन करना चाहिये। उसके लिए भी हमने स्टेडी टीम को आमंत्रित कर लिया है।

जो इलाके आलरेडी अकाल के कगार पर खडे हैं उसके लिये भी हमने स्टेडी टीमें को बुलाया है। स्टडी टीम से यह भी

(श्री परसराम मदेरणा)
अनुरोध किया है कि वह जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे ताकि हमें जल्दी से जल्दी भारत सरकार की मदद मिल जाय।

बालोतरा से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि यहां पर माल्थस थ्योरी एप्लीकेबल हो सकती है। एक बात मैं जानता हूं माल्थस की थ्योरी केटल पोपूलेशन के लिये तो मैं दावा नहीं कर सकता लेकिन ह्युमन पोपुलेशन के लिये एप्लाई नहीं हो सकती। फिर भी राज्य सरकार का दावा है कि वह किसी को भी अन्न के बिना मरने नहीं देगी।

एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वल्स के बारे में कहा गया कि भारत सरकार उसको वापिस बुला रही है। भारत सरकार ने जो एक्स-प्लोरेटरी ट्यूब वल्स ओरगेनाइजेशन कायम किया उसको मीट आउट करने के लिये हमें तज-वीज करनी चाहिये। राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए आने वाली परिस्थितियों में हमें ट्यूब वैल्स खोदने पडेंगे इसलिये हम निवेदन करेंगे कि परमानेन्टली इस ओरगे-नाइजेशन को विघड़ा नहीं किया जावे।

वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने पोलैण्ड की बात रखते हुए कहा है एक मंत्री से किसी प्रकार की थोडी सी गलती होगई उसकी वजह से उसको फेक्टरी का मैनेजर तक बना दिया गया। इसलिये राज्य सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिये। पोलैण्ड जैसी राज्य व्यवस्था यहां पर होती तो····

**श्री मदर्नासिंह:** आप पोलैण्ड की बात न कहकर हमारे ही देश की बात कहें। वाद-विवाद को आप उधर मत ले जाइये।

**श्री परसराम मदेरणा:** जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये। भयंकर अकाल का प्रभाव उस जगह होने पर भी राज्य सरकार ने वहां पर बहुत कम काम खोले। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कलेक्टर से जो सिफारिश आयी थी उसके 6 सडकों के लिये 13 काम चालू किये हैं। तेरह कामों में सबसे ज्यादा करीब 8 हजार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उसके अलावा भारत सरकार के भी कुछ वर्क्स चल रहे हैं इस तरह से कुल मिला कर 1 लाख 34 हजार की आबादी के इलाके में 14 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। इससे यह कहना कि काम नहीं खोले उचित नहीं है। इसके अलावा जैसलमेर में जो खडीन है उनको वर्क में प्रायोरिटी दी है वहां माइनर इर्रीगेशन का काम इन खडीन से होता है। खडीन के दो काम खोले हैं। इसके अलावा जैसलमेर और बीकानेर के कलेक्टर को यह हिदायत दे दी है कि वे बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के राहत के काम चालू कर सकते हैं बाकी जिलों की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने पर राहत कार्य खोले जायेंगे।

पशुओं के लिये चारे के बारे में हम इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि समय पर घास हमें मिल सके उसके अलावा पशुओं को माइग्रेट करने के लिये भी रेलवे हमें कुछ सुविधा दे सकें तो पशुओं को रेल द्वारा बाहर भेजा जा सकता है इसके बारे में रेलवे बोर्ड से उसके डिवीजनल सुपरिन्टे-न्डेन्ट से बात चल रही है। घास की ट्रेन भी भेजी जाय यह भी बात चल रही है।

जैसलमेर के लिये हमने पहले आठ वैगन्स घास के भेजे थे। मुझे बताया गया कि

(श्री परसराम मदेरणा)

उनको 25 तारीख को रवाना किया गया लेकिन वे पहुंचे नहीं 31 तारीख तक। हम यह प्रबन्ध कर रहे हैं कि 22 वैगन प्रतिदिन के हिसाब से बराबर पहुंचते रहे ताकि घास बराबर वहां मिल सके।

मैं अभी 22 तारीख को ओसियां गया था वहां मुझे जसलमेर के लोग मिले थे जो बातें कर रहे थे सात हजार के करीब मवेशी ओसियां आ रहे हैं।

**श्री बालसिंह सोढा :** एक लाख में से 67 हजार आजायं तो क्या बड़ी बात है?

**श्री परसराम मदेरणा :** जैसलमेर में अनाज पहुंचाने में प्राथमिकता दी गई है जैसलमेर में जो माइलो दिया जा रहा है उसकी रेट 55 रु. है। जब बाजरे के भाव नीचे गिर गये थे उस समय हमने इसका भाव जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के लिये 45 रुपया क्विन्टल रखा था। माइलो बेचने का जो प्रश्न है उसके बारे में जो निर्णय लिया गया वह खाद्य विभाग की सलाह से लिया गया। राजस्थान मंत्रिमंडल का निर्णय था कि हमें माइलो की आवश्यकता नहीं है। जैसलमेर जिले में एक स्टेज आ गई थी। एक क्विन्टल की मांग नहीं थी। आक्शन का नोटिस निकाला। 25 रुपये क्विन्टल की सबसे ऊंची बोली आई। मेरे पास केस आया। मैंने इसे कैंसिल कर दिया। दुबारा नोटिस जारी किया। इसी बीच जैसलमेर कलेक्टर की मांग आई कि उनको माइलो चाहिये बाजार की स्थिति भी उस वक्त तक अच्छी हो गई थी तो 3॥ हजार टन माइलो जैसलमेर के लिये सुरक्षित रखा। वह पहुंचाया जा रहा है। पुराना 45) की रेट का था। अभी जो पहुंच रहा है भारत सरकार का पहुंचा रहे हैं। वह 55) से कम नहीं है। पहले वाला जो था उसमें घाटा खाकर जैसलमेर की विशेष परिस्थिति को देखकर 45) में बिकवाया था।

आक्शन का सवाल है। बांसवाडा में जितना था वहां का अफसरों ने एग्जामिन किया। वह माइलो ह्यूमन कन्जम्पशन के लिये फिट नहीं था। दूसरा सात हजार टन था। इसमें से 3॥ हजार टन जैसलमेर को भेजा गया। बाकी ह्यूमन कन्जम्पशन के लायक नहीं था। उसकी दुबारा हाईएस्ट बोली 37) आई थी। सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को वह बेचा गया। इसमें फाइनेन्स की कन्करेन्स ली। इसके बाद फाइनली डिस्पोज आफ किया है आक्शन का हमने बडे बडे पत्रों में प्रचार किया। भारत भर के बडे बड़े आदमी आये थे। इसके बाद आक्शन किया इसलिये इसमें किसी प्रकार की गडबडी नहीं है। हमारा इसमें कोई भी इन्टरेस्ट नहीं था। स्टेट के इन्टरेस्ट में बेचा था। हम यह समझ रहे थे कि अगर यह रह जावेगा तो खराब हो जावेगा और जो लास होगा उसमें जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जब खाद्य विभाग की डिमाण्ड चल रही थी तो उसमें लास हो रहा है नो लोस नो प्राफिट बेसिस पर अनाज का व्यापार हम चलाते हैं। अब अकाल पड जावेगा, इसका हमें अन्दाज नहीं था। नहीं तो वह भी नहीं बेचते।

**श्री देवीदत्त गाडिया :** गुजरात के व्यापारियों को बेचा, जैसलमेर में भेजा। दोनों एक ही क्वालिटी का माल था। कोई फर्क नहीं था। अब आप कहते हैं गुजरात में

(श्री देवीदत्त गाडिया)
बेचा वह हल्का था। जैसलमेर में भेजा वह अच्छा था। जैसलमेर का 45) में बेचा, और उन गुजरात के सेठों को 36) में बेचा और वही गुजरात के व्यापारी ने 60) में बेचा। ये हैं आपके कारनामें और ईमानदार बनते हैं कि हमारा कोई इन्टरेस्ट नहीं था। हमने सब अखबारों में विज्ञापन छपाया तब बेचा।

**श्री परसराम मदेरणा** : वह तो आपके कहने से होगा नहीं। टेक्निकल आदमियों की राय पर किया था। आप एक्सपर्ट हो सकते हैं पर हमें टेक्निकल आदमियों की राय लेनी पड़ती है।

**श्री मदनसिंह** : एन्क्वायरी का तो यह हाल है। एन्क्वायरी कराना चाहें तो इन्क्वायरी करालें। दोनों का फैसला हो जावेगा।

**श्री परसराम मदेरणा** : एन्क्वायरी में कराने वाला नहीं हूं। मेरा दिमाग और हाथ साफ है। गड़बड़ी नहीं हुई है। एन्क्वायरी की बात कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं कि एन्क्वायरी में मेरे खिलाफ कन्क्रीट चार्ज लगावें कोई प्रकार की गड़बड़ी हुई हो। मैं कराने को तैयार हूं।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : आपने जो गुजरात में बेचा और जैसलमेर में भेजा क्या दोनों एक ही तरह के नहीं थे?

**श्री परसराम मदेरणा** : व्यापारी कहां का है और कहां का नहीं है, मुझे पता नहीं। जिसने हाइएस्ट बिड दी उसको दिया गया और वह भी फाइनेन्स विभाग की कमेटी बनी थी उसने बेचा था।

इसलिये मैं जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर के जो स्टाक में था उसे जैसलमेर भेजने का आदेश दे दिया है। दूसरे अनाज भी भेजने के आदेश दे दिये हैं। तो अब अनाज की वजह से उनको भूख की तकलीफ नहीं होनी चाहिये।

उपाध्यक्षजी, मैं उस सुझाव का स्वागत करता हूं जिसमें सभी पार्टियों के सहयोग की बात है। अकाल का मुकाबला करने के लिये मुझे राजनैतिक पार्टियों को अलग अलग नहीं देखना है। यह प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं है। यह बहुत बड़ी कैटेस्ट्रोफी राजस्थान के सामने है। इसलिये कहता हूं सुझाव दिया कि हर लोगों को इसमें हाथ बंटाना चाहिये। मैं उस सुझाव का स्वागत करता हूं।

मांडलगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि घास का नीलाम नहीं होना चाहिये। इसके लिये 2 दिन पहले ही हमने आदेश सब जगह दे दिये हैं कि कोई भी बीड-जंगल फारेस्ट विभाग का पंचायत समिति या ग्राम पंचायत का हो कोई भी ऑक्शन नहीं किया जावेगा। माइग्रेशन के वक्त अच्छी नस्ल के जानवरों को पेडिग्री को बचाने के लिये घास की हमें जगह जगह बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिये घास के काटने के बाद जो बचेगा उसमें हम मवेशी को अलाउ कर देंगे ताकि कुछ दिन उस पर भी वे गुजारा कर सकें। पर इससे पहले ही उसमें जानवरों को डाल देंगे तो आधा खावेंगे और आधा व्यर्थ में नष्ट कर देंगे। इसलिये यह निर्णय लिया है।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : सबने कहा था शराब के बारे में। और बातें तो हो गई। इस बारे में भी आप कह दें।

**श्री परसराम मदेरणा** : पिछले साल बीकानेर में 34 कैंपों पर कार्य चल रहा था। अब यह कहना कि कार्य शुरु नहीं हुआ या इनमें से कम कर दिये, यह सत्य नहीं है। जिन दो कामों के बारे में कह रहे हैं उनके बारे में मुझे रिपोर्ट मांगनी थी इसलिये जवाब नहीं दिया। इच्छा जरूर थी। पर जबतक वस्तुस्थिति की जानकारी मुझे न हो तो तब तक सिवाय इसके कि आपका पत्र मिला क्या कहता ? अब रिपोर्ट आ गई है । उसे पढ नहीं सका हूं । आज ही आई है। रिलीफ विभाग में कल आगई थी। आपका प्रश्न आ रहा है मेरी टर्न पर । तब डिटेल में जानकारी दे दूंगा ।

पाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि अनाज के व्यापार में कोओपरेटिव वालों को प्राथमिकता दें । दलील तो उनकी इसके लिये अजीब थी कि पैसे भी खावेंगे तो कोआपरेटिव वाले खावेंगे वे ज्यादा लोगों को देंगे। यह दलील तो उनकी मैं नहीं मानता। कोआपरेटिव एक संस्था है, उसको हमें बढाना है। उससे आशा तो हम यह लेकर चलते हैं कि व्यक्तिगत व्यापार की खराबी उसमें नहीं होगी और जो आपके सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के सदस्य हैं और जिसके आप चेयरमैन हैं यह सरकार की हिदायत रहेगी कि प्राइवेट व्यक्तियों के मुकाबले में कोआपरेटिव संस्था की दुकानों को चलाने के लाइसेन्स दिये जावें।

बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गढी के तहसीलदार ने पिछली बार जब दो साल पहले फेमिन था तो चारा नहीं दिया और वहां की मवेशियों को पत्तियां खानी पडीं और चारा खराब हो गया तो मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इसके जांच के आदेश दे रहा हूं और जो दोषी पाया जायेगा उसको दण्ड दिया जायेगा।

टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने अकाल के सम्बन्ध में बात कही। उनके यहां इतना अकाल नहीं है लेकिन बंधे हैं उनमें पानी जल्दी छोड दिया जायेगा। आपका यह सुझाव सिंचाई मंत्री जी के पास पहुंचा दूंगा आज या कल सुबह तक।· ·

**श्री देवीदत्त गाडिया** : अकाल के सम्बन्ध में एक बात पूछना चाहता हूं· · · ·

**श्री उपाध्यक्ष** : उत्तर समाप्त होने के बाद।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : माननीय उपाध्यक्ष जी, अकाल के संबंध में ऐसा है कि मैं एक बात कह दूं नहीं तो फिर विषयान्तर हो जायेंगे· · · ·

**श्री उपाध्यक्ष** : उत्तर समाप्त होने के बाद। मैं आपकी तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकता हूं।

**श्री मदनसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आश्वासन चाहते हैं। जैसी मंत्री महोदय ने अपनी सब कुछ दलीलें दीं। मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों को भी पूरा मौका मिलेगा वर्ना आम तौर से मैंने देखा है कि आइन्दा मंत्री महोदय एक दम से अपना भाषण देकर बैठेंगे और फिर एकदम हाहू होगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसा नहीं होने देंगे।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : जो जून 66 में गवार के परमिट दिये तो माननीय उपाध्यक्ष

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
महोदय मेरा कहना है कि फसल नवम्बर में आती है और जो मनीहोल्डर्स हैं उन्होंने खरीद कर नाजायज फायदा उठाया है . . .

**श्री उपाध्यक्ष:** ऑर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री परसराम मदेरणा:** गवार के एक्सपोर्ट के परमिट दिये गये . . . .

**श्री उपाध्यक्ष:** आप मेरे ख्याल से पहले अपना उत्तर समाप्त कर दीजिए उसके बाद में इसका जबाब दे दें।

**श्री परसराम मदेरणा:** गम फैक्टरी तो उसी एरिया से ले जायेगी जहां कि गवार पैदा होता है। आप समझते हैं कि बडे बडे सेठों को दिया गया था, ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि काश्तकारों को ठीक दाम मिलें।

**श्री देवीदत्त गाड़िया:** किसानों को नहीं मिला। दिसम्बर तक बेचा और बडे बडे पूंजीपति थे उन्होंने खरीद लिया और जून में परमिट दिये उसमें उद्योगपतियों ने और व्यापारियों ने परमिट के द्वारा गवार बेचा और फायदा उठाया . . .

**श्री उपाध्यक्ष:** मंत्री महोदय आप पहले अपना उत्तर समाप्त कर दें फिर उसके बाद में क्वेश्चन्स पूछ लेंगे।

**श्री परसराम मदेरणा:** बाढ के सम्बन्ध में भी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दो दिन की बहस में दिये। सबसे पहले दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। उन्होंने यह बात कही थी कि बाढ़ की वजह से जो कुएं धंस गये हैं और कुलेप्स हो गये हैं और इर्रीगेटेड वैल के ऊपर जो पम्पिंग सैट की मशीनें लगी हुई थीं उनकी मशीनें खराब हो गईं और तहसीलदार कुर्की कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सीकर के कलेक्टर यहां आये थे और उसके पहले आपने मुझे यह बात बता दी थी इसलिए मैंने कलेक्टर महोदय को आदेश दे दिये हैं कि जिन लोगों के पम्पिंग सैट खराब हो गए हैं उनसे यदि किसी प्रकार की रिकवरी की जा रही है वह इमीडियेटली स्टे कर देनी चाहिए और मैं समझता हूं कि उन्होंने निश्चित रूप मे कर दी है।

**श्री मदनसिंह:** थ्रू आउट राजस्थान नॉट आनली दांता रामगढ़।

**श्री परसराम मदेरणा:** दूसरी जगह कितनी है कितनी नहीं है लेकिन राजस्थान में स्टे कर दिया है और आर्डर्स दे दिये हैं। नतीजा यह होता है कि राजस्थान में और लोग फायदा उठा सकते हैं। इसलिए ज्यों ज्यों मामले सामने आ जायेंगे हम देख लेंगे कि कितने कुए ढहे हैं। राजस्थान में कुछ ही जिलों में बाढ आई है। किसी में एक तहसील में आई है किसी में दो तहसीलों में आई है और किसी में तीन तहसीलों में बाढ आई है . . . .

**श्री मदनसिंह:** जहां जहां ऐसा हुआ है वहां कर दिया जाये।

**श्री परसराम मदेरणा:** उस पर मैं विचार करूंगा।

उपाध्यक्ष जी, दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरी बात यह कही कि

(श्री परसराम मदेरणा)

जिनकी चाही जमीन खराब हो गई है, इरोज हो गई है और रेत चार चार और पांच-पांच फुट आ गयी है उनको कुछ भी तकावी नहीं दी गई है। यह बात सही नहीं है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधीशों को इस तरह से जहां कुओं की नाल खराब हो गई है या उनके जाव खराव हो गए हैं उनको तकावी दी जानी चाहिए और उस तकावी के लिए हमने रकम की स्वीकृति भेज दी है और जो भी एप्लीकेशन देगा उसको तकावी मिलेगी।

**श्री मदनसिंह:** उनके घर की कुर्की हो रही है। बाढ के कारण से उनके सामान बाहर पडे हुए हैं ...

**श्री उपाध्यक्ष:** आर्डर माननीय सदस्य।

**श्री मनोहरसिंह मेहता:** मुझे निवेदन करना है कि आज बहुत समय हो गया है क्या ऐसा हो सकता है कि एक घन्टे के लिए इसको ले लिया जाये और आज अभी समाप्त कर दिया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष:** आज घन्टा आधा घन्टा के लिए बैठने के लिए तैयार हैं।

**श्री परसराम मदेरणा:** इसी तरह से उन्होंने यह कहा कि एक गांव के अन्दर दांता गांव की बात कही शायद कि उस गांव में कुछ लोगों को जमीन दी गई है। उसमें 150 वर्ग गज का जो प्लाट दिया है वह तो आलटरनेटिव साइट मुफ्त में दी है और 150 के पैसे लिए गए हैं। इसकी मैंने कलेक्टर से जानकारी की है। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 15 में इसका प्रावधान है कि एक व्यक्ति को 150 वर्ग गज जमीन ही एलोट हो सकती है और उसके बाद में यदि ज्यादा लेता है तो उसको कीमत देनी पडेगी और अगर उस धारा में यह प्रावधान किया हुआ है मैं यह मामला मंत्रि मंडल में ले जाऊंगा। बाढ पीडित के लिए कितना प्लाट होना चाहिए वह निर्धारित नहीं किया था इसलिए कितना बडा प्लाट मिलना चाहिए और उस प्लाट में रूल्स के रिलेक्सेशन की बात की तो उस पर निर्णय लिया जायेगा और यह मंत्रि मण्डल की बैठक अभी दो तीन रोज के बाद हो रही है उसमें इस मामले को रखूंगा।

आपने कजोर ग्राम की बात कही उसमें किसी को राहत नहीं दी। मुझे कलेक्टर ने जानकारी दी है कि 7 परिवारों को आंशिक रूप से जिनके मकानों को क्षति पहुंची है उनको 300 रुपया दिये गये हैं। उनको जी.सी शीट्स भी कीमत पर दी गई हैं इसलिए यह कहना कि कचोर गांव में किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई यह सही नहीं है।

**श्री मदनसिंह:** यह कब दी गई सहायता ?

**श्री उपाध्यक्ष:** यह इन दोनों में जब आपका दौरा नहीं हुआ तब दी थी।

**श्री मदनसिंह :** यह कब दी?

**श्री परसराम मदेरणा:** मुझे डेट तो याद नहीं है। मैं समझता हूं कि कल शाम तक इस सदन के उठने के पहले पहले मैं वह नाम पेश कर दूंगा यदि आप कहेंगे कि नहीं दी तो। यहां पर मसाना की ढाणी और काबरियावास की बात कही थी। उन्होंने कहा कि उनके घर हैं वह नाले के बहाव के सामने आये हैं,

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए उनको दूसरी जगह बसाने की बात की जानी चाहिए । वह वास्ड अवे की कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर भी उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना पडेगा इसलिये उन्हें दूसरी जगह बसाया जाय । अभी जो नियम हैं उनके अनुसार वह वास्ड अवे की कैटेगरी में नहीं आते हैं, कलेक्टर ने यह समस्या हमारे सामने रखी थी । मैंने उनको आदेश दे दिया है कि इसका स्पेशल केस बना कर भेज दीजिये । तीन तारीख को उन्होंने स्पेशल केस बना कर भेज दिया है । कल तक तो वह यहां नहीं पहुंचा था । आज पहुंचा है या नहीं है, क्योंकि मेरे विभाग के अधिकारी यहां हैं, यह कह नहीं सकता । उन्होंने तीन तारीख को भेजा है, वह पहुंच जायगा तो हम उसको स्पेशल केस के रूप में कर देंगे ।

गिराना गांव की एक बात कही गई । इसमें उन्होंने बताया कि वहां २६ परिवारों को जमीन दी गई थी उनमें से तीन परिवारों को हटा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि २६ परिवारों को जमीन नहीं दी गई थी, वह खुद जाकर वहां बैठ गये थे । उनमें से २३ को रेगुलेराइज कर दिया है और तीन की जो समस्या है, उसके बारे में मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि कलेक्टर की सिफारिश है कि उनके मकान के पास में आ गये हैं इसलिए हम उचित नहीं समझते कि उनको दिया जाय । मैं इस मामले की जांच कराऊंगा कि क्या पोजीशन है और क्या पोजीशन नहीं है क्या पोजीशन है, इसकी जांच कराऊंगा, जब तक जांच पूरी नहीं कर लेंगे तब तक हम उनको बेदखल नहीं करेंगे । अगर जांच करने के बाद में पाया गया कि उनको रखना ठीक है तो रखा जायगा और नहीं रखना ठीक है तो उसके लिए मैं आदेश कल दे दूंगा ।

**श्री मदन सिंह दांता**: हम आपका कहना मान रहे हैं, तो आप हमारा कहना नहीं मान सकते । कलेक्टर कोई खुदा नहीं होता है । उनको चिन्ता नहीं है हरिजनों की ।

**श्री उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य !

**श्री परसराम मदेरणा**: इसके बारे में इन्क्वायरी की बात कह दी है इसलिए इसको हो जाने दीजिये ।

इसके साथ साथ . . . .

**श्री मदनसिंह** : मैंने एक मोटी बात कही थी । दांता के किसी इलाके में बलाई थे उनको सबसे कम सहायता मिली है और औरतें मांगने गई तो उनको धक्के देकर निकाल दिया गया । आप इसकी जानकारी कर लें ।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं इसकी जानकारी नहीं कर सका हूं । कल आपने कुछ कान्क्रीट बात कही थी उनकी जानकारी मैंने कर ली है । इसकी जांच नहीं हो पाई है ।

**श्री विजय सिंह**: उपाध्यक्ष महोदय, दांता के अलावा और गांव है नहीं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : मकराना है ।

**श्री परसराम मदेरणा** : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा । वह राहत के सम्बन्ध में कह रहे थे कि वहां राहत के वितरण में पक्षपात किया गया है । इस सम्बन्ध में उन्होंने काल अटेंशन मोशन

(श्री परसराम मदेरणा)
भी दिया था। मैंने इसके सम्बन्ध में कलेक्टर की रिपोर्ट मांगी है। उसने लिखा है कि कोई पक्षपात नहीं किया गया है और जो क्षति हुई है मकानों की उसके हिसाब से ही राहत दी गई है····

**श्री मनोहर सिंह मेहता** : अब ठीक है साहब, अब कोई नहीं है।

**श्री परसराम मदेरणा** : जायल से आने वाले माननीय सदस्य ने बाढ के संबन्ध में कुछ बातें कहीं और कहते हुए मुझ पर उन्होंने आक्षेप भी किया। मैं 4 अगस्त को वहां पर गया था और माननीय सदस्य भी वहां पर मौजूद थे। मेरे पहुंचने के पांच मिनिट के पश्चात वह आये और आने के बाद जो कमरा था वहां पर बैठे थे शायद···

**एक माननीय सदस्य** : शायद क्यों साहब ?

**श्री परसराम मदेरणा** : उन्होंने यह बात कही थी कि राजस्थान सरकार ने जो रिलीफ मेजर्स लिये हैं यह अनप्रिसिडेंटेड हैं। यह बात कही थी, लेकिन वह आज और बात कह रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा वह क्यों कह रहे हैं।

दूसरी बात उन्होंने कही कि कल रिलीफ मिनिस्टर ने कहा था कि 13 तारीख से वहां कार्य शुरू हुए। यह मिथ्या है, यह झूठ है-इन शब्दों का इस्तेमाल उन्हें मुबारक हो। मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह बात मैंने नहीं कही थी। मैंने कहा था कि 13 तारीख को सेंक्शन भेजी थी पांच लाख रुपये की। जो सेंक्शन पांच लाख की कलेक्टर को भेजी है वह सबसे पहले 13 को रेडियोग्राफ के मैसेज से दी है। मैं यह बता रहा था। मैंने यह नहीं कहा कि 13 तारीख को रिलीफ कार्य शुरू हो गये थे। इसलिए जो भी विशेषण वह यूज करना चाहें यह उनकी मर्जी की बात है।

कुए बनाने के बारे में बात कही उसके बारे में निवेदन है कि कुछ रकम कलेक्टर को भेजी है। हमें मालूम है कि जितनी रकम की जरूरत थी उतनी रकम हम नहीं भेज सके हैं। इस मामले को फाइनेन्स डिपार्टमेंट को वापिस भेजा है कि ज्यादा रकम आवश्यक है क्योंकि काफी लोगों के कुए खराब हुए हैं, इसलिए ज्यादा तकावी की आवश्यकता है। इसी प्रकार पीने के पानी के कुए धंस गये हैं या उनमें खराबी हुई है उसके लिए रकम कलेक्टर्स को भेज दी है।

उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके बारे में यह बात कही कि तत्परता के साथ कार्य शुरू किये गये थे उसमें ढिलाई आई है। यह बात सही है। इसका कारण यह है कि वहां पर कलेक्टर नहीं था, एस. डी. ओ. झुंझुनूं ही कलेक्टर का काम कर रहा था। उसका तबादला हो गया तो दूसरा आया आई. ए. एस. आफिसर, उन्होंने जो फ्लड और फायर रूल्स हैं उनको लागू किया। हमने उनको कहा है कि यह रूल्स रिलक्स कर दिये हैं इसलिए इस मामले में अडंगाबाजी नहीं करनी चाहिए। वह यहां आये थे तो उनके काम को देखते हुए जितना मुझे कहना था वह मैंने कलेक्टर्स कान्फ्रेन्स में कहा था। मैंने परसों उनको आदेश दिये हैं कि जल्दी से जल्दी रिलीफ का काम कम्प्लीट नहीं किया और ढिलाई

(श्री परसराम मदेरणा)
की तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब उन्होंने तीन तारीख को मीटिंग वहां बुलाई है ऐसी मुझे उन्होंने रिपोर्ट भेजी है और कहा है कि काम को फुल स्विंग में अगले सप्ताह के भीतर शुरू करा दूंगा।

नदी-नालों के रद्दो-बदल के बारे में कहा गया। मैंने कल निवेदन किया था कि जितने नाले हैं, उन्होंने नेचुरल कोर्स बदल दिया है, नदियों ने कोर्स बदल दिया है। इसकी टेक्निकल रिपोर्ट के लिये सर्वे कराने की बात हो रही है। कई जगह पर सर्वे हो गया है और कहीं पर अभी सर्वे नहीं हुआ है। मैं कल देखूंगा कि आपके यहां पर भी इस चीज का सर्वे करा लिया जाय। उसके बाद जितनी अधिक धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता हुई, अभी तो हमने 25 लाख का प्रावधान किया है, इसके अलावा और राशि की जरूरत होगी तो इसको और देने जा रहे हैं।

आपने पेगी का वास, कारो की ढाणी के लिए कहा कि वाश हो गये हैं, वहां वह नाले में आ गये हैं इसलिए आल्टरनेटिव साइड देनी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में आदेश दे दूंगा कि इन गांवों में बसने वाले हैं इनको आल्टरनेटिव साइड जल्दी से जल्दी उपलब्ध की जाय और उसकी तामील रिपोर्ट राज्य सरकार को एक सप्ताह में भेज दी जाय।

मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं थीं। मैं उनकी बात सुन रहा था। मैं यहां नहीं था हाउस में फिर भी जो कुछ भी वह कह रहे थे वह मैंने सुना है।

**श्री विजय सिंह:** कृपा की।

**श्री परसराम मदेरणा:** उन्होंने कहा कि रिलीफ के वितरण में पक्षपात हुआ है और कांग्रेस के सदस्य श्री मुस्तफा के साथ वित्त मंत्री ने यह कर दिया, वह कर दिया। उन्होंने ऊंची नीची बातें सदन में कहीं। मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मिस्टर मुस्तफा हैं, उनकी शिकायत है कि जिस तरह से मैं चाहता हूं उस तरह से एडवाइस लेते नहीं हैं इसलिए उन्होंने इस्तीफा कभी का मेरे पास भेज दिया है। उन्होंने दे दिया है। वह कांग्रेस के सदस्य हैं इस नाते उनसे रिक्वेस्ट करता कि आप रहें। अपने सदस्य को रोका जाता है, और उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ इसलिए उन्होंने मुझे इत्तला दे दी है इस्तीफे की . . .

**श्री उपाध्यक्ष:** यह माननीय सदस्य को इत्तला नहीं है, नहीं तो इनके खयाल बदल जायेंगे।

**श्री मदन सिंह:** इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है तो इसकी सही शिकायत है।

**श्री उपाध्यक्ष:** आर्डर प्लीज।

**श्री परसराम मदेरणा:** वह कह रहे हैं वह गलत है। मैंने कहा कि राज्य अधिकारियों को आदेश हैं कि कांग्रेसी हो या कोई दूसरा हो, किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं बरतना चाहिए और जिसको भी रिलीफ की जरूरत है

# Page No. 194



(श्री परसराम मदेरणा)
उसको रिलीफ दिया जाना चाहिये। आप देखेंगे कि कहीं भी राजस्थान में जहां रिलीफ वर्क्स चालू हैं वहां पार्टी बन्दी से दूर रह कर मानवता की दृष्टि से काम किया है। इसलिए यह कहना कि राजनैतिक दृष्टिकोण से किया है-यह गलत है।

**श्री विजयसिंह** : मुस्तफा ने चेअरमैनी के पीरियड में तीन लाख का गबन किया है, इसकी आप इन्क्वायरी करा सकते हैं।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा**: गलत है।

**श्री उपाध्यक्ष** : इससे इसका सम्बन्ध नहीं है।

**श्री विजय सिंह**: आप मेरी बात सुनिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसी बात कह रहे हैं जो इससे सम्बन्धित नहीं है।

**श्री विजयसिंह** : मेरा निवेदन है कि उस कमेटी का मुझे भी सदस्य रखा गया, लेकिन मुझे कभी इन्फार्म नहीं किया गया, मुझे कभी बुलाया नहीं गया और मनमाने ढंग से वितरण किया। सौ रुपये चद्दर पर खाये हैं। मंत्री महोदय चाहें तो इसकी जांच जब चाहें करवा लें, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। आपने इस्तीफे की बात कही, तो वितरण के विषय में आगे भी सबसे पहले ऐसे आदमी को बनाने को तैयार होंगे।

**श्री परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्षजी, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य न····

**श्री विजयसिंह** : जो मैंने निवेदन किया उसकी जांच करवायेंगे ?

**श्री परसराम मदेरणा** : काहे की जांच ?

**श्री विजयसिंह** : मकराने में सौ सौ रुपये पेटियों के लिये हैं······

**श्री परसराम मदेरणा** : आप जिम्मेदार सदस्य हैं, किस आदमी से लिया, आप यह बता दीजिये · · · ·

**श्री विजयसिंह** : यह मजाक की बात नहीं है, एक्सेप्ट करना होगा······

**श्री रोशनलाल शर्मा** (सलूम्बर) : नाम बताइये·········

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : गलत····

**श्री विजयसिंह** : एन्क्वायरी करवायेंगे तो पता चलेगा······

**एक माननीय सदस्य** : शट अप.....

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर !

**श्री मदनसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी ऐसी व्यवस्था थी कि मन्त्री महोदय बोलें तब अगर कोई मेम्बर डायरेक्टली कोई बात पूछे और मन्त्री महोदय के और मेम्बर के डायरेक्टली बात चल रही हो तो दूसरे सदस्य बीच में नहीं बोलें।

**श्री रोशनलाल शर्मा** : हमारे कांग्रेसी साथी के खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप लगायें और हम चुपचाप बैठे रहें यह नहीं हो सकता, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत बात कभी सहन नहीं करेंगे।

(शोरगुल)

**श्री विजयसिंह** : मैं प्रूव कर दूंगा। इस तरह दबाना चाहते हो, मैं, दबने वाला नहीं हूं।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : कोर्ट पड़ा है प्रूव करने को। जो यहां आकर अपनी सफाई नहीं दे सकता, उसके खिलाफ इस तरह से गबन के, चोरी के चार्ज लगाये यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

**श्री मदनसिंह** : विजयसिंहजी को भी इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिये। साथ ही यह कहूंगा कि वे भी अपनी भाषा पर कण्ट्रोल करें। मन्त्री महोदय ने उस वक्त कहा शट अप, यह शट अप कोई संसदीय नहीं है, आप लोगों को भी भाषा पर कण्ट्रोल रखना चाहिये। फिर भी इधर अभी बूढ़ों में मैं ही हूं, इसलिये मैं माफी चाहता हूं। साथ साथ मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि प्रूव करना चाहें तो बता दें, विजयसिंहजी से कहूंगा कि नाम बतादें, किस किस के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं।

**श्री परसराम मदेरणा**: कल इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य कह रहे थे तो मैंने कहा था कि कन्क्रीट बात कहें, मैं उसी वक्त एन्क्वायरी करवाऊंगा। जो व्यक्ति एडवाइजरी कमेटी में हैं, उन पर रिश्वत का चार्ज लगाते हैं कि सौ, सौ रुपया एक एक पेटी पर लिया था, आप नाम दीजिए, कन्क्रीट बात रखिये, मैं एन्क्वायरी करवा लूंगा अगर प्राइमाफेसीली उसमें तथ्य होगा तो एण्टी-करप्शन को दे दूंगा, पीनल अोफेन्स बनता है तो प्रोसीक्यूट करवा दूंगा, पर कन्क्रीट नहीं कहें.........

**श्री मदनसिंह** : यह तो सदन के सदस्यों को अधिकार है......

**श्री रोशनलाल शर्मा** : क्या सदस्यों को यह अधिकार है कि जो चाहें जिस किसी के खिलाफ चार्ज लगा दें.......

**श्री मदनसिंह** : कोई मन्त्री पर इस तरह का आरोप लगायें तो आप कह सकते हैं। वैसे यहां हजारों बातें रोजाना होती हैं......

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल)

**श्री विजयसिंह** : मैं मन्त्रीजी को दे दूंगा, आप कौन हैं बीच में बोलने वाले ?

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया**: पॉइन्ट आफ आर्डर है। अपने इलाके की कुछ घटनाओं के बारे में माननीय विजयसिंहजी ने मन्त्रीजी से सवाल किये . . .

**श्री उपाध्यक्ष** : बात समाप्त हुई आप इसे फिर क्यों ताजा बना रहे हैं ?

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से कुछ पैसे लिये। इस बात पर मन्त्रीजी उत्तेजित हुए और माननीय सदस्य को बुरी तरह से दबाने लगे। इस तरह से सदन के किसी माननीय सदस्य को दबाना अच्छा नहीं है। हम आपकी इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि किसी माननीय सदस्य को इस तरह से दबाने की कोशिश करें।

**श्री गिरधारीलाल व्यास**: उनको बराबर अधिकार है कहने का, कोई गलत बात कहेगा तो टोकेंगे। आप गलत कहते हैं तो . . .

**श्री विजयसिंह:** क्या गलत बात कही ?

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : माननीय सदस्य ने गलत बात कही है तो उनको भुगतना पड़ेगा । और अगर सच्ची हुई तो क्या करेंगे ? बोलिये क्या करेंगे ? इसका मतलब यह नहीं है कि एक माननीय सदस्य को इस तरह से दबायें ।

**श्री उपाध्यक्ष:** आपस में बात नहीं करें । इसीलिये तो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं कि कोई बात पूछें तो आसन के माध्यम से कहेंगे तो ऐसी बातें पैदा नहीं होंगी ।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे रोब से नहीं दबायें ।

**श्री परसराम मदेरणा:** किसी आदमी के खिलाफ चार्ज लगायें तो कन्क्रीट चीज रखिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने मंडावा में जो बाढ़ आई, उसको बाढ़ की कैटेगरी में नहीं लिया है, यह कहा । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने परसों कलेक्टर झुंझुनू को आदेश दे दिये हैं कि मंडावा को बाढ़ की कैटेगरी में मान लिया जाय, मंडावा मैं खुद जा कर आया हूं, वहां डेमेज हुआ है, फ्लड की वजह से हुआ है । उसको बाढ़ की कैटेगरी में मान कर सभी तरह की आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा और वह आखिरी बात होगी । परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसी प्रकार की शिकायत की, जैसी कि मकराना से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे कि तहसीलदार और प्रधान ने रिश्वतें खाई हैं । मैं वहां के प्रधानजी को काफी लम्बे अर्से से जानता हूं उनकी इन्टेग्रिटी के सम्बन्ध में, उनकी निष्पक्षता, इन्डिपेन्डेन्स के सम्बन्ध में मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि उनके बारे में किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता । उन पर जो चार्ज लगाये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहता पर यह कहूंगा कि जो आरोप लगाये हैं वे नितान्त निराधार हैं, असत्य और अप्रामाणिक हैं और राजनैतिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत हैं । मैं खुद उनको परसनली जानता हूं, वे रिश्वत ले नहीं सकते, वहां के लोग मुझसे मिले । कुछ राजपूत मिले, कलेक्टर मुझे बता रहे थे कि प्रधानजी के और माननीय सदस्य के आपस में कलेक्टर के सामने ही झगड़ा हुई थी । १० टिनों के मामले को ले कर झड़प हुई थी, जिस व्यक्ति का मकान डेमेज हुआ उसको टिन दिला रहे थे तो माननीय सदस्य ने कहा था कि पार्शियल डेमेज्ड मकान हैं १० रु. से ५० रु. तक लेने का अधिकारी हैं । इस पर दोनों में झड़प हुई और इसी वजह से माननीय सदस्य ने यह आरोप उन पर लगाये हैं ।

अब अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, इस सदन की मार्फत राजस्थान की पचायतों, पंचायत समितियों से अपील करना पसंद करूंगा कि अपनी स्टेट के सामने एक बड़ी समस्या आ रही है, उसका सामना करने के लिये राज्य सरकार को सहयोग देंगे, ताकि हम इस मोनेस पर काबू पा सकें ।

**श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं ···

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें । श्री आईदानसिंह एक साथ जितने प्रश्न पूछने हों पूछ लें ।

**श्री आईदानसिंह** : एक व्यापारी है, हार्डिंग करता है क्योंकि उसको होर्डिंग करने से मुनाफा मिल रहा है, उसके लिय राजस्थान सरकार क्या करना चाहती है ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या जालौर के ट्यब वैल फसल बोने के समय से पहले राज्य सरकार कम्प्लीट करवा सकेगी ?

तीसरा मेरा सवाल यह है कि डीजल ओगनाइजेशन हटा लिया है या हटाया जाएगा?

. चौथा प्रश्न मेरा यह है कि जो माइलो अनफिट फोर ह्यूमन यूज थी, उसका आपने ओवशन किया है, तो इस तरह से तो आपने उसको फिर ह्यूमन कन्जम्पशन में ही क्यों रख दिया ?

**श्री उपाध्यक्ष**: यह पोइन्ट डिबेट में उठाया नहीं ।

**श्री आईदानसिंह**: पोइन्ट्स तो काफी थे ।

**श्री परसराम मदेरणा**: कोई पोइन्ट ही सामने नहीं आया है तो उसका जवाब कैसे दिया जा सकेगा ।

**श्री श्रवणलाल**: माननीय सदस्यों को 10-10 मिनट का समय मिला था उसमें सब बातें कैसे कह सकते थे ?

**श्री मनोहरसिंह मेहता**: कई माननीय सदस्यों ने निवेदन किया था कि स्थिति बहुत भयंकर है । इस भयंकरता को अनभव करते हुए जहां अकाल है, वहां से शराब की दुकानें हटनी चाहिए । अगर वे मदहोश होंगे तो संकट का मकाबला कैसे करेंगे ?

**श्री मदनसिंह**: हमारी पार्टी के नेता भी यहां नहीं है और मान लीजिये अगर दांता रामगढ़ का प्रश्न यहां नहीं था तो भी मैं अपना फर्ज समझता हूं कि हम सारे राजस्थान से सम्बन्ध रखते हैं । पहली बात तो यह है कि अकाल की हालत भीषण होती जा रही है और उसके सम्बन्ध में आप इतना सुनने को तैयार नहीं थे । मैंने खद स्पेसीफिक सवाल किया था कि मजबूत रास्तों का नालों से बह जाना, मकानों का ढह जाना, तो जो पूंजीपति का मकान ढह गया है उसको तो 300) मिले हैं और एक गरीब है उसकी 5 झोंपडियां ढह गई उसको 100) मिल रहे हैं । यह भेदभाव जब तक ठीक नहीं होगा तब तक राहत के कार्य सफल नहीं होंगे । इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा ।

दूसरी बात है, अनाज के बारे में आपसे पूछा गया । जब राजस्थान की परिस्थितियां विशेष हो गई हैं तो कम से कम अनाज बाहर न जाय और केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया जाय तो अच्छा है । आप उनसे कह दें कि राजस्थान की जनता मर रही है तो वह किसी हद तक हमारी बात को मानेंगे ।

आपने कहा कि प्रधान मन्त्री यहां पधारेंगी उनको जगह जगह पर ले जायेंगे । मैं समझता हूं कि भारतवर्ष लम्बा चौडा है···

**श्री उपाध्यक्ष**: आप संक्षेप में अपनी बात कहें । भाषण न दें ।

**श्री मदनसिंह**: आप सरकार पर दबाव डालें कि कुछ रूल्स में रिलैक्सशन करे।

**श्री श्रवणलाल**: मैं तो सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि जितना अनाज निगम के द्वारा खरीदा गया है, जिस भाव में खरीदा गया है·

**श्री उपाध्यक्ष**: नया विषय है, डिबेट में नहीं आया। एन्डलेस डिबेट नहीं हो सकती।

**श्री श्रवणलाल**: मैं कहता हूं कि जिस भाव में खरीदा गया क्या · · ·

**श्री उपाध्यक्ष**: वह महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह अलग समस्या है।

**श्री श्रवणलाल**: इस बात से साबित हो जायेगा कि सरकार

**श्री उपाध्यक्ष**: आप किसी अन्य त रीके से यह सवाल उठा सकते हैं।

**श्री रामसिंह कुडी**: मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया एक तो सार्वजनिक पीने के पानी के कुओं को पंचायत समिति को देए जाने के बाबत। दूसरे पंचायतों से राहत कार्य नहीं कराये गये। तीसरे आपद्काल को मिटाने की परमानेन्ट व्यवस्था के बारे में। चौथे नागौर लिफ्ट योजना के बाबत, पांचवां कटोरी बांध के बाबत।

**श्री बालसिंह**: मैंने पूछी था कि जो ऋण आज तक दिया गया है उसको माफ करना या उसके ब्याज को माफ करने की व्यवस्था सरकार कर रही है क्या? दूसरे माइग्रेशन की स्कीम को कब तक कार्य में लिया जायगा। तीसरे आज जैसलमेर में प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से जो माइलो दिया जाता है क्या सरकार उसको बढ़ाने की व्यवस्था करेगी? चौथे मजदूरों की मजदूरी की दर बढ़ाने की व्यवस्था, पांचवां राजस्थान कैनाल और नाली उसमें बीकानेर वालों को जमीन एलाट की जा रही है। नाजना और नोहर यह भी राठी नस्ल है उनको भी क्यों नहीं एलाट किया जाय?

**श्री रामनारायण चौधरी**: ट्यूब वैल्स खुदवाने की उपेक्षा की जा रही है और इस साल जब मन्त्री महोदय ट्यूब वैल्स के प्रोग्राम को अपने हाथ में लें तो झुंझुनूं का ख्याल रखें।

**श्री उपाध्यक्ष**: खास तौर से मंडावा को ध्यान में रखें।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा**: बीकानेर के लिए कुछ भी नहीं कहा। घास के लिए चाहे अकाल को स्थाई रूप से भगाने के लिए।

**श्री रामचन्द्र आर्य**: मजदूरी बढ़ाने के लिए और बाढ़ पीड़ितों को सहायता नहीं दी गई, उस पर जवाब नहीं दिया।

**श्री विजयसिंह**: मकराना के अन्दर फैक्ट्री ओनर्स और लखपतियों को पेटियां दी गई, सहायता दी गई और हरिजनों को सहायता नहीं दी गई। उनको नुकसान हुआ है।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया**: मैंने तारों की कापीज सदन में रखी हैं। तीन कैम्प्स ऐसे हैं जो राजनैतिक आधार पर नहीं खोले गए हैं। उस बारे में समय समय पर सरकार से मांग की गई है और मन्त्री महोदय ने कई बार मन्जरी भी दी। उसके बावजूद उन गांवों में कैम्प्स नहीं खोले गए, तार दिए उनकी कापीज सदन की मेज पर रखी गयी है।

**श्री मदनसिंह:** फौरन काम होना चाहिए अगर नहीं तो जो राजस्थान में हालत है…

**श्री परसराम मदेरणा:** एक माननीय सदस्य ने पूछा कि भावों में कैसे फ्लक्चुएशन होता है। उसका कारण है अनाज की कमी, भारत सरकार की खाद्य नीति। इसके साथ साथ डिमान्ड और सप्लाई के फैक्टर्स भी काम करते है। यहां जालोर के ट्यूबवैल्स के बारे में कहा गया। जितने पम्पिंग सेट्स की कमी है उनके लिए कुछ आर्डर्स प्लेस किए गए हैं और कुछ प्लेस किए जा रहे हैं। मैंने कहा है कि अकाल विभाग पैसा देगा अगर आपके पास पैसा नहीं है। जितने ट्यूबवैल्स का कमीशन हो सकेगा, कराया जायगा। ई. टी. ओ. यहां से नहीं हटाया जाय, इसके लिए भारत सरकार से लिखा गया है। माइलो ह्यूमन कन्जम्पशन के लिये नहीं था फीड के लिए था।

मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने शराब के लिए कहा। यह नीति का मामला है, इसलिए यह मन्त्रिमन्डल लेविल पर तय हो सकता है। दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भेदभाव का प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार ने फैसला किया था कि जिनके मकान कम्पलीटली वाश आफ हो गए उनको 300) का अनुदान या 10 टन के चद्दर दिए जायेंगे। उसी तरह से जिनके मकान कोलैप्स हो जायेंगे उनको 100) का अनुदान दिया जायगा। हो सकता है पूंजीपति दस चद्दरें ले जाते होंगे। मैं समझता हूं नहीं ले जाते होंगे। गरीब आदमी है उसको तीन सौ का अनुदान मिलना चाहिये। आपसे ज्यादा विनाश गुजरात में देखने को मिला है। रिलीफ गुजरात के मुकाबले में कम है, राजाओं की व्यवस्था की बात कही। प्रधान मंत्री राजा नहीं है पार्लियामेण्ट की लीडर है और हिन्दुस्तान की जनता का विश्वास लेकर वहां पर बैठती है उनको बुलाने का मतलब राजा महाराजाओं की तरह करने का नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि जब पास में पैसा नहीं है तो हम तो मदद नहीं कर सकते इसलिये भारत सरकार की तरफ देखना पडता है इसलिये स्थिति के अवलोकन के लिये प्रधान मंत्री को बुलाया है।

जहां तक स्कूल भवनों की बात कही है, बने नहीं है या डेमेज हो गये है। 25 लाख सडकों के लिये दिया रिलीफ से। उनकी रिपोर्ट तैयार हो गयी है, कई जगह काम शुरू कर दिये हैं और कई जगह करने वाले हैं।

पचायतों को कार्य देने का सवाल है। वितरण का सवाल है। रेवेन्यू एजेन्सी के जरिये होता है। ड्रिंकिंग वाटर के कुए पंचायत समितियों के देखने की बात हुई, कितने कुओं में कितना डेमेज हुआ यह यहां बैठे कर असेस नहीं कर सकते हैं। लम्प सम कलेक्टर के डिस्पोजल पर रख दिया है ताकि वह रकम का अलाटमेन्ट करे।

**श्री मदनसिंह:** इसमें…

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री परसराम मदेरणा:** (अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं इस मामले को केबिनेट के सामने ले जा रहा हूं। पंचायत समितियों के बांध टूटे, उसके लिये कलेक्टर को रकम दी है। २५ लाख रुपया इरीगेशन

(परसराम मदेरणा)

के वर्क्स के लिये दिये हैं। कोई खतरा हो तो उससे बचाया जाय इसका प्रबन्ध किया है।

जैसलमेर से आये माननीय सदस्य ने ब्याज के माफ करने की बात कही। प्रोसिडिंग्स बन्द हैं। अकाल पड गया है। रिकवरी की प्रोसिडिंग्स स्टोप हो गयी है। माफ करने की बात है वह बाद में देखी जावेगी।

माईग्रेशन के लिये प्लान बना लिया है। एक सप्ताह बाद, पिक्चर क्लीयर होने पर रेलवे वैगन्स में डाल कर उनका ट्रान्सफर किया जायगा। रेलवे के कोग्रापरेशन पर यह निर्भर करेगा।

पांच किलो माइलो मिल रहा है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। अनाज वितरण को बढा देंगे।

राठी वगैरा जो अच्छी नस्ल की है, आपके लिये अलाऊ करेंगे। बीकानेर के लिये डिसीजन नहीं लिया है।

मंडावा के लिये मैं इतना ही कह सकता हू कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कितनी धन राशि है उसके अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

**श्री उपाध्यक्ष**: सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि में १०.३५ बजे, शुक्रवार दिनांक ६-९-६८ के म.प. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

## परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 207 की सूची)

वर्ष 1965 से 1968 तक जिनको माउण्ट आबू में भू-खन्ड अलॉट किये गये हैं उनकी सूची।

1. श्री नटवरसिंह, बावरा भवन, चम्पा नगर, ब्यावर।
2. श्री शिवलाल छोटूराम, हरीजन कोलोनी, आबू।
3. श्री धनीष छोटेलाल, हरीजन कोलोनी, आबू।
4. श्री हरीशंकर शर्मा, भूतपूर्व अधिशासी अधिकारी, आबू।
5. श्री एफ.जे. मोतीशा, विद्युत् प्रदाय कम्पनी, आबू।
6. श्री चम्पालाल बाठिया, भूतपूर्व मुंसिफ मजिस्ट्रेट, आबूरोड।
7. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, नगरपालिका, आबू।
8. श्री शंकरसिंह, ड्राईवर, नगर पालिका, आबू।
9. श्री आर. के. देव, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, आबू।
10. श्री कुमारसिंह, नगरपालिका आबू।
11. श्री ओंकारनाथ, नगरपालिका, आबू।
12. श्री अमीरखां, नगरपालिका, आबू।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सख्या 209 की सूची)

**संशोधित दौरा प्रोग्राम**

श्री रामचरण, उप मंत्री, समाज कल्याण व श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर का दौरा कार्यक्रम।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-10-67 | जयपुर से प्रस्थान<br>पहुंच कोटा | 9.00 प्रातः | सरकारी कार द्वारा |

**रात्रि विश्राम कोटा**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24-10-67 | कोटा से प्रस्थान | 9.30 प्रातः | सरकारी कार द्वारा |
| | पहुंच अन्ता | 10.00 प्रातः | सरकारी कार द्वारा |
| | अन्ता से प्रस्थान | 12.00 दोपहर | सरकारी कार द्वारा |
| | पहुंच बारा | 6.00 सायं | सरकारी कार द्वारा |

**रात्रि विश्राम बारां**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25-1-67 | बारां से प्रस्थान | 1.00 रात्रि | सरकारी कार द्वारा |
| | पहुंच जयपुर | 8.00 प्रातः | सरकारी कार द्वारा |

आज्ञा से,
निजी सचिव,
उपमंत्री
समाज कल्याण व श्रम वि.।

श्री रामचरण उप मंत्री, समाज कल्याण एवं श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर का दौरा कार्यक्रम।

| | प्रस्थान<br>1 | समय<br>2 | पहुंच<br>3 | समय<br>4 | विवरण<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-67 | जयपुर | 8.00 प्रातः | वाया नेनवा होते हुए (कोटा) | 3-00 | |
| | **रात्रि विश्राम कोटा** | | | | |
| 24-10-67 | कोटा | 9.30 प्रातः | अन्ता | 10.00 | |
| | अन्ता | 12.00 मध्यान्ह | बारां | 1.00 | |
| | बारां | 3.00 मध्यान्ह | फतेहपुर | 4.00 | |
| | फतेहपुर | 5.00 सायं | बारां | 6.00 | |
| | **रात्रि विश्राम बारां** | | | | |
| 25-10-67 | बारां | 9.00 प्रातः | मांगरोल | 11.00 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | मगरोल | 2.00 मध्यान्ह | बारां | 3.00 | |
| | बारां | 4.00 सांय | अटरू | 5.00 | |

**रात्रि विश्राम अटरू**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-67 | अटरू | 8.00 प्रातः | सालपुरा | 9.00 | |
| | सालपुरा | 10.00 प्रातः | छीपाबडोद | 11.00 | |
| | छीपाबडोद | 12.00 | सालपुरा | 1.00 | |
| | सालपुरा | 3.00 मध्यान्ह | छाबडा | 4.00 | |

**रात्रि विश्राम छबडा**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-67 | छबडा | 8.30 प्रातः | गऊघाट | 10.00 | |
| | गऊघाट | 10.00 ,, | ओटोन | 11.30 | |
| | ओटोन | 12.00 मध्यान्ह | बपावर | 12.30 | |
| | बपावर | 1.00 मध्यान्ह | मोही | 1.30 | |
| | मोही | 1.30 मध्यान्ह | सांगोद | 2.00 | |
| | सांगोद | 3.00 मध्यान्ह | कनवास | 3.30 | |
| | कनवास | 4.00 ,, | रामगंज मण्डी | 5.00 | |

**रात्रि विश्राम रामगंजमंडी**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-10-67 | रामगंज मण्डी | 10.00 प्रातः | मोडक | 10.30 | |
| | मोडक | 2.00 मध्यान्ह | कोटा | 3.00 | |

**रात्रि विश्राम कोटा**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-10-67 | कोटा | 9.00 | पहुंच | 2.00 | |

## परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

**अश्वपालन एवं नस्ल सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम**

218. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में अश्वपालन एवं नस्ल सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

(2) यदि नहीं, तो क्यों?

(3) राजस्थान में आर. वी. सी. ने कितने अस्तबल स्थापित किये थे? उनमें से कितने चल रहे हैं, कितने बन्द कर दिये गये और क्यों?

(4) राजस्थान में आर. वी. सी के अस्तबल लगवाने में राज्य सरकार ने क्या योगदान दिया है? इन अस्तबलों से अश्व पालकों को क्या लाभ पहुंचा है?

**उत्तर**

1. जी नहीं।

2. गाय-बैलों तथा भेडों इत्यादि की नस्ल सुधार का कार्य अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है और घोडों की नस्ल का कार्यक्रम हाथ में लेने के लिये फिलहाल वित्तीय साधनों का अभाव है।

3. यह प्रश्न सेना से सम्बन्ध रखता है और राज्य सरकार को इसकी बाबत जानकारी नहीं है।

4. इसका उत्तर प्रश्न तीन के उत्तर के साथ दिया जा चुका है।

**पुलिस चौकी के अन्दर मृत्यु**

219. **श्री भवणलाल** (हिण्डोन-सु.): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि मई सन् 1967 में गढमोरां पुलिस थाने की गुढा चन्दरजी स्थित चौकी में पुलिस की मार से एक व्यक्ति की चौकी के अन्दर मृत्यु हो गई?

(2) उक्त व्यक्ति को किस मामले में पकडा गया था?

**उत्तर**

1. जी नहीं।

2. श्री बद्री वल्द सुन्दर मीणा को एक केस नं. 19167 ह.द. 307 आई.पी.सी. की तफतीश के सिलसिले में अन्य 4 व्यक्तियों के साथ चौकी गुढा चन्दरजी के इन्चार्ज ने बुलवाया था क्योंकि तफतीश करने थानेदार गढमोरा उस दिन वहां आने वाला था। उसकी या अन्य किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई थी।

**ट्यूब वेल्स पर सीमेन्ट की नालियां**

220. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में चावण सिरीज के ट्यूब वैल्स सहकारी समितियों को खेती हेतु आवंटन किये गये थे? अगर हां, तो उनमें से कितने आज कार्य कर रहे हैं?

(2) क्या यह भी सच है कि आवंटन के समय सरकार ने उपरोक्त ट्यूब वैल्स पर सिमेन्ट की नालियां तैयार करावाने का आश्वासन दिया था? अगर हां तो इस कार्य के लिये कौन ठेकेदार था? कौनसी तारीख से कार्य आरम्भ किया गया और

(श्री वार्कसिंह सोढ़ा)
ठेका कितने रुपयों में दिया गया था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कार्य ठेके की शर्तों के अनुसार पूर्ण किया गया है? अगर नहीं, तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। चांदन सिरीज के ट्यूब वेल सहकारी समितियों को कृषि हेतु आवंटन किये गए थे। इमनें से केवल 3 नल-कूप (धायसर, मोजका व भागू का गांव) चार सहकारी समितियों के लिए कार्य कर रहे हैं।

(2) जी हां, नल कूपों पर सीमेन्ट की नालियां बनाने का आश्वासन दिया गया था तथा वे नालियां बनवा दी गई हैं। इस कार्य के लिये ठेका टेन्डर प्रकाशित करने के बाद मेसर्स फतेहचन्द पारसमल को रु. 1,51,640,51 पैसे में दिया गया था। नालियों का निर्माण कार्य दिनांक 15-9-66 से आरम्भ किया गया।

(3) जी हां, ठेके की शर्तों के अनुसार नालियों का निर्माण कार्य दिनांक 31-3-67 को पूर्ण किया गया है।

बसों के परमिटों में हरिजनोंको प्राथमिकता

221. श्री सूरजमल (सूरतगढ़-सु)। क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य में चलने वाली बसों के परमिट दिये जाने में हरिजनों को प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

(२) क्या सरकार ने कोई यातायात समिति का गठन किया है? यदि हां, तो क्या उसमें कोई हरिजन अथवा पिछडी जाति का कोई व्यक्ति सदस्य रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

1. बसों के परमिट मोटर व्हीकल एक्ट एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार दिये जाते हैं जिनमें किसी जाति विशेष को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

2. सरकार ने एक यातायात कमेटी बना रखी है जो स्टेट ट्रान्सपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के नाम से है। इसके चैयरमैन यातायात मंत्री है।

मोमासर-आडसर सडक

222. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मोमासर कस्बे की आबादी 8 000 लोगों की है और यह जगह रेल से वंचित है इसलिए बसों से ही वहां पहुंचा जा सकता है?

(2) क्या मोमासर से आडसर, जो 3000 लोगों की आबादी का गांव है, को जाने के लिए कोई सडक नहीं बनी हुई है?

(3) क्या यह सही है कि मोमासर से आडसर के बीच अकाल कार्यों के वक्त 6-7 मील तक की पक्की सडक बनी थी? यदि हां तो अब इन दोनों जगहों के बीच कब तक पक्की सडक बना दी जावेगी?

(राजवी श्री रूपसिंह)

(4) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री न इस जगह का कभी दौरा किया है? यदि नहीं, तो कब तक करने का विचार है?

उत्तर

(1) जन गणना 1961 अनुसार आबादी 8000 नहीं है आवागमन बसों से संभव है।

(2) आबादी जनगणना 1961 के अनुसार 3000 नहीं है तथा मोमासर से आडसर तक सडक नहीं है।

(3) जी हां अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(4) जी नहीं। जब कभी भी संभव होगा।

### किशनगढ़-करकेडी सड़क

223. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ से करकेडी जाने वाली सडक की हालत बहुत ही खराब है तथा इसको तैयार कराने हेतु काफी समय से वहां के निवासियों ने मांग कर रखी है?

(2) यदि हां, तो अब तक इस सडक को तैयार क्यों नहीं कराया गया और अब कब तक इसे तैयार करा दी जाने की योजना है?

उत्तर

(1) सडक की दशा संतोषप्रद नहीं है ग्रामवासियों की मांग के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) मील 3 में कार्य प्रगति पर है तथा भूमि अवाप्तगी की कार्यवाही की जा रही है ज्यों ज्यों धन राशि उपलब्ध होगी सडक पूरी कराई जा सकेगी अर्थाभाव के कारण निश्चित अवधि निर्धारण संभव नहीं है।

### मजदूरों पर मुकदमें

224. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अगस्त, 1966 में कोटा की नायलोन फैक्ट्री में हडताल के दौरान मजदूरी पर कितने फोजदारी मुकदमे चलाए गये?

(2) क्या मुख्य मंत्री ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों को मुकदमे वापस ले लेने का आश्वासन दिया था?

(3) मुकदमे वापस ले लिए गये हैं या अभी चालू हैं? यदि चालू हैं तो इसके सम्बन्ध में आगे सरकार की नीति क्या है?

उत्तर

(1) अगस्त, 1966 में कोटा की नायलोन फैक्ट्री में हडताल के दौरान, फैक्ट्री के मजदूरों पर 2 फौजदारी के मुकदमे चलाये गये थे।

(2) जी, नहीं।

(3) इन 2 अभियोग में से कोई भी वापिस नहीं लिया गया बल्कि उक्त दोनों अभियोगों का फैसला अदालत से हो चुका है एवं मु. नं. 110 के 15 अभियुक्त डिस्चार्ज व मु. नं. 114 के 8 अभियुक्त बरी हो चुके हैं।

**सतवाड़ी नाले पर पुल**

225. श्री **मजलिस खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कामां-पहाडी सडक पर जो सतवाडी नाला पडता है, वह वर्षा काल में लगातार वर्षा होने के कारण कई कई दिन तक उतार नहीं देता है तथा चढाव एवं तेज बहाव के कारण यातायात ठप्प हो जाता है ? क्या यह भी सही है कि उक्त नाले के कारण तारीख पेशियों वाले डीग-भरतपुर अदालतों में पहुंचने से मजबूर हो जाते हैं और अनुपस्थिति के कारण जमानतें तक जब्त हो जाती हैं जिससे जनता को बहुत बडी दिक्कतों का सामना करना पडता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले के महत्व को देखते हुए उस पर पुल निर्माण करायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नाले पुल पर निर्माण के लिये सरकार से पहले मन्जूरी दे दी गई थी ? यदि हां, तो पुल निर्माण न होने का क्या कारण रहा ?

**उत्तर**

(1) जी हां, अधिक वर्षा में यातायात की कठिनाई होती है-अदालतों की अनुपस्थिति जप्ती जमानते के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है। पुल निर्माण विचाराधीन है। अर्थाभाव के कारण अवधि निश्चित किया जाना संभव नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

**रतनगढ़ में दुकानों के लिए भूमि**

226. श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रतनगढ नगरपालिका के प्रशासक ने अपने पद सम्हालने के बाद कितने व्यक्तियों को आबादी भूमि के खांचे (छोटे 2 टुकडे) दुकान बनाने के लिये दिये हैं ? उनकी सूची मय भूमि के माप के सदन की मेज पर रखी जाय । क्या ये टुकडे उनकी दुकान या मकान के संलग्न थे ? ये किस आधार पर दिये गये हैं ।

(2) कितने व्यक्तियों को प्रशासक ने अपना पद भार सम्हालने के बाद इजाजत तामीर दी है और किन 2 को इजाजत तामीर नहीं दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय और इजाजत न देने के कारण भी बतलाए जायं ।

**उत्तर**

(1) प्रशासक ने पद का कार्यभार सम्हालने के बाद भूमिका कोई खांचा विक्रय नहीं किया है । अतः शेष सूचना देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(2) 166 व्यक्तियों को इजाजत तामीर दी जा चुकी है 3 व्यक्तियों को इजाजत तामीर नहीं दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(स्वायत्त मंत्री)

प्रशासक, नगरपालिका, रतनगढ द्वारा कार्यभार सम्भालने की तिथि दिनांक 24-12-67 के बाद नहीं दी गई इजाजत तामीर पत्रावलियों की सूची।

| | | कारण |
|---|---|---|
| 1. | श्री बजरंगलाल पुत्र फतेहचन्द बावलिया | कृषि भूमि होने के कारण। |
| 2. | श्री हरखाराम पुत्र गंगाराम जाट बाबत नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट कूतर मशीन | पैदा होने के कारण। |
| 3. | श्री यासीन पुत्र अब्दुला तैली बाबत नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट आटा चक्की व कूतर मशीन | इस पत्रावली में आटा चक्की का नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया व कूतर मशीन का पैदा होने के कारण नहीं दिया गया। |

**बनी पार्क एक्सटेन्शन एरिया योजना**

227. दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बनी पार्क एक्सटेन्शन एरिया स्कीम कब से चालू हुई और इसमें कितने प्लाट एलाट किये जा चुके हैं तथा कितने प्लाट्स खाली हैं ?

(2) इस स्कीम में क्या सब स्थानों पर बिजली पहुंच चुकी है तथा एप्रोच रोड्स का निर्माण हो चुका है ?

(3) इस स्कीम द्वारा यू. आई. टी. को कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ और बिजली तथा सड़क के निर्माण में कितना रुपया व्यय हुआ ?

(4) क्या यह सच है कि स्कीम में प्लाट्स नीलाम करने से पूर्व यह आश्वासन दिया गया था कि सडक, बिजली, शफाखाना, पार्क आदि की व्यवस्था की जावेगी ? यदि हां, तो इन आश्वासनों में से क्या क्या पूरे किये गये हैं ?

**उत्तर**

1. बनीपार्क विस्तार योजना की स्वीकृति राज्य सरकार से क्रमांक एफ. 3 (बी) (20) एल. एस. जी. 61 दिनांक 22-5-63 को प्रदान की गई जिसकी विज्ञप्ति दिनांक 24-5-63 को जारी की गई तथा जिसमें 215 भू-खण्डों का आवंटन किया जा चुका है व आंवटन हेतु 20 भू-खण्ड रिक्त हैं।

2. जी हां, कुछ स्थानों पर बिजली व सडक पहुंचाई जा चुकी है व शेष के लिये कार्यवाही गतिशील है।

3. इस योजना के अन्तर्गत 14,09,985|- रुपये की आय 1967-68 के अन्त तक हो चुकी है एवं 10,49,011|- रुपये विकास कार्यों हेतु व्यय किये जा चुके हैं।

4. जी हां, प्रश्न में उल्लिखित सुविधायें दिये जाने की व्यवस्था सामान्यतया की जाती है। सडक व बिजली की व्यवस्था की जा रही है तथा शफाखाना एवं पार्क आदि के लिये स्थान सुरक्षित हैं। समयानुसार इनकी भी व्यवस्था की जावेगी।

**शिकायत के लिए कार्ड**

208. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि यातायात निगम द्वारा 'शिकायत कार्ड' छपवाये गये हैं? यदि हां, तो इन पर कितना खर्चा किया गया है ?

(2) क्या जो शिकायत कार्ड निगम को प्राप्त हुए हैं उनमें उल्लखित शिकायतों पर गौर कर लिया गया है ओर क्या शिकायत करने वालों को उत्तर दिया गया है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। इन कार्डों पर निगम द्वारा 1,850 रुपये खर्च किये गये हैं।

(2) जी हां। जिन मामलों में कार्यवाही पूरी हो गई है, उन्हें जवाब भेज दिया गया है।

**भेड व ऊन विभाग के स्टाक असिस्टेन्ट**

229. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू): क्या पशुपालन मन्त्री तह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भेड व ऊन विभाग के कुछ स्टाक अस्सिटेन्टों की सन् 1967-68 में सरप्लस डिक्लेअर किया गया था ? यदि हां, तो किन किन को कब कब ओर उनकी सर्विस कितने कितने समय की थी तथा उनकी योग्यता क्या क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(2) क्या वे लोग जिनको सरप्लस घोषित किता गया था भेड व ऊन विभाग की कोई ट्रेनिंग पास शुदा थे ? यदि हां, तो कौन कौनसी ट्रेनिंग कितने कितने समय की ? सूची सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(3) क्या तह भी सत्य है कि उक्त व्यक्तियों को सरप्लस घोषित करने के बाद भी उक्त पदों पर किन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो किन किन को कब कब ओर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की क्या योग्यता है और भेड व ऊन विभाग की कोनसी ट्रेनिंग पास है ? **सूची** सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) जिन लोगों को सरप्लस डिक्लेअर किया गया है अब कहां कहां पर किस किस कार्य पर नियुक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) जिस समय उपरोक्त व्यक्तियों को सरप्लस घोषित किया गया था उस समय सरप्लस व्यक्तियों को छोडकर बाकी कितने पद स्टाक असिस्टेन्टों के भरे हुए थे ओर अब कितने भरे हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करे।

**उत्तर**

(1) जी हां। 141 स्टाक सहायकों को सरप्लस घोषित किया गया। वांछित सूचना प्रपत्र 'अ' में सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) उक्त स्कन्ध सहायक केवल विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर से 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त थे।

(3) कुछ स्टाक सहायकों की पदोन्नति के कारण हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु

(पशुपालन मंत्री)
सामान्य प्रशासन (जी. ए. डी.) विभाग की सिफारिश पर केवल 8 पशुपालन विभाग के सरप्लस व्यक्तियों की नियुक्ति इन पदों पर की गई थी, क्योंकि इस विभाग के सरप्लस व्यक्ति अन्य विभागों में नियुक्त किये जा चुके थे। अन्य सूचना प्रपत्र 'ब' में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) सरप्लस व्यक्तियों के अतिरिक्त पहले 248 स्टाक सहायक कार्य कर रहे थे, अब भी उतने ही हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

**नगरपालिकाओं में प्रशासक**

230. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन-सु.), **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य में नगरपालिकाओं के चुनाव नवम्बर-दिसम्बर, 1968 में हो रहे हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार का यह इरादा है कि नगरपालिकाओं का निर्वाचन का समय पांच वर्ष का कर दिया जाय ?

(3) अभी राजस्थान में ऐसी कितनी नगरपालिकायें हैं जिनमें प्रशासक द्वारा कार्य चल रहा है ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

**श्री गंगानगर में चोरियां**

231. श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में सन् 1968 में काफी चोरियां हुई हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी चोरियां हुई, कितना माल चोरी गया, बरामद कितना हुआ व कितने चोर पकड़ गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

श्री गंगानगर में जुलाई 31 जुलाई सन् 1968 तक 402 चोरी के अभियोग पंजीबद्ध किये गये। इन चोरियों में कुल 379060-82 का माल चोरी हुआ। इसमें से 203882-33 का माल बरामद हुआ। 214 व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया सूची संलग्न है।

Information pertaining to Starred Assembly Question No. 115/Home put by Shri Ram Chandra Arya (Nohar).

**Cases of thefts reported in the Ganganagar District with property stolen and recovered.**

| Head | Cases Report-ed | Cases found false | Property: Stolen Rs. | Property: Recovered Rs. | % of Recovery | Persons arrested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **Burglary:** | | | | | | |
| 1-1-66 to 31-7-66 | 185 | 16 | 188376.86 | 58311.00 | 30.9 | 47 |
| 1-1-67 to 31-7-67 | 175 | 13 | 170470.75 | 27712.00 | 16.2 | 51 |
| 1-1-68 to 31-7-68 | 152 | 2 | 140755.79 | 21592.30 | 15.3 | 41 |
| **Cattle theft:** | | | | | | |
| 1-1-66 to 31-7-66 | 107 | 6 | 147510.00 | 85687.00 | 58.0 | 34 |
| 1-1-67 to 31-7-67 | 69 | 5 | 58689.00 | 26522.00 | 45.1 | 19 |
| 1-1-68 to 31-7-68 | 43 | 3 | 49632.00 | 19765.00 | 39.8 | 13 |
| **Other thefts:** | | | | | | |
| 1-1-66 to 31-7-66 | 227 | 56 | 75239.25 | 61736.92 | 82.1 | 144 |
| 1-1-67 to 31-7-67 | 192 | 31 | 67676.75 | 46407.75 | 68.5 | 135 |
| 1-1-68 to 31-7-68 | 207 | 17 | 188674.30 | 162525.53 | 86.1 | 160 |

Information pertaining to Starred Assembly Question No. 115/Home put by Shri Ram Chandra Arya (Nohar).

**Cases of thefts reported in the Ganganagar District with property stolen and recovered.**

| Head | Cases Reported | Cases found false | Property | | % of Recovery | Arrests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Stolen | Recovered | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Burglary:** | | | Rs. | Rs. | | |
| 1966 | 322 | 24 | 271009.00 | 92142.50 | 33.0 | 286 |
| 1967 | 318 | 24 | 255996.50 | 45973.25 | 25.0 | 175 |
| 1968 (Upto 31st July, 1968) | 152 | 2 | 140754.79 | 21592.30 | 15.3 | 41 |
| **Cattle theft:** | | | | | | |
| 1966 | 156 | 12 | 179790.00 | 104737.00 | 58.2 | 60 |
| 1967 | 100 | 6 | 90569.00 | 43874.00 | 49.0 | 44 |
| 1968 (Upto 31st July, 1968) | 43 | 3 | 49632.00 | 19765.00 | 39.8 | 13 |
| **Other thefts:** | | | | | | |
| 1966 | 385 | 94 | 156085.00 | 121354.00 | 77.7 | 230 |
| 1967 | 368 | 63 | 260534.75 | 209278.00 | 85.0 | 222 |
| 1967 (Upto 31st July, 1968). | 207 | 17 | 168674.03 | 162525.53 | 85.1 | 160 |

**विकास एवं विभिन्न प्रवृत्तियों के फिल्में**

232. श्री रतनलाल रोत (चोरासी-सु.):–क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार के जन सम्पर्क विभाग के पास ऐसी कितनी फिल्में हैं जो राजस्थान की जनता को विकास एवं विभिन्न प्रवृत्तियां दिखाकर प्रेरित कर सकें ?

(2) ऐसी फिल्मों के क्या नाम हैं ?

(3) राजस्थान के समस्त जिलों में पिछले वर्ष में जन सम्पर्क विभाग द्वारा कितने गांवों में फिल्म शो दिखाए गए ? जिलेवार ऐसी फिल्म शो के आंकडे बताने का कष्ट करें ।

**उत्तर**

(1) विभाग के पास 1441 फिल्में हैं।

(2) सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(3) सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**स्थगित प्रश्न**

**(29-8-69)**

**नगरपालिका पाली द्वारा भूमि की खरीद**

6. श्री मूलचन्द [illegible] (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नगरपालिका पाली ने 5000) रुपये में कोई एग्रीकल्चरल लैंड पाली शहर की कांकड में अचलाराम भांबी व मांगीलाल सरगरा से तारीख 1-2-68 को खरीद की है ? यदि हां, तो कितने बीघा ? और उस खरीद में कितनी रकम खर्च हुई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जाति के लोग खेती की जमीन कानून के अन्तर्गत ट्रान्सफर नहीं कर सकते ? यदि हां, तो फिर यह जमीन कैसे ट्रान्सफर हुई ?

(3) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने खाद बनाने के लिए श्री शंकरलाल जडिया पुत्र रूपचन्दजी स्वर्णकार, पाली से जमीन किराए पर ली थी ? यदि हां, तो कितने बीघा ?

(4) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने खाईयां खुदवा कर खाद तैयार करवाया था ? यदि हां, तो यह दूसरी जमीन बिना बोर्ड के प्रस्ताव के और बिना सरकार की मन्जूरी के कैसे ले ली गई ?

**उत्तर**

1. जी हां।

50 बीघा भूमि।

कुल खर्चा 5,530-50 पैसे विगत इस प्रकार हैं:—

| | |
|---|---|
| रु. 5,000-00 | खातेदारी हक के |
| रु. 192-00 | स्टाम्प के |
| रु. 37-50 | रजिस्ट्री के |
| रु. 301-00 | कच्चे कुए के |
| रु. 5,530-50 | |

2. जी हां। किन्तु वर्तमान मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होता है, क्योंकि उक्त भूमि को खातेदारों द्वारा सरेन्डर (Surrender)

(श्री स्वायत्त शासन मन्त्री)

कर दिये जाने पर जिलाधीश ने उसे नगर-पालिका के लिये कम्पोस्ट खाद योजना हेतु सैट अपार्ट ( Set apart ) कर दिया और तत्पश्चात् उक्त भूमि नगरपालिका मे ली।

3. जी हां। पांच बीघा भूमि 125 रुपये प्रति वर्ष से।

4. जी हां, किन्तु उक्त भूमि में जो खाइयां थी वे कम्पोस्ट आफीसर की योजना के अनुसार बनी हुई नहीं थी। भूमि कार्यकारिणी समिति के प्रस्तावानुसार लीगई है। सरकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी नहीं है।

## परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 231 की सूची)

नगर पालिका बारां के 98 हरिजन कर्मचारियों को वर्ष 1962-63 से 1967-68 तक जो पोशाकें दी गई हैं उनकी सूची।

| वर्ष | पोशाकों का वर्णन जो प्रत्येक हरिजन कर्मचारी को दी गई है। |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1962-63 | एक गर्मी की पोशाक |
| 1963-64 | ,, ,, |
| 1964-65 | एक गर्मी की पोशाक |
| 1965-66 | ,, ,, |
| 1966-67 | दो गर्मी की पोशाकें दी गई हैं |
| 1967-68 | दो गर्मी की व एक सर्दी की पोशाक दी गई है। |

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची)

Statement of the connections already given.

| S. No. | Name of Consumers | Date of appl. | Date of connection |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Hanuman Bux | 13-12-65 | 25-10-66 |
| 2. | Nathmal Murlidhar | -do- | 8-7-68 |
| 3. | Bansidhar | -do- | 25-3-66 |
| 4. | Gopynath Ag. Farm. | -do- | 24-3-66 |
| 5. | Rich Pal Singh | -do- | 6-1-67 |
| 6. | Maliram Sharma | -do- | 25-3-66 |
| 7. | Ram Singh | 16-12-65 | 28-6-67 |
| 8. | Gopynath Gaushala | -do- | 25-3-66 |
| 9. | Shive Prasad | -do- | 4-5-66 |
| 10. | Makhan Lal | 28-12-65 | 26-3-66 |
| 11. | Jorawar Singh | 10-3-66 | 5-10-67 |
| 12. | Gulab Singh | 23-3-66 | 31-1-68 |
| 13. | Jorawar Singh | 8-11-66 | 6-1-67 |

# परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 251 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

प्रतिलिपि कार्यवाही संचालक मण्डल सभा | दी नागौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि०, दिनांक 30-5-58

| प्रस्ताव-14 | निर्णय |
| --- | --- |
| डीडवाना में बैंक की शाखा हेतु भवन प्राप्त करने के संबंध में विचार | इस सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बींजाराम जाट साकिन मोलासर के पत्र दिनांक 27-5-68 पर विचार कर सर्व सम्मति से निर्णय किया जाता है कि प्रार्थी को कहा जाय कि वो किसी Overseer से मकान का पूरा एस्टीमेट पी. डब्लू. डी. रेट के आधार पर पेश कर तत्पश्चात् कितना एस्टीमेट हो उसका आधार रुपया (५०-प्रति रकम) बैंक रेट से 1-1/2 ऊपर या 7 प्रतिशत जो भी अधिक हो उस पर अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया जावे। भुगतान के पहले मार्टगेज डीड जिसका फाईनल मशविरा अध्यक्ष महोदय एप्रूव्ड करेंगे रजिस्ट्री करवा लिया जावे। यह रकम 25000) से अधिक यदि एस्टीमेट बैठे तो भी न दी जावे मकान का कराया 300) रु. अधिक है और प्रार्थी को अग्रिम राशि की भी सुविधा दी जा रही है। अतः सिर्फ 200) रु. महावार ही किराया दिया जावे। रकम का ब्याज प्रति माह किराये में से काटा जावे एवं पूर्ण रकम 10 साल में सालाना किश्तों में वसूल की जावे। |

# परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 253 की सूची)

परिशिष्ट (ब)

| क्रम संख्या नाम सहकारी समिति | ऋण मध्यकालीन वर्ष जिसमें दिया | राशि जो दी गई | किस कार्य हेतु दिया | ऋण अल्पकालीन वर्ष जिसमें दिया गया | राशि जो दी गई | किस कार्य हेतु दिया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ठाकरावास संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि. | 17-12-63 | 15000) (तीन साल के लिये) | ऋण पम्पिंग सेट के लिये मिला था। | 5-7-62 | 10320 | पैकेज ऋण यह सभी कृषि कार्यों एवं कृषि यन्त्रों हेतु दिया गया था। |
| | | | | 1[illegible]-7-62 | 12080 | |
| | | | | 2-3-63 | 11000 | |
| | | | | 5-3-63 | 6560 | |
| | | | | 3-2-65 | 14000 | |
| | | | | 3-2-65 | 10000 | |
| | | | | 16-12-65 | 12000 | |
| | | | | 18-8-66 | 9500 | |
| | | | | 23-8-66 | 2500 | |
| | | | | 11-11-67 | 1940 | |
| | | | | 18-12-67 | 1600 | |
| | | 15,000 | | | 91,500 | |

## परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 254 की सूची)

| वर्ष | गोपशु प्रजनन फार्म | वृषभ परिपालन फार्म | ग्राम आधार योजना | सामुहिक बधियाकरण योजना | ऊंट प्रजनन फार्म | सांड का वितरण | सघन विकास योजना | गोशाला |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-62 | 583514 | 35237 | 183813 | 84554 | 160688 | 58620 | — | 192275 |
| 1962-63 | 409110 | 66276 | 141145 | 50679 | 136201 | 158437 | — | 222361 |
| 1963-64 | 530893 | 75265 | 520475 | 96237 | 11 374 | 157195 | — | 218747 |
| 1964-65 | 615454 | 143123 | 700680 | 173015 | 142073 | 129805 | — | 241940 |
| 1965-66 | 690815 | 179589 | 682146 | 219589 | 237321 | 118770 | — | 167037 |
| 1966-67 | 817409 | 53220<br>68930 | 775328 | 243450 | 245284 | 120870 | — | 66470 |
| 1967-68 | 866188 | 118886 | 894775 | 81155 | 361491 | 102871 | 236496 | 40182 |
| | 4513383 | 740526 | 3898362 | 917679 | 1396432 | 846568 | 236496 | 1149062 |

ये राशि विशेषतया समस्त राजस्थान में खर्च की गई है एवं इसमें से लाभ समस्त प्रान्त को होता है, न कि किसी विशेष स्थान अथवा जिले को। अतः इसका मूल्यांकन जिलेवार नहीं आंका जा सकता।

# शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार दिनांक 5 अप्रेल, 1968)

| स्कं. सं. | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 11 | क | को |
| 3 | 12 | भजा गय | भेजा गया |
| 4 | 12 | ी के री सिंह हाडा | श्री केसरीसिंह हाडा |
| 5 | 14 | ा समर्थलाल | श्री समर्थलाल |
| 6 | 11 | श्री केसरीसिह हादा | श्री केसरीसिह हाडा |
| ,, | अन्तिम से 10 | श्र उपाध्यक्ष | श्री उपाध्यक्ष |
| 9 | ,, 8 | 965 | 1965 |
| 15 | ,, 8 | श्री ात लक्ष्मीकुम ारचं ावत | श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत |
| 16 | 1 | श्री र न लाल शर्मा | श्री रोशन लाल शर्मा |
| 18 | 4 | अपन | अपने |
| 30 | अन्तिम से 7 | माननीय सदस्य | एक माननीय सदस्य |
| 39 | ,, 5 | टरिस्ट | टूरिस्ट |
| ,, | 1 | ह | है |
| 45 | 2 | नोरंजन | मनोरंजन |
| ,, | अन्तिम से 9 | नाटक खेलने | उन्होंने नाटक खेलने |
| 49 | शीर्षक | तारिक | तारांकित |
| 51 | ,, | ंकित | तारांकित |
| 53 | ,, | सितम्ब | सितम्बर |
| 54 | 12 | ठेकेवर | ठेकेदार |
| ,, | 16 | पहुचांय | पहुंचाया |
| 59 | 2 | घार्ट | घाटे |
| 61 | अन्तिम से 7 | 21-6-6 | 21-6-67 |
| 65 | ,, 11 | नवम्ब | नवम्बर |
| 74 | 16 | ो | को |
| 77 | अन्तिम से 5 | हने | होने |
| 78 | ,, 13 | आद | आदि |
| ,, | ,, 12 | त | तो |
| 79 | 11 | श्र शिवनाथ सिंह | श्री शिवनाथ सिंह |
| 83 | 9 | श्री जोध सिंह नहर | श्री जोध सिंह नाहर |
| ,, | 12 | श्री भैरुलल | श्री भैरुलाल |
| ,, | अन्तिम से 5 | श्री लदूलाल | श्री लादू लाल |
| 85 | 3 | श्री श्री नवास शारदा | श्री श्रीनिवास शारदा |
| ,, | अन्तिम से 6 | ार | बार |
| 91 | 9 | ( ) | (3) |
| ,, | अन्तिम से 7 | ( ) | (6) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| ,, | ,, 2 | ( ) | (1) |
| 92 | ,, 7 | ( ) | (6) |
| 94 | ,, 9 | गामले | मामले |
| 101 | ,, 11 | सरकार इस | सरकार द्वारा इस |
| ,, | ,, 2 | म | में |
| 103 | ,, 9 | मंत्रियों द्वारा वत्तव्य | मंत्रियों द्वारा शासकीय वक्तव्य |
| ,, | ,, 7 | व्कतव्य | वक्तव्य |
| 107 | ,, 3 | करन | करने |
| 110 | अन्तिम | उनक | उनके |
| 111 | 18 | ी | भी |
| 114 | अन्तिम से 4 | कालेजे | कालेजेज |
| 116 | 5 | आपका | आपको |
| ,, | अन्तिम से 8 | ह | है |
| ,, | अन्तिम | अध्यक्षपाठ क आदशानुसार | अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार |
| 118 | 1 | ानकाल मय | निकाले गये |
| ,, | 2 | डेगा | पड़ेगा |
| ,, | 2 | अर | और |
| ,, | 8 | उग | उगा |
| ,, | अन्तिम से 10 | किसा | किस |
| ,, | ,, 7 | का रिशन | कार्पोरेशन |
| ,, | अन्तिम | ों | किसानों |
| 119 | 8 | छ्टा | छूट |
| ,, | 14 | हेगा | होगा |
| ,, | 16 | बझक ह | बूझ कर हुई |
| ,, | 17 | साई | सवाई |
| ,, | अन्तिम से 10 | अनसार | अनुसार |
| ,, | ,, 10 | मआजा | मुआवज़ा |
| ,, | ,, 4 | व्यस्था | व्यवस्था |
| ,, | ,, 2 | प्रभा त | प्रभावित |
| 122 | 3 | किंतु | किन्तु |
| ,, | अन्तिम से 13 | उदर | उदार |
| 125 | 4 | लागों | लोगों |
| 129 | 9 | धाट | घाटे |
| ,, | 18 | आईवा | आइन्वा |
| 131 | 16 | अन | [illegible] |
| ,, | 21 | औ | और |
| 134 | 12 | इनक | इनको |
| 154 | अन्तिम से 2 | हकरेंगे | [illegible] |
| ,, | अन्तिम | चीज | [illegible] है |
| 157 | शीर्ष | (श्रीमूलचन कटेवा) | ([illegible] मूलचन्द कटेवा) |
| 158 | 9 | अकार | [illegible] |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| ,, | 16 | 8 ग्रौर | 80 ग्रौर 82 |
| 161 | 15 | बाढ़ ग्राती | बाढ़ नहीं ग्राती |
| 165 | 7 | तो ग्रौर कोई | तो कोई |
| ,, | 8 | ग्रौर न जमीनों | जमीनों |
| 172 | 1 | मत | मतलब |
| 173 | ग्रन्तिम से 2 | सरकरार | सरकार |
| 177 | 17 | सभापपिजी | सभापति जी |
| 186 | 2 | ह | है |
| ,, | 3 | भकर | भयंकर |
| ,, | ग्रन्तिम से 13 | किमण्डेशन्स | रिकमन्डेशन्स |
| ,, | ,, 12 | विस्तर | विस्तार |
| 202 | 8 | महाराल श्री लक्ष रर्णासिंह | महारावल श्री लक्ष्मर्णासिंह |
| 218 | 15 | यवस्था | व्यवस्था |
| 233 | 7 | बहार | बारह |
| 235 | 16 | प्रास | प्रयास |
| 238 | 8 | न | ने |
| ,, | 15 | म | में |
| 242 | 16 | ह | है |
| ,, | ग्रन्तिम से 13 | सहयता | सहायता |
| 244 | ,, 13 | म उनको ग्रार्थक | में उनको ग्रार्थिक |
| 266 | 9 | सलिय | इसलिए |
| 268 | 5 | श्र सभापति | श्री सभापति |
| ,, | 7 | बाढाया | बढ़ाया |
| ,, | 14 | डिवीजन | डिसीजन |
| 269 | 2 | निर्म | निर्णय |
| ,, | 5 | मे | में |
| ,, | 7 | मनें | मैंने |
| ,, | ग्रन्तिम से 5 | करा | कराया |
| 297 | 2 | शाहबद | शाहबाद |
| ,, | 7 | चकी | चुकी |
| ,, | 19 | परमनेन्ट सधम | परमानेन्ट साधन |
| 340 | ग्रन्तिम से 7 | ाी उपाघ्यक्ष | श्री उपाध्यक्ष |
| 353 | ,, 5 | कलेक्टर्रा | कलेक्टर्स |
| 354 | 3 | जवी | जल्दी |
| 361 | ग्रन्तिम से 12 | उवयदूर | उदयपुर |
| 363 | ,, 17 | ग्रसेप्ट | एक्सेप्ट |
| 366 | ,, 11 | ह त्रोसिटी | केपिसिटी |
| 369 | 14 | ट्यूब वल्स | ट्यब वेल्स |
| 371 | 8 | जसलमेर | जैसलमेर |
| 382 | 9 | श्र परसराम मवेरणा | श्री परसरामं मदेरणा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 385 | 12 | सवे | सर्वे |
| ,, | अन्तिम से 9 व 7 | साइड | साइट |
| 392 | 1 | वहं | वहां |
| 394 | 12 | खद | खुद |
| 396 | अन्तिम से 3 | मन्जरी | मन्जूरी |
| 400 | अन्तिम | म.प. | म. पू. |
| 403 | 7 | छाबड़ा | छबड़ा |
| 407 | अन्तिम से 10 | पुल पर निर्माण | पर पुल निर्माण |
| 408 | शीर्ष | (स्वायत्त मंत्री) | (स्वायत्त शासन मंत्री) |